Page No 1

राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक 5] चतुर्थ विधान सभा के पंचम, सत्र का ग्यारहवां दिवस [संख्या 9

[1]

बृहस्पतिवार

दिनांक 21 अगस्त, 1969.

विधान सभा की बैठक म. पू. 11.3 बजे विधान सभा भवन जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री निरंजननाथ आचार्य, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

[सामान्य प्रशासन, जन-स्वास्थ्य, कृषि, उपनिवेशन, जनसम्पर्क, पुनर्वास, सार्वजनिक निर्माण, स्वायत्त शासन, नियुक्ति, सहकारिता, गृह, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, पशुपालन, कृषि विभाग]

श्री अध्यक्ष : प्रश्न

श्री विजयसिंह :

मंत्रियों की सम्पति का व्यौरा

262. श्री विजयसिंह (मकराना) : क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) जिन जिन विधायकों को मंत्री आदि के पदों की शपथ ग्रहण करवाई गई है

[2]

क्या उनसे उनकी व उनके नजदीकी रिश्तेदारों की चल और अचल सम्पत्ति के बाबत पूर्ण व्यौरा लिया गया है ? यदि हां, तो उनके दिए हुए व्यौरे की सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) अगर नहीं, तो क्या उनकी चल और अचल सम्पत्ति का व्यौरा जल्द से जल्द लेने का सरकार विचार रखती है ?

उप मंत्री (श्री प्रद्युम्नसिंह) :

(1) जी हां, व्यौरे प्राप्त हो गये हैं। विवरण सदन की मेज पर रखना सम्भव नहीं है क्योंकि यह गुप्त अभिलेख है।

(2) प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री विजयसिंह : क्या यह सही है कि व्यौरा न देने से कई लोगों को यह मालुम है कि मंत्री बनने के बाद जो जगह जगह पर जैसे आबू के अन्दर कई मंत्रियों ने जमीन ले ली है तो हो सकता है वह किसी नाजाइज तरीके से ली है ?

श्री अध्यक्ष : हाईपोथेटिकल, दूसरा प्रश्न।

श्री विजयसिंह : इसका जवाब जरूरी है।

श्री नत्थीसिंह (भरतपुर) : मैं जानना चाहूंगा कि गुप्त अभिलेख किन कारणों से कहते हैं आप ?

श्री प्रद्युम्नसिंह : कोड ऑफ कन्डक्ट के तहत सभी मंत्रियों से आशा की जाती है कि मुख्य मंत्री महोदय को जो चल और अचल सम्पत्ति है उसका व्यौरा देंगे। यह वालेन्टियरी चीज है और किसी कानून या रूल्स के तहत वह बाध्य नहीं है लेकिन फिर भी मुख्य मंत्रीजी ने कोड ऑफ कन्डक्ट माना है उसके आधार पर व्यौरा दिया जाता है इसलिए किसी कानून के तहत नहीं आता इसलिए यहां रखा जाना आवश्यक नहीं है।

श्री दौलतराम सारण (डूंगरगढ़) : क्या राज्य सरकार को मालूम है कि केन्द्रीय मंत्रिमण्डल के सदस्यों की सम्पत्ति का व्यौरा लोकसभा में दिया गया है ?

श्री प्रद्युम्नसिंह : अध्यक्ष महोदय, मुझे इसकी जानकारी नहीं है।

श्री दौलतराम सारण : अध्यक्ष महोदय, सारे अखबारों में आया है, पार्लियामेंट में प्रश्न आया है और उसके बाद माननीय मंत्री कहते हैं कि इसकी जानकारी नहीं है और यह गुप्त अभिलेख कैसे है ? सार्वजनिक कार्यकर्ता की सम्पत्ति को गुप्त अभिलेख बताना सही नहीं है और यह सदन के सामने प्रस्तुत करना चाहिये।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्य मंत्री) : जहां तक मेरी जानकारी है पार्लियामेन्ट के अन्दर भी सारे मंत्रियों की चल और अचल सम्पत्ति का व्यौरा पार्लियामेन्ट के अन्दर रखा गया है ऐसी मुझे जानकारी नहीं है।

श्री विजयसिंह : क्या यह अच्छा नहीं है कि मंत्री महोदय अपना व्यौरा मुख्य मंत्रीजी को दें ताकि जनता के अन्दर यह महसूस हो कि इन इन मंत्रियों के पास यह यह है और उनके दिमाग में भ्रष्टाचार का कोई सवाल ही नहीं है ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : मंत्रियों का इस प्रकार का व्यौरा मेरे पास आता है।

श्री विजयसिंह : तो किन किन मंत्रियों ने आपके पास व्यौरा दिया है ?

श्री प्रद्युम्नसिंह : मैंने कहा है कि सभी मंत्रियों ने अपने व्यौरे मुख्य मंत्रीजी को दे दिये हैं।

श्री मनोहरसिंह मेहता (मांडलगढ़) : यह जो मुख्य मंत्रीजी के पास व्यौरा दिया है तो वह आजादी के पहले की सम्पति थी उसका दिया है या मंत्री बनने के पहले जो था वह दिया है ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : मंत्री बनने के बाद का, आजादी के पहले का नहीं।

श्री विजयसिंह : तो उन्होंने अपनी सम्पत्ति में जो एक्सटेन्शन किया है और करते जा रहे हैं वह भी शामिल है ? जैसे अभी थोड़े थोड़े दिन पहले, अध्यक्ष महोदय, आबू के अन्दर कई जमीनें ली मंत्रियों ने और काफी तादाद में ली तो क्या उसका भी व्यौरा मुख्य मंत्रीजी को दिया है ?

श्री प्रद्युम्नसिंह : मैंने निवेदन किया कि हर साल दिया जाता है। उसमें जो रद्दोबदल होती है उसकी जानकारी मुख्य मंत्रीजी को दे दी जाती है।

Page No 3

श्री केदारनाथ : सम्पत्ति का वैरीफिकेशन चीफ मिनिस्टर साहब कैसे करते हैं ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : उसका चैकिंग नहीं करवाते हैं। उनकी तरफ से जो कुछ दिया हुआ होता है उसी को आधार मान कर चलना होता है। अगर किसी ने एक वर्ष के अन्दर एड किया है तो उसकी जानकारी एनुअल स्टेटमेन्ट में आ जाती है।

श्री दौलतराम सारण : अध्यक्ष महोदय, इस सदन के कई मंत्रियों की सम्पत्ति के सम्बन्ध में आपत्तियां और आरोप आये हैं क्या मुख्य मंत्रीजी ने उन मंत्रियों के संबंध में जानकारी की है कि उनकी सम्पत्ति अर्जन के क्या सोर्स हैं और कितनी पहले थी और कितनी बाद में अर्जित करली गई है ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : ज्यादातर आरोप आये है उनका सदन में ही जवाब दे दिया गया है उन्हीं मंत्रियों के द्वारा।

श्री विजयसिंह : क्या सदन इसे उचित नहीं समझता कि विरोधी दल के नेता महोदय के तत्वावधान में एक कमेटी बनाकर मंत्रियों द्वारा दिये गये ब्यौरे की जाँच करवा लें कि इसमें कितना सही है ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : आवश्यक नहीं समझता।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

प्रश्न संख्या 263

श्री लादूराम सुलानियां

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

प्रश्न संख्या 264

श्री गोरधन सोनी

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

श्री हंसराज आर्य

भाखरा नहर क्षेत्र में मंडी आबाद करने हेतु भू-खण्डों की नीलामी

265. श्री हंसराज आर्य (भादरा) : क्या उपनिवेशन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) गंगानगर जिले में किन-किन स्थानों पर भाखरा नहर के क्षेत्र में मण्डी आबाद करने के लिए भू-खण्ड नीलाम किये गये थे ?

(2) नीलामी से सरकार को कुल कितनी आय हुई है और उसमें से कितनी धनराशि मंडियों को आबाद करने के लिये व सड़क, पानी, बिजली आदि पर खर्च की गई है, और कितनी बाकी बची है ?

(3) क्या किसी मंडी में आबादी हो सकी है ? यदि नहीं, तो क्यों नहीं ? क्या नीलामी में भू-खण्ड लेने वालों को सरकार इस बात का नोटिस देगी कि अमुक तारीख तक भू-खण्ड को आबाद नहीं किया तो भू-खण्ड दुबारा निलामी कर दिया जायेगा ? यदि हां, तो यह नोटिस कब तक दे दिया जावेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(4) मंडी वाइज आय व्यय की सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

राज्य मंत्री, उपनिवेशन (श्री मनफूल सिंह चौधरी) : गंगानगर जिले में हनुमानगढ़ जं० 'ए' श्रेणी मण्डी व पीलीबंगा, सादुलशहर, संगरिया, नोहर, भादरा व सूरतगढ़।

श्री हंसराज आर्य : सुनाई नहीं दे रहा है।

श्री मनफूलसिंह चौधरी : (1) गंगानगर जिले में हनुमानगढ़ ज० ए० श्रेणी मण्डी व पीलीबंगा, सादुलशहर, संगरिया, नोहर, भादरा व सूरतगढ़ 'बी' श्रेणी मंडियों में कुल मिलाकर सात मंडियों में भाखरा नहर के क्षेत्र में मण्डी आबाद करने के लिये भू-खण्ड नीलाम किए गए हैं।

(2) नीलामी से सरकार को 81,38,045 रु० की आमदनी हुई व सड़क, पानी, बिजली व भवन निर्माण के लिए 96,46,000 रु० खर्च हुए। भूमि आंवटन व नीलामी से जो आय होती है वह राज्य सरकार के कोष में जमा करा दी जाती है व सड़क, पानी, बिजली व अन्य विकास कार्यों के लिये अलग से धनराशि उपलब्ध कराई जाती है। अतः शेष धनराशि का सवाल पैदा नहीं होता।

(3) इन उपरोक्त सातों मंडियों में आबादी हो चुकी है नीलामी में बेचे गये भू-खण्डों की तामीर न कराने की सूरत में खरीददारान को नियमानुसार नोटिस जारी किये जाते रहे हैं और उनकी पालना न करने की अवस्था में आवंटन निरस्त किया जाकर भू-खण्ड दुबारा नीलाम किये जाते हैं।

(4) इन मंडियों में विकास कार्यों, जैसे सड़क, पानी, बिजली इत्यादि के लिए सालवार ही धनराशि उपलब्ध सरकार द्वारा कराई जाती है मण्डीवार नहीं इसलिए खर्च का हिसाब भी सालवार ही रखा जाता है। सालवार आय व्यय की सूचियां संलग्न हैं।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई।)

श्री हंसराज आर्य : दूकानें नीलाम करते समय नीलाम में लेने वालों के साथ क्या शर्तें थीं ? वे कब तक बस जायेंगे ?

श्री मनफूलसिंह : उनके साथ में शर्त यह थी कि पहले सारी रकम का एक चौथाई, उसके बाद आधा और फिर बाकी और फिर एक साल के अन्दर अन्दर बना लेना चाहिए। जिन्होंने नीलाम में प्लाट्स लिये हैं उन्होंने नहीं बनाये तो उनको नोटिस दिये गये और बहुत से खारिज हुए हैं तो उन्होंने अपील कर रखी है।

श्री हंसराज आर्य : कितने खरीददारों ने जिन्होंने दूकानें नीलाम में ली उनके नीलाम वापिस खारिज कर दिये गये जो कि अवधि में आबाद नहीं हुए।

श्री मनफूलसिंह : यह निश्चित संख्या तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन कुछ को निरस्त कर दिया गया है।

श्री हंसराज आर्य : इन मंडियों को भविष्य में आबाद कराने का सरकार विचार रखती है या नहीं ? ये मंडियां आगे आबाद होंगी या नहीं ?

श्री मनफूलसिंह : कुछ मंडियां ऐसी है, जैसे पीलीबंगा, सादुलशहर, संगरिया ये आबाद हो चुकी है। नोहर, भादरा और सूरतगढ़ पूरी तरह से आबाद नहीं हुई हैं। हनुमानगढ़ में कुछ आबाद हुई है और कुछ बाकी हैं।

श्री हंसराज आर्य : जिन भूमियों का नीलाम कैंसिल कर दिया गया है उनकी दुबारा बोली बुलाई जायेगी ?

श्री मनफूलसिंह : अभी नहीं बुला रहे हैं।

Page No 5

श्री हंसराज आर्य : हनुमानगढ़ की मंडी पर अभी तक कितने आदमी आबाद हुए हैं?

श्री दौलतराम सारण (डूंगरगढ़) : क्या यह सही है कि निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार मंडियों का निर्माण नहीं हो सका है?

श्री मनफूलसिंह : कुछ अड़चनें हनुमानगढ़ जंकशन की मंडी के ऊपर आई हैं और सूरतगढ़ में आई हैं इस कारण से उनको पूरा आबाद नहीं कर सके हैं। लोगों ने कहा है कि लीज सिस्टम किया जाय तो लीज सिस्टम किया गया है। जगहें नीलाम की गई तो लोग पूरी तरह नीलाम देने के लिए नहीं आये। इसलिए मैं यही निवेदन करना चाहता हूं कि तीन मंडियां पूरी तरह से आबाद हो चुकी हैं, लेकिन हनुमानगढ़ में प्रयास जारी है कि उसे पूरी तरह से बसायेंगे। इसी तरह से सूरतगढ़ मंडी जो 'बी' क्लास की मंडी है राजस्थान कैनाल के अन्दर घोषणा करके उसको भी आबाद करना चाहते हैं।

श्री दौलतराम सारण : क्या इन मंडियों में आबादी हुई?

श्री हंसराज आर्य : हनुमानगढ़ जंकशन पर मंडी 'ए' क्लास की है, उसमें कोई आबादी नहीं हुई। लाखों रुपयों के प्लाट्स बेचे गये हैं तो क्या वह मंडी आबाद हो गई है? क्या वह मंडी ऐसी जगह है जो कि पानी में डूब जाती है और वहां पर 10-10 फुट पानी हो जाता है। इस वजह से लोग आबाद नहीं हुए हैं।

श्री मनफूलसिंह : आबाद करने का पूरा प्रयास किया जा रहा है।

श्री दौलतराम सारण : मण्डी आबाद नहीं होने के बाद?

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह (डूंगरपुर) : हनुमानगढ़ मंडी में जो स्थान आपने नियत किया है वह उपयुक्त है या नहीं? हनुमानगढ़ मंडी को जहां पर स्थापित करने की आपने योजना बनाई है वह क्या उपयुक्त है या नहीं?

श्री मनफूलसिंह : वह उपयुक्त स्थान है।

माननीय हंसराजजी ने जैसा फरमाया कि जहां पर जो आप 'ए' क्लास की मंडी बना रहे हैं वह स्थान काफी नीचा है, उसको लेवल नीचा है और वहां पर पानी भर जाता है, तो हो सकता है कि लोग नीलाम में इसी कारण से प्लोट नहीं ले रहे हैं लेकिन ड्रेनेज का अच्छी तरह से प्रबन्ध किया जा रहा है जिससे कि लोगों की आवश्यकता जल्दी ही पूरी हो सकेगी।

श्री हंसराज आर्य : अध्यक्ष महोदय, मैं खासतौर से निवेदन करूंगा कि लोगों ने जमीनें तो ले लीं लेकिन नीची जगह होने के कारण उन्होंने सोचा कि बाद में आबाद होंगे। पानी में डूब में आने के कारण लोग आबाद नहीं हो रहे हैं तो क्या मंडी दूसरी जगह आबाद की जायेगी?

श्री मनफूलसिंह : डूब जाने की ऐसी स्थिति नहीं है। वहां पर मामूली पानी इकट्ठा होता है ज्यादा बरसात होने की वजह से तो वह ड्रेनेज भी किया जा सकता है। ड्रेनेज के लिए हम सोच रहे हैं। हम यह भी सोच रहे हैं कि मंडी को दूसरी जगह बसायें और लोगों ने जहां पर दुकानें

Page No 6

(श्री मनफूल सिंह)

ली हैं वहां पर इन्डस्ट्रियल एरिया घोषित करके वहां पर वह करें और पास में जो जगह है वहां पर 'ए' क्लास मंडी बनाई जाये।

श्री हंसराज आर्य : आबाद हो जाने के बाद ......

श्री दौलतराम सारण : जिस समय मंडी के लिए जगह तय की गई थी उस समय स्थानीय जनता की और जन-प्रतिनिधियों की ओर से ऐतराज किया गया था और यह कारण बताया गया था कि यहां पर मंडी आबाद नहीं हो सकेगी क्योंकि नीची जगह है। इसके लिए आन्दोलन भी हुआ था लेकिन राज्य सरकार ने अपनी जिद्द की वजह से उनकी बात को नहीं सुना और न माना। आज 10 वर्ष के बाद राज्य सरकार मानती है जब कि लाखों रुपये योजना की विभिन्न स्थितियों में खर्च हुए होंगे और इधर मंडी विकसित नहीं हो सकी, क्योंकि किसानों को अपनी उपज के विक्रय के लिए स्थान प्राप्त नहीं हो सका अब तक।

श्री मनफूलसिंह : इसके लिए कोई आन्दोलन नहीं हुआ था, लेकिन इसके नहीं बसने का कारण जो है वह और है। हनुमानगढ़ टाउन के अन्दर 'सी' क्लास की मंडी है और हनुमानगढ़ के अन्दर तीन दिशाओं के अन्दर से आसपास के लोग हनुमानगढ़ टाउन के अन्दर होकर हनुमानगढ़ जंक्शन पर जाते हैं और इस कारण से वे हनुमानगढ़ टाउन की 'सी' क्लास मंडी में अपना अनाज डाल देते हैं। यही एक कारण है और यह कारण नहीं है कि नीची है जमीन उसकी और पानी भर जाता है, इस तरह का कोई कारण नहीं है जिसकी वजह से कि मंडी आबाद नहीं हुई है।

श्री दौलतराम सारण : माननीय मंत्रीजी ने जब वे स्वयं विधायक थे और गंगानगर जिला कांग्रेस के मंत्री थे उस समय इस मंडी के सम्बन्ध में लिखित में ऐतराज पेश किया था ?

श्री मनफूलसिंह : लिखित में ऐतराज के बारे में मेरी इन्कारी नहीं है, लेकिन आपने कहा कि आन्दोलन हुआ था तो मैंने कहा था कि इस तरह का आन्दोलन नहीं हुआ था।

श्री दौलतराम सारण : क्या आपने लिखित में यह ऐतराज पेश नहीं किया था कि मंडी जो बसाई जा रही है वह नीची जगह पर है और गलत जगह पर है ? यहां पर मंडी आबाद नहीं हो सकेगी। यहां पर किसी भी सूरत में मंडी आबाद नहीं हो सकेगी तथा दक्षिण की ओर की जगह पर मंडी होना चाहिए। आपने यह लिखित में ऐतराज पेश किया था या नहीं ?

श्री हंसराज आर्य : मैं सरकार से निश्चित उत्तर जानना चाहता हूं कि भविष्य में उसको आबाद कराने के लिए शीघ्रातिशीघ्र क्या कदम उठायेगी जिससे कि वह मंडी आबाद हो सके, और अब तक नहीं हो सकी तो उसके क्या कारण हैं ?

श्री अध्यक्ष : (श्री मनफूलसिंह से) :- एक प्रश्न और ले लें।

Page No 7

श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं): हनुमानगढ़ जंक्शन की मंडी आबाद क्यों नहीं हुई उसके बारे में क्या आपने एक्सपर्ट्स से राय ली है ? वे ऐसे क्या अनएवायडेबल कारण थे जो कि आपके हाथ में नहीं थे ?

श्री मनफूलसिंह : रिपोर्ट सरकार ने ली है। इसका मुख्य कारण यह है कि हनुमानगढ़ टाउन के पास में मंडी 'सी' क्लास है और 'सी' क्लास की मंडी के आसपास ऐसा इलाका है जिसके अन्दर राजस्थान कैनाल लगी हुई है और जिसमें भाखरा नहर भी लगी हुई है और उस टाउन में से होकर जंक्शन में आना पड़ता है, और जंक्शन के पास में जो एरिया है वह इतना ज्यादा आबाद नहीं हुआ है कि वहां पर अपनी पैदावार ले जाकर बेचें। इसलिए 'सी' क्लास मंडी में जो कि हनुमागढ़ टाउन में है उसमें ज्यादा लोग अनाज डालते हैं। यही एक सबसे बड़ा कारण है कि वह अभी तक आबाद नहीं हुई है।

श्री दौलतराम सारण : हनुमानगढ़ टाउन में मंडी कब बनी ?

श्री मनफूलसिंह : 'सी' क्लास की मंडी प्लान में थी। उसको 'सी' क्लास की मंडी रखा गया है।

श्री कृष्णकुमार गोयल (कोटा) : हनुमानगढ़ में 'सी' क्लास की मंडी में न तो प्लाट्स काटे गये हैं और न नीलाम किये गये हैं, क्या यह सही है ?

श्री मनफूलसिंह : अभी तक नहीं काटे गये हैं।

श्री कृष्णकुमार गोयल : क्या कारण है कि हनुमानगढ़ टाउन की 'सी' क्लास की मंडी में प्लाट्स नहीं काटे गये ? आज तक की सारी स्थितियों को देखते हुए यह मानते हैं कि हनुमानगढ़ टाउन की मंडी का डेवलपमेंट होना स्वाभाविक है तो क्या कारण है कि आज तक वहां पर प्लाट्स नहीं काटे गये और उन प्लाट्स का नीलाम नहीं किया गया ?

श्री मनफूलसिंह : हनुमानगढ़ टाउन की मंडी पुरानी मंडी है और उसमें हमेशा से अनाज आता है और उसी जगह पर अनाज पड़ रहा है। जब आगे चल कर यह सोच रहे हैं कि इसको 'ए' क्लास की मंडी करें या न करें। हनुमानगढ़ जंकशन पर 'ए' क्लास की मंडी है, लेकिन वह पूरी तरह से आबाद नहीं हुई है जिसके कई कारण हैं। इन कारणों को देखते हुए हम यह चाहते हैं कि हनुमानगढ़ जंकशन पर जो मंडी है उसको 'सी' क्लास की मंडी रखी जाय या 'ए' क्लास की मंडी रखी जाय।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट श्री जयनारायण सालोदिया।

श्री हंसराज आर्य : क्या यह सही है कि सरकार की मंडी को आबाद करने में दिलचस्पी नहीं है ?

श्री अध्यक्ष : जनसम्पर्क मंत्री। आर्डर, आर्डर।

राज्य मंत्री (श्री हीरालाल देवपुरा) : (1) सूचना परिशिष्ट 'क' पर संलग्न है।

(2) सूचना परिशिष्ट 'ख' पर संलग्न है।

Page No 8

श्री रामचन्द्र आर्य (नोहर) : माननीय अध्यक्षजी, एक प्रश्न का उत्तर दिला दें। माननीय मंत्री महोदय ने फरमाया है कि....

श्री अध्यक्ष : आर्डर आर्डर। माननीय सदस्य, स्थान ग्रहण करें।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : अध्यक्ष महोदय, मैं यह पूछना चाहता हूं कि क्या यह सही है कि हनुमानगढ़ जंकशन को 'ए' क्लास की मंडी को बसाने के लिए इसको ई डस्ट्रियल एस्टेट का एरिया घोषित कर दिया जाय और इन्डस्ट्रीज को उसके अन्दर बसाई जाय तो 'ए' क्लास की मंडी को डेवलेपमेंट हो सकेगा ?

श्री अध्यक्ष : मंत्री महोदय ठहरिये। आप भी पूछ लें।

श्री केदारनाथ (गंगानगर) : क्या यह सही है कि यदि वहां पर खाद कारखाने का निर्माण हो तो 'ए' क्लास की मंडी की भूमि का नीलाम हो सकता है ?

श्री रामचन्द्र आर्य : मैं यह जानना चाहता हूं कि राज्य मन्त्रीजी ने बताया है कि प्रयास किया जा रहा है। यह प्रयास कितने दिन में हो जाएगा।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : अध्यक्ष महोदय, मेरा भी सप्लीमेन्टरी है। मन्त्री महोदय ने जितनी सी जानकारी दी है उनसे पूर्णतया मैं सहमत हूं। व्यापारियों ने भी सहयोग की भावना नहीं रखी है। फिर यह अपने प्रयास में किस तरह से सफल हो सकते हैं। वर्षों से व्यापारी वहां पर मौजूद है। वहां से उनको बाहर निकाल कर फिर सफलता प्राप्त नहीं कर सकते हैं। इसका मतलब यह है कि यह असफल है। फिर पुनर्विचार का प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष : सभी का उत्तर एक साथ।

श्री कृष्णकुमार गोयल : हनुमानगढ़ जंक्शन या टाउन। यह इसलिए नहीं हो रहा है कि वहां के जो राज्य मन्त्री है और मन्त्री हैं, उनके कारण 'ए' क्लास नहीं बनाया जा रहा है। यहां तक कि अब तक आज तक एक भी प्लाट नीलाम नहीं किया है।

श्री अध्यक्ष : सामूहिक रूप से उत्तर दे दें।

श्री मनफूलसिंह : जैसा कि विरोधी पक्ष के माननीय नेता महोदय ने फरमाया कि राज्य सरकार उस पर क्या पुनर्विचार करती है। मैंने पहले भी बताया है कि जंक्शन की जो मण्डी है वह पूरी तरह से नहीं हो सकी है। इसलिए सरकार पुनर्विचार कर रही है कि आगे डवलप किया जावे या 'सी' क्लास मंडी या 'ए' क्लास मंडी बनाकर आगे बढ़ायेंगे।

श्री हंसराज आर्य : अध्यक्ष महोदय,....

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर। नैक्स्ट।

श्री हंसराज आर्य : एक लाख रुपया खर्च कर दिया। बहुत ही गंभीर प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर।

श्री दौलतराम सारण : यह मंडी का ही मामला नहीं है। अन्न उत्पादन भारी मात्रा में हो रहा है। किसानों को कृषि उपज बेचने के लिए मंडी नहीं है। ऐसी

(श्री दौलतराम सारण)

स्थिति में एक विकट समस्या पैदा हो रही है। राज्य सरकार बिल्कुल उपेक्षा की दृष्टि से देख रही है। कुछ भी मंडी का विकास नहीं करती हैं।

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर। माननीय सदस्य।

श्री दौलतराम सारण: अध्यक्ष महोदय, यह सब को मालूम है कि राज्य सरकार मंडी के विकास के लिए ध्यान नहीं देती है।

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर। जनसम्पर्क मन्त्री।

प्रदर्शनियों पर व्यय

266. **श्री जयनारायण सालोदिया** (निवाई) : क्या जन सम्पर्क मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) जनसम्पर्क विभाग का गत तीन वर्षों का बजट क्या था और उसमें से किन किन कामों में रुपया खर्च किया गया ?

(2) उक्त अवधि में राज्य में कहां कहां प्रदर्शनियां लगाई गई और उनमें कितना खर्चा किया गया ?

(3) विभाग ने राज्य के बाहर के किन किन पत्रों को गत तीन वर्षों में कितनी कितनी राशि का विज्ञापन दिया गया है तथा विज्ञापन देने के क्या आधार रखे हैं ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

राज्यमन्त्री, जनसम्पर्क (श्री हीरालाल देवपुरा) : (1) सूचना परिशिष्ट 'क' पर संलग्न है।

(2) सूचना परिशिष्ट 'ख' पर संलग्न है।

(3) सूची (परिशिष्ट 'ग') सदन की मेज पर रख दी गई है। राज्य के बाहर के पत्रों को विज्ञापन या तो सम्बन्धित विभाग उसके किसी विज्ञापन को क्षेत्रीय दृष्टि से बाहर के पत्रों में प्रकाशित कराना चाहें या वे विज्ञापन जिनका प्रचार अखिल भारतीय स्तर का समझा जाता है, उन्हें राज्य के बाहर के पत्रों में प्रकाशित कराया जाता है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई।)

श्री जयनारायण सालोदिया : आप जो प्रदर्शनी लगाते हैं, वह कहां लगेगी कितना खर्चा होगा यह निर्णय किस स्तर पर लिया जाता है ?

श्री हीरालाल देवपुरा : क्या पूछा है ?

श्री जयनारायण सालोदिया : प्रदर्शनी का पूछा है। जो प्रदर्शनी आप लगाते हैं, वह कहां लगेगी, क्या खर्चा होगा, यह निर्णय किस स्तर पर लिया जाता है ?

श्री हीरालाल देवपुरा : बजट जो रखा गया है वह नाम मात्र का है। विशेष नहीं रखा गया है। क्योंकि जो प्रदर्शनी लगाई गई है वह जिलों में लगाई गई है। वहां जो जनसम्पर्क के चार्ट उपलब्ध हैं, उनको वहां लगा दिया जाता है। विशेष खर्चा नहीं होगा।

श्री जयनारायण सालोदिया : आपने 66 का दिया है। उसमें 66 में दुबारा मिला। 2 लाख 33 हजार रुपया इसमें खर्च किया गया है। यह निर्णय किस स्तर पर लिया गया है ?

श्री हीरालाल देवपुरा : राज्य सरकार के स्तर पर लिया गया है।

श्री जयनारायण सालोदिया : क्या इस खर्च का हिसाब अभी तक नहीं आया है ?

श्री हीरालाल देवपुरा : आपने जो पूछा है वह बताया है।

श्री जयनारायण सालोदिया : आपने यह बताया है कि राज्य स्तर पर निर्णय लिया गया है। सप्लीमेंट्री में पूछ रहा हूं, क्या यह हिसाब अभी नहीं आया है ?

श्री हीरालाल देवपुरा : आपने मुझसे सूची 3 सवालों पर मांगी है, वह मैंने पेश की है।

श्री जयनारायण सालोदिया : अखबारों में जो आप प्रचार सामग्री देते हैं वह किसके निर्णय पर देते हैं ? ऐसे अखबार कितने हैं ? उनको कितने रुपये प्रचार के लिए देते हैं ?

श्री हीरालाल देवपुरा : हर अखबार का रेट अलग निर्धारित है। यह निर्णय राज्य सरकार के स्तर पर होता है।

श्री जयनारायण सालोदिया : 'नेशनल हेरल्ड' जो दिल्ली और लखनऊ से निकलता है इसको आपने 66-67 में 56 रुपये दिये हैं और 68-69 में 5069 रु. का विज्ञापन दिया है।

श्री हीरालाल देवपुरा : यह हो सकता है कि ....

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : बाहर के अखबारों को जो विज्ञापन जिस रेट पर दिये जाते हैं क्या उसी रेट पर राजस्थान के अखबारों को भी देते हैं या दोनों में अंतर हैं ?

श्री हीरालाल देवपुरा : दोनों मे अंतर हैं। राजस्थान के जो पत्र हैं उनको क्षेत्रीय दृष्टिकोण से दिये जाते हैं। बाहर के अखबार को प्रकाशन के आधार पर उस क्षेत्र में उनके महत्व को देखकर। रेट्स राजस्थान के अलग हैं। बाहर के अलग हैं।

श्री रामानन्द अग्रवाल : क्या यह सही हैं कि चाहे बाहर दें या राजस्थान के अन्दर दें दोनों में यह ध्यान अवश्य रखना चाहिए कि प्रकाशन रेग्यूलरली होता हो।

श्री हीरालाल देवपुरा : हां, यह ध्यान रखा जाता है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : क्या यह सही है कि ऐसे भी पत्र हैं जो यदा कदा छपते हैं, ऐसों को भी विज्ञापन देते हैं ?

श्री हीरालाल देवपुरा : जो यदा कदा छपते हैं, उनको नहीं दिया जाता है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : क्या यह सही है कि "लोकवाणी" जो रेगुलर नहीं छपती है उसको भी विज्ञापन दे रहे हैं।

श्री हीरालाल देवपुरा : अध्यक्ष महोदय यह अलग से प्रश्न है।

श्री रामचन्द्र आर्य : क्या यह सही है कि 'लोकवाणी' कांग्रेस का हथियार है ?

श्री दौलतराम सारण : क्या आप उसी को देते हैं जो लिस्ट में होता है ?

श्री हीरालाल देवपुरा : जो अप्रूव्ड है उनको दिया जाता है। बाहर के भी जो गवर्नमेंट से एप्रूव्ड हैं. उनको दिया जाता है।

श्री दौलतराम सारण : क्या यह सही है कि न छपते हैं न प्रकाशित होते हैं, उनको भी देते हैं ? एप्रूव्ड न होने पर भी आपने विज्ञापन दिये हैं ?

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट ।

श्री दौलतराम सारण : ऐसे पत्रों को भी विज्ञापन देते हैं जो प्रकाशित नहीं होते हैं । एप्रूव्ड लिस्ट में नहीं हैं ।

श्री हीरालाल देवपुरा : अनियमित निकलने वालों को विज्ञापन नहीं दिये जाते हैं ।

एक माननीय सदस्य : नाम बता दें ।

श्री रामानन्द अग्रवाल : दैनिक "लोकवाणी" अखबार जो 2 साल तक लगातार बन्द रहा । बन्द होने पर भी विज्ञापन दिये हैं । इसका मतलब यह है कि सुधाकर शास्त्री जो उसके मालिक बन बैठे हैं, उनको विज्ञापन का पैसा दे रहे हैं । जो मजदूरों को पैसा नहीं दे रहे हैं । अदालत में इस प्रश्न पर मुकदमा चल रहा है

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर ।

श्री हीरालाल देवपुरा : मेरे पास यह जानकारी उपलब्ध नहीं है । इस क्वेश्चन का उससे कोई सम्बन्ध नहीं है ।

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट । श्री सोढ़ा ।

भारत-पाक संघर्ष के दौरान प्रभावित व्यक्तियों को मुआवजा

267. **श्री बाल सिंह सोढा (जैसलमेर)**: क्या पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) बाड़मेर व जैसलमेर जिलों के किन किन गांवों के कितने कितने लोगों को 1965 के भारत-पाक संघर्ष से प्रभावित होने के कारण मुआवजा दिया गया है ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

(2) मुआवजा किस प्रकार के नुकसान का दिया गया और वह किस आधार पर निश्चित किया गया ?

(3) क्या यह सही है कि फसल जो नष्ट हुई मवेशी जो मारी गई व चोरी गई उसका मुआवजा नहीं दिया गया ? अगर हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

(4) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा उन गांवों के पुनर्वास की कोई व्यवस्था नहीं की गई है ? अगर हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

(5) क्या यह सही है कि गांव रोहीड़ी जिला बाड़मेर के पूरे लोगों को मकानों का मुआवजा नहीं मिला है? अगर हां, तो इसका क्या कारण है ? अगर नहीं, तो किस आदमी को कितना मुआवजा मिला है । सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

(6) क्या यह सही है कि गांव म्याजलार जिला जैसलमेर में मुआवजा सब लोगों को नहीं मिला है ? अगर हां, तो इसके क्या कारण हैं ? अगर नहीं, तो किस आदमी को कितना मुआवजा मिला है ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

(7) क्या भविष्य में इन गांवों के पुनर्वास की योजना सरकार के विचाराधीन है अगर नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

Page No 12

उप मंत्री, पुनर्वास (श्री प्रद्युम्नसिंह) : (1) भारत-पाक संघर्ष 1965 से प्रभावित बाड़मेर व जैसलमेर जिलों के 12 गांवों के 398 लोगों को क्षतिग्रस्त मकानों व दुकानों के पुनः निर्माण हेतु मुआवजे की राशि सहायता के रूप मे वितरित की गई है। सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) मुआवजा मकानों व दुकानों के पुनः निर्माण हेतु दिया गया है। मुआवजे की राशि सार्वजनिक निर्माण विभाग एवं राजस्व विभाग के अधिकारियों की नियुक्त जांच रिपोर्ट के आधार पर दी गई है।

(3) जी हां। क्षतिग्रस्त फसलों का मुआवजे देने हेतु प्रार्थना-पत्र सम्बन्धित तहसीलदारों को जांच हेतु भेजे गये हैं। प्राप्त होने पर आवश्यक कार्यवाही की जावेगी। भारत सरकार के निर्देशानुसार मवेशियों के लिये मुआवजा नहीं दिया जायेगा।

(4) जी नहीं।

(5) जी नहीं।

(6) जी नहीं। सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(7) राज्य सरकार के पास इस प्रकार के कोई प्रस्ताव जिलाधीशों से प्राप्त नहीं हुए है। अतः प्रश्न नहीं उठता।

(कृपया परिशिष्ट 1 देखिये)

श्री बालसिंह सोढ़ा : क्या यह सही है कि 1965 में बारह से ज्यादा पाकिस्तान द्वारा गांव आकूपाई किये गये थे ?

श्री प्रद्युम्न सिंह : जैसी कि सूचना प्राप्त है, बारह गांवों के अन्दर ही पाकिस्तान भारत संघर्ष के समय लोगों को क्षतिग्रस्त माना गया था, जहां नुकसान हुआ था।

श्री बालसिंह सोढ़ा : मेरा प्रश्न तो यह है कि क्या यह सही है कि गांव कौरला, सागर, कनोड, किशनगढ, पाकिस्तान द्वारा आकूपाई किये गये थे ?

श्री प्रद्युम्नसिंह : आकूपाई करने का प्रश्न नहीं है, आपने पूछा था क्षतिग्रस्त के लिए, तो जिन गांवों को नुक्सान हुआ है उन गांवों के अन्दर जिनको मुआवजा दिया है उसकी सूची दी है कि इन गांवों के अन्दर भारत पाक संघर्ष के दौरान में क्षति हुई हैं।

श्री बालसिंह सोढ़ा : क्या यह सही हैं कि इन बारह गांवों के अलावा भी कई गांवों में पाकिस्तान द्वारा नुक्सान किया गया था ?

श्री प्रद्युम्नसिंह : ऐसी सूचना जिलाधीश से मुझे प्राप्त नहीं है।

श्री अध्यक्ष : श्री रूपसिंह।

श्री बालसिंह सोढ़ा : एक दो प्रश्न और करूंगा। क्या यह सही है कि जो कम्पेन्सेशन दिया गया है, इसका आधार व एस्टीमेट है जो सार्वजनिक निर्माण विभाग और तहसीलदार ने भेजा है ?

श्री प्रद्युम्नसिंह : दोनों की राय से ही यह मुआवजा दिया गया है।

श्री बालसिंह सोढ़ा : मेरा तो प्रश्न यह है कि क्या दोनों की राय में भिन्नता है ?

श्री प्रद्युम्नसिंह : भिन्नता हो सकती हैं, परन्तु दोनों की जो राय है उसको एक जगह कम्पाइल करके मुआवजा दिया गया हैं। मकान निर्माण का सवाल है उसके बारे में सार्वजनिक निर्माण विभाग ने राय दी है और दूसरी क्षति के सवाल पर तहसीलदार ने राय दी है।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : फसल की क्षति का अनुमान लगाने के लिए राज्य सरकार ने तहसीलदार को कब लिखा है ?

श्री प्रद्युम्नसिंह : किसको ?

श्री भैरोंसिंह : आपने कहा है कि फसल का कितना नुक्सान हुआ है इसका एस्टीमेट बनाने के लिए तहसीलदार को लिखा है। तो यह बतायें कि कब लिखा है।

श्री मनोहरसिंह मेहता (मांडलगढ) : तारीख तो याद नहीं है, पुरानी बात है।

श्री प्रद्युम्न सिंह : भारत सरकार जब तैयार हुई है कि फसल का नुक्सान भी देना चाहिए यदि फसल का नुक्सान हो गया है। उसके बाद में राज्य सरकार ने आज से कोई छः माह पहले कलेक्टर को लिखा है।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह उचित समझते हैं कि क्षति पूर्ति के मामले में कलेक्टर मई तक स्टेटमेंट बना कर राज्य सरकार को नहीं भेजे तो उनकी कार्यवाही उचित है ?

श्री प्रद्युम्नसिंह : यह ऐसी बात है कि वहां पर जैसा माननीय सदस्य को पता है, अकाल है, वह अकालग्रस्त क्षेत्र है, अकालग्रस्त क्षेत्र होने की वजह से लोगों से मिलने में और उनसे जानकारी करने में कुछ दिक्कत आ रही है। इस वजह से सारी क्षति सही तौर पर प्राप्त नहीं हो रही हैं।

श्री भैरोंसिंह : क्या राज्य सरकार ने इस बात को सिद्धान्ततः स्वीकार कर लिया है कि पशु क्षति का मुआवजा नहीं दिया जायेगा ?

श्री प्रद्युम्नसिंह : राज्य सरकार अगर इसे सिद्धान्ततः स्वीकार करती तो भारत सरकार से लिखा पढ़ी नहीं करती। भारत सरकार ने सिद्धान्त को स्वीकार कर लिया है कि फसल में हुई क्षति को देंगे, लेकिन मवेशियों की क्षति को देने में असमर्थता प्रकट की है।

श्री भैरोंसिंह : क्या राज्य सरकार को जानकारी है कि पंजाब सरकार ने पशुओं के सम्बन्ध में क्षतिपूर्ति की है और भारत सरकार ने रीएम्बर्स किया है ?

श्री प्रद्युम्नसिंह : ऐसा नहीं है, माननीय सदस्य की सूचना, मैं समझता हूं, गलत तथ्यों पर आधारित है।

श्री भैरोंसिंह : आप किस आधार पर कह रहे हैं कि पंजाब सरकार ने पशुओं की क्षति का मुआवजा नहीं दिया है ? क्या राज्य सरकार ने पंजाब सरकार से जानकारी की है ?

श्री प्रद्युम्नसिंह : मैंने स्वयं ने भारत सरकार से डिटेल में बात की है।

श्री बालसिंह सोढ़ा : एक प्रश्न।

क्या यह सही है कि गांव म्याजलार में डेढ सौ कि बस्ती है, पाकिस्तान के द्वारा

Page No 14

(श्री बालसिंह सोढ़ा)

पूरे गांव को नष्ट कर दिया गया था लेकिन आपने केवल सोलह परिवारों को मुआवजा दिया है।

श्री प्रद्युम्नसिंह : इस गांव, म्याजलार की सूची सदन की मेज पर रख दी गई है, उसमें सोलह परिवार ही अंकित है, उनको क्षतिपूर्ति की है।

श्री वृद्धिचन्द्र जैन (बाड़मेर) : अध्यक्ष महोदय, क्या राज्य सरकार, जो गांव उजड़ गये हैं, जहां से आबादी चली गई है, उनको पुनर्वास करने के लिए कोई व्यवस्था कर रही है ?

श्री प्रद्युम्नसिंह : मैंने जैसा की पहले प्रश्न के उत्तर में कहा है, ऐसी कोई भी सूचना जिलाधीश से प्राप्त नहीं हुई। जो लोग आते हैं उनको बसा दिया गया है। अगर कोई ऐसी सूची या सूचना प्राप्त होती तो जो उजड़ गये हैं तो उनको बसाने के सवाल के ऊपर राज्य सरकार अवश्य विचार करती है।

श्री अध्यक्ष : श्री रूपसिंह।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह (डूंगरपुर) : प्रश्नकर्त्ता ने, अध्यक्ष महोदय, यह पूछा कि क्या म्याजलार सारा बरबाद हो गया है ? आपने उत्तर में केवल सोलह परिवारों की क्षतिपूर्ति करना बतलाया है। अन्य लोगों के लिए आपने क्या व्यवस्था की है, क्या मैं यह जान सकता हूं ?

श्री प्रद्युम्न सिंह : जो विपक्षी दल के नेता महोदय ने जानकारी चाही है, उनको मैं निवेदन करूं कि मेरे पास जो वहां से सूचना प्राप्त हुई है उसमें सोलह परिवारों को क्षति पहुंचना बतलाया है। अगर कोई अधिक लोगों को क्षति हुई है तो मैं उसकी जानकारी कर लूंगा।

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट ! उपनिवेशन मंत्री।

श्री बाल सिंह सोढा : एक प्रश्न

श्री अध्यक्ष : आर्डर आर्डर।

श्री बालसिंह सोढ़ा : एक प्रश्न महत्वपूर्ण है ······

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट। 268।

श्री बालसिंह सोढ़ा : क्या यह बताने की कृपा करेंगे कि जो कम्पेन्सेशन दिया गया है वह अपर्याप्त है ?

श्री अध्यक्ष : आर्डर ! अभी छः प्रश्न ही ले पाया हूं।

श्री बालसिंह सोढ़ा : आपने जो रुपये दिये हैं उससे एक झोंपड़ा नहीं बनता है, उनकी फसल की क्षतिपूर्ति नहीं होती है और आप कहते हैं कि सार्वजनिक निर्माण विभाग और तहसीलदार के द्वारा एस्टीमेट तैयार करके दिये गये हैं। मेरा निवेदन है कि वह एस्टीमेट गलत है और लोगों को कम्पेन्सेशन दिया हैं वह अपर्याप्त है।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज ! उपनिवेशन मंत्री महोदय।

श्री बालसिंह सोढ़ा : आपने केवल सोलह परिवारों को मुआवजा दिया हैं, जब कि म्याजलार के सौ लोगों की एप्लीकेशन आज कलेक्टर के पास पेंडिंग है।

श्री अध्यक्ष : आर्डर आर्डर नैक्स्ट ।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : यह महत्वपूर्ण प्रश्न है, मेरा विनम्र निवेदन है मंत्री महोदय को इस पर कुछ तो इस सम्बन्ध में प्रकाश डालना चाहिए।

श्री अध्यक्ष : माननीय नेता महोदय, अभी मेरे पास करीब पन्द्रह महत्वपूर्ण प्रश्न हैं।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : आखिर एक सप्लीमेन्ट्री के लिए एक मिनिट का समय तो दें। वह देना चाहें उत्तर तो दें, नहीं तो ना कह दें ।

श्री अध्यक्ष : आप दीजिये जानकारी ।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : बहुत धन्यवाद ।

श्री प्रद्युम्नसिंह : यह कहा है कि कम मुआवजा मिला है, इसमें इसी मुआवजे का प्रश्न नहीं है कि यही मुआवजा मिला है, बहुत सी अन्य तरह की सहायता भी दी गई है। जो लोग क्षतिग्रस्त हुए हैं, उनको कर्जा, ऋण, निर्वाह के लिए खाना कपड़ा दिया गया है। जिन लोगों के मकान क्षतिग्रस्त हुए हैं, उनके बदले में सोलह परिवारों को मुआवजा दिया गया है और उसकी सूची मैंने सदन की मेज पर रख दी है।

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट ! श्री रूपसिंह !

जिला गंगानगर में अस्थाई कृषि भूमि का वितरण

268. **राजवी श्री रूपसिंह** (सरदार-शहर): क्या उपनिवेशन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या जिला गंगानगर में जो अस्थाई कृषि भूमि का वितरण एक वर्ष के लिए होता है वह भूमिहीनों को ही होता है ?

(2) क्या यह सही है कि भूमिहीनों की तरफ से दीगर लोग दरख्वास्त देकर उपनिवेशन तहसीलदारों से नाजायज तरीकों से भूमि अलॉट करवा लेते हैं ?

राज्य मंत्री, उपनिवेशन (श्री मनफूल सिंह) : (1) जिला गंगानगर में भाखरा व गंग कैनाल क्षेत्र में काफी सालों से अस्थाई भूमि जिन व्यक्तियों के पास चली आ रही है उन्हीं को राज्य सरकार द्वारा बदस्तूर रखी जाती है। राजस्थान नहर क्षेत्र में अस्थाई भूमि आबंटन केवल भूमिहीनों को ही किया जाता है।

(2) जी नहीं ।

राजवी श्री रूपसिंह : क्या यह बताने की कृपा करेंगे कि 1967-68 के अन्दर जो यह कृषि के लिए भूमि थी यह भूमिहीनों को न दी जाकर पालिटिकल पर्सन्स को दी गई है जिससे भूमिहीन भूमि से वंचित रह गये हैं ? इस सम्बन्ध में आम शिकायत सबके पास भेजी गई है लेकिन न तो पहले उनको भूमि दी गई और न अब दी जा रही है ?

श्री मनफूलसिंह : कौन से क्षेत्र में ।

राजवी श्री रूपसिंह : अनूपगढ़ क्षेत्र में ।

श्री मनफूलसिंह : अनूपगढ़ क्षेत्र के अन्दर एक साला नीलामी पर भूमिहीनों को ही दी जाती है।

Page No 16

श्री रामचन्द्र आर्य (नोहर) : क्या यह सही है कि भूमिहीनों के नाम से झूठी बोली लगवा कर कुछ आदमी सौ सौ मुरब्बे ले लेते हैं और उस पर काश्त करते हैं इस कारण से जमीन भूमिहीन लोगों को नहीं मिल रही है ?

श्री मनफूल सिंह : ऐसी शिकायत जो आई है, जो भूमि दी गई है उसकी जांच करके नीलामी को कैंसिल किया गया है। अगर आप ऐसी शिकायत देंगे तो सही पाने पर जमीन कैंसिल कर दी जायगी।

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट।

श्री रामचन्द्र आर्य : क्या यह सही है कि गोपिया नाम की पार्टी है अनूपगढ़ क्षेत्र में वह मिल कर सैंकड़ों मुरब्बे सालाना ले लेती है और आज भी जमीन ली हुई है और एक साजिश के तरीके से सालाना काश्त करते हैं और लाखों रुपये का फायदा उठाते हैं ? क्या राज्य सरकार इस मामले में जानकारी करने के लिए तैयार हैं ?

श्री मनफूल सिंह : बिल्कुल मैं तैयार हूं। माननीय सदस्य का मैं बड़ा आभारी रहूंगा कि वह अलग-अलग से मुझे लिस्ट दे दें कि गोपीराम या उनके साथियों ने इस तरह भूमि एलाट करवाई है, मैं फौरन कैंसिल करवाऊंगा।

श्री रामचन्द्र आर्य : मैं आश्वासन मंत्री महोदय से चाहता हूं क्योंकि यह इन्हीं से संबंधित है इसलिए उपनिवेशन मंत्री आश्वासन दें तब मैं समझूंगा कि कार्यवाही होगी, अन्यथा कुछ भी होने वाला नहीं है क्योंकि आज तक 10 साल से अनेक प्रकार की सरकारी जमीन को काश्त की जाकर लाखों लोगों ने फायदा उठाया है.........

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री मनफूल सिंह : मेरा उससे कोई संबंध नहीं है और अगर इस तरह की भूमि हैं तो अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि मुझको पर्टीक्यूलर सूची दे दें और वह भूमि आज की कैंसिल कर दी जायगी।

श्री केदारनाथ (गंगानगर) : क्या ये एलाटमेंट्स तहसीलदारों के पावर्स में हैं ? किसके अधिकार में हैं ?

श्री मनफूल सिंह : तहसीलदार उनको एलाट करता है और इसको एप्रूव करता है डिप्टी कमिश्नर कालोनाइजेशन।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : क्या यह सही है कि इस एलाटमेंट के सिलसिले में राज्य सरकार के पास शिकायतें आई हैं कि लोगों को बेनामी एलाट किए और क्या राज्य के कृषि मंत्री जब दौरे पर गए थे, इस प्रकार की शिकायतें लोगों ने की थीं और उन्होंने एलान किया था कि यदि ऐसी एलाटमेंट्स हुई हैं तो कैंसिल की जायेंगी ?

श्री मनफूल सिंह : गंगानगर में उपनिवेशन मंत्री और मैं गए थे वहां पर मीटिंग्स रखी थी, हमारे पास शिकायतें आईं। उसके बाद में हमने कुछ गड़बड़ियां पाईं। उसके बाद 8 तहसीलदारों को वहां से ट्रांसफर किया और इस तरह चक के चक जो नीलाम किए थे, उनकी बोली कैंसिल की।

Page No 17

श्री हंसराज आर्य (भादरा) : क्या यह सही है कि राजस्थान कैनाल क्षेत्र में जो राजकीय भूमि है, वहां कितने ही व्यक्तियों ने किसी भी कारण से झूठे फर्जी नामों से जमीन एक बार एलाट कराली और हर साल उनका नवीनीकरण होता जा रहा है। जिनके पास हजारों बीघा जमीन पहले भी है और आज भी काश्त करते हैं ? जब तक भूमिहीनों को भूमि एलाट नहीं करते तब तक उनके नाम कैंसिल करके और भूमिहीनों को एलाट करेंगे ?

श्री मनफूल सिंह : मैंने पहले भी निवेदन किया कि माननीय सदस्य अगर कोई भी इस तरह की सूचना हमें देते हैं तो फौरन उसकी जमीन कैंसिल की जायगी। मैं बार बार निवेदन करता हूं कि ऐसी सूचना हमें दें।

(श्री हंसराज व श्री दौलतराम सारण एक साथ बोलने लगे)

श्री अध्यक्ष : एक माननीय सदस्य बोलें।

श्री हंसराज आर्य : अगर गलती से एलाट किया है तो उसकी गलती मानकर कैंसिल की जायगी और जो जमीन के लिए मारे मारे फिरते हैं, चाहे उनको बोली पर दें चाहे कीमत पर दें, जब तक उनको एलॉट न हो जाय ......

श्री दौलतराम सारण (डूंगरगढ) : क्या यह सही है कि राज्य सरकार के पास ऐसी शिकायतें प्राप्त हुई हैं कि कुछ लोग राइफल और जीप लेकर उस इलाके में 24 घन्टे रहते हैं, गलत नामों से, फर्जी नामों से एलोटमेंट करवाते हैं और इस तरह हजारों एकड़ जमीन और गिरोह के गिरोह हैं, जिनका संबंध मंत्री महोदय से है, उनके खास आदमी हैं, ऐसी शिकायतें राज्य सरकार के पास आई हैं और प्रतिनिधि मंडल मिलने आए हैं, दरखास्तें आई हैं ? रोज लोग रोते फिरते हैं और आप कहते हैं कि जानकारी में नहीं है ?

श्री अध्यक्ष : आर्डर आर्डर।

श्री दौलतराम सारण : लाखों एकड़ जमीन पर कब्जा कर रखा है और फर्जी नामों से एलाट करवा रखी है और इस तरह भूमिहीन रोते घूम रहे हैं ?

श्री मनफूल सिंह : इस तरह से तेजी से बात कहने से, मैं समझता हूं कि उनकी बात में सच्चाई नहीं हो सकती।

श्री रामचन्द्र आर्य : हम मंत्री महोदय से.......

श्री अध्यक्ष : आर्डर आर्डर। उत्तर न दिया जाय।

श्री रामचन्द्र आर्य : हम आश्वासन चाहते हैं कि उनके भाई पीरूमल, उनकी वजह से सारे के सारे ......

श्री अध्यक्ष : आर्डर आर्डर।

श्री रामचन्द्र आर्य : उपनिवेशन मंत्री से निवेदन करना चाहता हूं कि वह आश्वासन दें सदन के सामने कि इस मामले में वह जांच करेंगे।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : क्या यह सही है कि उपनिवेशन मंत्री ने कुछ दिन पहले इस प्रकार के आरजी एलाटमेंट रिजेक्ट करने के बारे में एक सार्वजनिक स्टेटमेंट दिया था ?

Page No 18

उपनिवेशन मंत्री (श्री शोभाराम) : कुछ दिन पहले जो आर्जी एलाटमेंट्स हो चुके थे, उनके बारे में वक्तव्य दिया था कि आइंदा कोई आर्जी एलाटमेंट न किया जाय जब तक कोई दूसरी सूचना या दूसरे डाइरेक्सन्स न दे दिए जायं। उसके बाद जो डाइरेक्शन दिया था वह यह था कि जिनको गत वर्ष अस्थाई रूप से जो जमीन बोली पर छोड़ी गई थी, उस जमीन का रिन्यूअल किया जाय और बार बार इस प्रकार की नीलामी बोली नहीं होनी चाहिए। यह तो हमारा आश्वासन था।

जैसे राज्य मंत्री ने आपको विश्वास दिलाया, अगर किसी ने गड़बड़ियां की हैं, तो मैं समझता हूं, उनका आश्वासन सरकार का आश्वासन है।

श्री रामचन्द्र आर्य : गड़बड़ियां इन्होंने ही तो की हैं, यही जांच करेंगे ? आप आश्वासन दें कि जांच करेंगे इनकी पार्टी ने ही तो सारी गड़बड़ की है और 10 साल से कर रहे हैं. बिल्कुल जीता जागता सबूत है, इससे ज्यादा क्या होगा।

श्री शोभाराम : जो कुछ आश्वासन इनका है, वह सरकार का है। इसलिए यह नहीं मानना चाहिए कि मेरा आश्वासन नहीं है। वह तो सरकार को तरफ से आश्वासन दिया गया है। हम मौके पर गए। 3-4 एलाटमेंट्स के बारे में झगड़े थे हमने वे एलाटमेंट केंसिल कर दिये और मैं आपको सरकार की तरफ से आश्वासन दिलाना चाहता हूं कि बाकायदा जिन जिन लोगों ने गड़बड़ की है, कौनसी जमीन पर की है, कौनसे गांव में की है, अगर इस प्रकार की शिकायतें आती हैं तो सरकार पूर्ण जांच करेगी, शीघ्रता से जांच करेगी और गड़बड़ पाई गई तो एक्शन लिया जायगा।

श्री भैरोंसिंह : जिस स्टेटमेंट के बारे में आपने स्वीकार किया है कि इस प्रकार का वक्तव्य दिया था, उस स्टेटमेंट के देने के पहले आप स्वयं गंगानगर जिले में गए थे वहां पर आपको इस संबंध में शिकायतें मिलीं कि आर्जी काश्तकार के एलाटमेंट में अनियमिततायें हुई हैं। आपने इस प्रकार का वक्तव्य देकर आर्जी एलाटमेंट को रोका और गड़बड़ी करने वाले तहसीलदारों का तुरन्त स्थानान्तरण किया। आपके समक्ष कई आवेदन पत्र पेश हुए जो अभी आपके पास होंगे।

श्री शोभाराम : हमारे पास तीन चार केसेज आए थे। उनका फैसला कर दिया, जो और आये उनमें स्पेसीफिक चार्जेज नहीं थे, किसने किया, कितनी भूमि पर किया, कौनसे गांव में थी, कब नीलामी हुई इस प्रकार वेग एलीगेशन्स आते हैं। ऐसे केसेज में एक्शन लेना मुश्किल होता है। अगर स्पेसीफिक चार्जेज कोई हों तो हमारे सामने लाये जायं, उनकी इन्क्वायरी करके उचित कार्यवाही की जायगी।

श्री दौलतराम सारण : क्या राज्य सरकार के ध्यान में है कि राज्य के कई बड़े बड़े अधिकारियों और उनके रिश्तेदारों ने दूसरे नामों से वहां फर्जी एलाटमेंट करवा रखा है ? क्या यह शिकायत राज्य सरकार के ध्यान में आई है ?

श्री शोभाराम : फर्जी एलाटमेंट से आपका मतलब क्या है ? एक तो टी. सी. ए. का हर साल आक्शन होता है, क्या इस श्रेणी में एलाटमेंट हुआ है ?

श्री रामचंद्र आर्य: फर्जी नाम देकर जमीन ली है। भूमिहीन के नामों की फर्जी लिस्ट देकर उनके नाम से बोली देकर छोड़ी गई है। इस प्रकार अनेक गड़बड़ियां उस इलाके में हुई हैं, इस बारे में हमारी शिकायत है।

श्री अध्यक्ष: आर्डर आर्डर। कई प्रश्न हैं। श्री रामकुमार नंदवाना।

श्री रामचंद्र आर्य: यह महत्वपूर्ण प्रश्न है, निर्णय हो जाना चाहिए।

श्री अध्यक्ष: आर्डर प्लीज।

खाड़ी नदी पर पुल

269. श्री रामकुमार नंदवाना (चित्तौड़गढ़)- क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

1. क्या यह सही है कि कोटा जिले में पीपलदा तहसील मुख्यालय पर खाड़ी नदी पर विभाग द्वारा पुल निर्माण का कार्य चलाया गया है? यदि हां, तो क्या वह पूरा हो गया है? यदि नहीं, तो अब तक की क्या प्रगति है?

2. क्या यह सही है कि इस पुल को सिर्फ आठ फीट चौड़ा रखा जा रहा है? यदि हां तो क्या इस पर सवारियां ट्रैफिक निकल सकेगा? यदि नहीं तो फिर इस पुल को 12 फीट चौड़ा क्यों नहीं बनाया जा रहा, है जबकि तहसील का मुख्यालय नदी के दूसरी तरफ है?

उपमंत्री सार्वजनिक निर्माण (श्री माधोसिंह भैंसवाड़ा):

1. पीपलदा में डाणी नदी पर फुट ब्रिज का निर्माण किया गया है जो पूर्ण हो चुका है।

2. यह पुल 4 फीट चौड़ा है। सवारियों के लिए नहीं किन्तु पैदल चलने वालों की सुविधा हेतु बनाया गया है।

श्री रामकुमार नंदवाना: आप कहते हैं कि 4 फीट चौड़ा पुल है जो आवागमन व यातायात के लिए नहीं बनाया गया है। मैं कहना चाहता हूं कि जब इस नदी में 12 महीने ही पानी रहता है, गांव के अंदर एक व्यापारी मंडी है, नदी मे 3-4 फीट पानी रहता है तो वहां से वाहन नहीं निकल सकते तो क्या सरकार आवश्यक नहीं समझती कि वहां पुल बनाया जाय?

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (अमीनुद्दीन अहमद): अगर यह सवाल पुल का था तो इससे पहले कर सकते थे। एक सहूलियत पैदा की जाती है और आदमियों के चलने के लिए रास्ता बनाया जाता है, उसके बाद आप सवाल करते हैं कि पुल क्यों नहीं बनाया जाता है जो नदी पर काम आए। बड़े पुल का सवाल बहुत पहले होना चाहिए था। चलने वालों को सहूलियत देने के बाद मेरी समझ में नहीं आता कि कोई बात रह गई हो।

श्री रामकुमार नंदवाना: जो पुल बनाया गया है, क्या केवल मनुष्यों के लिए बनाया गया है? यातायात के लिए, आवागमन के लिए नहीं बनाया गया है? राजस्थान में जितने भी पुल बनाए गए वहां आदमियों के अलावा कोई और नहीं निकल सकता? मैं जानना चाहता हूं कि तहसील का मुकाम उधर है यातायात की दृष्टि से जो तहसील के दूसरे इलाके के लोग हैं तहसील में आते हैं गाड़ियां लेकर आते हैं...

श्री अध्यक्ष : मैं समझ गया हूं।

उपमंत्री महोदय।

श्री माधोसिंह : प्रश्न में पूछा गया है कि दूसरी तरफ जाने के लिए सुविधा है। तहसील में जाने के लिये फुट पाथ बना लिया गया है। धनराशि की कमी होने से पुल नहीं बनाया गया है।

श्री अध्यक्ष : यातायात की दृष्टि से नहीं हैं ?

श्री माधोसिंह : तहसील में जाने आने की सुविधा के लिये है।

श्री रामकुमार नंदवाना : पुल 8 फीट चौड़ा बना दिया गया है तो 12 फीट बना दिया जाना चाहिये।

श्री माधोसिंह : चार फुट ही चौड़ा है। 8 फुट नहीं।

श्री अध्यक्ष : चार फुट और बढ़ा दीजिये। चौड़ी चाहिये आप जैसी।

श्री भैरोंसिंह : उस पुलिया में से मंत्री महोदय तो निकल सकते हैं ?

श्री अध्यक्ष : स्थगित प्रश्न।

श्री रघुनाथ विश्नोई : (सांचोर) प्रश्न संख्या 57।

श्री अध्यक्ष : मैं पहले स्थगित प्रश्न ले लेता हूं। समय अवशेष रहा तो फिर ले लूंगा।

श्री देवीदत्त गाड़िया : मेरा प्रश्न पत्रकारों के सम्बन्ध में है।

श्री अध्यक्ष : समय रहने पर ही लूंगा पहले स्थगित प्रश्न।

श्री भैरोंसिंह

स्थगित प्रश्न

12-8-69

मोटर गैरेज द्वारा स्पेयर पार्ट्स की खरीद

14. श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(1) सन् 68-69 में स्टेट मोटर गैरेज द्वारा स्पेयर पार्ट्स के लिये कब कब निविदा आमन्त्रित किये गये ?

(2) किन किन फर्म्स के किस किस दर के निविदा स्वीकृत हुए ? कृपया तालिका सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(3) स्वीकृत दरों से किस किस आइटम की किस किस फर्म की दरें कम थीं और उनको स्वीकार नहीं करने के क्या कारण हैं ?

(4) जिन निविदा को स्वीकार किया गया है क्या वह फर्म्स स्वयम् ऐसे पार्ट्स के निर्माण का कार्य करती हैं ? यदि हां, तो कौन कौन और यदि नहीं तो यह फर्म्स किन किन निर्माणकर्ता फर्म्स से यह सामान खरीदती हैं ?

(5) जिन फर्म्स के निविदा स्वीकार नहीं किये गये उनमें कौन कौन फर्म ऐसी हैं जो यह स्पेयर पार्ट्स उन्हीं निर्माणकर्ता फर्म से लाती हैं जिनके स्पेयर पार्ट्स को

(श्री भैरोंसिंह)

उन फर्म्स ने खरीदा है जिनकी कि दरें स्वीकृत हुई हैं ?

उप मंत्री (श्री प्रद्युम्नसिंह) : (1) सन् 1968-69 में स्टेट मोटर गैरेज द्वारा स्पेयर पार्ट्स के लिये माह अप्रेल 68 में निविदा आमंत्रित किये गये ।

(2) संलग्न तालिका 1 के कालम नं० 2 में वर्णित फर्म्स ने अलग अलग आइटमों के निविदा प्रस्तुत किये जिसकी दरें कालम नम्बर 4 में प्रत्येक फर्म के आगे अंकित हैं । जिन 2 फर्मों के जिन 2 आइटमों में निविदा स्वीकृत हुए थे तालिका के कालम नम्बर 5 में फर्म के नाम के आगे स्वीकृत दर सहित अंकित हैं ।

(3) स्वीकृत दरों से केवल विलीज ग्रुप व्हीकल आइटम में निम्न फर्मों की दरें कम थीं :

1. मैसर्स जैन ओटोमोबाइल्स, जयपुर

2. मैसर्स अम्बा ओटो स्टोर्स, जयपुर

3. मैसर्स जुपीटर मोटर्स, जयपुर

4. मेसर्स सुनील ओटोमोबाइल्स, जयपुर

5. मेसर्स जयपुर मोटर कम्पनी, जयपुर

6. मैसर्स ओटोलाइन्स, देहली ।

इन फर्म्स के निविदा स्वीकार नहीं करने का कारण यह है कि यद्यपि फर्म्स ने निर्माता की मूल्य सूची का आधार दिया है, परन्तु निर्माता फर्म्स इनको सीधा माल सप्लाई नहीं करता और ये फर्म्स इस आइटम में निर्माता के न तो सोल डिस्ट्रिब्युटर हैं और न अधिकृत विक्रेता या उप विक्रेता ही हैं ।

(4) जिन फर्म्स के निविदा स्वीकार किये गये हैं उनमें से निम्न स्वयम् निर्माण का कार्य करती हैं :

1. मैसर्स खोसला ओटोमोबाइल्स, देहली ।

2. मेसर्स जमुना ओटो इन्डस्ट्रीज, यमुना नगर ।

3. मेसर्स जनता मोटर्स, जोधपुर ।

4. मेसर्स हिन्दुस्तान मीन्युवर वल्व मेन्यूफेक्चरिंग कं० देहरादून ।

5. मेसर्स ग्लोब मोटर पार्ट्स इन्डस्ट्रीज ग्वालियर ।

और जो फर्म्स स्वयम् निर्माणकर्ता नहीं हैं वे तालिका संख्या 2 में वर्णित फर्म्स की सोल डिस्ट्रिब्युटर, अधिकृत विक्रेता या अधिकृत उप विक्रेता हैं ।

(5) जिन फर्म्स के निविदा स्वीकार नहीं किये गये उनमें से किसी के द्वारा भी यह प्रमाण प्रस्तुत नहीं किये गये कि वे माल उन्हीं निर्माता फर्मों से प्राप्त करती हैं, जिनके स्पेयर पार्ट्स ही उन फर्म्स ने खरीदे हैं, जिनकी दरें स्वीकृत हुई हैं, अतः विभाग की मान्यता है कि जिन फर्म्स के टेन्डर स्वीकार नहीं किये गये हैं उन्हीं निर्माता फर्मों से माल नहीं लेतीं । जिनसे टेन्डर स्वीकृत फर्म्स लेती हैं और जिनके टेन्डर स्वीकृत हुए हैं ।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

Page No 22

श्री भैरोंसिंह : प्रश्न 4 के लिये कहा कि ऐसे प्रमाण-पत्र प्रस्तुत नहीं किये हैं तो क्या राज्य सरकार की ओर से ऐसे प्रमाण पत्र मांगे गये ?

श्री प्रद्युम्नसिंह : राज्य सरकार की ओर से प्रमाण-पत्र की जानकारी चाही थी जब नेगोशियेशन्स किये थे टेन्डर स्वीकृत हो जाने के बाद । मैं निवेदन कर दूं इस प्रश्न के बारे में एक गाड़ी के लिये कई पार्ट्स···

श्री भैरोंसिंह : वह तो आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूं । मैं केवल यह पूछ रहा हूं कि आपने टेन्डर इनवाइट करने के पहले या बाद में लिखित रूप में प्रमाण-पत्र देने के लिये कहा था ?

श्री प्रद्युम्नसिंह : अगर मेन्युफेक्चरर्स अथोराइज्ड डीलर हैं तो जाहिर करना पड़ेगा कि फलां कम्पनी जयपुर या राजस्थान में है ।

श्री भैरोंसिंह : सन 1966 से पहले कुछ डीलर्स से जो माल खरीदा गया वह अनअथोराइज्ड डीलर्स से था ? उनका पता नहीं था क्या यह सही है ?

श्री प्रद्युम्नसिंह : यह सही है ।

श्री भैरोंसिंह : 66 के अनुभव के आधार पर राजस्थान सरकार यह नहीं कह सकती कि अनअथोराइज्ड होते हुए भी माल खरीदा क्यों उसको ब्लेक लिस्ट किया जाय और पैनल्टी ली जाय और यह मान लिया जाय कि अनियमित कार्यवाही नहीं की ?

श्री प्रद्युम्नसिंह : जैसा माननीय सदस्य ने कहा कि 66 से पहले 65 में कुछ फर्म्स ऐसी थीं कि खासतौर से अथोराइज्ड डीलर्स न होते हुए भी स्वीकार किया था लेकिन सामान प्राप्त नहीं हुआ था, समय पर सप्लाई नहीं कर सके, इसी कारण से फाइनेन्स डिपार्टमेंट की राय से टेन्डर नोटिस का क्लॉज उसमें असर्ट किया ।

श्री भैरोंसिंह : मैंने सवाल दूसरा पूछा है । क्या यह सही है कि अनअथोराइज्ड से कोई कम्पलेन्ट नहीं थी केवल अथोराइज्ड डीलर से थी ?

श्री प्रद्युम्नसिंह : अनअथोराइज्ड से भी थी ।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि यह माल डी.जी.एस. एन्ड डी. से भी मिल सकता है ?

श्री प्रद्युम्नसिंह : जी हां । वहां से मिल सकता है ।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि डी. जी. एस. एन्ड डी 20 परसेन्ट कमीशन देती है जब कि अथोराइज्ड फर्म्स हैं वे 3 परसेन्ट ही देती हैं ?

श्री प्रद्युम्नसिंह : यह माल डी. जी. एस. एन्ड डी. से सप्लाई करा सकते हैं लेकिन समय पर सप्लाई नहीं कर सकते । 500 टायर की आवश्यकता है । आज जरूरत है और आठ महीने के बाद माल आ रहा है तो उस अनुभव के आधार पर माल लेना बन्द कर दिया ।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि राजस्थान सरकार बल्क सप्लाई के लिये टेन्डर इनवाइट करती है और क्या यह भी सही है कि पहले ही एस्टीमेट बना लेती है कि कितनी आवश्यकता है ?

Page No 23

श्री प्रद्युम्नसिंह : अलग अलग एरिया के गैरेजेज की अलग अलग नीति है और वे विभाग क्या करते हैं इसकी मुझे जानकारी नहीं है।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि स्टेट मोटर गेराज के द्वारा ही पार्ट्स के सम्बन्ध में ओथोराइज्ड डीलर से ही क्रय किया जाता है ?

श्री प्रद्युम्नसिंह : यह नहीं है, अध्यक्ष महोदय।

श्री भैरोंसिंह : क्या आपने ओथोराइज्ड डीलर्स के नाम पर पार्ट्स के एक्चुअल मेन्युफेक्चरर्स और ओरिजनल से खरीदने की कोशिश की ?

श्री प्रद्युम्नसिंह : जो मेन्युफेक्चर करते हैं उनसे लेते है। टेन्डर उनसे लेते हैं जो उनसे खरीदते हैं।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

श्री भैरोंसिंह : बड़ा इम्पोर्टेन्ट क्वश्चन है, अध्यक्ष महोदय।

जिन लोगों से माल पर्चेज किया है वे लोग उन्हीं मेन्युफेक्चरर्स से खरीदते हैं महिन्द्र और महिन्द्र माल खरीद कर रहे हैं, अथोराइज्ड डीलर के नाम से राजस्थान सरकार को सप्लाई करते है ?

श्री प्रद्युम्नसिंह : अध्यक्ष महोदय, इजाजत दें तो अर्ज करूं कि एक गाड़ी में हजारों पार्ट्स इस्तेमाल होते है।

(12 मध्यान्ह)

और इन पार्ट्स को हमने विभिन्न विभागों में विभाजित किया है। ऐसे 6-7 ग्रुप हैं 'ए' ग्रुप में वह माल आता है, वह सामान आता है, जो गाडी के स्पेयर पार्ट्स होते हैं, जो जीप का मेन्युफेक्चर करते हैं, कम्पनी जिन पार्ट्स को अपने यहां बनाती है, बहुत से ऐसे पार्ट्स हैं जिनको दूसरे मेन्युफेक्चर करते हैं, उनसे लेकर अपनी गाड़ी के अन्दर लगा देते हैं। कुछ ऐसे हैं, जैसे टायर वगैरह इनको मेहेन्द्रा एण्ड महेन्द्रा नहीं बनाती है। डनलप वगैरह से लेकर वह अपनी गाड़ियों में लगाती है। इसलिये हमने इसको अलग रखा है। एक केटेगरी ऐसी बन जाती है जो खुद के पार्ट्स मेन्युफेक्चर करते हैं जिसके जेन्युअन होने की वजह से माल लिया जाता है उनको आथोराइज्ड डीलर से लिया जाता है।

श्री भैरोंसिंह : यूनाइटेड मोटर्स के मालिक श्री एन. के. सांघी है, उनके यहां से सामान लिया जाता है ?

श्री प्रद्युम्नसिंह : जीप के पार्ट्स की परचेज का सवाल है, उसमें एक लाख की परचेज होती है। राजस्थान मोटर गेरेज के अन्दर। यह बात सही है, और मेरी जानकारी है कि मिस्टर सांघी, युनाइटेड मोटर्स के मालिक हैं।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि श्री एन. के सांधी से जेन्युअन मेन्युफेक्चर्स के पार्ट्स के नाम पर, ओरिजनल पार्ट्स के नाम पर, उसी मेन्युफेक्चर्स से माल खरीदते हैं, जिससे महेन्द्रा एण्ड महेन्द्रा खरीदता है और उसी माल पर उस कम्पनी का झूठा नाम लगाकर राजस्थान सरकार को सप्लाई किया है ? अध्यक्ष महोदय, एक ओरिजनल

Page No 24

(श्री भैरोंसिंह)

रसीद इस सदन में पेश करना चाहूंगा जिससे जनता को, इस सदन के माननीय सदस्यों को मालूम हो कि डी. जी. एस. डी. जो माल पर 20 पर्सेन्ट डिस्काउन्ट देती है, उससे न खरीद कर, युनाइटेड मोटर्स से, जो 3 पर्सेन्ट का डिस्काउन्ट देती है और वही माल दूसरे मेन्युफेक्चर्स जिस पर 13 पर्सेन्ट का डिस्काउन्ट देने के लिये तैयार हैं, उसी माल पर यूनाइटेड मोटर्स महेन्द्रा एण्ड महेन्द्रा का लेबल, नाम लगाकर माल सप्लाई करता है। इन दोनों की रेट्स में भारी अन्तर है। ओरिजनल मेन्युफेक्चर की कीमत 3) रु० होती है, उसी पार्ट्स की कीमत कम्पनी 10) रु० लगाती है और वही माल 10) रु० के साथ और खर्चा लगाकर आथोराइज्ड डीलर 15 रुपये में गवर्नमेंट को सप्लाई करता है और फिर उस पर कमीशन नहीं मिलता है। इसलिये ये दो बिल मैं इस सदन की जानकारी के लिये पेश करना चाहता हूं। ओरिजनल मेन्युफेक्चरर्स से जिससे महेन्द्रा एण्ड महेन्द्रा माल लेता है, उसी से ये माल लेते हैं और जिसे श्री एन. के सांधी ने गलत ढंग से, गलत नम्बर लगा कर लगभग 15 लाख का नुक्सान स्टेट गवर्नमेंट को पहुंचाया है। अध्यक्ष महोदय, यह मामला इस प्रकार है कि सदन को इस पर गम्भीरता से विचार करना चाहिए। श्री एन. के. सांधी कांग्रेस के नेता हैं और पार्लियामेंट के मेम्बर हैं। इस प्रकार पक्षपात किया गया है। सरकार इसका जवाब दे कि किस प्रकार से यह फोर्ज्ड कार्यवाही की गई है। यह डाक्यूमेंट जो मैं पेश कर रहा हूं फोर्ज्ड नहीं है। इसकी आप जांच सेलटैक्स के 'सी' केटेगरी का जो सर्टिफिकेट मिलता है, उस फार्म के आधार पर यह तय करें कि महेन्द्रा एण्ड महेन्द्रा कं० से तो कितना माल आया और बाकी का कितना माल किस मेन्युफेक्चरर्स का था? यह मालूम हो जायगा। अध्यक्ष महोदय, यह गंभीर मामला है, इसलिए इसको गंभीरता से लिया जाये।

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर।

श्री प्रद्युम्नसिंह : मैंने निवेदन किया है और जयपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने यहां पर यह कहा है कि 15 लाख का सालाना घाटा सरकार को होता है। यह बात नहीं है। जयपुर के मोटर गैराज के अन्दर 2 लाख से ज्यादा के स्पेयर पार्ट्स नहीं खरीदे जाते हैं।

श्री भैरोंसिंह : 'ए' केटेगरी में 10 लाख का सामान खरीदा गया है।

श्री प्रद्युम्नसिंह : प्रश्न जो किया गया है वह है स्टेट गैरेज के बारे में अन्य विभागों का मुझे पता नहीं है और न कोई जानकारी मुझे है। दूसरी बात यह कही कि सांधी को फायदा पहुंचाने की नीयत से राज्य सरकार ने इस प्रकार की कार्यवाही की है। युनाइटेड मोटर्स वीलीज जीप के लिए सोल डिस्ट्रीब्यूटर्स है। दूसरी जगह भी सामान मिलता है किन्तु सामान जेन्युअन खरीदने का है। तीसरी बात यहां पर रसीद वाली बात कही गयी है। उन्होंने कहा कि फोर्ज्ड कार्यवाही की गयी है। मैं इसको देख लूंगा और जो मुनासिब कार्यवाही होगी, वह जांच पड़ताल इसके बारे में करूंगा। एक बात, अध्यक्ष महोदय, बड़ी मुश्किल हो जाती है जबकि मोटर्स के स्पेयर पार्ट्स खरीदे जाते हैं। पार्ट्स सब जगह मिल सकते हैं और सवाल ओरिजनल पार्ट्स का है। आप दिल्ली के

(श्री प्रद्युम्नसिंह)

अन्दर चले जाइये, कबाड़ी की दुकान पर वैसे के वैसे पार्ट्स, पैकिंग भी वैसी की वैसी हालत में दे दिये जाते हैं। आथोराइज्ड डीलर से खरीदने का मकसद यही है कि हमको जैन्युन पार्ट्स मिल सकें। उनकी लाइफ अधिक हो और राज्य सरकार को अधिक घाटा न हो। इसी मकसद से यही खरीद की जाती है। डी.जी.एस.डी. यह जरूर है कि हमें 20 पर्सेन्ट डिस्काउन्ट जरूर देता है और वह यूनाइटेड मोटर्स नहीं देता है। वह 5 पर्सेन्ट ही देता है। परन्तु इस पर सेल्स टैक्स और दूसरे टैक्स उसमें चले जाते हैं। ये सब मिलाकर उसमें 8 पर्सेन्ट 20 पर्सेन्ट में से लैस हो जाते हैं। जो सूचना दी है, उसके आधार पर मैं यह कह सकता हूं कि जैन्युन पार्ट्स खरीदने के लिए हमें आथोराइज्ड डीलर्स से माल खरीदना चाहिये। मैं निवेदन करूंगा कि मोटर विभाग एक लाख रुपये के स्पेअर पार्ट्स ही खरीदता है। इस तरह से सारे साल भर में जो माल खरीदा जाता है उसमें 7 पर्सेन्ट, या 7000 का फर्क पड़ता है। परन्तु यह कहा गया यहां पर कि साल भर में 15,20 लाख का नुक्शान पहुंचाया जाता है, यह मैं सोचता हूं सही नहीं है, ठीक नहीं है।

श्री भैरोंसिंह : मोटर गैरेज के अकाउन्ट से देख लीजिये। स्टेट की टोटल परचेजेज उसी के टेन्डर के आधार पर होती हैं। जो प्रक्रिया वह निर्धारित करता है, उसी के आधार पर राजस्थान के सारे डिपार्टमेंट्स पर्चेज करते हैं। महेन्द्रा एण्ड महेन्द्रा ने कुछ आदमियों को एजेन्सी दे रखी है, वे उसके बिहाफ पर माल बनाते हैं और वही माल दूसरे डीलर्स उसी मैन्युफैक्चर से खरीदते हैं और वही माल दूसरे डीलर राजस्थान सरकार को कम रेट पर देने को तैयार हैं तो राजस्थान सरकार को क्या नुक्शान है ? यह जो आथोराइज्ड डीलर मुकर्रर करके आप उसको मोनोपोली देते हैं इसलिए उसकी मोनोपोली होने के कारण वह 20 पसन्ट के बजाय 3 पर्सेन्ट कमीशन देता है। यदि इसमें ओपन कम्पीटीशन हो तो ज्यादा कमीशन मिले। एक आदमी को मोनोपोली देने के लिए यह आपकी व्यवस्था है। इसलिए मेरा निवेदन है कि राज्य सरकार इस पर गंभीरता से विचार करे। एक ही आदमी को सारा पैसा मिलता है इससे राजस्थान का इन्डस्ट्रीलाइजेशन और ट्रेड खत्म होता है।

श्री अध्यक्ष : यह जो रसीद है, जो आरोप लगा रहे हैं, उस रसीद के सम्बन्ध में आप जांच करें। आप ले सकेंगे इसको।

नेक्स्ट। श्री हरजीराम बुरड़क।

श्री हरजीराम बुरड़क : प्रश्न संख्या 20

भाखरा नांगल के विस्थापितों को भूमि का अलाटमेंट

(स्थगित प्रश्न)

20. **श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं):** क्या उपनिवेशन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि भाखरा नांगल के विस्थापितों को बसाने के लिए राजस्थान सरकार और हरियाणा सरकार के बीच कोई समझौता हुआ है ? यदि हां, तो क्या और कब तथा उक्त समझौते की प्रति सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

Page No 26

(श्री हरजीराम बुरड़क)

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त विस्थापितों को बसाने हेतु राजस्थान कैनाल पर कोई कृषि भूमि अलाट की गयी है ? यदि हां, तो किन किन को कब कब किस रेट पर ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(3) उक्त समझौते के अनुसार ये कार्य कब तक पूर्ण होने की उम्मीद है ?

राज्य मंत्री उपनिवेशन (श्री मनफूलसिंह) :

(1) जी नहीं।

(2) प्रश्न नहीं उठता।

(3) प्रश्न नहीं उठता।

श्री हरजीराम बुरड़क : क्या हरियाणा सरकार के साथ विस्थापितों को बसाने का कोई समझौता किया है ?

श्री केदारनाथ (गंगानगर) : क्या आपने कोई एग्रीमेंट नहीं किया है उनको बसाने के लिए ?

श्री मनफूलसिंह : आपने भाखरा नांगल के लिए पूछा है। वह नहीं किया है।

श्री सभापति : नेक्स्ट। श्री रघुनाथ विश्नोई।

जिला जालौर में भू-संरक्षण कार्य

67. **श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचोर) :** क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सत्य है कि जिला जालौर में इस वर्ष अकाल होने पर भी भू-संरक्षण कार्य अकाल-राहत कार्यों के रूप में ज्यादा संख्या में नहीं लिये गये ? अगर हां, तो क्या भू-संरक्षण कार्यों के लिए ज्यादा स्कोप इस जिले में नहीं था ? अगर यहां पर ऐसे कार्यों का ज्यादा स्कोप था तो ज्यादा कार्य अकाल राहत कार्यों के रूप में शुरू क्यों नहीं कराये गये ?

(2) क्या सरकार अब जिला जालौर में भू-संरक्षण कार्य शुरू करवाने का विचार रखती है ? अगर हां, तो क्या क्या कार्य कहां कहां पर कब तक शुरू करवा दिये जायेंगे।

(3) भू-संरक्षण कार्यों का ज्यादा स्कोप किस किस तहसील में है ? क्या इस संबंध में जिले का पूरा सर्वेक्षण हो चुका है ? अगर हां, तो कब? अगर नहीं तो क्यों नहीं?

मन्त्री कृषि विभाग (श्री शोभाराम) :

(1) जी नहीं। प्रावधान के अनुसार भू-संरक्षण कार्य 25 गांवों में किये गये थे व 33 तालाबों पर भू संरक्षण हमारे डिपार्टमेंट के द्वारा किया गया ?

(2) सारे अकाल राहत कार्य 15 अगस्त, 1969 तक ही चलाये जाने का तय किया गया था। अतः 15 अगस्त, 69 से कार्य बन्द कर दिये गये हैं। भू-संरक्षण के अन्य कार्य यथावत चालू रहेंगे।

(3) भू-संरक्षण की जालौर जिले की सभी तहसीलों में गुंजाइश है। तहसील जालौर और सांचोर मे विशेष रूप से पूरे जिले में सर्वेक्षण अभी तक सम्भव नहीं हो सकता है। सर्वेक्षण कार्य चालू है।

श्री रघुनाथ विश्नोई : जिला जालौर में भू-संरक्षण के बहुत से कार्य हैं जब फेमीन में वहां काम शुरू किया गया तो इस काम को क्यों नहीं लिया गया ?

श्री शोभाराम : मैं आपको बताऊं अकाल राहत कार्य के अन्तर्गत 68.578 रू. 59 पैसे का मार्च 69 तक काम हुआ। 69-70 में पांच लाख रूपये आवंटित किये गये उसमें से 5 लाख 74·230 रुपये का पेमेन्ट हो चुका साढ़े सात हजार का पेमेन्ट बाकी है। इस तरह से 5 लाख 7 हजार 774 का काम कर दिया है 69-70 में। हमने राजस्थान सरकार को लिखा है अगर संभव हो सके तो अगस्त के बाद भी कुछ कार्य कराया जाय। हम इसको चालू रखना चाहते हैं।

श्री रघुनाथ विश्नोई : जिला जालौर में जैसा कि आपने कहा दो करोड़ के आस-पास रुपया खर्च किया गया है। प्रायोरिटी पर यह वर्क पहले लिये जायं बाकी काम बाद में हाथ में लिये जायं।

श्री शोभाराम : भू-संरक्षण का कार्य करीब डेढ करोड़ रूपये का किया गया है। 68-69 में जिस प्रकार का क्राइटेरिया मुकर्रर किया था खडीन कार्य के लिये खर्च किया गया। आपके जालौर में खडीन का कार्य ज्यादा संभव नहीं था। जैसलमेर जिले की तरफ यह कार्य किया गया।

श्री रघुनाथ विश्नोई : फैमीन का काम कराते समय इस जिले में इतना ज्यादा संकट था तो फिर इस भू-संरक्षण के कार्य को प्राथमिकता क्यों नहीं दी गई ?

श्री शोभाराम : स्टडी टीम ने तीन चार प्रकार की प्रायोरिटीज बताई हैं इसके बारे में फिर जोइण्ट मीटिंग की गई उसमें यह तय हुआ कि खड़ीनों का काम संभव है पहले इन कामों को लिया जाय।

श्री अध्यक्ष : श्री लक्ष्मण तानीवाल।

श्री मोहनलाल मोदी (नीम का थाना) **:** अध्यक्ष महोदय, मैंने पिछले सत्र में एक तारांकित प्रश्न पूछा था जो अतारांकित के रूप में आया है उसका भी उत्तर प्राप्त नहीं हुआ।

श्री अध्यक्ष : यह प्रश्न मेरे सामने नहीं है।

श्री मोहनलाल मोदी : यह व्यवस्था का मेरा प्रश्न है। मेरे प्रश्न का उत्तर प्राप्त नहीं हुआ राजस्व मंत्री महोदय के प्राइवेट सेक्रेटरी ने जमीन चार बीघा पर अनुचित रूप से कब्जा कर रखा है वह उस बारे में प्रश्न है ?

श्री अध्यक्ष : इस का जवाब वक्त पर मिल जायगा।

श्री मोहनलाल मोदी : जो प्रश्न तारांकित रूप में एड्मिट कर लिया वापिस उसे अतारांकित रूप में परिवर्तन करने का निर्णय किस प्रकार लिया है ?

श्री अध्यक्ष : मैं अभी कह नहीं सकता।

एक मा० सदस्य : मेरे भी ऐसे ही प्रश्न हैं ?

श्री अध्यक्ष : वह जानकारी बाद में दे दी जायगी।

श्री मोहनलाल मोदी : इसका उत्तर कब तक मिलेगा ?

श्री अध्यक्ष : मेरे सामने प्रश्न नहीं है इसलिये मैं कुछ नहीं कह सकता।

Page No 28

श्री गंगाराम चौधरी : इसकी सूचना प्राप्त नहीं हुई इसलिये स्थगित करने के लिये निवेदन किया है।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न समाप्त हुए।

श्री मूलचन्द डागा : 270 का उत्तर दिलवा दीजिये बहुत जरूरी है।

(कई माननीय सदस्य एक एक प्रश्न)

श्री अध्यक्ष : एक से अनेक प्रश्न हो जाते हैं।

श्री गंगासहाय : प्रश्न संख्या 81 का उत्तर दिलवा दीजिये बहुत जरूरी है।

स्थगित प्रश्न
14-8-69

ग्राम खेड़ली रेल में पुलिस द्वारा औरतों के साथ छेड़ छाड़

81. **श्री गंगासहाय कोली :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि 4-3-69 की रात्रि को कुछ पुलिसमैन थाना खेड़ली मंडी से ग्राम खेड़ली रेल में शराब पीकर गये और कोलियों के घरों में घुसकर औरतों से छेड़ छाड़ की ?

(2) क्या यह भी सही है कि इस छेड़ छाड़ के कारण मारपीट हुई ?

(3) क्या यह सही है कि पुलिसमैन एक बार पिट कर आ गये और दुबारा कुछ अन्य साथियों को लेकर गये और पुनः मारपीट हुई ?

(4) क्या यह भी सही है कि दूसरी बार पिटकर आने पर पुलिसमैन थानेदार को 8 पुलिसमैन को साथ लेकर राइफलें लेकर गये और वहां से औरतों व बच्चों को घसीट कर लाये और गोलियां चलाई तथा झोंपड़ियों में आग लगा दी ?

(5) क्या यह भी सत्य है कि जनता की भीड़ को देखकर पुलिस डर गई और वापिस आ गई ?

(6) क्या यह भी सही है कि 5-6-7-3-69 को जो भी कोली किसी भी गांव का सामने आया उसी को पकड़ कर थाने ले गये और पिटाई की गई ?

(7) क्या यह भी सही है कि खेड़ली रेल के 14 कोलियों को एक एक करके थाने में ले जाकर बन्द कर दिया और उनकी पिटाई की गई जिसकी मार के निशान शरीर पर 16-3-69 तक भी मौजूद थे ?

(8) क्या यह भी सही है कि नायब थानेदार ने हर एक थाने में बन्द व्यक्ति को कहा कि एक एक हजार रुपये देते जाओ और छूटते जाओ ? क्या यह भी सत्य है कि बाद में प्रत्येक से दो-दो सौ रुपये लिये गये हैं और छोड़ा गया है ?

(9) क्या यह भी सही है कि जिस परिवार के लोगों के यहां सबसे पहले पुलिसमैन शराब पीकर घुसे थे वह परिवार पुलिस के डर से गांव छोड़कर भाग गया था जिसका पता 16-3-69 तक कहीं भी नहीं लगा था ?

राज्य मंत्री (श्री हीरालाल देवपुरा) : इस जवाब के में कुछ कमी रह गई दुबारा जांच करने के लिये कहा गया हैं इसलिये स्थगित के लिये निवेदन किया है।

श्री देवीदत्त गाड़िया : प्रश्न संख्या 278 बहुत महत्वपूर्ण है पत्रकारों को सुविधाओं के बारे में है।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न समाप्त हुये 270 से 278 तक आजाते हैं।

श्री श्रवणलाल (हिन्डौन) : 294 महत्वपूर्ण है। इसे ले लिया जाय।

(शेष तारांकित प्रश्नोत्तर के लिये कृपया परिशिष्ट २ देखिये)

अनुपस्थित सदस्यों के तारांकित प्रश्नोत्तर

जयपुर में पानी की समस्या

263. श्री लादूराम सुलानिया (फागी): क्या जन स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सत्य है कि जयपुर नगर परिषद् की सीमा में वहां के निवासियों के पीने के पानी की समस्या दिनों दिन खराब होती जा रही है और इस सम्बन्ध में स्थानीय जनता एवं क्षेत्र की विभिन्न समाज सेवी संस्थायें व जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा भी इसके निराकरण के लिए राज्य सरकार का ध्यान आकर्षित कराया है ? यदि हां, तो अब तक इस सम्बन्ध में राज्य सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई ?

(2) क्या आने वाली ग्रीष्म ऋतु के पूर्व राज्य सरकार जयपुर के निवासियों के पीने के पानी की समस्या का निराकरण कर देगी ?

(3) क्या यह भी सत्य है कि राज्य सरकार के समक्ष इस सम्बन्ध में कोई बनास योजना विचाराधीन है ? यदि हां, तो उक्त योजना का कार्य कब तक प्रारम्भ हो जावेगा ?

उत्तर

(1) जी नहीं । नगर में जनता की पानी की बढती हुई मांग को पूरा करने के लिए नगर के अन्य कई नये पुराने कुओं का प्रयोग कर स्थिति में कोई बिगाड़ नहीं होने दिया जा रहा है। वर्तमान में शहर के सभी भागों में प्रतिदिन प्रातः एवं सायंकाल पानी सुचारु रूप से वितरित किया जाता है। जनता तथा अन्य किसी के द्वारा भी कोई जल वितरण संबन्धी सुझाव प्राप्त होने पर उन पर विचार किया जाता है।

(2) जल वितरण की वर्तमान व्यवस्था में और सुधार लाने के लिए इस वर्ष 8 नये कुए चालू किये गये हैं। समस्या का स्थायी तौर से निराकरण करने के लिए बनास योजना विचाराधीन है।

(3) जी हां, बनास नदी से पेय जल योजना क्रियान्वित करने हेतु चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में प्रावधान प्रस्तावित है।

धन की स्वीकृति होते ही योजना का कार्य आरंभ कर दिया जावेगा।

मार्केट सचिवों की वेतन श्रृंखला

264. श्री गोरधन सोनी (मेड़ता) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगेः—

(1) जब से मंडियों का नियमन कार्य आरम्भ हुआ है तबसे कितने व्यक्तियों का

Page No 30

(श्री गोरधन सोनी)

मंडी की श्रेणियों के अनुसार प्रोमोशन हुआ है ? यदि नहीं, हुआ तो कब तक होगा व उनका ग्रेड क्या होगा ?

(2) क्या राणावत पे कमीशन के प्रतिवेदन में कृषि स्नातक व अन्य स्नातकों के ग्रेड में अन्तर रखा गया है ?

(3) राणावत कमीशन द्वारा मार्केट सचिवों का क्या ग्रेड निश्चित किया गया है ?

(4) क्या सभी मार्केट सचिवों की सीनियोरिटी लिस्ट बनाई गई है ? अगर नहीं, तो क्यों और कब तक लिस्ट तैयार हो जावेगी ?

उत्तर

(1) अभी तक किसी की भी पदोन्नति श्रेणी 'अ' मण्डी पर नहीं की गई है । पदोन्नति हेतु कृषि निदेशक के प्रस्ताव राज्य सरकार के विचाराधीन हैं । 'अ' श्रेणी पर विपणन सचिव का ग्रेड 375-850 होगा ।

(2) जी हां ।

(3) कृषि स्नातक विपणन सचिव का ग्रेड 225-525 रखा गया है ।

नोन-कृषि स्नातक का ग्रेड राज्य सरकार के विचाराधीन है ।

(4) हां, लिस्ट बनाली गई है ।

अतारांकित प्रश्नोत्तर

पुस्तकें लिखने पर कर्मचारियों को पुरस्कार

378. श्री कृष्णकुमार गोयल (कोटा): क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि राज्य कर्मचारियों को पुस्तकें आदि लिखने के लिए पुरस्कार देने के नियम सन् 1960 में बने हैं ?

(2) इन नियमों के अधीन कितनी पुस्तक कब कब पेश हुई और उनमें से किस किस पर किस किस को कितना कितना पुरस्कार दिया गया ? कृपया सूची टेबल पर रखें ।

उत्तर

(1) जी हां । प्रशासनिक सेवा में लगे कर्मचारियों के लिये ।

(2) इन नियमों के अन्तर्गत जिन्हें पुरस्कार दिये गये हैं उनकी पुस्तकों की सूची संलग्न है ।

(कृपया परिशिष्ट 3 देखिये)

सरकारी सर्विस में पति-पत्नी को एक स्थान पर रखना

379. श्री रामचन्द्र आर्य (नोहर): क्या मुख्य मंत्री सा. प्रशासन यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि पति एवं पत्नी (औरत एवं मर्द) दोनों नौकरी में होने पर उन्हें एक ही जगह पर नहीं रहने दिया जाता ? यदि हां, तो क्यों ? यदि नहीं, तो महिलाएं सरकारी सर्विस में कितनी हैं तथा इनमें शादी शुदा कितनी हैं व कंवारी कितनी हैं ? तालिका सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

(2) क्या यह सही है कि पति पत्नी को एक स्थान पर रखने का सरकारी नियम है ? यदि हां, तो इसका पालन क्यों नहीं किया जाता ?

(श्री रामचन्द्र आर्य)

(3) क्या यह सही है कि राजस्थान में काफी तादाद में पति पत्नी नौकरी में होते हुए भी एक स्थान पर नहीं रखे जाते हैं ? यदि हां, तो क्यों ? यदि नहीं, तो कुल कितने व्यक्ति ऐसे हैं जो पति पत्नी नौकरी करते हैं और एक साथ स्थान पर कहां कहां पर कार्य करते हैं ? जिले व तहसीलवाइज सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

(1) इस प्रकार के कोई आदेश नहीं हैं। यथा संभव प्रयत्न किया जाता है कि पति-पत्नी एक ही नगर में नियुक्त हों। प्रशासनिक एवं अन्य कारणों से यह संभव भी नहीं है कि समस्त ऐसे कर्मचारियों को एक ही स्थान पर रखा जा सके।

(2) जी नहीं। इस प्रकार का कोई सरकारी नियम नहीं है।

(3) राजस्थान में काफी संख्या में पति पत्नी नौकरी में हैं और यथा संभव प्रत्येक दम्पति को एक ही स्थान पर नियोजित करने की कोशिश अवश्य की जाती है परन्तु फिर भी किन्हीं परिस्थितियों में प्रत्येक दम्पति को एक ही स्थान पर नियोजित करना संभव नहीं होता। जो दम्पति एक ही स्थान पर कार्य कर रहे हैं उनकी वांछित सूचना एकत्रित करने में काफी समय लगेगा।

आजाद हिन्द फौज के राजनैतिक पीड़ितों को आर्थिक सहायता

380. श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं): क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा आजाद हिन्द फौज के सदस्यों को राजनैतिक पीड़ित मानकर किसी प्रकार की आर्थिक सहायता दी जाती है ? यदि हां, तो तहसील लाडनूं जिला नागौर के किन किन व्यक्तियों को क्या क्या आर्थिक सहायता कब कब दी गई ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) क्या यह सही है कि तहसील लाडनूं के कुछ व्यक्तियों के उपरोक्त सहायता के लिए प्रार्थना-पत्र राज्य सरकार के पास विचाराधीन पड़े हैं ? यदि हां, तो किन किन के कब कब से क्यों पड़े हैं ?

(3) उक्त विचाराधीन प्रार्थना-पत्रों पर अन्तिम निर्णय कब तक हो जायेगा ?

(4) इस प्रकार से लम्बे समय तक उपरोक्त मामलों में निर्णय नहीं लेकर प्रार्थियों को परेशान करने की शिकायतें यदि सरकार को मिली हों तो उन पर क्या कार्यवाही की गई और भविष्य में उक्त कार्य में विलम्ब न हो इसके लिये क्या कदम उठाये हैं ?

(5) इस प्रकार की सहायता देने के संबंध में कोई नियम सरकार ने बनाये हों, कोई आदेश जारी किये हों तो उनकी प्रति सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ?

उत्तर

(1) जी हां। तहसील लाडनूं के किसी भी व्यक्ति को राजस्थान राजनैतिक पीड़ित सहाय्य नियमों के अन्तर्गत सहायता नहीं मिलती है।

(2) जी हां। श्री लादूराम एवं श्री सांवतसिंह के दिनांक 3-7-68 से प्रार्थना-

(मुख्य मंत्री)

पत्र विचाराधीन है। प्रार्थियों के मामलों में आवश्यक सूचना प्राप्त करने के पश्चात् प्रार्थियों का मामला समिति की आगामी बैठक में रखा जा रहा है।

(3) समिति द्वारा अपनी बैठक में शीघ्र निर्णय लिया जावेगा।

(4) जी नहीं। प्रश्न ही नहीं उठता।

(5) जी हां। प्रति सदन की मेज पर रख दी गई है।

(सूची अधिक विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

जयपुर डिवीजन के राजनैतिक पीड़ितों को भत्ता

381. श्री नत्थीसिंह (भरतपुर): क्या मुख्य मंत्रीजी यह बताने की कृपा करेंगे:—

जयपुर डिवीजन में किन किन राजनैतिक पीड़ित व्यक्तियों को कब से कितना कितना राजनैतिक पीड़ित भत्ता दिया जा रहा है और कब तक का दिया जा चुका है?

उत्तर

जयपुर डिवीजन के जिन राजनैतिक पीड़ितों को राज्य सरकार द्वारा सहायता स्वीकृत की गई है उसकी सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(सूची अधिक विस्तृत होने के कारण विधान सभा सचिवालय में रखी गई)

अलवर के कर्मचारियों को 20-25 वर्ष से स्थानान्तरण न करना

382. श्री गंगासहाय कोली (कठुमर सु०): क्या मुख्य मंत्री सा. प्रशासन यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) अलवर सिटी में ऐसे कितने कर्मचारी हैं जिनको नौकरी करते हुए सिटी में ही 20-25 वर्ष हो चुके हैं? विभागवार सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) उनका स्थानान्तरण शहर से बाहर अन्य स्थानों में आज तक न करने के क्या कारण हैं?

उत्तर

(1) ऐसे कर्मचारियों की संख्या 64 है। विभागवार सूची सदन की मेज पर प्रस्तुत कर दी गई है।

(2) उनके स्थानान्तरण शहर से बाहर अन्य स्थानों में न करने के मूल कारण कुछ कर्मचारियों की वृद्धावस्था, शहर से बाहर वही पद न होने के कारण तथा जिले में एक ही सर्किट हाऊस होने से सर्किट हाऊस कर्मचारियों को जिले के अन्य कार्यालयों में स्थानान्तरण न किये जाने के हैं।

(कृपया परिशिष्ट 4 देखिये)

राजस्थान होटल कारपोरेशन

383. श्री जुझारसिंह (रामगंज मंडी): क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राजस्थान होटल कारपोरेशन की स्थापना के बाद से अब तक कारपोरेशन के तहत चालू होटलों में अलग अलग प्रति वर्ष कितनी कितनी आमदनी हुई है? मय विजीटर्स की तादाद के बताने की कृपा करें।

(2) राजस्थान होटल कारपोरेशन में प्रशासनिक परिवर्तन या परिवर्द्धन करने व चेयरमैन बनाने की आवश्यकता महसूस करने के क्या कारण हैं? इस परिवर्तन या

Page No 33

(श्री शृंगारसिंह)

परिवर्द्धन से एलाउन्स, स्टाफ, विहिकल्स व टेलीफोन आदि की सुविधाओं से कारपोरेशन पर कितना खर्चा बढ़ जाने की उम्मीद है ?

उत्तर

(1) सूची संलग्न है।

(2) राजस्थान राज्य होटल निगम में कोई भी प्रशासनिक परिवर्तन या परिवर्द्धन नहीं हुआ है तथा शुरू से ही चेयरमैन कार्य कर रहे हैं। दीर्घ प्रशासनिक अनुभव के एक व्यक्ति को चेयरमैन रखना निगम के हित में माना गया। ऐसी स्थिति में जब कि कोई परिवर्तन या परिवर्द्धन नहीं हुआ है उनके अलाउन्स, स्टाफ, विहीकल इत्यादि पर खर्चा बढ़ जाने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता है।

(कृपया परिशिष्ट 5 देखिये)

अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन जाति के कर्मचारी एवं गजेटेड ऑफिसर

384. **श्री रामचन्द्र आर्य** (नोहर): क्या मुख्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राजस्थान में हरिजन, आदिवासी, अनुसूचित जाति तथा जनजाति के कितने कर्मचारी कौन कौन से विभाग में काम करते हैं ? उनमें गजेटेड व नांन-गजेटेड अधिकारी कुल जाति-वाइज कितने हैं ?

(2) क्या यह सही है कि हरिजन व आदिवासी तथा जनजाति को प्रदेश में उनके रिजर्वेशन के मुताबिक नौकरियां नहीं दी जाती हैं ? यदि हां, तो क्यों ? यदि नहीं तो राजस्थान में कुल कितने अधिकारी व कर्मचारी काम कर रहे हैं और उनमें श्रेणी-वाइज हरिजन, आदिवासी तथा जनजाति के लोग कुल कितने हैं ? सूची सदन की मेज पर रखी जावे।

उत्तर

(1) राजकीय विभागों व कार्यालयों में अनुसूचित जाति तथा जनजाति के कर्मचारियों की संख्या 8784 है। उनकी विभागानुसार सूची संलग्न है। अनुसूचित जाति तथा जनजाति के राजपत्रित कर्मचारी क्रमशः 85 और 51 हैं तथा अराजपत्रित कर्मचारी क्रमशः 4510 और 4138 हैं।

(2) यह सही नहीं है। सूची संलग्न है।

(सूची अधिक विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

जिलाधीशों द्वारा जनता की तकलीफों की सुनवाई

385. **श्री मूलचन्द डागा** (पाली): क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या प्रशासन विभाग ने जिलाधीशों के नाम यह आज्ञा निकाली थी कि कम से कम वे सप्ताह में एक बार जनता की तकलीफों को सुनने के लिये समय निश्चित करें ? यदि हां, तो उस आज्ञा की प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) क्या यह सत्य है कि जिलाधीश राज्य सरकार की आज्ञा की अनुपालना नहीं कर रहे हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार ने जो हिदायत निकाली थी उस पर वह अटल रहना नहीं चाहती ? यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

(मुख्य मंत्री)

उत्तर

(1) जी हां। इस आज्ञा की एक प्रति सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) जी नहीं। जिलाधीश उक्त आज्ञा का पालन कर रहे हैं।

(कृपया परिशिष्ट 6 देखिये)

मन्त्रियों पर व्यय

386. राजवीश्रीरूपसिंह (सरदारशहर): क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

एक जनवरी, 1969 से 31 जुलाई, 1969 तक प्रत्येक मन्त्री पर तनख्वाह, डी. ए., टी. ए., पानी, बिजली, मकान, पेट्रोल, सम्पचुरी अलाउन्स, कार, टेलीफोन वगैरह पर सरकार का कितना-कितना रुपया खर्च हो चुका है? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

वांछित सूचना सदन की मेज पर रख दी है। (परिशिष्ट 1, 2, 3)।

(सूची अधिक विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

अकाल सम्बन्धी कार्यों के लिये अकाल राहत मन्त्री द्वारा किये गये दौरे

387. श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर): क्या मुख्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) 1 अक्टूबर, सन् 1968 से लेकर अब तक अकाल राहत मन्त्री ने अकाल सम्बन्धी कार्यों के लिये किस-किस जिले का किस-किस महीने में कितने-कितने दिनों का प्रवास किया?

(2) इस अवधि में किस-किस माह में उन्होंने दैनिक भत्ता तथा यात्रा व्यय के रूप में कितना-कितना रुपया प्राप्त किया?

(स्थगित किया गया)

श्रीगंगानगर जिले में सुरक्षा कोष के लिए एकत्रित धनराशि

388. श्री रामचन्द्र आर्य (नौहर): क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) श्रीगंगानगर जिले में सन् 1962 में सुरक्षा कोष के लिये कितना रुपया व कितना सोना एकत्रित हुआ था? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) क्या यह सही है कि जो सोना एकत्रित किया गया था उसके बैंक में जमा होने की रसीद दान-दाताओं को नहीं दी गई थी? यदि हां, तो क्यों नहीं? बैंक द्वारा किन-किन को रसीद दी गई? सोना कितना सही व कितना मिलावटी साबित हुआ था?

(3) क्या यह सही है कि उस समय उक्त सोना व नकद रुपया किसी कमेटी की मार्फत एकत्रित नहीं किया गया था? यदि हां, तो क्यों? यदि नहीं, तो कमेटी के सदस्य कौन थे? तहसीलवाइज सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(श्री रामचन्द्र आर्य)

(4) क्या यह सही है कि सन् 1965 में भी सुरक्षा कोष का चन्दा वसूल किया गया था ? यदि हां, तो जिला गंगानगर से कितना धन प्राप्त हुआ ? तहसीलवार सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

(5) क्या यह सही है कि सन् 1965 में सोना भी वसूल किया गया ? यदि हां, तो कितना तोला वसूल हुआ ? तहसीलवाइज आंकड़ों की सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

उत्तर

(1) जिला गंगानगर में सुरक्षा कोष के लिए सन् 1962 में 26,95,822.94 पैसे नकद व 2,23,505.394 ग्राम सोना एकत्रित हुआ था ।

(2) जो सोना एकत्रित किया गया था उसकी रसीदें संग्रहकर्ताओं द्वारा दानदाताओं को समय समय पर दे दी गई थीं । इस प्रकार कई व्यक्तियों से प्राप्त सोना एक साथ बैंक में जमा कराया जाता रहा था इसलिये प्रत्येक दानदाता को बैंक की रसीद दिया जाना उपयुक्त एवं संभव नहीं था । यदि किसी दानदाता द्वारा सीधा बैंक में सोना जमा कराया गया हो और बैंक द्वारा उन्हें रसीद दी गई हो उसकी जानकारी सरकार को नहीं है । दानदाताओं से सोने की जो वस्तु जिस दशा में प्राप्त हुई थी वह उसी दशा में बैंक में जमा कराई गई थी उन वस्तुओं के सोने में कितनी मिलावट थी उसकी जानकारी सरकार को नहीं है ।

(3) सुरक्षा कोष के लिये चन्दा उपजिलाधीशों, तहसीलदारों एवं विकास अधिकारियों ने सम्बन्धित गांवों के मुखिया एवं प्रतिष्ठित व्यक्तियों के सहयोग से किया था । इस हेतु कोई औपचारिक समिति का गठन नहीं किया गया था ।

(4) जिला गंगानगर में सन् 1965 में मुख्य मन्त्री सुरक्षा सेवा कल्याण कोष के लिये 9,77,905) रुपये 1 पैसा चन्दा प्राप्त हुआ । तहसीलवार सूची संलग्न है ।

(5) जिला गंगानगर में सन् 1965 में मुख्य मन्त्री सुरक्षा सेवा कल्याण कोष के लिये कोई सोना दान में प्राप्त नहीं हुआ ।

(कृपया परिशिष्ट 7 देखिये)

कोटा जिले में अकाल राहत कोष के लिए एकत्रित धनराशि

389. श्री देवीदत्त गाड़िया (बारां) : क्या मुख्यमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि कोटा जिले में जिलाधीश द्वारा सन् 1968-69 में अकाल राहत कोष के लिये धन संग्रह किया गया था ? यदि हाँ, तो प्रत्येक तहसीलवाइज सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(2) क्या यह सही है कि कोटा नगर में भी अकाल राहत कोष के लिए धन-संग्रह किया गया था ? यदि हां, तो किस-किस व्यक्ति व किस-किस एजेन्सी के द्वारा धन संग्रह किया गया ? सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें ।

Page No 36

(श्री देवीदत्त गाड़िया)

(3) क्या यह सही है कि इस कोष के लिये एकत्रित किए गए धन की पूरी रकम जमा नहीं होने पर जिलाधीश कार्यालय से कोटा के किसी एक व्यक्ति को रुपया जमा करने हेतु कोई नोटिस दिया गया था ? यदि हां, तो किस व्यक्ति को किस तारीख को क्या नोटिस दिया ? विवरण सदन की मेज पर रखें और उस पर अब क्या कार्यवाही चल रही है ?

उत्तर

(1) जी हां, जिलाधीश द्वारा कोटा जिले में सन् 1968-69 में अकाल राहत कोष के लिये धन संग्रह शुरू किया गया था जिलास्तर पर प्राप्त सूचना के आधार पर तहसीलवाइज सूची सदन की मेज पर प्रस्तुत कर दी गई है।

(2) जी हां, कोटा नगर में अकाल राहत कोष के लिये धन संग्रह किया गया था। जिन-2 व्यक्तियों व ऐजेन्सीज के द्वारा उक्त कोष के लिये जो धन प्राप्त हुआ था, उनकी सूची सदन की मेज पर प्रस्तुत करदी गई है।

(3) जी नहीं, ऐसा कोई नोटिस जिलाधीश कार्यालय द्वारा नहीं दिया गया है, और न इस प्रकार का कोई मामला ही विचाराधीन है।

(कृपया परिशिष्ट 8 देखिये)

तहसील अनूपगढ़ में हरिजन बावरी की मृत्यु

390. श्री परसराम गंगाराम (परबतसर सु.) : क्या गृहमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या तहसील अनूपगढ़ में वर्ष 1968 में अनुसूचित जाति के एक हरिजन बावरी को गोली से मारा गया था ?

(2) क्या मुलजिम पकड़ा गया है और उस पर मुकद्दमा दाखिल कर दिया गया है ?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) जी नहीं, प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता।

डूंगरपुर जिले में डकैतियों के मामले

391. श्री महेन्द्र कुमार (पांडवा सु.): क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) डूंगरपुर जिले में सन् 1967-68 में कहां-कहां डाके पड़े ? प्रत्येक की एफ. आई. आर. की प्रति सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(2) क्या यह सत्य है कि पुलिस द्वारा मुलजिमों को पकड़ने में शिथिलता बर्ती गई ? यदि हां, तो क्यों ? यदि नहीं, तो प्रत्येक डाके पड़ने की तिथि, मुलजिमों की गिरफ्तारी व कार्यवाही प्रारम्भ करने के दिनांक से अवगत करावें।

(3) क्या यह भी सत्य है कि पुलिस द्वारा मुलजिमान से पूरा पूरा माल बरामद नहीं किया गया है ? यदि हां, तो क्यों व इस सम्बन्ध में क्या प्रयत्न जारी हैं ? यदि नहीं, तो प्रत्येक के बरामदशुदा माल की फेहरिस्त सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

Page No 37

(गृह मंत्री)

उत्तर

(1) डूंगरपुर जिले में सन् 1967–68 में ग्राम माल, करियाना, बोडीगामा, छोटा पाडला, इटीवाल में 4 डकैतियां हुई हैं जिनके इत्तला अव्वल की प्रतियां संलग्न हैं।

(2) यह तथ्य नहीं है बल्कि पुलिस अपने कर्त्तव्य पालन में सजग है तथा यही कारण है कि 27 डकैत गिरफ्तार किये गये हैं और अनुसंधान समाप्त कर चालान पेश किये जा चुके हैं।

(3) यह सत्य नहीं है कि पुलिस द्वारा माल पूरा बरामद करने की चेष्टा नहीं की गई, बल्कि माल बरामद के प्रयत्न किये गये और अलावा नकद के कुल 45 किलो चाँदी 850 ग्राम सोना (जेवर व जिंस) बरामद किया गया है। नकद रुपया मुलजिमान के खर्च कर देने से बरामद नहीं हो सका और न यह मुमकिन ही है। प्रत्येक केस की लिस्ट बरामद माल को तथा कितना माल खर्च हुआ कितना बरामद हुआ संलग्न है।

(सूची अधिक विस्तृत होनेके कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

पी. एस. आई. तथा एस. आई. के पद के लिए साक्षात्कार

392. श्री लादूराम सुलानिया (फागी) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) पी. एस. आई. और एस. आई. का साक्षात्कार (इंटरव्यू) कब किया गया था ? उसमें कुल कितने-कितने व्यक्तियों का साक्षात्कार हुआ ?

(2) इस साक्षात्कार का परिणाम कब घोषित किया गया ? कितने व्यक्ति सफल रहे और कुल कितने-कितने लेने थे ?

(3) क्या उनको नियुक्ति आदेश दे दिये गये हैं ? यदि नहीं, तो अब तक नियुक्ति आदेश न देने के क्या कारण हैं और अब कब तक दे दिये जावेंगे ?

उत्तर

(1) उप-निरीक्षक पुलिस एवं उप-नियोजक पुलिस के साक्षात्कार दिनांक 28 जनवरी, 69 से 6-2-69 तक सम्पन्न हुए जिनमें 415 उप-निरीक्षक एवं 47 उप नियोजक साक्षात्कार के लिए उपस्थित हुए।

(2) इस साक्षात्कार का परिणाम दिनांक 19-4-69 को घोषित किया गया ? साक्षात्कार में 86 उम्मीदवार सफल घोषित किये गये। जिनमें कुल 40 उप-निरीक्षक एवं 20 उप-नियोजक पुलिस लेने थे।

(3) जी हां, उनको प्रशिक्षण के लिए पुलिस ट्रेनिंग स्कूल, किशनगढ़ में तारीख 7-8-69 से ज्वाईन करने के आदेश दिये जा चुके हैं।

पुलिस द्वारा जनता पर गोली चलाने के मामले

393. श्री देवीदत्त गाड़िया (बारां) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि 1967–68 से लेकर 1969–70 में राजस्थान की पुलिस द्वारा जनता पर कई बार गोलियां चलाई गई हैं और उनसे कई व्यक्ति मर गए तथा घायल हुए ?

(श्री देवीदत्त गाड़िया)

(2) यदि हां, तो प्रति वर्ष किस किस स्थान पर किन किन कारणों को लेकर कितनी कितनी बार गोलियां चलाई और उनसे कौन कौन व्यक्ति मरे व घायल हुए ? सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(3) क्या यह सही है कि कुछ दिनों पूर्व हिन्डौन की जनता पर पुलिस ने गोलियां चलाई ? यदि हां, तो किस तारीख को और उससे कौन कौन व्यक्ति मरे तथा गोली चलाने का क्या कारण था ?

(उत्तर स्थगित किया गया)

आत्म हत्या के मामले

394. **श्री राम किशन (वैर)** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) सन् 1962 से मार्च सन् 1969 तक राज्य में कुल कितने लोगों ने आत्महत्या की ? इनमें स्त्री तथा पुरुषों की अलग अलग सूची सदन के पटल पर रखा जावे।

(2) इन आत्महत्याओं के क्या-क्या कारण रहे ? विस्तृत ब्यौरा सदन के पटल पर रखने की कृपा करें।

(उत्तर स्थगित किया गया)

भूतपूर्व मुन्सिफ मजिस्ट्रेट सिरोही के विरुद्ध जांच

395. **श्री देवीदत्त गाड़िया (बारां)** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे: —

(1) क्या यह सही है कि सिरोही के एस. पी. ने आबूरोड के भूतपूर्व मुन्सिफ मजिस्ट्रेट श्री चम्पालाल बोडिया के विरुद्ध भ्रष्टाचार आदि से संबंधित मामले की जांच की है ? यदि हां, तो जांच रिपोर्ट सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(2) क्या यह सही है कि सरकार ने उक्त अधिकारी के विरुद्ध कोई कार्यवाही की है ? यदि हां, तो क्या कार्यवाही की ?

उत्तर

(1) जी हां। चूंकि इस मामले में प्रकरण पंजीबद्ध कर अनुसंधान किया जा रहा है, सिरोही के अधीक्षक पुलिस की रिपोर्ट सदन की मेज पर रखना जनहित में नहीं होगा।

(2) प्रकरण का अनुसंधान पूर्ण होना शेष है, अतः जब तक अनुसंधान पूर्ण होकर मुन्सिफ मजिस्ट्रेट के विरुद्ध आरोप प्रमाणित न हो जाय उनके विरुद्ध कोई कार्यवाही करना समय से पूर्व होगा।

बस-ट्रक की टक्कर

396. **श्री देवीदत्त गाड़िया (बारां)** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि आज के कुछ माह पूर्व झुंझुनू में एक चूने के पत्थर से भरे ट्रक द्वारा बस दुर्घटना हुई थी और उस ट्रक दुर्घटना से 3-4 व्यक्ति मर गये थे ? यदि हां, तो किस नम्बर की ट्रक से किस तारीख को किस स्थान पर ट्रक दुर्घटना हुई और उससे कौन 2 व्यक्ति मारा गया तथा घायल हुआ ? सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(2) पुलिस ने उस पर अब तक क्या कार्यवाही की ?

(गृह मंत्री)

उत्तर

(1) दिनांक 18-11-68 को कस्बा बगड़ के पास पत्थर के चूने से भरे हुए ट्रक द्वारा एक बस को टक्कर मारने की दुर्घटना हुई थी। उस दुर्घटना में 4 व्यक्ति मारे गये तथा 5 व्यक्ति घायल हुए थे।

यह दुर्घटना दिनांक 18-11-68 को कस्बा बगड़ के पास चिड़ावा की तरफ जाने वाली सड़क के एक चौराहे पर ट्रक आर.जे.वी. 1091 द्वारा बस को टक्कर मारने से हुई थी। दुर्घटना में मारे गये तथा घायल व्यक्तियों की सूची इस प्रकार है:—

(क) मृत व्यक्तियों की सूची :—

1. श्रीमती गणपति पत्नि खेता राम माली नि० खातियों की ढानी।

2. श्री कालू खां पुत्र इदूखां निवासी झुंझुनूं।

3. श्री कुरडाराम पुत्र ज्ञानाराम नि० नीमकी ढाणी।

4. श्री फूलचन्द पुत्र रामकुमार व्यास नि० सुलताना।

(ख) घायल व्यक्तियों की सूची :—

1. श्री सलीमा पुत्र दीना नि० झुंझुनूं।

2. श्री नारायण राम पुत्र विसाल राम नि० जाटावास बगड़।

3. श्री भूरा पुत्र गुमाना राम जाट नि० मारिगसर।

4. श्री सांवर मल पुत्र मोजाराम पुरोहित नि० सुलताना।

5. श्री गोगराज पुत्र प्रहलाद राम पुरोहित नि. सुल्ताना।

(2) इस दुर्घटना के संबंध में थाना झुंझुनूं पर अभियोग सं० 116/दिनांक 10-11-68 अन्तर्गत धारा 279/337/338/304 (ए) भा०द०स०प जीबद्ध किया गया जिसमें बस व ट्रक दोनों चालकों का चालान दिनांक 3-2-69 को न्यायालय में प्रस्तुत किया जा चुका है।

छीपाबड़ौद-सालपुरा सड़क की मरम्मत

397. प्रेमसिंह सिंघवी (छबड़ा) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या यह सही है कि कोटा जिले के छीपाबड़ौद कस्बे से स्टेशन सालपुरा को जाने वाली 11 मील की सड़क, छीपाबड़ौद से सालपुरा 4 मील तक बहुत ही खराब है? यदि हां, तो इस चार मील के टुकड़े को कब तक दुरुस्त करा दिया जायेगा? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

सड़क के मील 54,55 को छोड़ कर सड़क की दशा साधारण है। मील 55 का कार्य प्रगति पर है।

एक्जीक्यूटिव इन्जीनियर झालावाड़ द्वारा सामान की खरीद

398. श्री विट्ठलप्रसाद शर्मा (अकलेरा) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) झालावाड़ जिले में एक्जीक्यूटिव इन्जीनियर कार्यालय द्वारा गत मार्च 69 से

(श्री विट्ठल प्रसाद शर्मा)

अगस्त 69, तक कितना 2 कौन कौन सा सामान खरीदा गया ?

(2) उक्त सामान सार्वजनिक निर्माण विभाग के बजट से क्रय किया गया अथवा अकाल सहायता के बजट से ?

(3) उक्त सामान इस समय किस किस जगह उपयोग में आ रहा है ?

(4) क्या सामान खरीदने के पूर्व टेन्डर लेने आवश्यक हैं ? यदि हां, तो उक्त सामान क्रय हेतु किस-किस फर्म का किस-किस चीज का टेन्डर लिया गया ?

(उत्तर स्थगित किया गया)

लाडनूं में डाक बंगले की भूमि

399. श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि लाडनूं में डाक बंगला बनाने के लिये कोई भूमि विभाग के पास है ? यदि हां, तो कितनी भूमि कहां पर स्थित है ? उस पर कब तक डाक बंगला बना दिया जावेगा ?

(2) लाडनूं में डाक बंगला बनाने का प्रस्ताव सरकार के पास कब से विचाराधीन है ?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) इस विभाग को इस प्रकार के प्रस्ताव की जानकारी नहीं है।

पिड़ावा-कोटड़ी सड़क

400. श्री जुझारसिंह (रामगंज मंडी) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या विभाग द्वारा पिड़ावा से कोटड़ी तक की तीन मील सड़क बनवाने का आश्वासन स्थानीय जनता को दिया गया था ? यदि हां, तो कब ?

(2) क्या यह सही है कि उपरोक्त आश्वासन के आधार पर स्थानीय जनता ने भी 8,000) रु० की धनराशि इस सड़क के निर्माण हेतु खर्च की हुई है और सरकार से काम पूरा कराने की अपेक्षा रखती है ?

(3) झालावाड़ जिले में स्थित यह सड़क कब तक पूरी हो जावेगी ?

उत्तर

(1) आश्वासन की जानकारी इस विभाग को नहीं है।

(2) 8 हजार रुपये खर्च करने की जानकारी इस विभाग को नहीं है। प्रश्न नहीं उठता।

(3) अर्थाभाव के कारण निश्चित नहीं कहा जा सकता।

टोंक डिवीजन में विभिन्न कार्यों पर व्यय

401. श्री रिद्धिचन्द पल्लीवाल (गंगापुर) : क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) टोंक डिवीजन में सन् 1968-69 में कितना रुपया कौन-कौन से कार्यों पर खर्च हुआ है ?

Page No 41

(श्री रिद्धिचन्द पालीवाल)

(2) क्या यह सच है कि सवाई माधोपुर जिले का वह हिस्सा जो टोंक डिवीजन के अन्तर्गत आता है उसकी भी मरम्मत तथा अन्य छोटे कार्यों का रुपया टोंक डिस्ट्रिक्ट में ही खर्च कर दिया जाता है ?

(3) अगर हां, तो ऐसा क्यों होता है ? अगर नहीं, तो टोंक डिस्ट्रिक्ट में कितना रुपया खर्च हुआ है और सवाई-माधोपुर में कितना और किस-किस गांव में ?

उत्तर

(1) टोंक डिवीजन में सन् 68-69

(अ) मूल निर्माण कार्य सड़कों पर 2,02,164 रुपया।

(ब) मूल निर्माण कार्य भवनों पर 5,16,112 रुपये।

(स) मरम्मत कार्य सड़कों पर 15,04,740 रुपये

(द) मरम्मत कार्य भवनों पर 1,87,214 रु. खर्च हुआ है।

(2) यह सही नहीं है।

(3) मरम्मत खर्च की सूची संलग्न है। गांववार आंकड़े विभाग में नहीं रखे जाते हैं।

(कृपया परिशिष्ट 9 देखिये)

नगरपालिका पाली के कर्मचारी को नौकरी से निकालने का मामला

402. श्री मूलचन्द डागा (पाली) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या रेवाकुमार पिछले नगरपालिका पाली का कर्मचारी था ? और यदि हां, तो क्या उसको पिछले बोर्ड ने नौकरी से डिसमिस कर दिया ? और कर दिया, तो कब ?

(2) क्या यह सत्य है कि श्री रेवाकुमार ने उस डिसमिसल की कोई अपील की है ? और अगर हां, तो कब ?

(3) क्या यह सत्य है कि अपील किसी कोर्ट में पेंडिंग है ? अगर हां, तो किस कोर्ट में व कब से ?

उत्तर

(1) जी हां।

जी हां। दिनांक 29-11-67 से

(2) नगरपालिका को इसकी कोई जानकारी नहीं है।

(3) प्रश्न के भाग 2 के उत्तर के अनुसार प्रश्न उत्पन्न ही नहीं होता है।

जयपुर नगर के बाजारों में दुकानों के बरामदे

403. श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगेः—

(1) जयपुर नगर के बाजारों में दुकानों के आगे बने हुए बरामदों को खाली रखा जाय या उनमें शटर लगाने की इजाजत दी जाय, इस एक महत्वपूर्ण प्रश्न पर क्या राज्य सरकार ने कोई निर्णय अभी तक लिया है ?

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

(2) क्या यह सही है कि यह प्रश्न एक बहुत लम्बे अर्से से सरकार के समक्ष विचारार्थ पड़ा हुआ है ? और सरकार द्वारा इस संबंध में अभी तक भी निर्णय नहीं लिये जाने के परिणाम स्वरूप लोगों को बड़ी भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है ? जयपुर नगर परिषद् द्वारा इन बरामदों में शटर्स लगा लिये जाने के कारण कितने मामले पंजीबद्ध किये गये, उनमें से कितनों का चालान किया गया, कितनों को तोड़ा गया और कितने मामलों को कम्पाउन्ड किया है ? और कुल कितने शटर्स बनाये गये हैं ?

(3) क्या सरकार यह उचित नहीं समझती है कि प्रमुख व्यापारियों, व्यापारिक संस्थानों के प्रतिनिधियों एवं प्रमुख 2 नागरिकों का सम्मेलन बुलाकर इस संबंध में शीघ्र और अन्तिम निर्णय ले लिया जाय ?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) मामला सरकार के पास विचाराधीन है। अनधिकृत रूप से किये गये निर्माण कार्यों के सम्बन्ध में परेशानी होने का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है।

अनधिकृत रूप से लगाये गये शटर्स के 999 मामले नगर परिषद् में पंजीकृत किये गये हैं।

348 मामले अदालतों में विचाराधीन हैं व 276 मामलों में एक या एक से अधिक बार जुर्माने हो चुके हैं। किसी भी मामले में तोड़ने या कम्पाउन्ड करने की कार्यवाही नहीं की गई है ?

(3) मामला अभी विचाराधीन है।

खारिया तालाब पर पशु मेले से आय

404. श्री परसराम गंगाराम (परबतसर सु.) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

परबतसर शहर जिला नागौर में खारिया तालाब पर जो पशु मेला होता है उससे म्यूनिसिपैलिटी, परबतसर को कितनी आमदनी होती है ?

उत्तर

परबतसर नगर पालिका को वर्ष 1968–69 में मेलों से 2317–50 रु० की आय हुई थी।

वर्ष 1969–70 के लिए अनुमानित आय 2500/- स्वीकृत है।

नोटिफाइड एरिया कमेटी सवाईमाधोपुर

405. श्री चुन्नीलाल जेलिया (खण्डार सु.) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) सवाई माधोपुर नोटीफाइड एरिया कमेटी का (जनता में से) चेयरमैन सरकार कब बनाने जा रही है ?

(2) उक्त कमेटी की गत वर्ष की क्या आय थी तथा क्या खर्च हुआ ?

Page No 43

(श्री चुन्नीलाल जेलिया)

(3) आय किस-किस साधन से तथा खर्च किस किस माह में हुआ ? विवरण सहित बताने की कृपा करें।

उत्तर

(1) मामला विचाराधीन नहीं है।

(2) 1-3-68/1,35,243-78रु० तक की वास्तविक आय।

1968-69 की 4,12,762-94 रु० अनुमानित आय।

व्यय

1-3-68 तक वास्तविक व्यय) 23,462 रु०

1968–69 की अनुमानित व्यय 4,08,380

(3) आय–

(क) करों

(ख) लाईसेन्सफीस

(ग) अधिनियमों के अन्तर्गत

(घ) फाइन

(ङ) विविध

(च) भूमि विक्रय व लीज

(छ) राजकीय सहायता के मदों से है।

व्यय कर्मचारियों को वेतन देने, विविध पर एवं निर्माण कार्य व विकास कार्यों पर है। माहवारी सूचना प्राप्त नहीं है।

सवाई माधोपुर का नाला

406. **श्री चुन्नीलाल जेलिया** (खण्डार सु.) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) सवाई माधोपुर म्युनिसिपैलिटी क्षेत्र में जो नाला कस्बे की प्रमुख बस्ती के उत्तर की ओर हरिजन बस्ती के निकट है क्या उसके लिये पुश्ती बनाने को राज्य या केन्द्रीय सरकार द्वारा 2 लाख 85 हजार रुपये प्राप्त हुए या इसके करीब स्वीकार हुआ है ?

(2) क्या यह रुपया राज्य सरकार खर्च करने की स्थिति में है ?

(3) यदि नहीं, तो क्यों नहीं ? यदि हां, तो कब तक ?

(उत्तर स्थगित किया गया)

नगरपालिका भीलवाड़ा का क्षेत्र

407. **श्री मनोहरसिंह मेहता** (मांडलगढ़) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या भीलवाड़ा नगरपालिका का क्षेत्र बढ़ाया जा रहा है ?

(2) यदि बढ़ाया जा रहा है तो कौन, कौन से गांव इसमें लिये जा रहे हैं ?

(3) क्या यह सही है कि पुर कस्बा जो भीलवाड़ा से 8 मील के फासले पर है नगरपालिका में लिया जा रहा है ?

(4) यदि पुर कस्बा लिया जा रहा है तो फिर कस्बा सांगानेर जो नगरपालिका की सीमा से केवल चार फर्लाङ्ग ही दूर है,

(श्री मनोहरसिंह मेहता)

नगरपालिका में क्यों नहीं लिया जा रहा है जब कि सांगानेर की विकास पंचायत तथा सांगानेर कस्बे के लोग बार बार निवेदन कर रहे हैं ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) राजस्व ग्रामपुर एवं राजस्व ग्राम सांगानेर।

(3) पुर कस्बा 8 मील की दूरी पर नहीं है। पुर कस्बे को नगरपालिका की सीमा में लिया जा रहा है।

(4) राजस्व ग्राम सांगानेर को भी ले लिया गया है।

बारां में नगरपालिका की भूमि पर निर्माण कार्य

408. श्री देवीदत्त गाड़िया (बारां): क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या यह सही है कि बारां रेल्वे स्टेशन के चौराहे के पास मेसर्स कर्मचन्द कन्हैयालाल के मालिक श्री कन्हैयालाल खत्री द्वारा नगरपालिका की बहुमूल्य भूमि पर तामीर का काम कर लिये जाने के कारण उसके विरुद्ध कार्यवाही नगरपालिका द्वारा की गई है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई ?

उत्तर

भूमि नगर पालिका से 1) रुपया फुट में ली गई है। निर्माण कार्य का अनुमति-पत्र नगर पालिका से प्राप्त न करने से निर्माण कार्य अपूर्ण पड़ा है।

खारे पानी को मीठा करने के लिए प्रयोग

409. श्री जयनारायण सालोदिया (निवाई): क्या जन-स्वास्थ्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

राज्य में जलदाय विभाग द्वारा कहां कहां खारे पानी को मीठा करने का प्रयोग किया गया है उस पर कितना खर्चा किया गया और कितनी सफलता प्राप्त हुई है ?

उत्तर

राजस्थान में खारे पानी को मीठा करने का प्रयोग लूनकरनसर में सन् 1967 में किया गया था यह प्रयोग केन्द्रीय साल्ट व केमिकल अनुसंधान, संस्थान भावनगर द्वारा किया गया था। यह परीक्षण सफल रहा किन्तु अत्यधिक खर्चीला होने की वजह से इसे अपनाना उचित नहीं समझा गया। प्रयोग पर खर्चा अनुसंधान संस्थान द्वारा किया था, इसलिए राज्य सरकार को खर्च के विषय में कोई सूचना नहीं है।

अकलेरा जल-प्रदाय योजना

410. श्री विट्ठलप्रसाद शर्मा (अकलेरा): क्या जन-स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) अकलेरा पंचायत द्वारा क्या कोई राशि अकलेरा जल-प्रदाय योजना हेतु राज्य सरकार में जमा कराई गई है ? यदि हां, तो कितनी राशि और कब ?

(श्री विट्ठलप्रसाद शर्मा)

(2) राज्य सरकार उस स्थान पर कब कार्य प्रारम्भ कराना चाहती है ?

(3) क्या यह सही है कि राज्य सरकार के कितने ही मंत्री वहां की जनता को यह मौखिक आश्वासन देते आ रहे हैं कि कार्य शीघ्र चालू होने वाला है ?

(4) उस योजना में पानी कुओं से दिया जायेगा अथवा नदी से ?

(5) अनुमानत: यह योजना कितनी राशि की होगी ?

उत्तर

(1) कोई राशि जल-प्रदाय योजना हेतु नहीं जमा कराई गई ।

(2) योजना की स्वीकृति प्राप्त होने पर कार्य प्रारम्भ हो सकता है ।

(3) इस विषय में इस विभाग को कोई सूचना नहीं है ।

(4) पानी कुओं से दिया जावेगा ।

(5) योजना की अनुमानित लागत 1,30,000 रु० होगी ।

नगरपालिका क्षेत्र में नल योजना कार्य

411. **श्री महेन्द्र सिंह हाड़ा** (पीपल्दा) : क्या जन स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि प्लान के तहत नगरपालिका क्षेत्र में नल योजना को प्राथमिकता देना आवश्यक है ?

(2) राजस्थान में अब कितने नगरपालिका क्षेत्र ऐसे हैं जिनमें अभी तक विभाग द्वारा नल नहीं लगाये जा रहे हैं ?

(3) क्या यह भी सही है कि कोटा जिले के नगरपालिका क्षेत्र इन्द्रगढ़ का भी विभाग द्वारा सर्वे कराया गया था ?

(4) यह सर्वे किस सन् में हुआ तथा अभी तक वहां पर नल नहीं लगाये जाने के क्या कारण हैं ?

उत्तर

(1) जी नहीं ।

(2) 12।

(3) जी हां ।

(4) योजना का सर्वे अप्रेल 1966 में किया गया था । योजना सरकार के विचाराधीन है । योजना की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति होने पर कार्य प्रारंभ किया जा सकेगा ।

बारां व अन्ता की जल-प्रदाय योजनाओं की स्वीकृति

412. **श्री देवीदत्त गाड़िया** (बारां): क्या जन-स्वास्थ्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि बारां व अन्ता की जल प्रदाय योजनाओं के स्वीकृत हो जाने के बाद भी नल-योजना कार्य सुचारू रूप से चालू नहीं हुआ है ? यदि हां, तो क्यों और कब तक चालू हो जावेगा ?

(2) बारां की नल योजना कुल कितने रुपयों की है और यह योजना कब तक पूर्ण हो जावेगी ?

(श्री देवीदत्त गाड़िया)

(3) अन्ता नल-योजना का कार्य कब से प्रारम्भ हो जावेगा और इस योजना में कुल कितना रुपया व्यय होगा ?

उत्तर

(1) जी नहीं, बारां की योजना स्वीकृत की जा चुकी है तथा निर्माण कार्य हाथ में लिया जा चुका है। अन्ता की योजना अभी स्वीकृत नहीं हुई है अभी सरकार के विचाराधीन है।

(2) बारां की योजना की अनुमानित लागत 19,60,000 रुपये हैं और यह योजना धनराशि एवं सामग्री की उपलब्धि पर 3 वर्ष की अवधि में पूर्ण की जा जा सकेगी।

(3) योजना की प्रशासकीय एवं वित्तीय-स्वीकृति पर ही कार्य प्रारम्भ किया जा सकेगा। योजना की अनुमानित लागत 2,20,700 रुपये है।

निर्वाचन क्षेत्र लाडनूं के गांवों को जल योजना

413. श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं): क्या जन स्वास्थ्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) निर्वाचन क्षेत्र लाडनूं जिला नागौर के किन-किन गांवों की नल योजनाएं सरकार के विचाराधीन हैं ? किनकी सर्वे की गई ? कौन-कौनसी योजनाएं मन्जूर शुदा हैं जिनका कार्य शुरू नहीं हुआ और कौन कौन सी अधूरी हैं ?

(2) जो योजनाएं अधूरी हैं वे कब तक पूरी हो जावेंगी ?

उत्तर

(1) सरकार के विचाराधीन कोई योजनाएं नहीं हैं।

ग्राम रोड़ु, ब्यावर, फिवासी, लाछेरी, बाकलिया, बालसमन्द, दुजार की योजनाओं की सर्वे की गई है।

लेड़ी और रताऊ की योजनाएं मन्जूर-शुदा हैं जिन पर कार्य चालू है और वे प्रगति पर हैं। और कोई योजना अधूरी नहीं है।

(2) जिन योजनाओं पर निर्माण कार्य प्रगति पर है उन्हें इस वित्तीय वर्ष के अन्त तक पूर्ण की जाने की सम्भावना है।

खानपुर तहसील के ग्रामों में पानी की व्यवस्था

414. श्री जुझार सिंह (रामगंज मंडी) : क्या जन-स्वास्थ्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि गांवों में पीने के पानी की व्यवस्था करने हेतु केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुदान दिया गया है ? यदि हां, तो कितना ?

(2) क्या यह सही है कि झालावाड़ जिले की खानपुर तहसील में ग्राम हरीगढ़, बोरदा, लायफल वर्ड गुआलिया व ग्राम पंचायत हरीगढ़ व लायफल के दूसरे गांवों में पीने के पानी की समुचित व्यवस्था नहीं है ? यदि हां, तो इन गांवों में पानी की व्यवस्था हेतु क्या उपाय किये गये हैं और भविष्य में क्या करने का विचार है ?

(जनस्वास्थ्य मंत्री)

उत्तर

(1) प्रश्न में अवधि अंकित नहीं की गई है फिर भी गत 3 वर्षों की जानकारी दी जाती है। केन्द्रीय सरकार से ग्राम जल-प्रदाय योजना के लिए केन्द्रीय सहायता का अंश 1966-67, 67-68, 68-69 में निर्धारित थी उसके अनुसार राज्य योजनान्तर्गत व्यय का 50 प्रतिशत अंश अनुदान के रूप में भारत सरकार से प्राप्त होती है। गत 3 वार्षिक योजनाओं में ग्राम जल परियोजनाओं पर व्यय निम्न प्रकार था:—

वर्ष	व्यय (लाख रु० में)
1966-67	80.23
1967-68	92.90
1968-69	66.26
	239.39

इसके अनुसार राज्य को 119.70 लाख रु० अनुदान के रूप में प्राप्त होने चाहिए जिसमें से अब तक 77-43 लाख रुपये की स्वीकृतियां प्राप्त हो चुकी हैं एवं शेष राशि के लिए कार्यवाही जारी है।

(2) इन गांवों में पीने के पानी की व्यवस्था कुओं द्वारा है। खानपुर तहसील के समस्त गांवों में पीने के पानी की समुचित व्यवस्था उपलब्ध कराने के लिए विभाग द्वारा एक मास्टर प्लान तैयार किया गया है जिसकी अनुमानित लागत 12,56,800 रुपये हैं। यह मास्टर प्लान भारत सरकार के विचाराधीन है और स्वीकृति प्राप्त होने पर पर्याप्त धन की उपलब्धि पर आवश्यक कार्यवाही की जा सकेगी।

ग्राम सारथल की सहकारी समितियां

415. श्री प्रेमसिंह सिंघवी (छबड़ा): क्या सहकारी मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) छीपाबड़ौद तहसील के ग्राम सारथल में कितनी सहकारी समितियां किस-किस प्रकार की हैं?

(2) क्या यह सही है कि सारथल की हर एक समिति से खाद व बीज वहां के कृषकों को उधार मिला है? यदि हां, तो किन-किन काश्तकारों को कितना-कितना खाद व बीज किस कीमत का दिया गया है?

(3) क्या यह सही है कि इस प्रकार दिये गये खाद व बीज की रकम अभी तक काश्तकारों में बाकी है? यदि हां, तो सूची सदन की मेज पर रखें।

(उत्तर स्थगित किया गया)

भूमि-विकास बैंक द्वारा ऋण

416. श्री केशरीसिंह हाड़ा (हिन्डोली): क्या सहकारी मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या राजस्थान भूमि विकास बैंक द्वारा प्रदेश में मार्च, सन् 1969 तक 12585 काश्तकारों को कर्ज दिया?

(2) यदि हां, तो जिलेवार कितनी-कितनी रकम किस-किस काम के लिए काश्तकारों को कितनी अवधि की किश्तों पर दी गई?

(श्री केशरी सिंह हाडा)

(3) वार्षिक सूद की क्या दर है? सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी, नहीं। राजस्थान भूमि विकास बैंक द्वारा प्रदेश में मार्च सन् 1969 तक 12,585 काश्तकारों को नहीं बल्कि 13,912 काश्तकारों को कर्जा दिया गया है।

(2) जिलेवार राशि की सूची 30–6–69 तक की परिशिष्ट 'क' संलग्न है। रकम जिस कार्य के लिये दी गई उसकी सूची परिशिष्ट 'ख' संलग्न है। यह ऋण 7 से 15 वर्षों की किश्तों में दिया गया है।

(3) वार्षिक सूद की दर राजस्थान राज्य सहकारी भूमि-विकास बैंक के स्तर पर 7½ प्रतिशत प्रति वर्ष व प्राथमिक भूमि-विकास बैंक के स्तर पर 9 प्रतिशत प्रति वर्ष है।

(कृपया परिशिष्ट 10 देखिये)

निरीक्षकों एवं सहायक निरीक्षकों के फिक्सेशन के मामले

417. श्री फूलचन्द बाफणा (सुमेरपुर) : क्या सहकारिता मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) कितने और कौन कौनसे निरीक्षकों व सहायक निरीक्षकों के फिक्सेशन सन् 1956, 1961 व 1966 में रिवाइज्ड हुए ग्रेड्स में नहीं हुए? अब कब तक हो जायेंगे?

(2) किन-किन निरीक्षकों व सहायक निरीक्षकों के फिक्सेशन हो गये और उनमें से किन-किन को भुगतान नहीं किया गया है और वह भुगतान कब तक किये जायेंगे?

(3) कितने व कौन-कौन से निरीक्षकों एवं सहायक निरीक्षकों के कितने कितने रुपयों के भिन्न भिन्न बिलों का (जिन बिलों में कार्यालय के किराये के बिल भी शामिल समझें) भुगतान किया जाना अब तक बाकी है? इन बकाया राशियों का भुगतान कब तक किया जाएगा?

(4) दस-दस वर्ष तक कार्य करते रहने पर व लोक सेवा आयोग द्वारा चयन किये जाने पर भी किन-किन निरीक्षकों को अभी तक स्थायी नहीं किया गया है और क्यों? इन्हें कब तक स्थायी कर दिया जायगा?

(5) कितने व किन-किन निरीक्षकों व सहायक निरीक्षकों के वरिष्ठता के मामले कितने-कितने समय से विचाराधीन हैं और उन पर कब तक निर्णय ले लिया जायगा?

(6) अन्य विभागों से स्थानान्तरित हो कर आये हुए कितने व कौन-कौन से निरीक्षकों व सहायक निरीक्षकों एवं अन्य कर्मचारियों के वरिष्ठता, वेतन स्थायीकरण आदि के मामलों का अन्तिम निर्णय अब तक भी नहीं हो पाया है। कब तक इन निर्णयों की सम्भावना है? दस वर्ष और बीस वर्ष की पृथक सूचियां सदन पटल पर रखी जायें।

(7) किन-किन निरीक्षकों के सेवाकाल का निर्णय इन्टीग्रेशन विभाग द्वारा किया जा चुका है? उनका सेवाकाल क्यों नहीं माना जा रहा है?

(उत्तर स्थगित किया गया)

Page No 49

जिला बांसवाड़ा के काश्तकारों द्वारा भूमि बंधक बैंक से ऋण के लिए प्रार्थना-पत्र

418. **श्री विट्ठल भाई** (पीपलखूंट सु०): क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि जिला बांसवाड़ा में भूमि बंधक बैंक से वहां के काश्तकारों ने कर्ज के लिये मांग की है?

(2) यदि हां, तो ऐसे कितने काश्तकारों ने कर्जा फार्म दिये हैं और अब तक कितने किसानों को कर्जा मिला और कितने को नहीं मिला ? यदि नहीं तो क्यों ? सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(उत्तर स्थगित किया गया)

सेन्ट्रल को—आपरेटिव बैंक, बांसवाड़ा

419. **श्री नाथूराम** (बागीडोरा सु०): क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) बांसवाड़ा सेन्ट्रल कोऑपरेटिव बैंक ने कब से कार्य प्रारम्भ किया ? प्रारम्भ से 1968-69 तक इस बैंक द्वारा कुल कितना लेनदेन हुआ ? वर्षवार बताने का कष्ट करें।

(2) क्या यह सत्य है कि इस बैंक द्वारा दिये गये ऋणों की नियमित वसूली नहीं हो पाती है ? यदि हां, तो क्यों ? यदि नहीं, तो ऋणी समितियों, व्यक्तियों की सूची प्रथम ऋण लेने की तिथि व वर्तमान बकाया के तथा अन्तिम किश्त जो जमा कराई गई के दिनांक सहित सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(3) क्या यह भी सत्य है कि इस बैंक का दर्जा धीरे-धीरे घटता जा रहा है ? यदि नहीं, तो विगत 5 वर्षों में इसकी गणना किस किस श्रेणी के बैंकों में की जाती रही व वर्तमान में किस श्रेणी में गिना गया है ? यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं व सरकार द्वारा इसे स्तर पर लाने के क्या प्रयास किये जा रहे हैं ?

(उत्तर स्थगित किया गया)

ग्राम सेवा सहकारी समिति चन्द्राई

420. **श्री हरजीराम बुरड़क** (लाडनूं): क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि ग्राम सेवा सहकारी समिति चन्द्राई, पंचायत समिति लाडनूं, जिला नागौर को बीज गोदाम बनाने के लिए कभी कोई आर्थिक सहायता दी गई थी ? यदि हां, तो कब-कब, कितनी-कितनी सहायता व कर्ज उक्त कार्य के लिये दिया गया तथा समिति की ओर से किस-किस व्यक्ति ने यह राशि उठाई ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) क्या यह भी सच है कि उक्त समिति का कोई गोदाम न बनाकर स्थानीय सरपंच श्री चौथाराम ने अपने खेत में बनाये गये अपने मकान को उक्त गोदाम बता कर रुपये हजम कर लिये ? यदि हां, तो इस संबंध में सरकार ने यह कैसे मान

Page No 50

(श्री हरजीराम बुरड़क)

लिया कि समिति का ही गोदाम बनाया गया है ? जमीन की बाबत क्या छानबीन की गई और किस अधिकारी द्वारा जानकारी करवाई गई, तथा इस मामले में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

उत्तर

(1) जी, हां। पंचायत समिति लाडनूं द्वारा गोदाम निर्माण के लिये 1350) रुपये अनुदान स्वीकार किया गया। यह राशि दो किश्तों में दिनांक 18-3-59 को 750) रुपये तथा दिनांक 25-3-60 को 600) रुपये श्री चौथाराम तत्कालीन मंत्री द्वारा उठाई गई।

(2) जी, नहीं। समिति ने गोदाम निर्माण श्री घासीराम द्वारा उपहार में दी गई भूमि पर किया है। इस भूमि का इकरारनामा भी पंचायत समिति के पक्ष में लिख दिया गया है। ओवरसियर द्वारा इसका उपयोगिता प्रमाण-पत्र दिनांक 27 8-62 को दिया जा चुका है।

स्थानान्तरणों पर व्यय

421. श्री देवीदत्त गाड़िया (बारां): क्या सहकारी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

अक्टूबर 68 से लेकर जनवरी 69 तक सहकारी विभाग ने केन्द्रीय कार्यालय से एवं अन्य जिलों से किस-किस पद के कितने कर्मचारियों का परिवर्तन किन-किन कारणों से किया और उन पर टी. ए., डी. ए. आदि के रूप में कुल कितने रुपये खर्च हुए ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(उत्तर स्थगित किया गया)

नव जाग्रत बहुउद्देशीय सहकारी समिति श्री गंगानगर

422. श्री रामचन्द्र आर्य (नोहर) : क्या सहकारी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) श्री गंगानगर में नव जाग्रत बहुउद्देशीय सहकारी समिति के कितने सदस्य हैं और पदाधिकारी कौन-कौन हैं ? तालिका सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) क्या यह सही है कि उक्त सहकारी समिति सन 1959 से 62 तक खाद की डीलर थी ? यदि हां, तो अब इस सहकारी समिति की तरफ सरकारी खाद के कितने रुपये बाकी हैं और आज तक के कुल ब्याज सहित रकम कितनी बकाया है ? तालिका सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(3) क्या यह सही है कि इस सहकारी समिति की तरफ जो बकाया रकम है उसको जानबूझ कर वसूल नहीं किया जा रहा है ? यदि हां, तो क्यों और यदि नहीं, तो वसूली कब तक करली जावेगी ?

उत्तर

(1) श्री गंगानगर में नव जाग्रत बहुउद्देशीय सहकारी समिति के नाम से कोई सहकारी समिति रजिस्टर्ड नहीं है। प्रश्न ही नहीं उठता।

(सरकारी मंत्री)

2. प्रश्न ही नहीं उठता है।

3. प्रश्न ही नहीं उठता है।

कल्याण सोना गेहूं के बीज की खरीद

423. श्री शंकरलाल जाट (कपासन): क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सत्य है कि राजस्थान में उन्नत कृषि बीज जैसे कल्याण सोना गेहूं का वितरण सन 1968 में प्रति किलो 7 रुपये के हिसाब से किया गया था ?

(2) यदि हां, तो कुल कितना गेहूं किस किस व्यक्ति को और किस पंचायत समिति को वितरित किया गया है ? पते सहित सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह भी सही है कि कल्याण सोना गेहूं जिन किसानों को दिया गया था उन्हें देते समय वापिस सरकार ने लेने का वायदा किया था ?

(4) यदि हां, तो किन किन किसानों से वापिस लिया गया है और किस भाव से? कृपया सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

उत्तर

(स्थगित किया गया)

सवाई माधोपुर के कृषकों को ट्रेक्टर खरीदने के लिए धनराशि

424. श्री चुन्नीलाल जेलिया (खण्डार सु.): क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) सन 1968-69 में सवाई माधोपुर जिले की प्रत्येक पंचायत समिति को अलग अलग कितनी कितनी धनराशि कृषकों को ट्रेक्टर्स खरीदने के लिए दी गई ?

(2) सवाई माधोपुर सबडिवीजन में कितने ट्रैक्टर उक्त वर्ष में किन किन ने सरकारी ऋण की सहायता से खरीदे ?

उत्तर

(1) सन 1968-69 में ट्रैक्टर खरीदने के लिए कृषकों को कोई धनराशि नहीं दी गई।

(2) ऋण नहीं दिया गया अतः ट्रैक्टर खरीदने का प्रश्न ही नहीं उठता।

जिला बांसवाड़ा के कृषकों को बीज के लिए दी गई मक्का

425. श्री हीराभाई (कुशलगढ सु०): क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या जिला बांसवाड़ा के कृषकों के लिये कृषि विभाग द्वारा बिजवारा के लिये मक्का दी गई है ? यदि हां, तो उक्त मक्का क्या नाम की है तथा किस किस्म की है ? और कौन से फार्म की है एवं फार्म से सरकार ने किस भाव से खरीदी है तथा क्या भाव व किस कीमत से कृषकों को दी है ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) क्या जिन फर्म से उक्त मक्का खरीदी है वह फर्म राज्य सरकार द्वारा एप्रूव्ड है ? अगर हां, तो कब से ? क्या यह फर्म प्राइवेट है या सरकारी ?

(कृषि मंत्री)

उत्तर

(1) जी हां। यह संकर मक्का गंगा 3 बांसवाड़ा के बीज उत्पादकों से क्रय की गयी थी। यह मक्का 250)रु० प्रति क्वि० की दर से खरीदी गयी तथा 300) रु० प्रति क्वि० के हिसाब से पंचायत समिति द्वारा कृषकों को वितरित की गयी।

(2) जी हां। यह उत्पादक राज्य सरकार द्वारा अप्रूव्ड हैं तथा इनको अप्रूव्ड बीज उत्पादन के हेतु दिया गया था और इस उत्पादित बीज का प्रमाणीकरण राष्ट्रीय बीज निगम तथा राज्य के कृषि विभाग द्वारा किया गया। यह उत्पादक अपनी निजी काश्त करते हैं।

कृषक योजना

426. श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं): क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि सरकार ने कोई कृषक शिक्षा योजना चालू कर रखी है? यदि हां, तो कब से? योजना की प्रति सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) उक्त योजना पर अब तक किस किस मद में कितना कितना खर्चा हुआ?

(3) अब तक इस योजना से कहां कहां के कितने कितने किसानों को प्रशिक्षित किया गया? और प्रशिक्षण के लिए चुनने का क्या आधार है?

(4) अगले वर्ष में इस योजना का क्या रूप होगा?

(5) इस समय यह प्रशिक्षण कहां 2 पर दिया जा रहा है और अगले वर्ष कहां 2 पर दिया जावेगा तथा प्रशिक्षण स्थान का चयन किस आधार पर किया जाता है?

(6) इस योजना के अन्तर्गत किस २ वर्ष में कितने 2 किसानों को प्रशिक्षण देने का लक्ष्य रखा गया है?

(7) प्रशिक्षणार्थियों को क्या क्या सुविधाएं दी जाती हैं?

(8) अब तक प्राप्त जानकारी के अनुसार यह योजना कहां तक सफल रही है?

उत्तर

(1) जी हां। जयपुर जिले में दिसम्बर 1968 से, कोटा जिले में मार्च 1969 से तथा उदयपुर जिले में फरवरी 1968 से। योजना की प्रतिलिपि संलग्न है।

(2) इस योजना पर गत वर्ष 1968-69 में निम्नलिखित खर्चा हुआ :—

	(रुपये)
(1) दुर्गापुरा (जयपुर)	- 1,24,191.13
(2) कोटा —	—1,34,220.34
(3) उदयपुर	—2,08,637.42
कुल रु०	4,68,048,89

(3) जयपुर जिले के 17 गावों के 3052 किसानों को, कोटा जिले के 149 गांवों के 5240 किसानों को तथा उदयपुर जिले के 3370 किसानों को प्रशिक्षित किया गया। जो कृषक अधिक उपज देने वाले

(कृषि मंत्री)

कार्यक्रम लेते हैं उनको इस योजना के अन्तर्गत 2 जिलों के प्रशिक्षण कैम्प में बुलाया जाता है।

(4) गत वर्ष की भांति यह योजना इस वर्ष भी चलाई जायगी, परन्तु वर्ष 1970-71 में इस योजना का क्या रूप होगा, अभी निश्चित नहीं हुआ है।

(5) इस समय यह प्रशिक्षण जयपुर, कोटा व उदयपुर जिलों में दिया जा रहा है। अगले वर्ष के लिए अभी कोई निर्णय नहीं लिया गया है। जिन गांवों में अधिक उपज देने वाली फसलों की खेती अधिक होती है उनके पास ही किसी उपयुक्त स्थान का चयन कर लिया जाता है।

(6) इस योजना का कार्य 69-70 में चालू किया गया है। रबी व खरीफ मे निम्नलिखित लक्ष्य रखा गया है:—

जयपुर	—	6800	कृषक
कोटा	—	4400	कृषक
उदयपुर	—	11060	कृषक

(7) कृषकों को प्रशिक्षण के दिन अल्पाहार दिया जाता है एवं प्रशिक्षण के दौरान ही उन्हें तत्सम्बन्धी तकनीकी साहित्य निःशुल्क वितरण किया जाता है।

(8) यह योजना लगभग पूर्णतया सफल रही है।

(सूची अधिक विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

जिला बूंदी में गन्ने के उत्पादन के लिए अनुदान

427. श्री हरजीराम बुरडक (लाडनूं): क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि सरकार ने जिला बून्दी में गन्ने के उत्पादन के लिए काश्तकारों को कोई अनुदान दिया है? यदि हां, तो कब कितना रुपया किस किस काश्तकार को दिया गया और उन्होंने कितने 2 एकड़ में गन्ने का उत्पादन किया? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) उपरोक्त अनुदान किस योजना के तहत दिया गया था?

(3) अनुदान देने के क्या उद्देश्य थे और उन उद्देश्यों की पूर्ति कहां तक हुई?

(4) क्या भविष्य में भी इस प्रकार का अनुदान देने का प्रावधान है?

उत्तर

(1) जी हां, 2,43,078) 75 रु० का अनुदान 1173 काश्तकारों को दिया गया। काश्तकारों द्वारा 1568 एकड़ में गन्ने का उत्पादन किया गया।

(2) काश्तकारों को कम कीमत पर गन्ने का बीज उपलब्ध कराना आवश्यक था जिससे सहकारी शूगर मिल केशोरायपाटन के क्षेत्र में अधिक से अधिक गन्ने का उत्पादन हो सके। इस योजना के तहत अनुदान दिया गया था।

(3) शूगर मिल केशोरायपाटन के क्षेत्र में अधिक से अधिक गन्ना उत्पादन करने के

(कृषि मंत्री)

उद्देश्य से अनुदान वितरण किया गया था। इस तरह किसानों को कम कीमत पर बीज उत्पादन कराया गया जिससे गन्ने की काश्त को बढ़ावा मिला।

(4) जी नहीं।

वेयरहाउस बारां के मृतक कर्मचारी के परिवार को मुआवजा

428. श्री देवीदत्त गाड़िया (बारां):- क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या बारां में स्थित सरकारी वेयर हाउस में काम करने वाले दो कर्मचारियों पर एक कर्मचारी ने कातिलाना हमला किया था ?

(2) क्या उक्त हमला करने में एक कर्मचारी की मृत्यु हो गई ? यदि हां, तो मृत कर्मचारी का क्या नाम है ?

(3) क्या सरकार ने मृत कर्मचारी के परिवार को नियमानुसार कोई मुआवजा दिया है ? यदि हां, तो कितना रुपया दिया गया ?

(4) क्या यह सही है कि बारां उप जिलाधीश के न्यायालय में चले इस कत्ल के मुकदमे के सम्बन्ध में निर्णय में यह लिखा गया है कि पुलिस ने हत्या की जांच रिपोर्ट में मुलजिम को बचाने के लिये गड़बड़ की है ? यदि हां, तो विभाग ने उस निर्णय के आधार पर संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की है ? न्यायालय के निर्णय की प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

उत्तर

1. जी हां।

2. जी हां, भूतपूर्व कर्मचारी का नाम श्री कन्हैया लाल था।

3. निगम के संचालक मंडल ने मृतक कर्मचारी की पत्नी और आश्रितों को सहायतार्थ 2,000) रुपया देना स्वीकृत किया है।

4. उप जिलाधीश बारां ने इस मुकदमे में अपने निर्णय में पुलिस की लापरवाही की चर्चा की है और निर्णय की कापी एस. पी. कोटा के पास आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित कर दी है। न्यायालय के निर्णय की एक प्रति सदन की मेज पर रखने हेतु संलग्न है।

(सूची अधिक विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

कैथून में चरागाह की भूमि पर काश्त

429. श्री बृजवल्लभ बोहरा (दीगोद) : क्या उपनिवेशन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि कैथून में अनुसूचित जाति के लोगों ने तथा स्वर्णों ने चरागाह की भूमि को फाड़कर काबिल काश्त जमीन बना रखी है ?

(2) क्या यह भी सही है कि इसी चरागाह की भूमि को अन्य लोगों के लिए सरकार ने सन् 67-68 में नीलाम की है ?

(श्री बृजबल्लभ बोहरा)

(3) यदि हां, तो अब शेष भूमि को किसानों को क्यों नहीं नीलाम द्वारा दी जाती है ?

उत्तर

(1) जी हां, यह सही है। चरागाह की भूमि पर अतिक्रमण किया गया था और अतिक्रमियों को नियमानुसार बेदखल कर दिया गया था।

(2) जी हां, यह सही है। 67-68 में चरागाह की कुछ भूमि नीलाम की गई थी।

(3) चरागाह भूमि के विक्रय के बारे में शिकायतें प्राप्त होने पर राज्य सरकार की आज्ञा संख्या एफ 3(25) राज। उप। 67 दिनांक 8 सितम्बर, 68 द्वारा चरागाह व तालाब की भूमि का विक्रय फिलहाल बन्द किये जाने के आदेश पारित किये गये हैं।

तहसील नोहर के काश्तकारों को असुविधा

430. श्री रामचन्द्र आर्य (नोहर) : क्या उपनिवेशन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) तहसील नोहर के कुल कितने गांव चक राजस्थान नहर क्षेत्र में हैं ? तालिका सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) क्या यह सही है कि राजस्थान नहर योजना क्षेत्र के कस्बा रावतसर में उपनिवेशन तहसील हैडक्वार्टर है ? यदि हां, तो फिर तहसील नोहर के काश्तकारों को हनुमानगढ़ व सूरतगढ़ तहसीलों में लगाने का क्या कारण है ?

(3) क्या यह सही है कि प्रशासनिक दृष्टि से तहसील नोहर के काश्तकारों को हनुमानगढ़ व सूरतगढ़ जाने में बड़ा ही खर्चा करना पड़ता है ?

(4) क्या सरकार काश्तकारों के संकट निवारण हेतु तहसील नोहर के समस्त ग्राम व चकों को तहसील रावतसर में एडजस्ट करने पर पुनः विचार करेगी।

(5) क्या यह सही है कि इस सम्बन्ध में काफी मरतबा पंचायत समिति से प्रस्ताव पारित कर इस तकलीफ को दूर करने की मांग की गई थी ? यदि हां, तो कितनी मरतबा व कब और उस फाइल पर क्या निर्णय हुआ ?

उत्तर

(1) तहसील नोहर के गांव जो राजस्थान नहर क्षेत्र में हैं, और जो चक इस तहसील के नहर क्षेत्र में हैं उनकी तालिका क्रमश: परिशिष्ट 'ब' और 'द' पर संलग्न है।

(2) जी हां, चूंकि उपनिवेशन तहसीलों का गठन नहरों के आधार पर होता है न कि राजस्व तहसीलों के आधार पर। इसलिए राजस्व तहसील नोहर के कुछ गांव हनुमानगढ़ उपनिवेशन तहसील में एवं कुछ उपनिवेशन तहसील, सूरतगढ़ नम्बर (1) एवं (2) में हैं। ये गांव उन नहर सिस्टम के बाहर हैं जो सिस्टम रावतसर उपनिवेशन तहसील में रखे गए हैं।

(उपनिवेशन मंत्री)

(3) प्रशासनिक दृष्टि से सिस्टम वाइज उपनिवेशन तहसीलों का गठन उचित समझा गया है।

(4) मामला सरकार के विचाराधीन है।

(5) जी हां, मामला सरकार के विचाराधीन है।

(कृपया परिशिष्ट 11 देखिए)

भाखरा नहर क्षेत्र श्री गंगानगर में भूमि का बेचान

431. **श्री रामचन्द्र आर्य** (नोहर) : क्या उपनिवेशन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) जिला श्री गंगानगर में भाखरा नहर क्षेत्र में कुल कितनी भूमि बेची गई है ?

(2) क्या यह सही है कि लाखों बीघा भूमि सरकारी अधिकारियों व कर्मचारियों ने सस्ते दामों पर खरीदी है ? यदि हां, तो किस तहसील में कितने कर्मचारियों ने ? तालिका सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(3) क्या यह सही है कि इस सम्बन्ध में समय समय पर शिकायत होती रही है। यदि हां, तो कुल कितनी शिकायतें हुई व उन शिकायतों पर क्या फैसला हुआ ?

(4) क्या यह सही है कि भूमि नीलामी के समय किसी जन प्रतिनिधि को सरकार द्वारा प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया ? यदि हां तो क्यों ?

(5) क्या यह सही है कि अभी भी भूमि ग्रामों में सरकारी पड़ी हुई है ? यदि हां, तो कितनी भूमि किस तहसील में पड़ी है ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(6) क्या यह सही है कि मौके पर भूमि की बोली देने वाले व्यक्ति के हस्ताक्षर फर्द नीलाम पर नहीं करवाए जाते थे ? यदि हां, तो क्यों ?

(7) क्या यह सही है कि भूमि मौके ऊपर नीलाम नहीं की जाकर एक जगह पर बैठकर नीलाम की जाती है ? यदि यह सही है तो सरकार भूमि बेचने के लिए उस भूमि को मौके पर जाकर बोली क्यों नहीं करवाती ?

(8) आज तक भूमि नीलाम करने से कुल कितनी रकम वसूल हुई है ? तालिका सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

(1) कुल 676199 बीघा भूमि में से 116176 बीघा भूमि राज्य सरकार के विभिन्न प्रयोजनार्थ प्रयोग में ली गई। 1,46,770 बीघा भूमि नीलामी द्वारा बेची गई और 3,99,470 बीघा भूमि आवंटन की गई। अब 1,31,783 बीघा भूमि शेष है।

(2) फर्द नीलामी से यह नहीं पाया जाता है कि भूमि खरीदने वाला राजकीय अधिकारी है। या कोई अन्य है। भाखरा क्षेत्र में जिन अधिकारियों को भूमि आवंटन हुई है और किस आधार पर हुई है इसकी सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

Page No 57

(उपनिवेशन मंत्री)

(3) जी नहीं। शिकायतें तो कई विषयों पर आती रहती हैं पर इस ही विषय पर कितनी आई यह जानकारी नहीं है। शिकायत होने पर नियमानुसार कार्यवाही की जाती है।

(4) जी हां। राजस्थान कोलोनाइजेशन (भाखरा प्रोजेक्ट लैण्ड अलोटमेन्ट एन्ड सेल्स) रूल्स, 1955 की धारा 21 के अन्तर्गत भाखरा क्षेत्र में भूमि नीलाम करने के नियम हैं। इनमें किसी जन प्रतिनिधि को नीलामी में प्रतिनिधित्व देने का प्रावधान नहीं है।

(5) जी हां। सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(6) जी नहीं। नीलामी के समय फर्द नीलामी पर बोली देहुन्दा के हस्ताक्षर करवाये जाते हैं।

(7) भूमि नीलामी से पूर्व भूमि नीलामी केन्द्र इश्तिहार नीलामी में निश्चित किये जाते हैं और यह केन्द्र उसी स्थान पर होते हैं जहां पर अधिक भूमि नीलाम होनी होती है। भूमि को हर खेत व मुरब्बों में जाकर मौके पर नीलाम करना संभव नहीं है।

(8) भाखरा क्षेत्र में भूमि जो नीलामी द्वारा बेची गई है उसकी कीमत 3,95,39, 409) रुपया है। इसमें वसूली कितनी हुई यह बतानी कठिन है। क्योंकि नीलामी की गई व आवंटन की गई भूमि की डिमान्ड इकट्ठी कायम होती हैं और वसूली भी इकट्ठी ही दर्शाई जाती हैं।

(सूची अधिक विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई।)

इन्सपैक्टरों का नायब तहसीलदार के पद पर प्रमोशन

432. श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं): क्या उपनिवेशन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि कोलोनाईजेशन कमिश्नर, बीकानेर ने जनवरी, 1967 में कुछ इन्सपेक्टरों का प्रमोशन नायब तहसीलदार के पद पर किया ?

(2) क्या यह प्रमोशन सीनियोरिटी के अनुसार दिये गये थे ?

(3) क्या यह भी सही है कि बहुत से इन्सपैक्टरों ने इन प्रमोशनों के खिलाफ पुनः विचार करने के लिए आवेदन-पत्र कमिश्नर को दिया ? जिसका निर्णय कमिश्नर द्वारा छः माह तक नहीं किया गया ? यदि हां, तो इसका कारण क्या था ? और क्या इसी बीच के समय में कई और प्रमोशन कर दिए गए थे ? यदि हां, तो क्यों ?

(4) इस विभाग में 1 जनवरी 67 के बाद जो प्रमोशन से नायब तहसीलदार लगाए गए हैं उनकी योग्यता क्या है तथा इन्सपेक्टर पद पर कब से हैं ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(5) क्या इस प्रकार के प्रमोशन देने बाबत राजस्थान सरकार के आदेश हैं ? यदि कोई है या कोई नियम बने हुए हों तो उनकी प्रति सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(6) क्या यह भी सही है कि किसी एक इन्सपेक्टर ने इन प्रमोशनों के खिलाफ आपत्ति रेवेन्यू मंडल अजमेर को की और

(श्री हरजीराम बुरडक)

उस पर राजस्व मंडल ने कमिश्नर, बीकानेर को कोई आदेश इस प्रमोशन सम्बन्धी दिया ? यदि हां, तो वह आदेश क्या था और उस पर क्या कार्यवाही की गई ?

(7) इस विभाग में नियुक्ति के लिए तथा प्रमोशनों के लिए पटवारी, इन्सपेक्टर तथा नायब तहसीलदारों की न्यूनतम योग्यता क्या रखी गई है ? पदवाइज सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

(1) जी हां, यह सही है।

(2) जी हां सिनियोरिटी तथा मेरिट कम सिनियोरिटी के आधार पर 1:2 के अनुपात से किए गए थे।

(3) जी नहीं यह सही नहीं है। पुनः विचार आवेदन-पत्रों पर 6 माह के पूर्व ही निर्णय लिया जाकर कर्मचारियों को निर्णय से सूचित कर दिया गया था। नायब तहसीलदार के कुछ पद रिक्त होने से इस बीच कुछ प्रमोशन किए गए थे।

(4) सूची संलग्न है।

(5) इस सम्बन्ध में राज्य सरकार के नियुक्ति (क-2) विभाग द्वारा प्रसारित राजस्थान वैरियस सर्विस रूल्स 1966 तथा संशोधन संलग्न है।

(6) एक आज्ञा राजस्व मण्डल से गोरधनराम को पदोन्नत करने के लिए प्राप्त हुई थी किन्तु यह विदित नहीं है कि किस प्रकार का आवेदन अथवा निवेदन करके उन्होंने यह आज्ञा प्राप्त की। श्री गोरधन राम पदोन्नति के इस विभाग में अधिकारी नहीं होने से कोई कार्यवाही नहीं की गई।

(7) इस विभाग में नियुक्ति तथा पदोन्नति के लिए वे ही योग्यताएं रखी गई हैं जो राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू (लैण्ड रेकार्ड्स) रूल्स, 1957 में तथा राजस्थान तहसीलदार सर्विस रूल्स, 1956 में निर्धारित हैं। सीधी नियुक्ति केवल पटवारी पद पर की जाती है। इन्सपेक्टर तथा नायब तहसीलदार पदों की पूर्ति क्रमशः पटवारी तथा निरीक्षकों की वरिष्ठता एवं सुयोग्यता के आधार पर पदोन्नति द्वारा की जाती है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई।)

सब डिवीजन प्रतापगढ़ के औषधालय

433. श्री हरलाल मीणा (प्रतापगढ़ सु.): क्या आयुर्वेद मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जिला चित्तौड़गढ़ सब-डिवीजन प्रतापगढ़ में कुल कितने आयुर्वेद औषधालय कहां कहां पर चल रहे हैं ?

(2) क्या यह सच है कि इस सब डिवीजन के औषधालयों में जो वैद्य काम कर रहे हैं उनको एक ही जगह काम करते हुए काफी अर्सा हो गया है ? यदि हां, तो ये वैद्य कितने वर्षों से काम कर रहे हैं ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(3) क्या यह भी सही है कि इनमें से अधिकतर वैद्य प्रतापगढ़ क्षेत्र के ही रहने वाले हैं जो कि अधिकतर अपना घर का काम सम्भालते हैं और समय पर औषधालय

(श्री हूरलाल मीणा)

का काम सम्भालने में असमर्थ रहते हैं ? यदि हां, तो भविष्य में सरकार इस सम्बन्ध में क्या कदम उठा रही है ?

उत्तर

(1) सूची परिशिष्ट 'क' पर संलग्न है।

(2) जी नहीं।

(3) जी नहीं।

(कृपया परिशिष्ट 12 देखिये)

ग्रामीण क्षेत्रों में आयुर्वेद का प्रसार

434. श्री महेन्द्र कुमार (पाड़वा सु.) श्री नाथूराम (बागीडोरा): क्या आयुर्वेद मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सत्य है कि राज्य सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में आयुर्वेद के प्रसार की ओर विशेष ध्यान दे रही है ? यदि हां, तो राज्य में विगत 3 वर्षों में कहां कहां आयुर्वेद औषधालय कब कब खोले गए ? सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(2) क्या यह भी सत्य है कि आयुर्वेद औषधालय खोलते समय आदिवासी क्षेत्र को प्राथमिकता दी जाती है ? यदि हां, तो डूंगरपुर-बांसवाड़ा क्षेत्र में गत दो वर्षों में औषधालय नहीं खोलने के क्या कारण हैं ? यदि नहीं, तो आदिवासियों की स्वास्थ्य रक्षा के संबंध में सरकार की क्या योजना है ?

उत्तर

(1) जी हां। विगत तीन वर्ष 1966-67, 1967-68 एवं 1968-69 में जहां जहां औषधालय खोले गये उनकी सूची संलग्न है।

(2) जी हां। वर्ष 1968-69 में ग्राम लसोडा जिला बांसवाड़ा में औषधालय खोला गया। डूंगरपुर एवं बांसवाड़ा में क्रमशः 59 व 54 औषधालय आदिवासियों की स्वास्थ्य रक्षा के लिये कार्यरत हैं।

(कृपया परिशिष्ट 13 देखिये)

श्री ऋद्धकरण जैन राजकीय आयुर्वेद औषधालय लाडनूं

435. श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं): क्या आयुर्वेद मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) कस्बा लाडनूं, जिला नागौर में श्री ऋद्धकरण जैन राजकीय आयुर्वेद औषधालय कब खोला गया था तथा दानदाता और सरकार के बीच क्या एग्रीमेन्ट हुआ था और यह औषधालय किस श्रेणी में है ?

(2) दानदाता द्वारा दिया गया औषधालय भवन सरकार ने कब ग्रहण किया ?

(3) क्या इस औषधालय का निरीक्षण श्री भीखाभाई, तत्कालीन सबंधित मंत्री द्वारा दिनांक 28-8-66 को किया गया था ?

(4) क्या यह भी सही है इस औषधालय का निरीक्षण संचालक महोदय आयु -

(श्री हरजीराम बुरड़क)

वेंद ने भी किया था और अपनी रिपोर्ट में इस औषधालय को 'अ' श्रेणी में परिवर्तित करने की सिफारिश की थी ? यदि हां, तो अब तक क्या कार्यवाही हुई ?

(5) क्या सरकार के ध्यान में यह बात है कि इतने बड़े कस्बे के इस औषधालय में दवाइयों की कमी है और समय पर निरीक्षणकर्त्ताओं ने भी अपनी रिपोर्ट में यह लिखा है फिर भी दवाइयों की उचित व्यवस्था अब तक नहीं की गई है ?

(6) अब इस औषधालय को कब तक 'अ' श्रेणी में बदला जायगा और दवाइयों की उचित व्यवस्था कब तक कर दी जायेगी ?

उत्तर

(1) यह औषधालय दिनांक 16/11/64 को खोला गया था दानदाता और सरकार के बीच कोई ऐग्रीमेन्ट नहीं हुआ था यह औषधालय 'सी' श्रेणी का है।

(2) दिनांक 16।11।64 को यह भवन ग्रहण किया गया।

(3) इसकी विभाग को जानकारी नहीं है।

(4) विभाग में ऐसी कोई निरीक्षण रिपोर्ट नहीं है। प्रश्न ही नहीं उठता।

(5) ऐसी कोई शिकायत विभाग को प्राप्त नहीं हुई है और बजट से अधिक औषध वितरण की गई है।

(6) उच्चस्तरीयकरण के लिए बजट में प्रावधान स्वीकृत होने पर विचार किया जा सकता है। औषधियों की मांग प्राप्त होने पर शीघ्र ही उचित व्यवस्था की जायेगी।

तोलने की मशीन की खरीद

436. श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं): क्या पशु पालन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) भेड़ व ऊन विभाग राजस्थान द्वारा इसके अधीनस्थ कार्यालयों के उपयोग हेतु सन् 1963-से 1967 तक मैसर्स एवरी कम्पनी ऑफ इंडिया प्रा. लि. जयपुर से ऊन तोलने के लिये कितनी कितनी मशीनें किस किस दर से कब कब खरीदी गई तथा कुल कितनी कितनी राशि की ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) उपरोक्त मशीनों को खरीदने के लिये क्या विभाग द्वारा अन्य विक्रेताओं से भी टेन्डर मांगे गये थे ? अगर हां, तो कब कब कितनी कितनी मशीनों के लिये ? विभाग द्वारा जारी किये गये टेन्डर नोटिसों की प्रतियां सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(3) उक्त मशीनों की रेट को क्या कभी सी. एस. पी. ओ. राजस्थान या डी. जी. एस. डी. दिल्ली ने अपनी एप्रूव्ड लिस्ट में सम्मिलित किया है ?

(4) उक्त मशीनों को खरीद के लिये जारी किये गये टेन्डर नोटिसों के आधार पर जो टेन्डर आये उनका विवरण मय स्वीकृति किये गये टेन्डरों के कारणों के सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(श्री हरजीराम बुरड़क)

(5) क्या प्राप्त टेन्डरों में से सबसे नीची दर पर दिये गये टेन्डरों को स्वीकार नहीं करके ऊंची दरों के टेन्डर को स्वीकार किया गया था ? यदि हां, तो क्यों ? और इस कारण सरकार को कितनी राशि का अधिक भुगतान करना पड़ा ?

(6) क्या यह सत्य है कि विभाग के संचालक को इस प्रकार से बिना टेन्डर मांगे या ऊंची दरों के टेन्डर स्वीकार करने का और इतनी बड़ी राशि की खरीद का अधिकार नहीं था ? यदि हां, तो क्या संचालक ने इस खरीद के लिये सरकार से कोई स्वीकृति ली ?

(7) क्या यह सही है कि उक्त मशीनों की खरीद अनियमित तौर पर की गई है ? यदि हां, तो सरकार क्या जिम्मेदार लोगों के विरुद्ध कोई कार्यवाही करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो क्या और इस प्रकार सरकार को हुई हानि की पूर्ति किस प्रकार की जायगी ?

उत्तर

जी हां, उक्त वर्षों में ऊन तोलने के लिए एवरी कम्पनी आफ इण्डिया प्रा० लि० जयपुर से मशीनें खरीदी गई थी। पूर्व ब्यौरा सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(2) जी हां, कुछ मशीनों को खरीदने के लिए टेन्डर नोटिस जारी किये गये थे टेन्डर नोटिस की प्रति सदन की मेज पर रख दी गई है। अन्य मशीनों के लिए टेन्डर नहीं मांगे गये थे।

(3) उक्त मशीनों की रेट सी० एस० पी० ओ० राजस्थान या डी० जी० एस० डी० दिल्ली के द्वारा एप्रूव्ड लिस्ट पर लिया नहीं गया यद्यपि फर्म डी० जी० एस० एण्ड डी० की अप्रूव्ड लिस्ट पर है और फर्म ने अपने पत्रों के द्वारा यह विश्वास दिलाया था कि यह जिन दरों पर दूसरे राजकीय विभागों को मशीनें सप्लाई की हैं उन्हीं दरों पर इस विभाग को भी सप्लाई करेगी।

(4) चाही गई सूचना सदन की मेज पर रख दी गई है। चूंकि सबसे नीचे टेण्डर के साथ लिटरेचर नहीं था एवं अन्य नीचे टेण्डर 250 किलोग्राम की मशीन का था, एवरी कम्पनी एक मानी हुई फर्म है और पहिले भी अच्छी फर्म से मशीनें क्रय की गई। अतः एवरी कम्पनी को आदेश दिए।

(5) प्रश्न चार के उत्तर से यह स्पष्ट है कि मेसर्स एयरी इण्डिया प्रा० लि० की दरों पर माल खरीदा गया है जो कि ऊंची अवश्य है परन्तु विश्व विख्यात मशीनों के निर्माता हैं और इनकी क्वालिटी उत्तम है। अतः उसे देखते हुए कुछ भी धनराशि का अपव्यय नहीं हुआ है।

(6) जी नहीं। राजकीय सामान्य एवं वित्तीय लेखा नियमानुसार विभागाध्यक्ष को सामान क्रय करने का अधिकार प्राप्त है क्योंकि एपेन्डिक्स-3 के अनेक्सर बी. के अनुसार उन्हीं रेटों पर मशीनों का क्रय किया गया जिन दरों पर अन्य विभागों ने खरीदी जिसकी लिस्ट फर्म ने दी है।

(7) उपरोक्त उत्तरों से स्पष्ट होगा कि इसमें कोई अनियमितता का प्रश्न नहीं उठता।

(सूची अधिक विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई।)

Page No 62

भूतपूर्व कोटा रियासत के अधिकारियों की नियुक्ति

437. श्री हरजीराम बुरडक (लाडनूं) : क्या पशु पालन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगेः—

(1) क्या यह सही है कि भूतपूर्व कोटा रियासत के कुछ अधिकारी राजस्थान बनते समय पशु पालन विभाग में नियुक्त किये गये थे ? यदि हां, तो किस किस को किस किस पद पर तथा क्या क्या वेतन दिया जाना तय किया गया सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) उपरोक्त अधिकारियों में से किन किन को ग्राम सेवक प्रशिक्षण केन्द्र सवाई माधोपुर में किस किस पद पर लगाया गया तथा क्या क्या तनख्वाह दी गई ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(3) उक्त प्रशिक्षण केन्द्र अब तक कब से कब तक किस किस विभाग के अधीन रहा ?

(4) जब प्रशिक्षण केन्द्र एक विभाग से हटकर दूसरे विभाग को स्थानान्तरित किया गया तो उस समय के स्टाफ को कहां कहां पर किस किस पद पर लगाया गया ?

(5) उपरोक्त अधिकारियों में से श्री एम. आर. शर्मा मौजूदा खाद्य एवं चारा विकास अधिकारी पशु पालन विभाग किस किस पद पर कब कब रहे और उनको क्या क्या तनख्वाह दी गई ?

(6) क्या श्री एम. आर. शर्मा की विभागीय आदेश संख्या एफ. 1552 ए. एच. एफ. 31 (2)(26) अवि. 58 दिनांक 3-9-58 के द्वारा सुपरिन्टेन्डेन्ट प्रजनन केन्द्र के पद पर नियुक्त किया गया ? यदि हां, तो किस आधार पर ?

(7) उपरोक्त कोटा रियासत से राजस्थान सरकार की सेवा में लिए गये कर्मचारियों का सेवा काल कब से माना गया ?

उत्तर

(स्थगित किया गया)

झालरापाटन में मेलों से आय

438. श्री रामप्रसाद बोहरा (झालरापाटन): क्या पशुपालन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगेः—

(1) सन् 66–67 व 67–68 व 68-69 में हुए झालरापाटन कार्तिक एवं वैशाख मेलों से कुल कितनी आमदनी हुई और कितना खर्चा प्रति मेला हर साल व हर मदवार की सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(2) क्या यह सही है कि मेला जब नगरपालिका द्वारा भरवाया जाता था तब इस प्रकार ज्यादा खर्च नहीं होता था ?

(3) यह भी बताने का कष्ट करें कि इन सालों में नगरपालिका झालरापाटन को कितना कितना रुपया दिया गया ? और यह कब तक दिया जाता रहेगा ?

उत्तर

(स्थगित किया गया)

पशु चिकित्सालय

439. **श्री हंसराज आर्य** (भादरा): क्या पशु पालन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) इस साल पंचायत समितियों को कुल कितने नये सांड दिये गये हैं ? पंचायत समिति वाइज बताया जावे।

(2) राजस्थान में पशुओं के इलाज के कुल कितने अस्पताल हैं और उनके खुद के कितनों के भवन हैं और किराये के मकानों में कितने अस्पताल चल रहे हैं।

(3) इस वर्ष में कहां कहां पर नये अस्पताल भवन सरकार बनवा रही है और उनकी लागत क्या आयेगी ?

(4) इस साल अकाल के कारण कुल कितने सरकारी सांड मर गये ?

उत्तर

1. पंचायत समिति में दिये हुए सांडों की सूचना संलग्न करदी गई है।

2. राजस्थान में पशुओं के इलाज के लिये चिकित्सालय एवं औषधालय 332 हैं। इनमें से 121 पशु औषधालय एवं चिकित्सालय किराये के भवनों में चल रहे हैं शेष 211 औषधालय एवं चिकित्सालय राजकीय भवनों में स्थित हैं।

(3) पशु चिकित्सालय भवन 1969-70 में निम्नलिखित स्थानों पर बनाये जा रहे है: — 1-जैसलमेर 2-जालौर 3-बांसवाड़ा। उपरोक्त स्थानों पर पशु चिकित्सालय के प्रति भवन के पूर्ण निर्माण पर लगभग 1 लाख रुपया खर्चा आवेगा।

4. विभाग में स्थित किसी सरकारी सांड की अकाल के कारण मृत्यु नहीं हुई है। पंचायत समितियों को जो सरकार द्वारा सांड दिये जाते हैं, उनकी देखरेख की पूर्ण जिम्मेदारी पंचायत समितियों की होती है और उनके यहां से अकाल के कारण सांडों की मृत्यु होने की कोई सूचना विभाग को नहीं दी है।

(कृपया परिशिष्ट 14 देखिये)

गोपालकों को लोन व सब्सिडी

440. **श्री चुन्नीलाल इन्दलिया** (नोखा): क्या पशु पालन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) बीकानेर जिले में आई. सी. डी. के द्वारा कितने गोपालकों को कितने कितने रुपये लोन व सब्सिडी दी गई, उन व्यक्तियों के नाम मय गांव के लोन व सब्सिडी सहित सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) क्या यह सही है कि गोपालकों को कुंड बनाने के लिए व छप्पर बनाने के लिए सब्सिडी दी गई है ? यदि हां, तो किस किस व्यक्ति को दी गई इनके नाम मय गांव के व धनराशि सहित सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

(स्थगित किया गया)

फर्जी टी. ए. बिल के मामले

441. **श्री हरजीराम बुरड़क** (लाडनू): क्या पशु पालन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) भेड़ व ऊन विभाग के किस किस अधिकारी ने कब कब, कहां कहां से कहां कहां तक के कितने कितने रुपये फर्जी टी. ए.

(श्री हरजीराम बुरड़क)

बिल से उठाये और यह मामले राज्य सरकार के ध्यान में कब आये और उनमें अब तक क्या कार्यवाही की गई-?

(2) अब इस मामले में सरकार क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) भेड़ व ऊन विभाग के किसी भी कर्मचारी द्वारा फर्जी टी० ए० बिल का रुपया उठाने का कोई भी मामला अभी तक इस विभाग के ध्यान में नहीं आया है। यद्यपि एक मामला श्री ए० सी० दुबे जो कि ऊन वर्गीकरण अधिकारी के पद पर कार्य कर रहे थे उनका विभाग के ध्यान में आया है परन्तु वह भी फर्जी टी० ए० बिल का नहीं है, उनके द्वारा यात्रा वास्तव में की गई है, किन्तु उन्होंने निम्न श्रेणी में यात्रा करके उच्च श्रेणी का किराया रेल द्वारा उठाया है। जिसकी जांच जारी है। दूसरा मामला श्री सोहन पाल शर्मा स्कन्ध सहायक, भेड़ व ऊन प्रसार एवं कतरण केन्द्र, विजयनगर (अजमेर) का अधिक यात्रा भत्ता उठाने का विचाराधीन हैं। जब तक जांच पूर्ण न हो जाय तब तक उनके द्वारा उठाये गये टी० ए० बिल्स को फर्जी नहीं कहा जा सकता है।

(2) इस मामले में राज्य सरकार द्वारा इस समय कोई कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता है कि उक्त मामलों में जांच जारी हैं।

गौवंश की निकासी पर प्रतिबन्ध

442. श्री केशरीसिंह हाडा (हिन्डोली): क्या पशुपालन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या सरकार ने सम्पूर्ण गौवंश की राजस्थान से बाहर की निकासी पर प्रतिबंध लगा रखा है ?

(2) अगर हां, तो किस धारा के अन्तर्गत और उसे किस तारीख को राज-पत्र में प्रकाशित किया गया था ?

(3) क्या यह सत्य है कि इसी वर्ष कोटा जंकशन से गौवंश का विकास हुआ है और कुछ जवान बैल बुक होते हुए कोटा सिटी मजिस्ट्रेट ने जंकशन के एस. एच. ओ. के साथ जाकर मौके पर पकड़े तथा शान्ति भंग होने की आशंका से उनकी निकासी को रोका ?

(4) क्या यह सत्य है कि शान्ति भंग होने का सहारा इसलिए लिया गया था कि रेलवे के अधिकारियों ने निकासी के निषेध सम्बन्धी आदेश प्राप्त न होने की बात कही थी ?

उत्तर

(1) जी नहीं, केवल गायें (किसी भी अवस्था की) की निकासी पर प्रतिबन्ध है।

(2) राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 3-9-55 के अन्तर्गत एवं अध्या देश 8 सन् 1966 जो कि राज-पत्र में दिनांक 3-12-66 को प्रकाशित किया गया है।

(3) जी नहीं, करीब 9-10 माह पूर्व कुछ बैलों को कोटा जंकशन पर बुक होने की सूचना सीटी मजिस्ट्रेट को मिली थी

(पशुपालन मंत्री)

जिस पर उन्होंने पुलिस अधिकारी को मौके पर जांच हेतु भेजा। पुलिस अधिकारी के जंक्शन पर पहुंचने पर उक्त बैल बुक नहीं हो सके एवं प्राप्त सूचना के अनुसार वापिस लौटा दिये गये।

(4) जी नहीं, प्रश्न ही नहीं उठता।

मत्स्य अधिकारियों के ग्रेड

443. श्री देवीदत्त गाड़िया (बारां): क्या पशुपालन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि सरकार ने पशुपालन अधिकारियों के लिए उच्चतर ग्रेड जो घोषित किया था वह पशुपालन विभाग के सब अधिकारियों को दे दिया गया है, जबकि उसी विभाग के मत्स्य अधिकारियों को उक्त ग्रेड नहीं दिया गया है ? यदि हां, तो क्यों ?

(2) क्या मत्स्य शाखा के अधिकारियों के लिए सेवा नियम अभी तक नहीं बने हैं ? यदि हां, तो क्यों ?

(3) राज्य में कितने मत्स्य प्रोजेक्ट चुने गये हैं।

(4) क्या यह सही है कि उन मत्स्य प्रोजेक्ट पर भारी खर्चा होने के बाद भी स्टाफ की नियुक्ति नहीं हुई है व तकनीकी काम नहीं हो रहे हैं ?

(5) क्या यह सही है कि अप्रेल, 1967 से अब तक सवाई माधोपुर के सहायक मत्स्य विकास अधिकारी का पद रिक्त है जबकि उक्त जिला मत्स्य पालन की दृष्टि से अत्यन्त महत्वपूर्ण है ? यदि हां, तो क्यों?

(6) सेन्ट्रल फिशरीज ट्रेनिंग सेन्टर, आगरा से प्रशिक्षण प्राप्त मत्स्य निरीक्षकों को कहां लगाया गया है ? प्रत्येक की नियुक्ति स्थान बताया जावे। क्या फिशरीज प्रोजेक्ट कार्य के लिए उनका उपयोग हो रहा है ?

(7) अजमेर जैसे स्थान में जहां कि कोई प्रोजेक्ट कार्य नहीं है आगरा से प्रशिक्षित मत्स्य निरीक्षक नियुक्त करने का क्या प्रयोजन है ?

(8) क्या यह सही है कि देश के समस्त प्रान्तों में सिवाय एक राजस्थान के मत्स्य विभाग अलग से है ? यदि हां, तो राजस्थान में ही वह पशुपालन विभाग के अन्तर्गत क्यों रखा हुआ है ? उसको पूर्ण संचालकालय घोषित करने में क्या कठिनाइयां हैं ?

(9) इस वर्ष इन्ड्यूस्ड ब्रीडिंग कहां पर सफल हुआ है और उससे कितना मत्स्य बीज का उत्पादन हुआ ? आंकड़े सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

(स्थगित किया गया)

समाचार पत्रों को विज्ञापन

444. श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर): क्या सार्वजनिक सम्पर्क मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) 1967-68 के वित्तीय वर्ष में सार्वजनिक सम्पर्क कार्यालय द्वारा कुल कितने रुपयों का विज्ञापन समाचार पत्रों को दिया गया, जिला अनुसार सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) ऐसे कौन कौन से पत्र हैं जो सरकार द्वारा सरकारी विज्ञापनों के लिये

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

स्वीकृत हैं परन्तु उनको कोई भी विज्ञापन नहीं दिया ? इनकी भी सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

(3) भाग 1 और 2 में चाही गई जानकारी चालू वित्तीय वर्ष में 31 जनवरी तक की भी देने की कृपा करें ।

उत्तर

(1) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है (परिशिष्ट 'अ') ।

(2) मारवाड़ टाइम्स, जोधपुर । क्योंकि यह पत्र इस वर्ष में अनियमित रहा है ।

(3) चालू वित्तीय वर्ष की 3 जनवरी अभी दूर है इसलिए यह सूचना देने में असमर्थता है ।

(कृपया परिशिष्ट 15 देखिये)

स्थगित प्रश्न

(12-8-69)

सादड़ी में कृषि कॉलेज खोलने की मांग

17. **श्री पृथ्वीसिंह देवड़ा** (बाली) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि सादड़ी (मारवाड़) तहसील देसूरी के नागरिक लम्बे अर्से से वहां पर कृषि कालेज खोलने की सरकार से मांग कर रहे हैं ?

(2) यदि हां, तो इस मांग पर सरकार ने आज तक क्या विचार किया है ?

उत्तर

(1) इस प्रकार का कोई प्रस्ताव कृषि विभाग के विचाराधीन नहीं है ।

(2) प्रश्न नहीं उठता ।

स्थगित प्रश्न

(14-8-69)

कवाई छबड़ा सड़क निर्माण कार्य

13. **श्री प्रेमसिंह सिंघवी** (छबड़ा): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या कोटा जिले के छबड़ा सब डिवीजन को बारां से छबड़ा वाया कवाई छबड़ा तक कोई सड़क जाती है ?

(2) क्या यह सही है कि इसी सड़क पर कवाई से छबड़ा तक की सड़क का काम जो नये सिरे से बन रही है, काफी अर्से से चल रहा है ? अगर हां तो कवाई से छबड़ा वाली सड़क का निर्माण कार्य कब से शुरू हुआ और कब पूरा हो जाना चाहिए था ?

उत्तर

(1) जी हां ।

(2) जी हां यह कार्य द्वितीय पंचवर्षीय योजना में स्वीकृत किया गया था तथा तृतीय योजना तक समाप्त होने को था।

स्थगित प्रश्न

(14-8-69)

छीपाबड़ोद-सारथल-इकलेरा सड़क की मरम्मत का कार्य

94. **श्री प्रेमसिंह सिंघवी** (छबड़ा): क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या यह सही है कि छीपाबड़ोद से सारथल होकर इकलेरा जाने वाली सड़क जिसकी लम्बाई 19 मील है, की हालत बहुत ही सोचनीय है ? अगर हां, तो इस सड़क की मरम्मत कब तक की जावेगी ?

उत्तर

19 मीलों में 7 मील डामर रोड है। 5 मील में अपग्रेडिंग हो चुका है शेष मीलों की दशा संतोषप्रद नहीं है ज्यों ज्यों धनराशि प्राप्त होगी शेष मीलों की मरम्मत कराई जा सकेगी ।

स्थगित प्रश्न

(14-8-69)

वन श्रमिक सहकारी समितियों पर बकाया ऋण

107. **श्री देवीदत्त गाडिया** (बारां): क्या सहकारी मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि कोटा जिला की शाहबाद पंचायत समिति क्षेत्र की कई वन श्रमिक सहकारी समितियों में उनकी अधिकतम ऋण सीमा से भी ज्यादा बकाया रकम है ? यदि हां, तो किस किस सोसाइटी में कितना कितना रुपया, किस किस प्रकार का, कितने कितने समय से बाकी है और उनकी अधिकतम ऋण सीमा कितनी है ? सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(2) इन समितियों में से ऐसी कौन कौन सी समितियां हैं जिन्होंने कत्था तैयार किया और उसकी बिक्री करने के बाद भी राजकीय बकाया जमा नहीं की ? बकाया जमा नहीं कराने का क्या कारण है ? वह रकम किस कार्य में खर्च की गई ?

उत्तर

(1) सूचना एकत्रित की जा रही है।

(2) सूचना एकत्रित की जा रही है।

स्थगित प्रश्न

(14-8-69)

कृषि फार्म सवाई माधोपुर

109. **श्री हरजीराम बुरडक** (लाडनूं): क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि सवाई माधोपुर कृषि फार्म के मौजूदा मैनेजर काफी समय से इसी जगह पर हैं ? यदि हां, तो कबसे और उनको इतने लम्बे समय तक एक ही जगह रखने का क्या कारण है ?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त मैनेजर के कारण यह फार्म घाटे में जा रहा है ? यदि हां, तो गत पांच वर्ष के घाटे नफे का चार्ट सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(श्री हरजीराम बुरडक)

(3) क्या यह भी सही है कि उक्त फार्म का उत्पादन आसपास के खेतों से कम है ? यदि हां, या ना, दोनों ही स्थितियों में गत पांच वर्ष का तुलनात्मक चित्र प्रस्तुत कराने की कृपा करें।

(4) क्या उक्त मैनेजर अपनी निजी भैंसें रखता है ? उन्हें फार्म के चारा आदि से पालता है और दूध बेचता है ? यदि हां, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी नहीं। प्रश्न ही नहीं उठता।

(2) फार्म के आय एवं खर्च की तालिका संलग्न है। यह फार्म ग्राम सेवकों को प्रशिक्षण देने हेतु प्रयोग में लाया जाता है और इस पर उत्पादन का कोई विशेष कार्यक्रम नहीं है।

(3) जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है कि यह फार्म प्रशिक्षण हेतु काम में आता रहा है अतः इसके उत्पादन के आंकड़े आस पास के खेतों के उत्पादन से तुलना नहीं की जा सकती।

(4) जी नहीं। प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता है।

(कृपया परिशिष्ट 16 देखिये)

स्थगित प्रश्न

(14-8-69)

रेगिस्तानी इलाकों में कुओं का निर्माण

112. **श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल** (जौहरी बाजार, जयपुर) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :- क्या यह सही है कि नवम्बर सन्, 1968 में रेगिस्तानी इलाकों में एक हजार नये कुए तथा शेष राज्यों में दो हजार नये कुए निर्माण करने का निर्णय राज्य सरकार ने लिया था ? यदि हां, तो तब से लेकर अब तक इन तीन हजार कुओं में से कितने कुए बनकर तैयार हो गये हैं और उन पर अब तक कितना खर्चा हो गया है ? शेष कुए कब तक बनकर तैयार हो जावेंगे ? जिलेवार बनाये जाने वाले कुओं की संख्या बताने की कृपा करें।

(स्थगित किया गया)

स्थगित प्रश्न

(14-8-69)

जयसमन्द झील में मछली पकड़ने का ठेका

119. **श्री देवीदत्त गाड़िया** (बारां) : क्या पशु-पालन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि जयसमन्द झील में मत्स्य पालन के संबंध में प्रगतिशील रिपोर्ट विभाग द्वारा बनाई गई है ? यदि हां, तो वह रिपोर्ट सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) क्या यह सही है कि राज्य सरकार ने जयसमन्द झील में मछली पकड़ने का ठेका श्री एच. सी. कपूर को नहीं दिया जाकर विभागीयस्तर पर कार्य कराने का या नीलामी के द्वारा नया ठेका देने का निर्णय कर लिया है ?

(स्थगित किया गया)

श्री अध्यक्ष : प्रतिवेदनों का उपस्थापन प्रहरियों द्वारा सदस्यों के साथ अभद्र व्यवहार सम्बन्धी प्रश्न।

श्री विजयसिंह (मकराना) : पौइन्ट आॅफ आर्डर सर, अध्यक्ष महोदय, इस विधान सभा में प्रहरियों को रखा गया है वह इसलिए कि यहां किसी प्रकार से तोड़फोड़ न हो और माननीय सदस्यों की रक्षा करें। यहां जो प्रहरी लगाये गये हैं वे किसी माननीय सदस्य का अपमान करने या उनके साथ अभद्र व्यवहार करने के लिए नहीं लगाये गये हैं।

अध्यक्ष महोदय, एक श्री गौरीशंकर गौतम नाम के थानेदार हैं यह जनाब माननीय सदस्य जिस रास्ते से आते हैं उसी रास्ते के सामने कुर्सी पर विराजमान रहते हैं मानो किसी थाने में आप विराजमान हों। इनका माननीय सदस्यों के साथ जो व्यवहार होता है वह अभद्र व्यवहार होता है। मेरे साथ भी इन्होंने अभद्र व्यवहार किया। मैं यह जानता हूं कि हमारे जो अध्यक्ष हैं उनके यह प्रेमीसेज में हैं इसलिए मैंने उस समय कोई एक्शन नहीं लिया। वैसे मैं एक्शन स्वयं भी ले लेता हूं ऐसे मौके पर। लेकिन विधान सभा का क्षेत्र है अध्यक्ष के अधिकार में है। मैं यह मानता हूं कि अध्यक्ष महोदय, बड़े सतर्क हैं इसलिये मैं चाहता हूं कि ऐसे व्यक्ति को निलम्बित करके माननीय सदस्यों से जो यह अभद्र व्यवहार करता है, अभद्रता से पेश आता है उसकी उसको सजा मिलनी चाहिये। अगर इस तरह से हम नहीं करेंगे तो यहां भी बंगाल वाला हाल होते देर नहीं लगेगी। फिर यह प्रहरी ठुक लगाना शुरू कर देंगे।

श्री अध्यक्ष : आॅर्डर, आॅर्डर।

यह प्रश्न जो उठाया गया है उससे माननीय सदस्य का सम्बन्ध है और उनके साथ ऐसी घटना हुई है तो मुझे खेद है। आज ही मैं इस प्रश्न की जांच करा लूंगा।

दूसरा प्रश्न है जो माननीय सदस्य ने उठाया है कि दूसरों के साथ भी ऐसा हुआ है तो उसकी जांच करा लूंगा। माननीय सदस्य के साथ अभद्र व्यवहार हुआ है उसके लिए जो एक्शन होना चाहिये, वह होगा।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : अध्यक्ष महोदय, कुछ सी० आई० डी० के आदमी पास लेकर, असेम्बली का पास लेकर अपने आपको सार्जेंट समझते हैं। सार्जेन्ट की नियुक्ति किस प्रकार से होती है उसकी एक अलग से प्रक्रिया है। कुछ सी. आई. डी. के आदमी असेम्बली का पास लेकर अपने आपको सार्जेन्ट समझ कर चलते हैं। क्या विधान सभा में सार्जेन्ट की किस प्रकार से व्यवस्था होती है इसकी अलग प्रक्रिया है। सी. आई. डी. के लोग जो पास लेकर गेलेरीज में बैठ जाते हैं वह आपत्तिजनक है। मेरा यह निवेदन है कि सी. आई. डी. के लोगों को विधान सभा में पास लेकर नहीं आने देना चाहिये वे जो घुसते हैं इस प्रकार से यह आपत्तिजनक हैं।

श्री अध्यक्ष : मैं इस प्रश्न को देख लूंगा। सी. आई. डी. अन्दर दाखिल होते हैं जैसा कि माननीय सदस्यों ने कहा है मैं विश्वास करके चलता हूं और मैं चाहता हूं इसका निराकरण करूं।

श्री दौलतराम सारण (डूंगरगढ़) : अध्यक्ष महोदय, एक साधारण सा प्रश्न है।

श्री प्रेमसिंह सिंघवी (छबड़ा) : हम रोज-रोज देखते हैं उनका अभद्र व्यवहार। या तो उनको ट्रेनिंग नहीं है।

श्री अध्यक्ष : यह प्रश्न यहां के प्रशासन से सम्बन्धित है। आप मुझ से बात कर लीजिये मैं आपको सन्तुष्ट करूंगा। सदन में सदन से सम्बन्धित प्रश्न ही उठाये जावें। कोई शिकायत हो तो मैं सदन के बाहर सुनूंगा। आप मेरे से बात कर लीजिये।

श्री प्रेमसिंह सिंघवी : अध्यक्ष महोदय··· ···

श्री अध्यक्ष : कृपया स्थान ग्रहण करें। मैं नहीं अलाऊ करूंगा प्रतिवेदन का उपस्थापन।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत।

श्री प्रेमसिंह सिंघवी : हम आते हैं, हमारे देखने में आता है कि इस तरह का व्यवहार करना शोभा नहीं देता है, इन प्रहरियों को। वे हाथ लगाते हैं।

श्री अध्यक्ष : मैं उसका निराकरण करूंगा कोई हाथ लगाता है तो।

श्री मनोहरसिंह मेहता (मांडलगढ़) : यह रोज अलग अलग पोशाक पहन कर आते हैं।

श्री प्रेमसिंह सिंघवी : जहां तक सी. आई. डी. का प्रश्न है तो वे अपने काम के लिये घूमते हैं। यह है कि वे प्राइवेट हम से पास लेकर न घूमें। उनके परमानेन्ट पास हो जाने चाहिएं यह मेरा प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष : श्रीमती लक्ष्मी कुमारी चूंडावत।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : मैंने एक प्रस्ताव की सूचना दी है।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, मेरे पास आपका प्रस्ताव आगया है जो बिजनैस रिकार्ड पर है उसको तो पूरा करने दीजिये। स्थगन प्रस्ताव आया है और इसके बाद दूसरा आया है तो मैं इन्हें देख लूंगा

प्रतिवेदन का उपस्थापन

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत (सभापति प्राक्कलन समिति) : अध्यक्ष महोदय, संगीत नाटक एकेडेमी, जोधपुर से सम्बन्धित प्राक्कलन समिति के 12 वें प्रतिवेदन का मैं उपस्थापन करती हूं।

श्री अध्यक्ष : स्थगन प्रस्तावों पर व्यवस्था।

स्थगन प्रस्तावों पर माननीय अध्यक्ष द्वारा व्यवस्था

श्री अध्यक्ष : मैं माननीय सदस्यों को सूचित करता हूं कि श्री हरलालसिंह खर्रा, सदस्य विधान सभा, ने शिक्षा विभाग में कई वर्षों से प्रशिक्षण प्राप्त बेकार बैठे अध्यापकों को नौकरी में न लेने आदि से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है। चूंकि इस विषय में अध्यापकों में असन्तोष है। अतः मैं माननीय सदस्यों की जानकारी के लिये यह चाहूंगा कि माननीय शिक्षा मंत्रीजी स्थिति को स्पष्ट करते हुए राज्य सरकार

(श्री अध्यक्ष)

की नीति को जतलाते हुए सुविधानुसार वक्तव्य देने की कृपा करें। मैं इस स्थगन प्रस्ताव को सदन में प्रस्तुत किए जाने की अनुमति नहीं देता हूं।

श्री महालक्ष्मी मिल्स, ब्यावर में अव्यवस्था के सम्बन्ध में श्री रामानन्द अग्रवाल, सदस्य, विधान सभा ने एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी थी। इस सम्बन्ध में राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त की गई है। चूंकि इस मिल में घाटा हो रहा है और इसकी खरीद तथा बिक्री में अनियमितताओं का होना बतलाया गया है, अतः मैं माननीय सदस्यों की जानकारी के लिये माननीय उद्योग मन्त्रीजी से निवेदन करता हूं कि वे इस सम्बन्ध में स्थिति को स्पष्ट करते हुए शीघ्र वक्तव्य देने की कृपा करें। मैं इस स्थगन प्रस्ताव को सदन में प्रस्तुत किये जाने की अनुमति नहीं देता हूं।

केन्द्रीय कारागार, जयपुर में एक कैदी की भूख हड़ताल से हुई मृत्यु के सम्बन्ध में श्री भैंरोंसिह व श्री श्रवणलाल, सदस्य विधान सभा ने एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी थी। राज्य सरकार से इस सम्बन्ध में जो जानकारी मिली है उससे यह प्रतीत होता है कि कैदी की मृत्यु 18 अगस्त, 1969 को हुई है। उससे पहले 20-7-69 से 25-7-69 तक उसे सवाई मानसिंह अस्पताल में रक्खा गया था और मृत्यु के समय भी वह जेल अस्पताल में चिकित्साधीन था और मेडिकल डाइट पा रहा था। इसकी लाश का पोस्ट-मार्टम भी करवाया गया है और जिलाधीश, जयपुर द्वारा ए. डी. एम. को उसकी मृत्यु के कारणों और परिस्थितियों की जांच के आदेश भी दिये जा चुके हैं। अतः मैं इस स्थगन प्रस्ताव को सदन में प्रस्तुत किए जाने की अनुमति नहीं देता हूं।

एक अन्य स्थगन प्रस्ताव की सूचना श्री कृष्णकुमार गोयल सदस्य, विधान सभा से प्राप्त हुई है जिसमें यह बतलाया गया है कि किशनगढ़ में अध्यापिकाएं व एक अध्यापक गत 4, 5 दिन से अपनी मांगों को लेकर प्राईवेट शिक्षण संस्थाओं के विरुद्ध भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। इस सम्बन्ध में राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त की जा रही है। जानकारी मिलने पर उस पर निर्णय लिया जाकर मैं माननीय सदस्यों को यथासमय सूचित कर दूंगा।

मन्त्री महोदय द्वारा वक्तव्य। राजस्थान विश्व विद्यालय में ‥ ‥ ‥‥

श्री मदनसिंह (दांता रामगढ़) : मेरा भी एक स्थगन प्रस्ताव है।

श्री अध्यक्ष : आपका स्थगन प्रस्ताव तो मेरे पास होगा। जानकारी के लिये गया होगा या मेरे चिन्तन में पड़ा होगा। अभी तो नहीं कह सकता हूं कि कहां है वह।

श्री मदनसिंह : बड़ा लोकमहत्व का है।

श्री अध्यक्ष : तभी आपने दिया है।

Page No 72

श्री मदनसिंह : एक व्यक्ति सारी पार्टियों को चैलेन्ज देकर जीतता है इससे उच्च और कोई लोकमहत्व का प्रश्न नहीं हो सकता।

श्री अध्यक्ष : मन्त्री महोदय द्वारा वक्तव्य।

श्री मदनसिंह : इस पर व्यवस्था दीजिये।

श्री अध्यक्ष : क्या है ?

श्री मदनसिंह : मेरा स्थगन प्रस्ताव है।

रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : हमने एक स्थगन प्रस्ताव दिया है।

श्री अध्यक्ष : बाद में उठावें तो निराकरण कर दूंगा।

माननीय सदस्य भी अपने विचार उस समय व्यक्त कर सकेंगे।

श्री मदनसिंह : मैं व्यवस्था चाहता हूं। जैसे अभी सभी के पढ़ कर सुनाए। वैसे इस पर भी व्यवस्था चाहता हूं, स्वीकार भले ही मत करिये।

श्री अध्यक्ष : कब प्रस्तुत किया गया है यह ?

(अल्प विराम के अनन्तर) आज 11-30 पर आपने भेजा है। अब मैं उस पर क्या व्यवस्था दूं।

श्री मदनसिंह : कभी भी पहुंचा हो।

श्री अध्यक्ष : आप स्थान तो ग्रहण करें।

श्री मदनसिंह : अध्यक्ष महोदय, यह तो मुझे मालूम नहीं।

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर प्लीज।

आपने और अन्यों ने भी इस प्रश्न पर स्थगन प्रस्ताव दिये हैं। दूसरों के जल्दी भी आये हैं आपसे। तो जो भी व्यवस्था होगी, यह प्रस्ताव समाप्त हो जाने पर बिज़नेस जो रिकार्ड पर है, वह समाप्त होने पर, को रिकार्ड पर नहीं है उसके सम्बन्ध में सुविधा देने का प्रयत्न करूंगा। इसलिए व्यवस्था का प्रश्न तो उठता ही नहीं है। आपने जानकारी मांगी है वह भी नहीं उठती इस सदन के प्रांगण पर। मैं क्या करूं ?

श्री मदनसिंह : ऐसे लोकमहत्व का प्रश्न है। मामूली जेल में जाकर कोई मर गया, यह मर गया, वह मर गया, उस पर तो आपने पढ़ कर अपनी व्यवस्था दे दी और यह सारे हिन्दुस्तान के प्रजातन्त्र से सम्बन्धित प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज, माननीय सदस्य।

श्री मदनसिंह : रोका जा रहा है।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। मैंने तो बड़ी सुविधा से कहा है। इनकारी कहां है। मैं इस प्रश्न को इसके बाद मेरे पास जो इस समय बिजनेस है उसकी सुविधा का भी तो प्रश्न है।

आपकी जितनी उद्विग्नता है, दूसरों की भी है। उन्होंने शायद अधिक चिन्तन किया है इसलिये मैं, अपना बिजनेस जो हाथ में है, उसको सम्पन्न करने के बाद इस

Page No 73

(श्री अध्यक्ष)

प्रश्न पर, कोई माननीय सदस्य, पूरी सूचना देंगे, न देगें तब भी निराकरण करूंगा।

श्री मदनसिंह : धन्यवाद के प्रस्ताव की बहस हो रही है।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। माननीय सदस्य।

श्री मदनसिंह : इसके बाद इसका महत्व नहीं रहेगा।

श्री वृद्धिचन्द जैन (बाड़मेर): महत्व नहीं जावेगा साहब।

श्री अध्यक्ष : गृह मन्त्री महोदय।

श्री रामकिशन (वैर): अध्यक्ष महोदय, एक स्थगन प्रस्ताव 13 तारीख का दिया था। 3 बार समय की सूचना आपने दी है। मैं जानकारी लेना चाहता हूं उस पर आज बयान दिया जा रहा है या नहीं ?

सिंचाई मंत्री : (श्री रामप्रसाद लड्ढा) : मैं आपसे अर्ज करके गया था कि वहां से मैं जाकर प्रत्यक्ष जानकारी करके आने के बाद इस पर वक्तव्य दे दूंगा मैं जाकर आ गया हूं। कल बयान दे दूंगा। इस पर।

श्री अध्यक्ष : आपका-बाढ़ के संबंध में स्थगन प्रस्ताव आया है। माननीय मंत्री ने मुझ से भी कहा था कि स्थगन प्रस्ताव तो है, जानकारी भी प्राप्त की है, पर यदि मैं स्वयं निरीक्षण कर आऊं तो ठीक तरह से जानकारी दे पाऊंगा, सदन को। तो वे आज आये हैं, इसलिए मैं जैसा उन्होंने कहा है, इसको कल के लिये रख देता हूं ताकि विस्तृत डिबेट इस पर हो सके।

श्री रामकिशन : ठीक है, धन्यवाद।

श्री देवीदत्त गाड़िया (बारां) : मैंने कई स्थगन प्रस्ताव रखे। अन्ता के लोग आये। कृषि उपज मण्डी का प्रश्न अगर मंत्री नहीं बचा सकते तो वहा के व्यापारी खत्म, किसान का माल बिकना खत्म, व्यापारी परेशान। एक तो यह निवेदन करना है।

दूसरा भैंसरोड़गढ़ के अन्दर ऊंटाला...

श्री अध्यक्ष : मैंने स्वीकार नहीं किया है उनको।

श्री देवीदत्त गाड़िया : आपने कहा है जानकारी के लिये विस्फोटक पदार्थ...

श्री अध्यक्ष : मैं निवेदन करूं। यह जो परंपरा बनती जा रही है, जानकारी किसे प्रश्न पर दूं। खुद रुचि ली, जल्दी से जल्दी जानकारी प्राप्त करने का प्रयास करूं राज्य सरकार को भी सतर्क करने का प्रयास करूं और आप कहीं मिल जाते हैं और पूछ लेते हैं तो आप को भी निवेदन करता रहता हूं। फिर भी मामला सदन में आ जाता है।

मैं सिर्फ एक ही निवेदन करना चाहता हूं आपके सहयोग के आधार पर, आपके पास आज भी अच्छा खासा बिजनिस है। आप जिस पर चर्चा करना चाहते हैं इस पर चर्चा आरम्भ हो गई तो वह भी करें किन्तु जो साधारण से प्रश्न होते हैं, जानकारी में आया या नहीं आया। आप सचिवालय से बात कर सकते हैं, मुझ से बात

(श्री अध्यक्ष)

कर सकते हैं। सदन का समय मूल्यवान है और इसका उपयोग इस तरह से करें, यह आपके खुद के सोचने की बात है। मैं क्या निवेदन करूं।

श्री देवीदत्त गाड़िया : अध्यक्ष महोदय, जिन पदार्थों में विस्फोट हुआ है ऐसे महत्व-पूर्ण प्रश्न पर राज्य सरकार ध्यान नहीं दे····

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर, ऑर्डर।

श्री देवीदत्त गाड़िया : राजस्थान की दो करोड़ जनता पर ···

श्री अध्यक्ष : मैंने प्रश्न उठा लिया। अंकित न किया जाय।*

श्री देवीदत्त गाड़िया + + + +

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर, ऑर्डर प्लीज।

131 का है। कोई प्रश्न नहीं है।

श्री देवीदत्त गाड़िया + + + +

श्री अध्यक्ष : मैं इसका कोई उत्तर इस वक्त नहीं दे सकूंगा।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : अध्यक्ष महोदय, जेल में मृत्यु होने के सम्बन्ध में माननीय भैरोंसिंह जी के स्थगन प्रस्ताव के सम्बन्ध में जानकारी प्रस्तुत की है उस सम्बन्ध में मैं निवेदन करना चाहता हूं उस कैदी की जो मृत्यु हुई है वह बीमारी के कारण हुई बताई जाती है। वह बीमारी किस कारण हुई उसके पीछे राज है अध्यक्ष महोदय, वह कैदी मेरे जिले का रहने वाला है। उस कैदी ने कोई शिकायत की थी माथुर साहब को जिस समय वे जेल मंत्री थे, उसने जेल के अधिकारियों की शिकायत की थी और इस बिना पर जेल अधिकारी उससे नाराज हो गये और उसे काल–कोठरी में डाला गया वहां वह कई दिनों तक रहा जिससे वह बीमार हो गया ··

श्री अध्यक्ष : जैसा मैंने निवेदन किया, यदि यह प्रश्न वापिस उठ सकता है ज्यों ही रिपोर्ट आई थी एन्क्वायरी हो गई तो उठ सकता है लेकिन इस वक्त कॉज ऑफ डेथ के प्रश्न पर जो विवाद हुआ है। उस पर एन्क्वायरी एस० डी० एम० कर रहे हैं। उस कॉज को ज्युडिशियल कहूं या क्या कहूं, कुछ कहना नहीं चाहता हूं। अभी आप विवाद करेंगे तो कोई असर नहीं होगा। मैं यह प्रयत्न करूंगा कि एस० डी० एम० काज ऑफ डेथ पर कार्यवाही समाप्त करें। और पुनः यह प्रश्न उठाया जा सकता है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : मैं यह निवेदन करूं अध्यक्ष महोदय, इमीजियेट काल है हाऊस का। जो मृत्यु हुई है उसका क्या कारण है किसी ने जहर दिया है या वैसे मारा है। उसके साथ लगातार विक्टिमाई-जेशन किया गया है। कई शिकायतें उसने की हैं। यहां तक कि राज्यपाल महोदय को भी शिकायत की है····

श्री अध्यक्ष : मैंने इसका उत्तर दे दिया

श्री देवीदत्त गाड़िया : अध्यक्ष, महोदय एक छोटा निवेदन है।

श्री अध्यक्ष : : छोटा सा ही है ?

+ + + अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार भाषण अंकित नहीं किया गया।

श्री देवीदत्त गाड़िया : जी हां। इस सम्बन्ध में जो जानकारी की जा रही है मैं गृह मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा जब एन्क्वायरी की जाय कॉज आफ डैथ पर तो होम कमिश्नर, सोशियल वैलफेयर ऑफिसर से जो जेल में रहते हैं उनकी रिपोर्ट मंगाई जाय इसके साथ आई० जी० जेल है इनकी भी रिपोर्ट ...

श्री अध्यक्ष : आर्डर आर्डर । कृपया स्थान ग्रहण करें। माननीय सदस्य।

श्री देवीदत्त गाड़िया : इस प्रकार रिपोर्ट गायब कर दी जाय...तब जाकर असलियत का पता लगेगा इस सम्बन्ध में एक क्वेश्चन भी था....

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर। माननीय सदस्य, माननीय सदस्य।

(श्री देवीदत्त गाड़िया श्री अध्यक्ष के बार बार कहने पर भी बराबर बोलते रहें, साथ बोलने पर अश्रव्य)

स्थान ग्रहण करें, माननीय सदस्य।

श्री भगवानदास शास्त्री (अजमेर) : मेरी कुछ प्रार्थना है अजमेर के पूर्वी क्षेत्र में ..

श्री अध्यक्ष : मैं थोड़ा खड़ा हूं, मुझे बैठ जाने दीजिये।

श्री भगवान दास शास्त्री : अजमेर नगर में गांधी ...

श्री अध्यक्ष : आगे का कार्यक्रम नहीं चलाना चाहते हैं तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है आप प्रश्न करिये, उसका क्या निराकरण हो रहा है, आप सदन का समय लीजिये आप जितना चाहें उतना समय लीजिए, मुझे ऐतराज नहीं होगा।

श्री भगवान दास शास्त्री : अजमेर जैसे नगर में जहां तीन लाख की पापुलेशन है पूर्वी क्षेत्र में 16 लेडी शापिंग सेन्टर है ...

श्री अध्यक्ष : मैं इस प्रश्न को उठाने की आज्ञा नहीं देता हूं। आप इस सम्बन्ध में मुझ से बात कर लें। कृपया यहां न उठायें।

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : अध्यक्ष महोदय, यह जो प्रश्न रह जाते हैं इसका कोई जवाब नहीं आता है।

श्री अध्यक्ष : राजस्थान की पुलिस द्वारा छात्रों पर किये गये दुर्व्यवहार पर गृह मंत्री जी एक वक्तव्य देंगे।

राज्य मंत्री, गृह (श्री हीरालाल देवपुरा) : अध्यक्ष महोदय इसे कल के लिये स्थगित किया जाय।

श्री अध्यक्ष : मैं इसको कल के लिये स्थगित करता हूं।

विचारार्थ लिये जाने वाले विधेयक।

श्री वराह गिरी वैंकट गिरी के राष्ट्रपति पद पर आसीन होने पर बधाई के संबंध में।

श्री मुकुटबिहारी लाल गोयल (बयाना) : माननीय अध्यक्ष महोदय एक प्रश्न है मैंने एक प्रस्ताव की सूचना दी है। वह प्रस्ताव अपने आप में बड़े महत्व का है

(श्री मुकुटबिहारी लाल)

लोकतन्त्र करवटें बदल रहा है यह इस तरह का है। मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान विधान सभा का यह सदन...

(कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर, अश्रव्य)

प्रस्ताव इस तरह से है कि "राजस्थान विधान सभा का यह सदन भारत के राष्ट्रपति पद पर श्री वराह गिरि वेंकट गिरी के निर्वाचन पर हार्दिक बधाई प्रेषित करता है" यह प्रस्ताव है।

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर। मैं माननीय सदस्यों से इस सम्बन्ध में एक निवेदन करना चाहता हूं। एक प्रस्ताव है इसमें श्री मुकुटबिहारी लाल, रामानन्द अग्रवाल, नत्थी लाल, केदार नाथ...

श्री नत्थीसिंह (भरतपुर) : नत्थीसिंह है, लाल जी नहीं है लाल जी तो कांग्रेस में बैठे हैं।

श्री अध्यक्ष : नत्थी दिख जाता है...

आगे का नहीं दिखता है। मैं यह समझता हूं नाम में तोड़ मरोड़ किया है लाल लगाने से और भी आदर पे किया है क्योंकि यह डायमन्ड बन गया है। खैर, इसको हटा देता हूं।

श्री केदारनाथ, श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता ने इस प्रस्ताव को मेरे समक्ष रखा है कि यह सदन नव निर्वाचित राष्ट्रपति को अपनी हार्दिक बधाई प्रेषित करता है।

इस सम्बन्ध में दूसरा प्रस्ताव जो है उस प्रस्ताव पर रामानन्द जी के हस्ताक्षर हैं, दूसरे प्रस्ताव पर हस्ताक्षर हैं श्री हीरालाल, श्री मदन सिंह जिनका लोक सभा में बहुमत है और अन्य पार्टी ने अपना पक्ष श्री रेड्डी को दिया और इनकी हार गिरी जैसे व्यक्ति से चुनौति देकर षडयन्त्र के आधार पर जीते हैं...

श्री रामानन्द अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, मेरे हस्ताक्षर हैं ?

श्री अध्यक्ष : I am sorry, Ram Chandra Arya. I beg to be excused. मैं भी यह समझ रहा था यह कैसे हो सकता है मैं अपनी बुद्धि पर भी विश्वास नहीं कर रहा था...... यह कैसे हो सकता है दूसरे प्रस्ताव का आशय समझ लिया होगा। तीसरा प्रस्ताव है श्री राम चन्द्र आर्य, श्री हरलाल, श्री मदनसिंह..... तीसरी कापी है (पढ़ने में अस्पष्ट होने पर) अब मैं इस प्रश्न को चूंकि यह प्रस्ताव आज दिया गया है प्रस्ताव को देने की स्थिति में नहीं हूं। प्रस्ताव 119 के अनुसार रखा गया है। मैंने इस पर कोई अपनी व्यवस्था नहीं दी है लेकिन चूंकि ऐसे प्रश्न पूर्ण गरिमा मय हैं, प्रतिष्ठा का है, निष्ठा का है इसलिये मैं इस प्रश्न का जहां तक बधाई का प्रश्न है बधाई के प्रश्न पर आप चर्चा करें तो मुझे आपत्ति नहीं होगी और इस चर्चा के सम्बन्ध में मैं निवेदन करना चाहता हूं चूंकि राष्ट्रपति को बधाई देने के प्रश्न पर आपने जो दूसरा प्रस्ताव रखा है श्री रामचन्द्र आर्य ने रखा है वैसे कटुता...

श्री रामचन्द्र आर्य : अध्यक्ष महोदय...

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर।

श्री रामचन्द्र आर्य : अध्यक्ष महोदय, मैं इसको वापिस लेता हूं।

श्री अध्यक्ष : मैं इसको वापिस लेने की इजाजत सदन की अनुमति से देता हूं।

इसलिए वही प्रस्ताव एक विचार का है। यह बधाई देने का प्रश्न है और बधाई देने में सदन को आपत्ति नहीं हो सकती इसलिए राष्ट्रपति की गरिमा और गौरव को दृष्टिगत रखते हुए कोई कन्ट्रोवर्शियल पोजीशन इसमें न हो और इस पर मैं अधिक समय नहीं देना चाहूंगा ताकि आपकी भावना राष्ट्रपति तक पंहुच सके। इतना पर्याप्त होगा। आप चर्चा कर सकते हैं।

श्री रामानन्द अग्रवाल : प्रस्ताव को आप अध्यक्ष महोदय चेयर की तरफ से मूव कर दीजिए हमें आपत्ति नहीं होगी।

श्री अध्यक्ष : मैं मूव करने की स्थिति में नहीं हूं। आपने रख ही दिया है।

श्री मदनसिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं ऐसे धन्यवाद के प्रस्ताव का विरोध करता हूं....

श्री भैरोंसिंह : अध्यक्ष महोदय, ज्यादा अच्छा यह होगा कि इस तरह का प्रस्ताव चेयर की तरफ से आ जाये। मैं समझता हूं कि हाउस की डिगनिटी के लिए भी होगा और राष्ट्रपति के पद की गरिमा के अनुकूल होगा। मैं समझता हूं कि ऐसी परम्परा नहीं रही है लेकिन गलत परम्परा नहीं डाल रहे हैं।

श्री मदनसिंह : पाइन्ट आफ आर्डर, सर।

श्री अध्यक्ष : When the Chair is on the legs :

पाइन्ट आफ आर्डर उठता ही नहीं है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, हम यह आशा करते थे कि इस प्रकार का प्रस्ताव लीडर आफ दी हाउस की तरफ से मूव होगा लेकिन जो हमारे पास लिस्ट आफ बिजनेस गयी और उसमें जब इस तरह का प्रस्ताव नहीं पाया तो हमने प्रस्ताव को यहां पर रखा।

श्री मदनसिंह : अध्यक्ष महोदय,....

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर। माननीय सदस्य।

श्री मदनसिंह : अध्यक्ष महोदय, मेरा पाइन्ट आफ आर्डर यह था कि भैरोंसिंह जी और हरलालसिंह जी ने कहा कि मैंने दस्तखत कर दिये थे।

श्री हरलाल सिंह खर्रा : और मैं अपने दस्तखत वापिस लेता हूं।

श्री अध्यक्ष : वह हो गया।

श्री हरलालसिंह : दूसरी भाषा हो तो भी वापिस लेता हूं।

श्री मदनसिंह दांता : माननीय भैरोंसिंह जी ने सुझाव दिया और उसके ऊपर पाइन्ट ऑफ आर्डर मैंने अर्ज किया था कि अध्यक्ष महोदय को मालूम है कि इस प्रस्ताव का विरोध होगा जो धन्यवाद का है इसलिए चेयर की तरफ से कोई भी धन्यवाद का प्रस्ताव स्वीकार कराके लोगों के मुंह बन्द कराने का एक जरिया है। इसलिए अध्यक्ष

(श्री मदनसिंह)

महोदय, या तो बहुत अच्छी बात है धन्य-वाद का प्रस्ताव दिया है इस पर बहस हो जाये ताकि लोगों को मालूम हो कितने अन्तः करण से और आत्मा से कितना विचार रखते है ··

श्री अध्यक्ष : ग्रार्डर, ग्रार्डर यह जिस रूप में रखा गया है 119 के अन्तर्गत रखा गया है स्थगन प्रस्ताव लेकिन मैं एक शुभ कामना का प्रस्ताव मान लेता हूं। बधाई के प्रश्न पर राष्ट्रपति को बधाई देने के प्रश्न पर विरोध होगा वह अपने आप में खतरा है। नहीं होता है। इसलिए मैं सदन की राय से या सदन के नेता इसको रखें– बधाई का प्रस्ताव है राष्ट्रपति को। जो माननीय सदस्य चाहते हैं···

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह (डूंगरपुर): अध्यक्ष महोदय, मैं दो शब्द बड़े अदब के साथ निवेदन करना चाहूंगा कि यह बिलकुल निर्वि-वादित बात है कि जो भी महानुभाव हमारे विधान के अन्तर्गत राष्टपति चुने जाते हैं वह हमारे सम्मान और आदर के पात्र हैं। इसमें कोई विवाद जैसी चीज नहीं है लेकिन वैधानिक रूप से अगर देखा जाये तो राष्ट्रपति जब शपथ ग्रहण करते हैं तभी वैधानिक दृष्टिकोण से उनको पूर्ण रूपेण राष्ट्रपति सारा देश मानता है। मुझे कोई आपत्ति नहीं है और ऐसा प्रस्ताव सदन के सामने आए तो सदन की गरिमा, सदन की महिमा, सदन की शान को मद्देनजर रखते हुए इस पर कोई विवाद नहीं होना चाहिए और बधाई का प्रस्ताव अगर रखा जाता है तो स्वागत है मेरे दल की ओर से मेरी ओर से भी। मैं दो शब्द निवेदन करूं अगर पर-म्परागत व्यवस्था आपके द्वारा यह दी जाये तो सदन के नेता के द्वारा यह प्रस्ताव आ सकता है। लेकिन मेरा विनम्रता पूर्वक यह निवेदन है कि राष्ट्रपति का चुनाव हो चुका है लेकिन राष्ट्रपति पदारूढ़ नहीं हुए हैं। अभी आज वैधानिक दृष्टिकोण से देखा जाये तो कोई अन्य व्यक्ति राष्ट्रपति है। राष्ट्रपति जब शपथ ग्रहण करते हैं तभी जो चुनाव के अन्दर विजयी घोषित किये गये हैं तब पूर्ण रूपेण कान्सटीट्युशनली और लीगली वह राष्ट्रपति कहे जा सकते हैं। यह प्रिमेच्योर है। हो सकता है यदि आपकी व्यवस्था है कि प्रिमेच्योर नहीं है और इसको सदन के सामने लाया जाये तो मेरे दल की ओर से कोई आपत्ति नहीं है।

श्री नत्थीसिंह (भरतपुर) : मैं बाकी इतना निवेदन करना चाहूंगा कि राष्ट्रपति का चुनाव का परिणाम कल रात को घोषित हो गया। यह ठीक है वह शपथ ग्रहण करेंगे 24 तारीख को लेकिन यह निर्वाचन पर बधाई देने का प्रस्ताव है और आज ही इसका महत्व है।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है सामने।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्य मन्त्री) : माननीय अध्यक्ष जी श्री वी. वी. गिरी को बधाई का सन्देश दिया जाये उसके सम्बन्ध में दो राय नहीं हो सकती। कल ज्यों ही वह निर्वाचित हुए मैंने भी अपनी तरफ से उनको बधाई सन्देश दिया। यह हमारे प्रजातन्त्र के अन्दर परम्परा रही है और एक स्वस्थ परम्परा है, जनतन्त्र की गरिमा है। इस सदन के अन्दर बधाई के प्रस्ताव को नहीं लायें उसका कारण मैं समझता हूं सदन के

Page No 79

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

माननीय सदस्य जानते हैं कि पहले भी जब डा० जाकिर हुसैन का चुनाव हुआ तो उसके बाद कोई प्रस्ताव बधाई का इस सदन ने पारित नहीं किया था। वह चुने गये और डा० जाकिर हुसैन निर्वाचित हुए थे उस समय भी और उसके बाद भी बधाई का प्रस्ताव यहां नहीं आया। इसी दृष्टि से इस समय भी कोई बधाई का प्रस्ताव लाया जाये, नहीं लाया जाये यह प्रश्न हमारी परम्परा के साथ नहीं जुड़ता था। माननीय सदस्य ने प्रश्न यहां रखा तो मैं माननीय सदस्य से यह कहना चाहता हूं कि श्री वी. वी. गिरी को बधाई देने में इधर बैठने वाले पक्ष के माननीय सदस्य भी उतना ही सहमत है जितना कि कोई दूसरे पक्ष में हो सकते हैं और इस प्रश्न को विवाद का प्रश्न बनाया जाना मैं समझता हूं उचित नहीं होगा। माननीय अध्यक्षजी श्री वी. वी. गिरी को बधाई का सन्देश इस सदन की तरफ से भेज दें और इस विवाद को यहीं समाप्त करें तो मैं समझता हूं ज्यादा उपयुक्त होगा।

श्री अध्यक्ष : मैं चूंकि इस सदन की भावनाओं को समझ गया हूं और मेरे सन्मुख वह भाषा भी है बधाई की इसलिए मैं सदन की ओर से यह सन्देश उनको भेज दूंगा। सन्देश यह है :

राजस्थान विधान सभा का यह सदन भारत के राष्ट्रपति पद पर श्री वी. वी. गिरी के निर्वाचन पर अपनी हार्दिक बधाई प्रदर्शित करता है

यह उपयुक्त होगा।

श्री मदनसिंह : [× × ×]

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज

श्री मदनसिंह : [× × ×]

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज !

श्री मदनसिंह दांता : (माननीय सदस्य बोलते रहे)

श्री अध्यक्ष : एक्सपन्ज किया जाये।

श्री मदनसिंह दांता : [× × ×]

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर – एक एक शब्द एक्सपन्ज किया जाये।

श्री रामानन्द अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, फिर तो हमें भी बोलने की इजाजत दी जाये

श्री अध्यक्ष : मैंने सब एक्सपन्ज करा दिया है — एक एक शब्द

श्री मदनसिंह दांता : [× × ×]

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य...

श्री मदनसिंह दांता : आन ए पाइन्ट आफ प्रिवलेज सर......

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप स्थान ग्रहण करें।

श्री मदनसिंह दांता : मैंने अनपार्लियामेन्टरी क्या कहा है......

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य स्थान ग्रहण करें। आसन अपने पैरों पर है।

श्री मदनसिंह दांता : अध्यक्ष महोदय......

XXX अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार शब्द कार्यवाही से निकाले गए।

श्री अध्यक्ष : स्थान ग्रहण करें।

श्री मदनसिंह दांता : स्थान ग्रहण करें इसका मतलब यह है ...

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य स्थान ग्रहण कीजिये।

(श्री मदनसिंह दांता व श्री अध्यक्ष एक साथ बोलते रहे)

एक्सपन्ज किया जाये शब्दों को।

श्री मदनसिंह दांता : अध्यक्ष महोदय, आपको ......

श्री अध्यक्ष : आर्डर आर्डर माननीय सदस्य — अंकित नहीं किया जाये।

श्री मदनसिंह दांता : [+ + +]

श्री अध्यक्ष : (श्री मदनसिंह दांता के अनवरत बोलते रहने पर) माननीय सदस्य को मैं नाम से पुकारता हूं। (श्री मदनसिंह दांता के फिर भी बोलते रहने पर) माननीय श्री मदनसिंहजी दांता।

श्री मदनसिंह दांता : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं फिर सदन से त्याग पत्र देकर जाता हूं।

(सदन से बहिर्गमन)

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर। राजस्थान मद्य निषेध विधेयक।

श्री अध्यक्ष : श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल, श्री दुर्गालाल बाढ़दार अपना संकल्प प्रस्तुत करेंगे।

श्री नत्थीसिंह : अध्यक्ष महोदय, ओन ए पाइंट आफ क्लेरिफिकेशन। अभी माननीय सदस्य मदनसिंह जी दांता ने इस सदन में यह कहा कि इस्तीफा देकर जाता हूं तो क्या ये शब्द भी आपने एक्सपन्ज कर दिये ?

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। जहां तक मेरे रेकार्डिंग का सवाल है ये एक्सपन्ज यहां नहीं होते हैं। एम आई करेक्ट ? जहां तक प्रेस का सम्बन्ध है वह एक्सपन्ज होता है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : क्या होता है कि माननीय सदस्य ने विधान सभा में इस्तीफे की घोषणा की है तो वैधानिक तौर पर यह होता है कि इस्तीफा हो जाता है, अध्यक्ष महोदय।

श्री भैरोंसिंह एवं जनसंघ और स्वतन्त्र पार्टी के कई माननीय सदस्य : नहीं होता है।

श्री अध्यक्ष : आर्डर माननीय सदस्य आर्डर, आर्डर। यह प्रश्न घोषणाओं का त्याग पत्र का नहीं हुआ करता है।

श्री मुकुट बिहारीलाल गोयल : अध्यक्ष महोदय, ऐसी घोषणा पहले भी कर चुके हैं।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री रामानन्द अग्रवाल : आपका मतलब है कि ऐसी परम्परा है कि वे वापिस ले लेंगे।

+ + + अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार भाषण अंकित नहीं किया गया।

श्री अध्यक्ष : प्रोसीजर हमारे यहां यह देखना चाहिये कि प्रजातन्त्र है इसमें। कागज पर हस्ताक्षर होकर स्पीकर के पास जाता है तो स्पीकर के पास हाथ में आते ही वह समाप्त हो जाता है। सदन में घोषणा से नहीं होता है।

श्री नत्थीसिंह : हम यह चाहते हैं कि वे सदन में बने रहें और स्तीफा नहीं दें। वे अपने स्तीफे पर पुनर्विचार करें और ऐसे भावावेश में गलत बात कह कर नहीं चलना चाहिये।

श्री देवीदत्त गाड़िया : पिछली बार भी यह व्यवस्था दी थी।

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर प्लीज। पास्ट का सवाल ही नहीं पैदा होता है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल।

(अनुपस्थित)

श्री दुर्गालाल वाढ़दार।

राजस्थान मद्य-निषेध विधेयक, 1969

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन दिनांक 9 जुलाई, 1969 को श्रीमान् राज्यपाल महोदय द्वारा प्रस्तावित राजस्थान मद्य निषेध अध्यादेश, 1969 (अध्यादेश संख्या 5 सन् 1969) को अस्वीकार करता है। आज सदन के सामने राजस्थान मद्य-निषेध विधेयक, 1969, पर विचार होने वाला है। अध्यक्ष महोदय, इस सदन को और मैं तो यहां तक निवेदन करूंगा कि आज प्रजातन्त्र प्रणाली को देश में किस तरह से चलाना है वहां स्पष्टरूप से निर्विवाद रूप से इस बात को मान कर चलना होगा कि जो कानून बनाते हैं वे कानून जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों के द्वारा ही यदि बनाये जायं तो अधिक उपयुक्त होगा। लेकिन दुर्भाग्य के साथ माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे यह निवेदन करना पड़ता है कि राजस्थान सरकार ने अपनी नीति इस प्रकार की बनाली है कि विधान सभा में सारी ही स्थिति पर विचार-विमर्श होने के पश्चात्......

(12.55 म०प०)

(श्री रामनारायण चौधरी, सभापति, पदासीन)

कानून नहीं बनाकर अध्यादेश के रूप में कानून बनाते हैं। जहां तक इस विधेयक के प्रावधानों का प्रश्न है और इसके अन्दर की भावनाओं का प्रश्न है तो मैं राजस्थान की सरकार से यह पूछना चाहता हूं कि हमारे इस देश की संस्कृति में विश्वास करने वाले लोगों को यह विश्वास कराना चाहते हैं कि अब तक जिस विधेयक के बारे में राजस्थान के लोगों की मांग रही है, राजस्थान के बहुत से लोगों ने मांग की कि इसके विषय में निश्चय किया जाय तो इन सारी बातों के होते हुए भी अब तक क्यों सरकार सोती रही? यह देरी करने का कारण क्या है? लेकिन राजस्थान सरकार इस बात पर कभी भी अपने विचारों को व्यक्त करने को तैयार नहीं है। माननीय सभापति महोदय, मैं मन्त्री महोदय के सामने इस प्रकार की मिसालें जैसी कि कई बार इस सदन के अन्दर भी चर्चाएं इस प्रकार की हुई हैं प्रश्नों के द्वारा और दूसरे प्रकार के मोशन्स के द्वारा जब कभी इस प्रकार प्रश्न आये हैं तो कोई

(श्री दुर्गालाल बाढ़दार)

न कोई बहाना वे बनाते रहे हैं। कभी एक जिले में किया है और कभी कहीं और इस प्रकार का आश्वासन देते रहे, लेकिन वास्तव में निरन्तर निर्धारित और निश्चित नीति को लेकर राजस्थान सरकार ने अपना दृष्टिकोण अपनाने की भावना रखी हो, ऐसी बात हमें प्रतीत नहीं हुई।

मैं दूसरी बात निवेदन करना चाहूंगा कि जब आपके सामने एक प्रश्न इस प्रकार का उपस्थित होता है तो यह निश्चयात्मक रूप से आपको मान कर चलना होगा कि मनुष्य के आहार और व्यवहार दोनों का प्रभाव उसके चरित्र पर निश्चयात्मक रूप से पड़ने वाला है, तो राज्य सरकार का यह पुनीत कर्तव्य हो जाता है कि जनता के आहार और व्यवहार के विषय के साथ इस प्रकार का विचार रखे कि जनता के नैतिक चरित्र को बहुत ऊंचा उठाने की कोशिश की जाय। लेकिन दुर्भाग्य से इस नैतिकता के लिए हम किन लोगों पर विश्वास करके चलें। यहां तो नैतिकता नाम की चीज हमें दृष्टिगोचर होती ही नहीं है। हम राजस्थान के मन्त्री-मण्डल को ले लें। सम्भवतः यह विधेयक तो पास हो जाय, लेकिन कतिपय मन्त्रियों के बारे में कह सकते हैं कि कितने आदमियों ने बोतल की भावनाओं को चिपकाए हुए रखा है, यह विचारने की बात है। यह विधेयक आज आप इस सदन के अन्दर पास कराना चाहते हैं, वह सद्भावनाओं के साथ लाया गया है या नहीं। मुझे इस बात में थोड़ा माननीय सभापति महोदय, संदेह होता है। हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और, यह जो कहावत है यहां पर चरितार्थ होती है, और मुझे तो ऐसा प्रतीत होता है कि मन्त्री मण्डल के लोग इस विधेयक के आने के बाद इस बोतल से मोहब्बत तोड़ेंगे या नहीं। सबसे पहले उन्हें अपनी नैतिकता को आगे लाकर चलना चाहिये। कांग्रेस का अधिवेशन होता है....

श्री मथुरादास माथुर : यह आपके हिसाब से नीचे के लेवल की बात कह रहे हैं। Why do you quote this ?

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : मैं इस भावना का समर्थन करना चाहता हूं।

श्री मथुरादास माथुर : भावना आपकी अच्छी हो सकती है। इस सदन की परम्परा यह नहीं रही है कि बिल के मामले में व्यक्तिगत बातों को कहा जाय। इधर भी होंगे और उधर भी होंगे। सरकार की नीति क्या है उस पर रोशनी डालें।

श्री मनोहरसिंह मेहता : अच्छा काम करेंगे तो उसकी सराहना करना चाहते हैं।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : यह बात इसलिए कहता हूं कि विश्वास में लेना पड़ता है सद्भाव भावना के साथ में आप विधेयक लाते हैं और इस विधेयक को पास कराते हैं, लेकिन हमारे यहां ऐसी परम्परा रही है कि आचार्य उसे कहते हैं जो स्वयं आचरण करते हैं और अपने आचरण के द्वारा दूसरे अनुसरण करने वालों को प्रभावित करें। अपने नैतिक बल से ऊंचा उठाने वाला व्यक्ति यदि कोई बात समाज में सामने लाता है तो वह विशेषरूप से प्रभावकारी होता है बजाय इसके कि स्वयं अपना नैतिक चरित्र उस प्रकार का न रख कर यदि कोई बात कहे तो यह व्यक्तिगत आक्षेप करने की बात

(श्री दुर्गालाल बाढ़दार)

नहीं। आप स्वयं जानते हैं इस बात को कि आज तक मैंने व्यक्तिगत रूप से आक्षेप करने की चेष्टा नहीं की।

श्री मथुरादास माथुर : इसलिए ताज्जुब हुआ।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : कभी भी आपने व्यक्तिगत बात नहीं सुनी होगी। मैंने कहा है कि ऐसी रिपोर्ट आई है। आप बिल्कुल अपरिचित हों, आपको इस बात का ज्ञान नहीं है कि आपका अधिवेशन होता है तो जिन मंत्रियों को बाहर से आने वालों को कमरों में ठहराया है वहां से शराब की बोतलें प्रारम्भ हुई हैं। उनसे तो यह कल्पना नहीं की जा सकती है, यह अपेक्षा नहीं की जा सकती और इस बात को दोहराने का कारण क्या है? आपने कानून बनाया है और उसको पास कराने के बाद इसको इम्प्लीमेंट कराने में कितनी सतर्कता बरतेंगे। आज सारी बातों को भूतकाल में हो चुकी हैं, बीत गई हैं उन बातों को दृष्टिगत न कराई जाय तो संभवत: आप उनका निराकरण नहीं कर सकेंगे। मैं आपको बताने की दृष्टि से, आपका भूत में किस किस तरह का आचरण रहा है, उन सबसे अवगत कराने के लिए ये बातें आपके समक्ष रखना चाहता हूं। मैंने इसको व्यक्तिगत आलोचना का प्रश्न नहीं बनाया है, बल्कि सन्मार्ग पर लाने की दृष्टि से जो कल तक बुरा होता चला गया उस पर प्रकाश डालना मैं अपना कर्तव्य समझता हूं। मैं इस प्रकार का दृष्टिकोण दृष्टान्त रूप से प्रस्तुत कर रहा था। यदि आपको बुरा लगा हो तो मैं इस बात को भी नहीं कहूंगा, लेकिन साथ में यह अपेक्षा करके चलूंगा कि आपको इसको कार्यान्वित करने का जब प्रश्न आयेगा तो इन सारे प्रश्नों पर विचार करके चलना पड़ेगा।

माननीय सभापति महोदय, मंत्री महोदय की जानकारी के लिए मैं इस विषय में दो-तीन बातों पर और निवेदन करना चाहता हूं। आज ऐसी स्थिति हो गई है और जिन लोगों का इस क्षेत्र में अनुभव है वे प्राय: इस प्रकार की बातें हमारे सामने लाते हैं और वे दो-तीन ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं कि जिन पर गम्भीरता से विचार करना पड़ेगा।

(1 म. प.)

बम्बई की सरकार ने मद्य निषेध बम्बई में किया। लेकिन वहां के लोगों की अमूमन यह शिकायत आती है कि आज बम्बई में यह हालत हो गई है कि हर घर डिस्टिलरी हो गया है। यदि राज्य सरकार सतर्क नहीं रही तो मैं यह कहूंगा कि पाप को रोकने के लिए जिस कानून को बनाया उस कानून को बनाने वाले और कानून को बनाने में साथ देने वाले दोनों ही पाप के भागी होते हैं। आप यह सोच कर चलें कि समय हमेशा विपरीत तो नहीं होता जा रहा है। मेरी जानकारी में यह आया है कि उदयपुर में आने वाले अतिथियों के लिए होटल निर्माण कर रहे हैं। आप उनके लिए सारी व्यवस्थाएं करते जा रहे हैं। मनुष्य के भोजन के लिए ऐशो इशरत के लिए जो आवश्यक होता है ठीक उसी प्रकार से उसको मनवाने के लिए साधन होने चाहियें। राज्य सरकार चाहे वह सारी व्यवस्था करे लेकिन आप दोनों बातों की एक साथ इसकी किस प्रकार व्यवस्था कर सकेंगे? मेरी जानकारी में इस प्रकार की बातें हो सकती हैं कि आप

(श्री दुर्गालाल वाड़दार)

ने इस प्रकार के साधन जुटा दिये हैं। उदयपुर क्षेत्र में मदिरा के पिपासू आते हैं। राज्य सरकार इसलिए हस्तक्षेप नहीं करती है। राज्य सरकार की आमदनी होती है उसे पैसा मिलता है। राज्य सरकार उसके लोभ में कर्तव्य से च्युत होती है तो बताइये ऐसा कानून लाने से क्या फायदा होगा ? मन्त्री महोदय का यह सोचना है। मैं तो यह निश्चितरूप से मानकर चलता हूं कि मनुष्य के आचार विचार दोनों का उसके मन पर काफी प्रभाव पड़ता है। यदि हमें नैतिक विकास करना है, भौतिक विकास का भी मैं विरोध नहीं करता हूं भौतिक विकास करके आध्यात्मिक विकास नहीं किया तो प्रगति मार्ग पर नहीं जायेंगे। मैं मानता हूं कि यह विधेयक आने वाले समय में अच्छी चीज होगी। जहां तक कार्यान्वित करने की स्थिति है, जैसा कि राज्य सरकार अब तक करती चली आ रही है। उसी नीति का अनुसरण किया गया तो आप की सारी कानून बनाने की भावना निरस्त हो जायगी। और बातों का अच्छा प्रभाव पड़ने के बजाय बुरा प्रभाव पड़ सकता है। जहां मद्य-निषेध कानून बने हैं उनको तोड़ने के लिए लोगों ने क्या क्या रास्ते निकाले हैं, उनके लिए आपको अपने आदमियों को विशेषरूप से ट्रेण्ड करने की आवश्यकता होगी। इम्प्लीमेंटेशन का प्रश्न आयेगा, उसमें अगर राज्य सरकार सतर्क नहीं रहेगी तो जिस भावना से राज्य सरकार यह कानून बनाना चाहती है, वह पूरा नहीं हो सकता है। इसलिए, सभापति महोदय, मैं विशेष चर्चा नहीं करता हुआ कम से कम मन्त्री महोदय जिस भावना से पेश करना चाहते हैं, उसी भावना से इम्प्लीमेंट करेंगे और उसी भावना को बनाये रखेंगे ताकि उसके विपरीत कोई कार्य नहीं हो सके।

श्री मथुरादास माथुर : सभापति महोदय, यह अध्यादेश, आर्डीनेंस को जारी करने के सम्बन्ध में माननीय सदस्यों ने यह कहा है कि राज्य सरकार ने इस आर्डिनेंस को निकाल कर जनतन्त्र की हत्या की हैं। इस तरह की बातें मैं सुनता आया हूं। मैंने पहले भी यह कहा है कि राज्य सरकार की इच्छा नहीं है कि आर्डिनेंस निकाले जायें। इस सिलसिले में एक निवेदन करना है। खासतौर से जब हमने मद्य-निषेध की नीति घोषित की थी तो यह घोषित किया गया था कि कार्यरूप में परिणित करने के लिए कानून की व्यवस्था होनी चाहिये। यह जो नीति घोषित की गई थी उस पर कानूनी कार्यवाही नहीं की जा सकती है। इसलिए कि हमारे यहां सभी मद्य निषेध में विश्वास रखने वाले हैं। विधान सभा का अधिवेशन अभी दूर है, इसलिए आर्डिनेंस बना कर उसको निकाल दिया जाये। आर्डिनेंस निकाल कर राष्ट्रपति की आज्ञा जरूरी है, इसलिए वहां भेज दिया गया। वहां पर बहुत टाइम लग गया। इसी बीच में विधान सभा का अधिवेशन हो गया। इसलिये बिल भी नहीं ला सके। विधानसभा में इसीलिए नहीं आ सका। और सदन की मंशा जो मैंने घोषित की थी वही आर्डिनेंस बिल के रूप में सदन के सामने आ गया है। माननीय सदस्यों को पूरा मौका मिलेगा। मैं बिल के मामले में कोई प्रेस्टिज इस्यू नहीं बनाना चाहता हूं। सिद्धान्तरूप से यह बिल, बोम्बे स्टेट में और मध्य भारत में जैसे है, उनके अनुसार बनाया है। तो मैं यह कहूंगा, यह आर्डिनेंस जारी किया गया है वह रिजेक्ट किया जाये, इससे उसकी मंशा पूरी नहीं हो सकती है।

(श्री मथुरादास माथुर)

कुछ आगे भी जो नीति निर्धारित की, उसको कानूनी जामा पहनाकर अमल में लाने की कोशिश की है। मैं इतना ही निवेदन करता हूं कि आप अपना प्रस्ताव वापिस ले लें ताकि बिल को प्रस्तुत किया जा सके।

श्री मनोहरसिंह मेहता : सभापति महोदय, मैं माननीय बाढ़दार जी से प्रार्थना करता हूं कि वे अपना प्रस्ताव वापिस लेने की कृपा करें।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : मैंने केवल राज्य सरकार की एक ही नीति का विरोध किया है। मैं आप से यह चाहता था कि इसके प्रावधानों को क्रियान्वित करने में राज्य सरकार इतनी सतर्क रहेगी। यह आश्वासन चाहता था।

श्री मथुरादास माथुर : यह विचारार्थ लाया जायेगा। राज्य सरकार ने क्या सतर्कता बरती है वह आपके सामने आयेगा।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : इसमें फिर एक प्रार्थना है। वह आलोचना का विषय बन जायेगा। आप इतना आश्वासन दे दें कि इसके प्रोविजन को इम्प्लीमेंट करने में कोई कमी नहीं होगी।

श्री मथुरादास माथुर : यह आश्वासन मेरा है। इसको इम्प्लीमेंट करने में कोई कसर नहीं रखी जायेगी।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : इसके लिए तो आप चाहें तो मैं आपको एक सुझाव दूंगा, सदन में आपके बहुत से सदस्य ऐसे हैं उनमें से एक कमेटी बना दें।

श्री मथुरादास माथुर : कमेटी तो आलरेडी है।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : मेहता साहब जैसे व्यक्ति हों उसमें...

श्री मथुरादास माथुर : कमेटी तो बनी हुई है।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : मैं प्रस्ताव वापिस लेने की आज्ञा चाहता हूं।

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल और श्री दुर्गालाल बाढ़दार ने जो प्रस्ताव रखा है उसको वापिस लेने दिया जाये ?

(स्वीकृत)

प्रस्ताव वापिस लेने की आज्ञा प्रदान की गई।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : मैं प्रस्ताव वापिस लेता हूं।

श्री मथुरादास माथुर : सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान मद्यनिषेध विधेयक, 1969 को विचारार्थ लिया जाय।

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि विधेयक....

श्री मूलचन्द डागा (पाली): मैंने जनमत जानने के लिए प्रस्ताव दिया है— इसे जनमत जानने हेतु प्रसारित किया जाय।

श्री मथुरादास माथुर : काहे के लिए जनमत।

श्री मनोहरसिंह मेहता : इसको तो पास करना है।

श्री मूलचन्द डागा : सभापति महोदय, गांधी शताब्दी वर्ष के दौरान इस प्रकार का बिल आया है, इसका मैं स्वागत करता हूं, लेकिन एक बात मैं और कहना चाहता हूं, मैं दोष देना नहीं चाहता, लेकिन राज्य सरकार को ऐसा बिल मेरे खयाल में आज से पन्द्रह साल पहले लाना चाहिए था। आज इस बिल को लाकर जो कदम उठा रहे हैं, उसके लिए तो मेरे ख्याल में वित्त मंत्री जी अफसोस जाहिर करेंगे क्योंकि सन् 1928 में श्री मोतीलाल नेहरू...

श्री मनोहर सिंह मेहता : जब जागे तभी सवेरा।

श्री मूलचन्द डागा : 1928 में मोतीलाल नेहरू...

श्री मथुरादास माथुर : 1928 में मेरी उम्र करीब दस साल की थी, मैं कैसे बिल लाता ? आप इस पर गौर कीजिये। और आप पैदा भी नहीं हुए थे।

श्री मूलचन्द डागा: मैं दूसरी बात कहना चाहता था। मैं 1928 में लाने के लिए नहीं कह रहा था, मैं यह कह रहा था कि कांग्रेस के अन्दर श्री मोतीलाल नेहरू ने 1928 में यह कहा था, पंडित मोतीलाल नेहरू ने अपने अध्यक्ष काल में यह कहा था :

"In the Legislatures and outside every attempt will be made to bring about total prohibition of intoxicating drugs and drinks. Picketing of liquor and drug shops shall be organised wherever desirable and possible."

और महात्मा गांधी ने कहा था, मुझे एक दिन के लिए यदि डिक्टेटर बना दिया जाय तो मैं हिन्दुस्तान में जो सबसे पहला कदम उठाऊंगा वह शराब बन्दी का होगा। मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि आप केवल शराबबन्दी का बिल न लाइये, आप भांग के सम्बन्ध में भी लाइये, भांग पीने वाले भी काफी नुकसान कर रहे हैं...

श्री मनोहरसिंह मेहता : एक का तो कानून बनने दीजिये।

श्री मूलचन्द डागा : एक पर तो उतारू हैं, लेकिन इसमें कई ऐसी बातें हैं जिनके कारण जरूरी है कि इसको जनमत जानने के लिए प्रसारित किया जाय। अब क्यों किया जाय ? माननीय वित्त मंत्री जी कई बार यह कहते हैं, इस सम्बन्ध में कानून न लाकर हमें जनमत के अन्दर यह भावना पैदा करनी चाहिए। इसलिए इसको यदि जनमत जानने के लिए प्रचलित करेंगे तो इससे लाभ पहुंचेगा। मैंने दो तीन बातें बार बार कही हैं- ऐसे सुधार की बातें जनमत बनाने के द्वारा होनी चाहिए। और भी बातों के कानून बने हुए हैं, चोरी को रोकने के लिए पिनल कोड के अन्दर सैक्शन 379 बना हुआ है, लेकिन आप कहते हैं कि समाज में क्रिमिनल इज ड्यू टू दी ईविल्स ऑफ सोसाइटी। चोर समाज के दोष के कारण चोरी करते हैं, इसलिए यह कानून नहीं बनना चाहिए। लेकिन फिर भी कानून बना और कानून बनने के बाद बराबर चोरियां होती हैं, और फिर भी इंडियन पिनल कोड में कानून बना हुआ है, कोई भी यह सिफारिश नहीं करता है कि इस कानून को हटा दिया जाय। सैक्शन 379 में चोरी को ऑफेन्स बतलाया

(श्रीमूलचन्द डागा)

है, लेकिन फिर भी चोरी होती है तो लोग कई बार कहते हैं कि कानून क्यों बनाया जाता है ? इसी तरह से प्रोहिबिशन के बारे में धारणा बनी हुई है कि कानून बनाने से कोई लाभ नहीं होगा। मैं कहता हूं कि चोरी के लिए कानून क्यों बनाया ? आप डकैती के लिए कानून क्यों बनाते हैं ? आप एक बात बार बार कहते हैं कि कानून बने लेकिन उससे पहले समाज में वैसा जनमत बनना चाहिए। इसलिए मैं कहता हूं कि हमें ऐसा समाज बनाना चाहिए जिससे अच्छे कामों को करने में मदद मिले और गलत कामों को करने में समाज में रुकावट पैदा हो। गलत काम रोकने के सम्बन्ध में विलिंगडन ने कहा था कि राज्य ऐसा होना चाहिए जिसमें गलत काम करने वाले को प्रोत्साहन नहीं मिले और सही काम करने वाले को प्रोत्साहन मिले।

श्री मथुरादास माथुर : माननीय सदस्य से मैं निवेदन करूं कि मैंने या राज्य सरकार ने यह कभी नहीं कहा कि कानून नहीं बनना चाहिए। मैंने कहा था कि कानून बनना चाहिए लेकिन उससे प्रोहिबिशन नहीं होगा...

श्री मनोहरसिंह मेहता : यह तो इनका भाषण है। कहने दीजिए।

श्री मथुरादास माथुर : जब तक जनता में यह भावना पैदा नहीं होगी तब तक शराबबन्दी नहीं होगी। मैंने इसके सम्बन्ध में शारदा एक्ट की मिसाल दी थी, जिसके अनुसार तेरह वर्ष की लड़की और अठारह वर्ष के लड़के से कम उम्र के लड़के लड़कियों का कोई विवाह करे तो उसे छः महीने की सजा हो सकती है। यह कानून 1926 में बना लेकिन न तो किसी मां बाप को सजा हुई न और न इस तरह के विवाह रुके। इसका मतलब यह है कि कानून बन कर लागू हो सकते हैं लेकिन जब तक समाज का सुधार न हो तब तक कोई कानून का मतलब नहीं है।

श्री मनोहरसिंह मेहता : ठीक है।

श्री मथुरादास माथुर : जब तक समाज इसको समझ न ले और अपनी समझ के अनुसार काम न करे, तब तक कानून का पूरा असर नहीं होता है। इसलिए ही मैंने अभी कहा कि मैं आपका सहयोग चाहता हूं मैं अपना पूरा पूरा सहयोग दूंगा।

श्री मूलचन्द डागा : मैं आपको यह बता देना चाहता हूं कि मैं आपके मन को पढ़ना चाहता था।

श्री मथुरादास माथुर : मेरा मन तो आप रोज पढ़ते हैं।

श्री मूलचन्द डागा : आप बार बार यह कहते हैं, जब तक समाज में सुधार नहीं होगा तब तक कुछ नहीं होगा।

श्री मनोहरसिंह मेहता : अब तो आपने भाषण शुरू कर दिया है, अब क्या है ? आप अपनी बात कहिए।

श्री मूलचन्द डागा : आप शांत रहिये, बीच बीच में मत बोलिये।

इंडियन पिनल कोड इसलिए नहीं बना, सारे कानून इसलिए नहीं बने कि गलत कामों को रोक दिया हो, इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि पहले जनमत पैदा

(श्री मूलचन्द डागा)

करना चाहिये। चाहे आप कोई कानून बना दें लेकिन उसके सम्बन्ध में जब तक जनता में भावना पैदा नहीं होगी तब तक प्राहिबिशन को आप लागू नहीं कर सकते हैं। आज राजस्थान में प्राहिबिशन दो तीन साल में करना चाहते हैं, अगर आप पूर्ण शराबबन्दी करना चाहते हैं तो गांधी शताब्दी के इस वर्ष में करें।

श्री मनोहरसिंह मेहता : बहुत अच्छे।

श्री मूलचन्द डागा : पूरे राजस्थान में कानून लागू कर दें और पूर्ण शराबबन्दी करें। मैं कहना चाहता हूं कि आप चाहते हैं कि शराबबन्दी नहीं हो, क्योंकि पहले जहां पर केवल दस पर्सेन्ट इंडिया की पोपुलेशन शराब पीने की आदी थी, लेकिन शराब पीने की छूट देने के कारण आज बाइस पर्सेन्ट लोग, जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो विभिन्न जातियों और धर्मों के हैं, जो शराब पीना नहीं चाहते हैं लेकिन अब शराब पीने लग गये हैं। आज छूट देने के कारण ही होटलों और रेस्ट्रों में शराब बिकती है, और यह नई भावना लोगों में पैदा हो गई है कि साहब, यह तो हमारी स्वतन्त्रता पर चोट है, यह हमारी आजादी पर बड़ा आघात किया जा रहा है, इसलिए ही लोग बच्चन की कविता का उद्धरण देते हैं—

लड़वाते हैं मन्दिर मस्जिद
मेल कराती मधुशाला।

श्री मनोहरसिंह मेहता : यह बात ठीक है।

श्री मथुरादास माथुर : यह मधुशाला शराब का ठेका नहीं है, यह भगवान की मधुशाला है।

श्री मूलचन्द डागा : वह ठीक है। तो लोग कहते हैं कि यह हमारी स्वतंत्रता पर प्रहार हो रहा है। लोग कहते हैं कि हमें स्वतंत्रता होनी चाहिए। तो स्वतंत्रता होनी चाहिए तो आत्म हत्या करने की भी स्वतंत्रता होनी चाहिए। 307 में जो सुसाइड को इल्लीगल करार दिया है, उसमें भी यह कहना चाहिए कि आत्म हत्या करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। कोई आदमी दुनिया की दिक्कतों से घबराकर, जिन्दगी से घबरा कर मरना चाहता है तो उसके खिलाफ आप कानून क्यों बनाते हैं ? आप कहिये कि तुम्हें मरने की पूरी छूट है, आत्म हत्या करने की पूरी आजादी है। आखिर आजाद मुल्क में यह रोक क्यों ? तो मैं कहना चाहता हूं कि आजादी का मतलब यह नहीं है। आप जो बार बार यह कहते हैं कि इसके पक्ष में जनमत तैयार किया जाय, यह खुद मंत्री जी चाहते हैं तो मैं एक बात कहना चाहता हूं कि आपने इसमें यह प्रावीजन क्यों किया है इसमें ऐसे क्लॉज क्यों रखे हैं जिनके नीचे लोगों को परमिट मिल सकता है शराब का, जिनके नीचे क्लबों में लोगों को शराब सर्व की जा सकती है, स्टेट के गेस्ट्स को शराब सर्व की जा सकती है, पार्टियों में शराब सर्व की जा सकती हैं। इस विधेयक के अन्तर्गत ऐसे प्रावधान हैं, जिन प्रावधानों के अन्तर्गत सरकार शराब के परमिट देगी और उसके अनुसार लोग शराब पिला सकते हैं, वहां पर शराब पिलाने की व्यवस्था हो सकती है यह बात क्यों है ? आज देश के अन्दर लोगों के अन्दर एक धारणा पैदा हो गई है कि

(श्री मूलचन्द डागा)

सरकार को शराबबन्दी से नुकसान होगा। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि महाराष्ट्र ने मद्य-निषेध किया है, गुजरात ने मद्य-निषेध किया है, मद्रास में अन्ना दुराई ने मद्य-निषेध किया। इन तीनों स्टेटों के अन्दर क्या यह स्थिति पैदा हो गई है? आप मद्रास की हालत को देख लीजिये, महाराष्ट्र की हालत को देख लीजिये, गुजरात की हालत को देख लीजिये-इन तीनों बड़े बड़े स्टेट के अन्दर शराबबन्दी की गई है। उनकी क्या हालत है? मैं समझता हूं कि अगर आप पूर्ण शराबबन्दी करना चाहते हैं, और उसके लिए आप कानून लागू करना चाहते हैं तो गांधीजी के प्रति श्रद्धा अर्पित करनी चाहिए गांधी शताब्दी के वर्ष में पूर्ण शराबबन्दी करके। यह कांग्रेस के लिए अनिवार्य भी है क्योंकि गांधीजी यह मानते थे कि देश के अन्दर शराबबन्दी करना बहुत जरूरी है। यह बात 2 अक्टूबर 69 को घोषित हो जानी चाहिए, चाहे फिर कितना ही घाटा हो। अगर इससे गवर्नमेंट को करोड़ों रुपये का भी घाटा हो तो भी मैं समझता हूं कि इससे स्टेट को घाटा नहीं होने वाला है, क्योंकि इससे तीन बातें बढ़ेगी एक तो यह बात बढ़ेगी कि मिलों में काम करने वाले मजदूर हैं कारखानों में काम करने वाले मजदूर हैं, खेतों में काम करने वाले मजदूर हैं, उन लोगों की काम करने की शक्ति बढ़ेगी, उनकी उत्पादन करने की ताकत बढ़ेगी और उनकी क्रय शक्ति बढ़ेगी इससे आपके पास सेल्स टैक्स में अधिक पैसा आयेगा। मैं नहीं मानता कि कल्याणकारी राज्य में लोगों की हालत सुधारना चाहते हैं तो घाटे से घबरा कर शराबबन्दी न करें। फिर शराबबन्दी के विपक्ष में बोइस क्या है। कहा जाता है कि शराब सर्दी को दूर कर देती है। तो हिन्दुस्तान ऐसा मुल्क नहीं हैं जहां पर अधिक सर्दी पड़ती हो और जिससे शराब पीना बहुत जरूरी हो। जो ठंडे देश हैं और वहां जो काम करते हैं उनके लिए शराब जरूरी हो। लेकिन हिन्दुस्तान तो गरम देश हैं और उसके साथ उसकी संस्कृति ऐसी है। हिन्दुस्तान के अन्दर शुरू से ऐसी धारणा बनी हुई है कि शराब नहीं पीनी चाहिए, शराब पीने वाले हैं उनके अन्दर और खराबियां पैदा होती हैं तो जो एक बात बतलाई जाती है कि शराबबन्दी से घाटा होगा, उसके लिए मेरा निवेदन है कि हजारों और लाखों मजदूरों के स्वास्थ्य को खराब करके यदि आप कालेज खोल दें, स्कूल खोल दें तो उनसे क्या लाभ होगा? जहां लाखों करोड़ों मजदूरों का नुकसान हो जाय, जो राजस्थान का श्रमिक है, राजस्थान का जो काश्तकार है जो कि शारीरिक श्रम करता है, जिसके कण कण में ताकत है, उसमें आप अमृत डालने के बजाय शराब की बूंद क्यों डाल रहे हैं? यह एक बहुत बड़ी बात है। आप कहते है 10 परसेंट, मैं कहता हूं कि छूट है तो क्या होगा? क्यों कॉलेज के लड़के शराब पीना सीख गए हैं? होटलों में जाते हैं वे कहते हैं कि फैशन है। यह फैशन किस बात की? शराब पीने से कितना नुकसान होता है? टेकचंद, हाई कोर्ट जज को आपने मुकर्रर किया और उन्होंने सारी जांच करके रिपोर्ट दी। रिपोर्ट में उन्होंने बताया कि जितने गलत काम होते हैं, वे शराब से होते हैं। यह आदत है, लाचारी है, आदत पड़ जाय तो छूटती नहीं। इस कानून को आपको गांधी शताब्दी साल के दौरान नहीं लाना चाहिए। आप कहते हैं

Page No 90

(श्री मूलचन्द डागा)

कि इससे आर्थिक नुकसान हो जाता है। जब केन्द्रीय सरकार कहती है कि 50 प्रतिशत हम दे देंगे तो मैं समझता हूं कि शराब बन्दी से लोगों की क्रयशक्ति बढ़ जायगी। आप लोगों पर ऐक्सट्रा टेक्स लगायें यह बोझ बर्दास्त होगा लेकिन शराबबंदी कानून धीरे धीरे चलाने के बारे में और होटलों और रेस्टोरां में शराब देने के जो क्लॉजेज हैं, वह पढ़कर सुनाना चाहता हूं। आपने जो बिल दिया है उसकी धारा 28 (1) व (2) में है:—

" The State Government may, by notification and subject to such conditions as it may think fit to impose, exempt any specified liquor or article containing liquor from the observance of all or any of the provisions of this Ordinance on the ground that such liquor or article is required for a medicinal, scientific, industrial or such like purpose."

28. (2) –"The State Govt. may, by notification, either wholly or partially and subject to such conditions as it may think fit to impose, exempt the crew of warships or troopships or members of the Aramed Forces, their messes or canteens or any clubs or institutions which either operate under Service Regulations or are run by and for the members of the Armed Forces exclusively, or any other person or class of persons from all or any of the provisions of this Ordinance, or of all or any of the rules made under this Ordinance either throughout the State or in any specified area or for any specified period or occasion....

तो इन्होंने जो एग्जेम्प्ट किया है

"Any rules made thereunder or any other person or class of persons or any of the provisions of this Act."

इसका मतलब क्या हुवा ? आपने पूरी छूट ली है सारा कानून बना दिया और क्लब के लिए कहते हैं कि नाइट कलब है उसमें शराब की इजाजत होगी। अगर सरकार मान चुकी है कि शराब पीना गुनाह है और शराब पीना खराब है तो उसको क्यों नहीं बंद करते हो ? अमरीका के अंदर ओपियम के लिये मना कर दी। कोई प्रयोग नहीं कर सकता। राजस्थान में ओपियम भी एक बीमारी है, भंग, गांजा और चरस बीमारियां हैं। हमने शराबबंदी कर ली। इस बात का मनोहरसिंहजी मेहता स्वागत करेंगे। यह ठीक आर्डिनेन्स है लेकिन बिल में राज्य सरकार की धारणा है कि हम लोगों को घाटा पड़ जायगा। हमारे देश में संस्कृति के कुछ तरीके रखे हैं। शराब पीने वाले क्या गुनाह करते हैं ? महात्मा गांधी ने खुले शब्दों में कहा है जो मैं याद दिलाना चाहता हूं:—

(श्री मूलचन्द डागा)

"Drinks and drugs degrade those who are addicated to them and those who traffic in them. The drunkard forgets the distinction between wife, mother and sister and indulges in crimes of which in his sober moments he will be ashamed. "

इतना कह दिया कि पत्नी, बहिन और मां में शराबी फर्क नहीं समझेगा। यह गांधीजी ने आज नहीं लिखा है, गांधीजी ने कहा था कि शराबी बहिन, मां और धर्मपत्नी में कोई फर्क नहीं समझेगा। उन्होंने यह भी कहा था; "If I were appointed a dictator for one hour for all India एक घंटे के लिए भी डिक्टेटर बना दिया जाय first thing I would do would be to close without compensation all the liquor shops, destroy all the toddy palms such as I know them" उन्होंने कहा मैं खतम कर दूंगा एक घंटे में सारी शराब की दुकानें। लेकिन यहां पर श्रीमान आप शराब लाना चाहते हैं। अगर कॉलेज के लड़कों की यह आदत बढ़ गई तो 1928 में मोतीलाल नेहरू ने कहा था और 1964 में टेकचंद की रिपोर्ट आ गई। पहले कांग्रेस सरकार ने बम्बई में मद्यनिषेध लागू किया और आप इस तरह से रुक जाते है कि तीन साल में आप शराबबन्दी को पूरा करेंगे। इस बीच में लाखों लोग और इस आदत में पड़ जायेंगे। आज कल यह कॉमन हो रहा है। लोग समझते हैं कि पीना लाभप्रद है। टेकचन्द ने डाक्टरों को इग्जेमिन किया और रिपोर्ट दी। उन्होंने बताया कि इससे कितना नुक्सान होता है और नुक्सान के अलावा उन्होंने यह कहा;

"Intoxicating drinks when taken even in a small quantity...

हिन्दी में शब्द है "थोड़ा थोड़ा", "कुछ कुछ", यह खतरनाक शब्द है। इस चीज का जब उपयोग होता है तो आदमी में निश्चय की वृत्ति नहीं, आदमी दृढ़ नहीं, आदमी संकल्प नहीं ले सकता। 28 में दो बातें रख दी इसलिए टेकचन्द कहते हैं:

"Intoxicating drinks taken when even in a small quantity weaken inhibitions or in other words, release the brakes of the mind".

उन्होंने कहा है कि दिमाग की धमनियां कमजोर पड़ती हैं आइदानसिंहजी ज्यादा बता सकते हैं, उनको अनुभव है लम्बे समय से कि यह क्या नुक्सान करता है।

थोड़े समय बाद Law abding becomes law avoiding and law fearing becomes law daring.

कानून का मुकाबला करो। क्या होता है कानून? तो जो अपराध होते हैं कत्ल के, रेप के, मर्डर के केसेज होते हैं, ज्यादा किस लिए होते हैं? शराब पीने वालों के अड्डों में ये काम होते हैं। अगर शराब को रोक दिया जायगा तो अदालतों पर खर्चा कम हो

(श्री मूलचन्द डागा)

जायेगा, पुलिस का दौड़ना, पुलिस की व्यवस्था लाखों रुपए का फायदा हो सकता है। शराब बन्द करो अगर दुनिया को शराबियों से बचाना है। राज्य सरकार जब कहती है कि हमने कदम उठाये हैं। क्या मनोहरसिंह जो हमारे सर्वोदय नेता के लिए चाहते हैं कि इस गांधी शताब्दी वर्ष में उनको नींद अच्छी आए और गांधीजी की आत्मा को शांति मिले, तो कानून ऐसा होना चाहिए जो मजबूती के साथ कह दे कि 2 अक्टूबर 1969 से शराब बन्द होगी ? राजस्थान में शराब नहीं मिलेगी और यह नहीं होता है तो 1973 में न मालूम क्या पार्टी आएगी? लोकतन्त्र है। अच्छा काम करना है तो देर किस बात की ? आज ही करो, बुरा समझते हैं तो ..

श्री रामचन्द्र आर्य (नोहर) : गांधीजी तो चले गये, ये उनकी औलाद यहां बैठी है। यह शराब खुली बेच रहे हैं, घर घर भेज रहे हैं और कानून बना कर खुली छूट देने का कहा था गांधीजी ने क्या ?

श्री सभापति : ऑर्डर।

माननीय सदस्य को बोलने दें।

श्री मूलचन्द डागा : कई प्रकार के दिमाग हैं। आप 1928 के मोडल हो। लोग कहते हैं कि शराब बन्दी भी कोई चीज है। धीरे 2 कदम उठाइये। लेकिन धीरे 2 चलने वाले लोग अपने गन्तव्य स्थान पर नहीं पहुंच सकते। करना है तो कर गुजरो। नहीं करना है तो कानून है ही। दो शंकायें बतायीं। यदि शराब बन्दी हो जावेगी तो हम दिवालिया हो जावेंगे। यदि धन से दिवालिया हो जाये तो कोई बात नहीं। चरित्र से दिवालिया हो गये तो फिर कुछ नहीं है। जिसका चरित्र गिर गया उसका सब कुछ गिर गया। फाइनेन्स चला गया तो कुछ नहीं गया। लेकिन चरित्र गिर गया तो सब कुछ चला गया। हिन्दुस्तान सोया हुआ है, अपनी आजादी को कायम नहीं रख सकेगा गांधीजी ने कहा था शराब पी पी कर आजादी को कायम नहीं रख सकेंगे। चरित्र को खो कर इस प्रकार का कार्य किया गया, गांधी शताब्दी में यह बिल लाये, कानून बनाने से क्या होगा ? इन्डियन पीनल कोड है, फाड़ दीजिये, चोरी करने से सजा मिलेगी। कई साल से बना हुआ है। चोरियां होती हैं लेकिन एक डर होता है। बार बार कहना चाहता हूं कि शराब बन्दी का कानून राजस्थान गवर्नमेंट को लाना है तो समय के अन्दर कोई बंटवारा किये बगैर एक दम ले आओ और अलग टैक्स भी यदि पब्लिक पर लगे तो जनता उसको बर्दाश्त कर लेगी। लेकिन यदि इसमें गड़बड़ हो गयी तो भविष्य उत्तर देगा।

श्री सभापति : श्री रामकिशन।

(अनुपस्थित)

श्री जुझारसिंह। (अनुपस्थित)

श्री शिवनाथसिंह। (अनुपस्थित)

श्री मनोहरसिंह।

श्री महेन्द्रसिंह : ओन ए पोइन्ट ओफ ओर्डर, सर। एक छलांग मारली आपने।

श्री सभापति : श्री वृद्धिचन्द्र जैन।

श्री वृद्धिचन्द्र जैन (बाड़मेर) : सभापति महोदय, राजस्थान मद्य-निषेध विधेयक, 1969 को जनता में प्रसारित करने के लिये प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। इस विधेयक को मैंने अच्छी तरह से पढ़ा है और विशेष-तौर से मैं दो तीन मुद्दों की ओर सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। पहले मैं सैक्शन 26 की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं :

"Power to compound certain offences-- The Prohibition Commissioner or Prohibition Officer specially authorised by the State Government in this behalf, may subject to such conditions and restrictions as may be prescribed, accept from any person who has committed an offence under clause (g) of sub-section (1) of Sec. 4 so far as it related to the consumption of liquor, clause (h) of that sub-section, section 8 or section 13, a sum of money not exceeding rupees ten thousand by way of composition of such offence."

"(2) On the payment of such sum of money to such officer, the accused person shall be discharged, the property seized, if any (except an excisable article which may be confiscated), shall be released, and no further proceeding shall be taken against such person or property in respect of such offence."

मैं यह समझता हूं कि यह क्लॉज 26 है अगर इस क्लॉज 26 का यही प्रोविजन रहा तो यह मद्य-निषेध विधेयक जो एक्ट के रूप में पारित होने जा रहा है उसका विशेष लाभ नहीं होगा। क्योंकि अधिकांश जो पैसे वाले हैं, जो पूंजीपति हैं, रईस हैं और जो बड़े बड़े अधिकारी हैं वे अगर मद्य पान करेंगे और वे किसी भी हालत में शराबी की हालत में पाये जावेंगे और शराब को कन्ज्यूम करेंगे तो उनके लिये सैक्शन 26 एप्लीकेबल होकर, रुपया देकर राजीनामा के द्वारा उनको छोड़ दिया जावेगा मैं यह समझता हूं कि कोई भी ओफेन्स करें तो उसके लिये कोई कम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिये। अगर बड़े से बड़ा व्यक्ति हो, शराब के नशे में चूर पाया जाय, शराब यूज करे या शराब के विषय में कोई ऑफिन्स करे तो सजा मिलनी चाहिये। मैं यह चाहता हूं कि पनिशमेंट के क्लॉजेज हों उसमें कन्विक्शन, इम्प्रिजन और फाइन हो। जब तक उनको जेल नहीं मिलेगी शराब बन्द नहीं होगी। बम्बई में प्रोहिबिशन का एक्ट विशेष तौर से सफल नहीं हुआ उसका कारण यह था कि कन्विक्शन में साधारण फाइन किया गया और उसके लिये कोई डर पैदा नहीं होता था। इसके लिये यह आवश्यक है कि इस प्रकार के कानून को लागू करने के लिये, शराब को बन्द करने के लिये विषैले नशे को बन्द करने के लिये सख्त प्रोविजन करना चाहिये और इम्प्रजनमेंट का प्रोविजन होना चाहिए। यह सख्त होगा तब ही शराब बन्दी होगी और यह आदत दूर होगी।

(श्री वृद्धिचन्द्र जैन)

दूसरे खण्ड की ओर मैं ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। वह खण्ड 31 है :—

"Permits and licences for possession, etc. of liquor Subject to rules made by the State Government, the Prohibition Commissioner or any Prohibition Officer empowered by him in this behalf may issue:- (a) permits authorising any person to consume and possess for private consumption any liquor (b) permits authorising any person or institution to possess, bottle and use any liquor for any religious purpose in accordance with ancient custom;"

यह जो क्लॉज 31 डी है यह बहुत ही खतरनाक है। अगर इस प्रकार के परमिट देंगे, देवी देवताओं को चढ़ाने के लिये शराब फ्री किया जाय तो यह आज के वैज्ञानिक युग में उचित नहीं है और कभी भी उचित नहीं समझा जायगा कि इस प्रकार के क्लॉजेज जो धर्म के विपरीत हैं, उनका प्रावधान किया जाय। मैं विशेष तौर से सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि देश के महान नेता लोक मान्य तिलक ने ठीक ही कहा है कि अगर ईश्वर भी शराब पीने के लिये कहे तब भी मत मानो। इसलिये यह खण्ड धर्म के सिद्धान्तों के विपरीत है और ऐसे क्लॉजेज नहीं रहने चाहिये। दूसरा क्लॉज 31 (E) है :

"Licences to a person in charge of a restaurant car attached to a railway train or to person incharge of a railway refreshment room to possess liquor and serve it to bonafide travellers;"

रेल्वे के अन्दर रेस्टोरेन्ट्स में शराब का रखना और उनके यूज करने का प्रावीजन यह नहीं होना चाहिये। इस प्रकार का प्रॉवीजन रखा गया तो लाइसेन्स के नाम पर, परमिट के नाम पर, शराब का प्रयोग होगा। मैं तो यह भी चाहता हूं कि शराब का प्रयोग औषधियों में भी न हो तो उचित ही होगा। इसके बजाय आयुर्वेदिक औषधियों का प्रयोग किया जाय। एलोपैथिक मेडिसन्स का प्रयोग न किया जाये। मैं तो इस दृष्टिकोण का हूं कि किसी भी रूप में शराब का सेवन नहीं किया जाना चाहिये। शराब के बारे में हमारे राष्ट्र पिता महात्मा गांधी ने यह ठीक ही कहा है "मैं भारत का गरीब होना पसन्द करूंगा, परन्तु यह बात पसन्द नहीं करूंगा कि लोग शराबी हों, अगर मुझे इसके लिये लोगों की शिक्षा को भी बंद करना पड़े तो मैं इसकी भी परवाह नहीं करूंगा और शराबबंदी करूंगा। यदि मुझे एक दिन के लिये भारत का डिक्टेटर बना दिया जाये तो पहला काम शराब की दुकानों को बिना मुआवजे दिये बन्द कर दूंगा।" शराबबंदी के बारे में हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का यह दृष्टिकोण था। महात्मा गांधी सम्पूर्ण नशाबंदी के पक्ष में थे और इसके लिये बराबर प्रयास करते रहे हैं। संविधान में भी इसकी व्यवस्था की है। कांग्रेस के कान्स्टीटयूशन में भी यह प्रावधान है कि कांग्रेस के सक्रिय सदस्य के लिये यह आवश्यक है कि वह शराब बंदी में विश्वास रखता हो। कांग्रेस

(श्री वृद्धिचन्द्र जैन)

के चुनाव घोषणा पत्र में, डिक्लेरेशन में बार बार यह कहा गया है कि हम शराब-बंदी जल्दी करेंगे लेकिन अभी तक शराब बंदी के लिये कोई ठोस कदम नहीं उठाया। अब जो राजस्थान सरकार ने कदम उठाया है वह निर्णय सन् अप्रेल 72 में शराब-बंदी करने का है। यह क्यों नहीं जनवरी, 1972 तक कर देते हैं? इसमें क्या कठिनाई पड़ती है? वे यह कहते हैं कि हमारे सामने अर्थ का प्रश्न है इसलिये वे इस प्रश्न को अभी तक हल नहीं कर पाये हैं। अगर दृढ़ निश्चय से आप इसको करना चाहते हैं, पूरी तरह से इसकी व्यवस्था करना चाहते हैं और इसको भली भांति सफलीभूत करना चाहते हैं तो इसको जल्दी से जल्दी स्वीकार करें। यह सदन भी, सर्व-सम्मति से इसको चाहता है। सारी राजस्थान की जनता इसको चाहती है। जनता के जो प्रतिनिधि हम हैं, वे सब चाहते हैं। जनता चाहती है तब इसके बारे में हम कदम देरी से क्यों उठाते हैं जब कि इस शराब के कारण हमारा इतना विनाश हो रहा है? राष्ट्र को इतना नुकसान होता है। आज मानव को हम भ्रष्ट करना चाहते हैं, व्यभिचारी बनाना चाहते हैं, चरित्रहीन बनाना चाहते हैं। इसलिये पसन्द करूंगा और शराब के बारे में यहां तक चाहता हूं कि इसके बारे में ठोस से ठोस कदम उठाना चाहिये। मैंने स्वयं ने स्थिति देखी है, मजदूर, हरिजनों को जिस दिन वेतन मिलता है, मजदूरी मिलती है, वे अधिकांश अपना पैसा शराब के अन्दर खर्च कर देते हैं और अपनी गाढ़ी कमाई को खर्च कर देते हैं इस तरह उनकी आर्थिक स्थिति उन्नतिशील नहीं होती है। और वे तरक्की नहीं कर पाते। उनकी प्रगति नहीं हो पाती। उनके लिये सबसे ज्यादा, मजदूरों के लिये रुकावट की जो चीज है, वह शराब है। जब हम यह जानते हैं कि शराब हर तरह से नुकसान-देय है, स्वास्थ्य के लिये नुक्सानदेय है, आर्थिक स्थिति को कमजोर करती है, स्वास्थ्य को बिगाड़ती है, हर तरह से उचित नहीं समझते हैं फिर क्यों शराब के प्रयोग को चालू करते हैं? मैं चाहता हूं कि यह जो बिल पेश किया गया है, उस बिल में एक खण्ड है, उसमें यह लिखा है उसमें यह कर दें कि यह प्रभावी होगा 2 अक्टूबर, 69 से। अगर इस प्रकार से करते हैं तो हम महात्मा गांधी की शताब्दी को अच्छी तरह से मना सकेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं यह निवेदन करता हूं कि इस बिल को जनमत जानने के लिये परिचालित किया जाये।

श्री सभापति : श्री जुझारसिंह।

श्री महेन्द्रसिंह (पीपलदा) **:** सभापति महोदय···

श्री सभापति : ऑर्डर प्लीज।

श्री महेन्द्रसिंह : जो सदस्य हाउस में नहीं हों और उनका नाम पुकारा गया हो उस समय तो उन्हें दुबारा चांस नहीं दिया जाना चाहिये वरना आगे वालों को मौका कैसे मिलेगा?

श्री सभापति : दो दफे चांस दे सकते हैं। यह सही है कि जब नाम पुकारा गया था माननीय सदस्य सदन में उपस्थित नहीं थे किन्तु कांग्रेस पार्टी के दो सदस्यों को मौका दे दिया गया है।

श्री महेन्द्रसिंह : अब आगे जिन सदस्यों के नाम लिस्ट में हैं, उन्हीं को अलाउ करें तो अच्छा होगा।

श्री सभापति : श्री जुझारसिंह :

श्री महेन्द्रसिंह : आप पहले इस पर निर्णय दें। आप पक्षपात करते हैं। यह कोई तरीका है? आप के पास एक लिस्ट बनी है कि इस तरह से नम्बर होगा। फिर उसके अनुसार चलें। आगे का नाम क्यों नहीं बोलते? अगर इन में से उस समय कोई मौजूद नहीं है तो उसका नम्बर गया। आप किस तरह से कन्ट्रोल कर रहे हैं।

श्री सभापति : डिबेट को कन्ट्रोल करने का काम चेयर का है।

श्री महेन्द्र सिंह : यह ठीक है कि डिबेट को कन्ट्रोल करने का काम आपका है इसमें कोई आपत्ति नहीं है। परन्तु जिस तरीके से कि इस हिसाब से नाम बोले जायेंगे, उसी हिसाब से आप चलें तो ज्यादा बैटर होगा।

श्री सभापति : सभी दलों का ख्याल रखना होता है। यह जरूरी नहीं है कि लिस्ट का नाम ही पुकारा जाये। सभी दलों के माननीय सदस्यों को इस मामले में अपने विचार व्यक्त करना है।

श्री महेन्द्रसिंह : दलों का प्रश्न नहीं है। इस कार्यवाही को जिस प्रकार से आप चला रहे हैं, उसके बारे में कह रहा हूं। उस समय सदस्य मौजूद नहीं थे, इसलिए आगे व ले को चांस दे तो ठीक होगा। शिवनाथसिंह जी के आगे जिनका नाम है, उनको चांस दीजिये।

श्री सभापति : कांग्रेस के दो सदस्य बोल चुके हैं इसलिये दूसरे दलों का बोलना जरूरी है। स्वतन्त्र पार्टी के श्री बाढ़दार बोल चुके हैं। कांग्रेस दल के सदस्य बोल चुके हैं इसलिये दूसरे दल के सदस्य भी इसमें भाग लें। इस सारे दृष्टिकोण से ठीक ही समझ कर श्री जुझारसिंह का नाम पुकारा गया है।

श्री महेन्द्रसिंह : श्री बाढ़दार दूसरे मोशन पर बोले हैं।

श्री सभापति : वह एक ही बात है। समय शॉर्ट है, 5 बजे तक ही है। इस दरम्यान सभी दलों के लोगों को एकोमोडेट करना है।

श्री महेन्द्रसिंह : एक बात बता दें, मेरा नाम कितनी देर में आ जायेगा?

श्री मुकुटबिहारी लाल: मैं प्राक्कलन समिति से अपना नाम वापिस लेने की आज्ञा के लिए प्रार्थना करता हूं।

श्री सभापति : श्री मुकुटबिहारीलाल, ने प्राक्कलन समिति से अपना नाम वापिस लेने की आज्ञा के लिए प्रार्थना की है। क्या उन्हें अनुमति प्रदान की जाय?

(स्वीकृति)

अनुमति प्रदान की गई

श्री मुकुटबिहारी लाल : मैं प्राक्कलन समिति से अपना नाम वापिस लेता हूं।

श्री सभापति : श्री जुझारसिंह।

श्री जुझारसिंह (रामगंज मण्डी): सभापति महोदय, अभी जनसंघ के एक माननीय सदस्य ने आपत्ति की थी। मैं पहले नहीं बोल सका, क्षमा चाहता हूं। जब मेरा नाम यहां पुकारा गया मैं यहां हाजिर नहीं

(श्री जुझारसिंह)

था । इसके बावजूद आपने मेरे को समय दिया, इसके लिये धन्यवाद देता हूं । उनकी भावनाओं की कद्र करते हुए मैं ज्यादा समय सदन का नहीं लूंगा, जो आवश्यक बातें हैं, उसके बारे में ही निवेदन करूंगा ।

श्री महेन्द्रसिंह : आपत्ति आपके बोलने के बारे में नहीं थी । सभापति महोदय, द्वारा कार्यवाही के संचालन के सम्बन्ध में थी ।

श्री जुझारसिंह : सभापति महोदय मद्य निषेध के बारे में जो बिल लाया गया है, वास्तव में उसके कई पहलू हैं । आर्थिक, सामाजिक और राजनैतिक । इस प्रश्न से जहां तक कांग्रेस दल का सम्बन्ध है और हमारे दल के जो विचार हैं, वह बिल्कुल स्पष्ट हैं मद्य सेवन व शराब पीना अपने देश के लिये अभिशाप हो रहा है । इससे कई परिवार नष्ट हो गये हैं और इसके ज्यादा सेवन करने से राष्ट्र के चरित्र में गिरावट आती है । यह सही बात है कि इसको किसी भी तरह से कन्ट्रोल किया जाना बहुत आवश्यक है ।

इस बात में कोई दो राय नहीं है । लेकिन किसी भी चीज को रोकने के लिये केवल कानून ही आवश्यक नहीं होता है । हमारे देश की आजादी के बाद हमारे यहां कई तरह के कानून बने हैं उनमें एक कानून यह और बढ़ जायगा । इस कानून को सदन के मानने से, प्रोहिबिशन कानून के पास होने से महात्मा गांधी की मन्शा पूरी हो जावेगी और जो कुछ उनके विचार थे उसके माफिक इस देश का ढांचा बन जायगा इससे मैं सहमत नहीं हूं । मेरा खुद का अनुभव है कि राष्ट्र में सामाजिक सुधार के लिए कानून नहीं लाया जाना चाहिये । दुनियां के सब देशों से अधिक संख्या वाला हिन्दुस्तान ही एक ऐसा देश है जहां वेजीटेरियन लोगों की संख्या व शराब नहीं पीने वालों की संख्या सब देशों की संख्या से अधिक है । इस देश में इस प्रकार के लोगों की अधिक संख्या कानून के बल पर नहीं हुई थी बल्कि इसके लिये पब्लिक ओपिनियन बनाई गई थी । समाज के जो नेता हुआ करते थे और जिनका सम्बन्ध राजनीति से वास्तविक रूप से नहीं हुआ करता था जो केवल समाज सुधारक ही थे जिनकी तरफ जनता की निष्ठा रहती थी वे अपने आदर्शों से जनता को प्रेरित किया करते थे और यही कारण है इस प्रकार का वातावरण सेन्चुएरीज तक हमारे देश में बना रहा है । उस समय शराब पीने वालों और मांसाहारी लोगों को एक प्रकार से घृणा की दृष्टि से देखा जाता था, इन आदतों को बहुत अच्छा नहीं माना जाता था । यह अच्छी बातें हमारे समाज में केवल कानून की वजह से या किसी पार्टी की वजह से आयी हों यह बात नहीं थी ।

आज हम देखते हैं कि प्रेक्टिस में समाज सुधारक के प्रति पहले जैसी निष्ठा थी वह 1947 के बाद से नहीं है । जब से हम लोगों ने इन थियोरी प्रोहीबिशन की ज्यादा बातें करनी शुरू की हैं हम देखते हैं जिन परिवारों में, जिन समाजों में, कई पीढ़ियों से, सैकड़ों वर्षों से, ये बुराइयां नहीं थीं, जो परिवार कभी शराब को छूता तक नहीं था, जो हमेशा वेजीटेरियन हुआ करते थे आज उन कुटुम्बों में भी इसका प्रचलन अधिक मात्रा में हो गया है । जो वेजीटेरियन हुआ करते थे उनमें नॉन वेजीटेरियन का प्रचलन बढ़ा है इसलिये हम लोगों को देखना है कि

Page No 98

(श्री जुझारसिंह)

ऐसा किन परिस्थितियों के कारण हो रहा है ? जिन लोगों के बारे में लोग भरोसा तक नहीं कर सकते थे, उन परिवारों में 1947 के बाद यह परिवर्तन क्यों आया ? जिस परिवार में कभी शराब नहीं चलती थी उसमें इतने परिवर्तन का आखिर कारण क्या है ? आप 22 वर्ष के शासन काल के आंकड़े इकट्ठा करें तो आपको पता चलेगा कि इन वर्षों में शराब की खपत कितनी बढ़ी है, यह उसकी आमदनी से पता चल जायेगा ।

यह देश ऐसा है जहां सामाजिक कदम ज्यादा कारगर हो सकते हैं कानून के मुकाबले । समाज के दबाव से ज्यादा आसानी से इन बुराइयों को दूर किया जा सकता है परन्तु पिछले सालों में इस पर ज्यादा तवज्जोह नहीं दी गई है । मेरा यह सन्देह है कि कानून के बावजूद हम शराब बन्दी की मन्शा को पूरा नहीं कर पायेंगे ।

इसके अलावा इस कानून में कुछ एक्सेपशन्स रखे हैं : फौज के केन्टीन्स में, फौजी मेसों में पार्टीज में शराब पीने की छूट दी है । फोरिन डिप्लोमेटस के लिये शराब पर पाबन्दी नहीं लगाई है इसके अलावा भी कुछ एक्सेपशन्स दिये गये हैं । मैं पूछना चाहता हूं क्या इन एक्सेपशन्स के स्थानों पर जब पार्टियां होंगी, जहां फौजी ओफिसर्स सिवल आफिसर्स से नहीं मिलेंगे ? ब्रिटिश सरकार के समय फौजी अफसर सिविलियन्स से मिक्स-अप नहीं होते थे ? आजादी के बाद सिविल आफिसर फौजी आफिसर के साथ बैठता है व उसको अलग रखना अब उपयुक्त नहीं समझा गया है । हिन्दुस्तान आजाद है जहां फौजियों की पार्टीज होगी उसमें सीविलियन्स भी भाग लेगें, अब पहले से ज्यादा इनका आपसी मिलन होता है । तो क्या गारन्टी है इस तरह के फंक्शन्स में सोशल फंक्शन्स में, सिविल आफिसर्स को फौज वाले शराब नहीं पिलायेंगे ? इससे आपके कानून की अवहेलना होगी या ऐसे अवसरों पर सिविलियन्स नहीं जायेंगे ? इस आजादी के जमाने में वॉटर टाइट कैम्प तो नहीं बना सकते । यदि वहां जाकर सिविलियन्स शराब नहीं लें तो यह व्यवहारिक नहीं होगा । इससे मैं यह महसूस करता हूं कि यह जो एग्जेम्पशन्स आपने रखे हैं वह एक तरह से आपसी मिलने जुलने पर तलवार लटका रखी हैं । इसी तरह की बात फोरिन डिप्लोमेट्स के लिए भी है । आखिर वे लोग यहां के आदमियों से मिलने के लिये, यहां की सामाजिक स्थिति जानने के लिये व आपसी आदान प्रदान करने के लिये ही यहां पोस्टेड हैं । इस प्रकार के अस्सी सौ देशों के प्रतिनिधि हमारे यहां रहते हैं । वे यहां के सीनियर आदमियों से मिलते हैं, उनका सोशियल कोन्टेक्ट रखना आवश्यक है । उनसे मिलने वाले हमारे व्यक्तियों पर इस तरह की पाबन्दियां हों तो वे अपना कार्य ठीक तरह से नहीं कर पायेंगे या उन पर कानून के बावजूद भी इस प्रकार की पाबन्दियां नहीं रख पायेंगे । इसी तरह के व्यवहारिक कानून के प्रोपर तरीके से अमल होने में दिक्कत आती हैं । आज भी हम देखते हैं बहुत से कानून बने हुए हैं फिर भी उसका कोई महत्व नहीं है क्योंकि जो निष्ठा कानून में होनी चाहिये, वह नहीं होती है और ऐसी परिस्थिति में कानून का कोई महत्व नहीं रह जाता है । इसलिये मेरा निवेदन है कि प्रेक्टिकल ऑसपेक्ट को ध्यान में नहीं रखते हुए केवल सेन्टीमेंट्स की वजह से कोई कार्य किया गया तो उसका नतीजा

(श्री कुमार सिंह)

जो होता है वही इस प्रोहिबीशन के कानून का होने वाला है। इसलिए मेरा निवेदन है कि अगर प्रोहिबीशन लाना ही है और गांधी शताब्दी पर इसे लागू करना ही है तो आपको चाहिये कि इसको प्रेक्टिकल स्वरूप दें। ताकि इसकी पाबन्दी हो सके। इसके लिये कानून के मुकाबले आपको इसके सोशियल साइड पर ज्यादा ध्यान देना चाहिये।

यह बात सही है कि शराब से सैकड़ों हजारों घर तबाह हो गये हैं। कोई भी समझदार आदमी इसका प्रचलन नहीं चाहेगा। मेरा खुद का अनुभव है हमारे लोगों में शराब पर किसी प्रकार की पाबन्दी नहीं थी, कभी इसको बुरा नहीं माना जाता था। आज हम भी यह अनुभव करने लगे हैं कि शराब का चलन ठीक आदत नहीं है। इससे हमारे समाज में पीने वालों की परसेन्टेज में काफी कमी आई है। मैं देखता हूं कि अब हमारे लोगों में नेगलीजिबल परसेन्टेज रह गया है, जो इसको कभी कभी काम में लाते होंगे। इसके मुकाबले में जो दूसरा तबका है जिनपर किसी समय सामाजिक बन्धन थे, धार्मिक तौर पर जिनमें पाबन्दी थी वे लोग आज इसको बहुत अधिक काम में लेने लग गये हैं। इसलिए इसका सामाजिक पहलू बहुत महत्वपूर्ण है और इस पर ज्यादा ध्यान देना चाहिये। केवल सेन्टीमेन्ट्स में बहुत सी पाबन्दी कर दी जाती है तो इसका चलन कम होने की बजाय ज्यादा बढ़ जायेगा। इसके चेक के लिये कई तरह के आफिसर्स लगाने होंगे।

(2 म. प.)

आपने प्रोहिबिशन कमिश्नर, डिस्ट्रिक्ट अफसर और सबोर्डिनेट अफसर आदि का लम्बा चौड़ा प्रोवीजन किया है। वे आगे चल कर एक तरह से लोगों के विक्टिमाइज़ेशन के साधन हो जावेंगे। जैसे आज भी वेट्स एण्ड मेजर्स और सेल्स टैक्स आदि के इन्सपेक्टर हैं। हालांकि ये तो लिमिटेड व्यक्तियों पर ही अपने अधिकार प्रयोग में ला सकते हैं। पर प्रोहिबिशन स्टाफ को आपको काफी विस्तृत अधिकार देने जा रहे हैं। इन अधिकारों का वे दुरुपयोग करेंगे, खुल कर दुरुपयोग करेंगे और इन्नोसेन्ट नागरिकों को भी परेशान करेंगे। इसलिये, सभापति महोदय, मेरा निवेदन है कि इस कानून को पास करने से पहले इसको सारे एस्पेक्ट्स की भलीभांति जांच कर लेने के लिये इसको पब्लिक ऑपीनियन जानने के लिये प्रसारित कर दिया जावे।

गांधीजी, अपने समय के राजनीतिज्ञ के अलावा सन्त महात्मा भी थे। पर उन्होंने भी कभी यह नहीं कहा कि यह सामाजिक सुधार किसी कानून के जोर से लाया जावे। इस तरह से सुधार न आये हैं कभी, न आवेंगे आगे भी। बहुत सी स्टेटों ने सेन्टीमेन्ट में बह कर इस तरह के कानून पास किये हैं और उन्होंने वर्षों के अनुभव के बाद आज उन कानूनों में रिलेक्सेशन किया है, आज वे भी इतने स्ट्रिक्ट नहीं रहे हैं, जितने प्रारम्भ में थे। तो उनके अनुभवों को भी ध्यान में रखना है।

दूसरे विदेशी देश हैं जिन्होंने प्रोहिबिशन किया। उनके अनुभवों को भी हमें देखना है। इसमें एजुकेशनल और सामाजिक दृष्टि पर ज्यादा ध्यान दिया जावे इसलिये चाहता हूं कि इसे पब्लिक ऑपीनियन के लिये सरकूलेट किया जावे।

श्री सभापति : श्री आदित्येन्द्रजी ।

श्री शिवनाथसिंह (गुढ़ा) : ग्रान ए पोइन्ट ऑफ आर्डर सर । इस पर मैंने भी संशोधन दिये हैं । मुझे भी बोलने का अवसर दिया जावे ।

श्री सभापति : मास्टर साहब आदित्येन्द्रजी ।

श्री शिवनाथसिंह : मास्टर साहब के बाद मुझे भी समय दिया जावे ।

श्री सभापति : आपका पूरा खयाल रखा जावेगा ।

मास्टर आदित्येन्द्रजी

श्री आदित्येन्द्र (डीग) : सभापतिजी, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान मद्य निषेध विधेयक, 1969 को एक प्रवर समिति को निर्दिष्ट कर दिया जाय जो अपना प्रतिवेदन आगामी सत्र के प्रथम सप्ताह में प्रस्तुत करे । (समिति के सदस्यों की नामावली बाद में प्रस्तुत कर दी जावेगी) । आज देश की आजादी के बड़े लम्बे अरसे के बाद राजस्थान सरकार मद्य निषेध की बात विधान सभा के सम्मुख रख रही है । होना तो यह चाहिये था कि यह विधेयक आज से बहुत पहले रख दिया जाता और भी अच्छा तो यह होता कि हिन्दुस्तान की आजादी के तुरन्त बाद ही अगर यह विधेयक रख दिया जाता और उस समय पारित हो जाता तो हमारे देश की जनता के लिये यह बहुत ही कल्याण की चीज होती । लेकिन इतनी देर के बाद भी अगर राजस्थान सरकार इस बिल को लाना चाहती हैं तो, मैं समझता हूं, इस से हम सब को सन्तोष मानना चाहिये ।

राजस्थान सरकार ने सबसे पहले इसके बारे में 1967 के आम चुनावों के बाद कुछ इशारा किया था । जिस समय यह वर्तमान विधान सभा का गठन हुआ 67 के बाद, और जब राज्यपाल महोदय का अभिभाषण हुआ उस अभिभाषण से ध्वनि निकलती थी कि सरकार एक विधेयक इस बारे में लाने वाली है और सरकार ने कुछ और घोषणा भी की थी । बाद में, जिस समय बजट सेशन आया तो हमारे वर्तमान वित्त मन्त्रीजी ने अपने भाषण में कहा कि जल्दी ही हम पूर्ण मद्य निषेध का बिल लावेंगे और साथ में कुछ घोषणा भी की । उन्होंने घोषणा यह की कि गुजरात की सीमा से लगे हुए कुछ जिलों में जैसे डूंगरपुर, बांसवाड़ा सिरोही हैं, उनमें पूर्ण निषेध लागू कर दिया जाता है । एक अप्रेल से यह घोषणा लागू कर दी गई है । पर साथ में यह भी कहा गया कि सिरोही जिले के आबू, माउन्ट आबू को छोड़ कर । लेकिन खैर, कोई बात नहीं हमने उस समय समझा कि सरकार कुछ आगे बढ़ना चाहती है । लेकिन सरकार शायद इससे आगे नहीं बढ़ाना चाहती थी, इसलिये यहां पर राजस्थान में समग्र सेवा संघ की संस्था है और उसके अन्तर्गत जो राजस्थान नशाबन्दी समिति है, उसने असन्तोष व्यक्त किया और सत्याग्रह की घोषणा कर दी और एक अप्रेल 68 से वह सत्याग्रह प्रारम्भ हुआ । वह सत्याग्रह लगभग ढाई तीन महीने तक बढ़ता चल गया । बड़ी सन्तोष जनक प्रगति उसने की लेकिन बाद में जून में उस समय के वित्त मन्त्री भारत सरकार के श्री मोरारजी भाई देसाई के कहने से श्री गोकुल भाई भट्ट और हमारे मुख्य मन्त्रीजी के बीच बात हुई और एक समझौता हुआ ।

(श्री आदित्येन्द्र)

उसके फलस्वरूप यह तय किया गया कि 72 की 31 मार्च तक लगभग यह सब काम समाप्त हो जावेगा और एक अप्रेल, 72 से राजस्थान में पूर्ण नशाबन्दी लागू कर दी जावेगी ।

लेकिन मुझे इस बात का दुःख है कि राजस्थान सरकार ने अबतक तो अपना वक्तव्य अथवा उद्देश्य बताते हुए वही बात दोहराई है जो आज से दो ढ़ाई साल पहले दोहराई थी । उन्होंने इसके साथ में पूर्ण नशाबन्दी करना तो रख दिया है पर साथ में यह कहा है कि वह अपनी सहूलियत के अनुसार और इस बात को ध्यान में रखते हुए कि हमारे बजट पर तो कोई असर नहीं पड़ता है, धीरे धीरे हम इस काम को करेंगे । इसका मतलब यह है कि शायद उनके ऊपर इस बात का असर हो गया है कि आज से कुछ दिन पहले अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का एक अधिवेशन हुवा था और उसमें अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने यह कार्यकाल सात वर्ष का रख दिया था । शायद इस बात से प्रभावित होकर राजस्थान सरकार इस बात को साफ साफ नहीं बताना चाहती है कि वह समय कितना है जिस समय के अन्दर कि वह इस काम को पूरा करना चाहती है ।

यद्यपि जो राजस्थान नशाबन्दी समिति का यह मानना था और यहां इस बात का ऐलान किया था कि हम चाहते हैं कि 2 अक्टूबर, 69 जो गांधीजी की जन्म शताब्दी का दिन है उससे पहले 2 पूर्ण नशाबन्दी सारे राजस्थान में होनी चाहिये, लेकिन बाद में जो समझौता हुआ उसमें यद्यपि बहुत से लोग सहमत नहीं थे, जिनमें से मैं भी एक था, जो नहीं चाहते थे कि यह काम तीन साल तक बढ़ाया जाय । इसलिये तब भी यह सोच कर कि राजस्थान सरकार अगर तीन वर्ष का समय लेना चाहती है तो ले पर इसको पूरा तो करे । लेकिन हम यह देखते हैं कि राजस्थान सरकार शायद इस काम को ठीक प्रकार से पूरा नहीं करना चाहती । उन्होंने एक उस समय ऐलान किया था कि हम एक कार्यक्रम भी रखना चाहते हैं शराब-बन्दी के लिये और एक अप्रेल, 69 से शराब-की दुकानें उस कार्यक्रम के अनुसार सप्ताह में दो दिन बन्द रहेंगी, दूसरे साल दो दिन और बढ़ाकर चार दिन कर देंगे । यद्यपि पहले जो ऐलान किया था 67 के प्रारम्भ में और तीन चार जिले जो उन्होंने उस समय बताये थे कि उनमें नशाबन्दी कानून लागू कर दिया गया है तो होना तो यह चाहिये था कि कार्यक्रम इस प्रकार का बनाया जाना चाहिये था कि इस काम में 72 में कम से कम चार या पांच जिले राजस्थान सरकार और रख देती और उनमें नशाबन्दी कानून लागू कर दिया जाता तो ज्यादा अच्छा होता । लेकिन फिर भी इस बात को भी स्वीकार किया या नहीं किया लेकिन यह समझकर सरकार क्या करना चाहती है । कम से कम इसको देखा जाय तो सरकार की भावनाओं का कोई विरोध नहीं किया लेकिन हम क्या देखते हैं जो शराब की दुकान वाले हैं वे नये नये नाम से लाइसेंस ले रहे हैं । जनरल मर्चेन्ट और जनरल मर्चेन्ट की दुकान का लाइसेन्स लेकर हजार पांच सौ रुपये की चीज उसमें रख देते हैं और पार्टीशन कर देते हैं । हजार पांच सौ की चीजें जनरल मर्चेन्ट की बिक्री के लिये रख देते हैं और दूसरी तरफ शराब की बोतलें–इस तरह के

(श्री आदित्येन्द्र)

लाइसेन्स दिये जा रहे हैं··· मैं आपको एक दो नाम पढ़कर सुना देता हूं। एक दुकान विजयवर्गीय स्टोर है, यह चांदपोल बाजार में है। इन्होंने 'मोदी जनरल स्टोर' के नाम से लाइसेन्स लिया है और ये इस तरह का काम कर रहे हैं। दूसरा राजस्थान वाइन स्टोर, चौड़ा रास्ता। इन्होंने दूसरे नाम से जनरल मर्चेंट की दुकान का लाइसेन्स लिया है। इनके अलावा जहां तक रेस्टोरेन्ट का सवाल है यह दो दिन की छुट्टी का बहाना है लेकिन वे पहले से ही रेस्टोरेन्ट या घरों में बोतलें भेज देते हैं और इस तरह छिप कर काम किया जाता है। जयपुर में एक है रेस्टोरेंट उसका नाम है 'गुलाटी रेस्टोरेंट' बापू बाजार में, दूसरा 'जल महल रेस्टोरेंट' इनमें तमाम में यह काम होता है। कितने दुःख की बात है राजस्थान सरकार एक ओर यह कहती है कि हम शराबबन्दी करेंगे वहां दूसरी ओर बड़े-बड़े लाइसेन्स शराब बनाने के लिये, कारखाने में शराब बनाने के लिये, दे रही है। मालूम हुआ है झोटवाड़ा में जे० के० इन्डस्ट्रीज के नाम से कुछ जमीन दी गई है। वहां शराब बनाने का कारखाना खुलने वाला है।

श्री मथुरादास माथुर : यह लाइसेन्स कोई नया नहीं दिया गया है। 4-5 साल पहले का है। इलेक्शन के बाद कोई लाइसेन्स नया नहीं दिया गया है।

श्री आदित्येन्द्र : एक दुकान तो···

श्री मुकुटबिहारी लाल : जैसे भरतपुर में एक दुकान चल रही है और उसकी दूसरी दुकान 15 मील दूर, 20 मील दूर, 28 मील दूर इस तरह से एक एक दुकान की 8-8 दुकानें चल रही हैं यह सत्य है।

श्री मथुरादास माथुर : लाइसेन्स के अन्दर सब दुकानों के नाम एन्टर रहते हैं। ये लाइसेन्स पहले से ही चले आ रहे हैं। इसके अलावा और कोई चलते हैं तो गलत चलते हैं। आप मुझे बतायें मैं देख कर बता दूंगा।

श्री मुकुटबिहारी लाल गोयल : एक दुकान के लिए लायसेन्स दिया और अब वह 5 दुकानें खोलना चाहता है डिफरेन्ट टाउन्स में, जैसे भरतपुर वाला एक दुकान भुसावर में, एक दुकान चिकसाने में। डिफरेन्ट दुकान डिफरेन्ट नाम पर चल रही हैं।

श्री मथुरादास माथुर : यह गलत है।

श्री आदित्येन्द्र : अभी जो वित्त मंत्री महोदय ने कहा नये लाइसेन्स नहीं दिये हैं, ठीक है नये लाइसेन्स नहीं दिये हैं मैं भी मानता हूं लेकिन इस तरह की चर्चा है, यह पता नहीं उस सम्बन्ध में क्या हुआ ? तो मैं यह कहना चाहता हूं इन तमाम बातों से कि सरकार वास्तव में पाप से बचने के लिए पूर्ण मद्य-निषेध को लागू कराना चाहती है या नहीं चाहती है ? अब देखने की बात है, वैसे तो जो अभी अभी हमारे बाढ़दार साहब ने कहा और हमारे माननीय सदस्य डागा साहब ने कहा है मैं यह मानता हूं सबसे पहले जरूरी चीज यह है कि वास्तव में हम किसी कानून को पूर्णरूप से अमल में लाना चाहते हैं तो पहले जरूरत इस बात की है कि अमल में लाने वाले हैं वे उस बात में विश्वास रखते हों, निष्ठा रखते हों-यह सबसे बड़ी चीज है। अगर हमारी राजस्थान सरकार इस बात को

(श्री आदित्येन्द्र)

अमल में लाना चाहती है तो मैं किसी पर लांछन नहीं लगाता, लेकिन मैं स्वयं मानता हूं राजस्थान मंत्री-मण्डल के सभी सदस्य इस बात को हृदयंगम करलें और सच्चे हृदय से मान लें कि हमें इस महत्वपूर्ण विधेयक को पूर्णरूप से सफल बनाना है तो उन्हें इसी क्षण से इस शराब के निराकरण को हमेशा के लिए तिलांजलि दे देनी चाहिये। मैं इसके साथ जितने सदस्य हैं विधान सभा के चूंकि यह विधान सभा इस विधेयक को पास कर रही है, यदि हम में से कोई हैं तो हम भी इस तरह की प्रतिज्ञा करें और संकल्प लें संकल्प बहुत बड़ी चीज है लेकिन, संकल्प के साथ निष्ठा और भी बड़ी चीज है। खाली संकल्प से काम नहीं चलता जबतक निष्ठा नहीं होती है। निष्ठा का होना जरूरी है। निष्ठा नहीं होती है तबतक जनतन्त्र भी सुदृढ़ नहीं होता है। इसलिए बापू ने, राष्ट्रपिता ने, जो जो विचार व्यक्त किये हैं उनको मैं पुनः दोहराना नहीं चाहता। वे हमें पुस्तकों में पढ़ने को मिलते हैं लेकिन मैं जानता हूं कि उनको कितनी चिन्ता थी। वे यह जानते थे कि यदि उनको डिक्टेटर बनाया जाय तो वे सबसे पहला काम यही करेंगे, शराब की दुकानों को बन्द कर दें, ये तमाम कारखाने जहां शराब बनती है बन्द कर दें और अगर हम गांधी शताब्दी का जो वर्ष है उसमें उनका ध्यान रखते हैं, तो मैं समझता हूं यह काम हमें तुरन्त करना चाहिए, लेकिन आज इस बात का बड़ा दुःख है कि चर्चा चलती है तो हमें हमेशा राजस्व के बारे में यही कहा जाता है शराब-बन्दी लागू करेंगे तो हमें इससे 9-10 करोड़ का घाटा होगा। मैं मानता हूं 9-10 करोड़ का घाटा होगा। 67 में जिस समय शराब बन्दी लागू करने के लिए जो एलान किया गया था मैं समझता हूं उन दो वर्षों में शायद 3-4 जिलों में बन्द करने की बात थी तो बन्द करने के बाद भी आमदनी घटी नहीं है आमदनी बढ़ी है। इससे मालूम यह पड़ता है कि आमदनी को बढ़ाना नहीं चाहते हैं। मैं तो कहता हूं आमदनी बुरे कामों से बढ़ती है तो उससे कोई फायदा नहीं है। इससे देश कमजोर होता है। हमें यह अच्छी तरह समझ लेना चाहिए कि शराब-बन्दी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं इसको राजनैतिक, सामाजिक व आर्थिक पहलू नहीं बनाना चाहिए।

अगर हम 1947 से पहले जायें तो मैं समझता हूं कि आज जो यह विधान सभायें हैं, आज की जो हमारी संसद है वह केवल शराब-बन्दी के कारण है। उस समय आजादी की लड़ाई का हमारा कार्यक्रम था और वह शराब बन्दी का कार्यक्रम था। हम में से बहुत से लोग जो आज विधान सभा के सदस्य हैं 1947 से पहले आजादी की लड़ाई में हमें भाग लेने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था, और वह अच्छी तरह से जानते हैं कि उन्होंने शराब की दुकानों पर पिकेटिंग किया, उन्होंने ताड़ी के पेड़ काटे, उन्होंने जो कारखाने हैं उनके ऊपर धरना दिया और इस काम को मैं कोई बढ़ा-चढ़ाकर नहीं कहता जितने भी आन्दोलन हुए उनमें मैं समझता हूं कि गिरफ्तारियां हिन्दुस्तान में केवल इस काम में, शराबबन्दी के काम में। लाख से कम गिरफ्तारियां नहीं हुई, और शायद कम से कम पांच, सात, दस हजार से कम आदमी घायल नहीं हुए होंगे, और शायद सैकड़ों ही आदमी गोली के शिकार हुए होंगे इतने त्याग के बाद यह हिन्दुस्तान की आजादी मिली और यह इतना महत्वपूर्ण कार्य उस समय समझा गया था। लेकिन अब

(श्री आदित्येन्द्र)

उसके बाद उस चीज को उठाया गया लेकिन उसके बाद हम इस चीज को भूल गए और ऐसे भूले कि शायद हमें 22 वर्ष तक कोई बात याद नहीं आई और आज दो वर्ष पहले ही यह बात याद आई और वह शायद याद दिलाने पर आई। क्योंकि इस समय गांधी शताब्दी की चर्चा चार-पांच वर्षों से चल रही है और वह जानते थे कि गांधी शताब्दी का कार्यक्रम है, और इसका थोड़ा बहुत कार्यक्रम होना चाहिए, और जैसे ही गांधी शताब्दी पूरी कर ली जाती है उसके बाद फिर उसी तरह से काम चलता रहेगा। इसलिए आज मैं यह समझता हूं कि इस काम को पूरा करना चाहिए।

तो मेरा सुझाव इस सम्बन्ध में यह है कि कम से कम यह समय निर्धारित किया जाना चाहिए और उसके लिए कोई ऐसा कार्यक्रम सुनिश्चित और बहुत सोच वाला कार्यक्रम ऐसा होना चाहिए जिससे कि पूर्ण नशाबन्दी को निर्धारित समय के अन्दर-अन्दर लागू हो जाना चाहिए। मुझे इस बात की जल्दी नहीं है कि इस अधिवेशन में ही यह नशाबन्दी कानून पास हो जाये। जैसा और माननीय सदस्यों ने कहा है, मैं भी इस बात को मानता हूं कि यह विधेयक बहुत महत्वपूर्ण है और इस पर काफी अच्छी तरह से विचार होना चाहिए, और इससे अच्छा यह है कि यह प्रवर समिति को सौंपा जाना चाहिए जिसमें प्रवर समिति अच्छी तरह से हरएक क्लॉज पर विचार कर सके। जैसे अभी अभी एक बात सदन के सामने रखी गयी. क्लॉज 26 के बारे में कि उसमें इस प्रकार का एक प्रावधान है कि अगर कोई शराबबन्दी के बारे में गलती करता है तो उस केस को कम्पाउन्ड कर लिया जाये और 10 हजार रुपये जमा कर लिये जाये और मान लें कि इतना बड़ा भारी पाप करता है तो उसके बारे में कम्पाउन्ड करने का अधिकार किसी को नहीं होना चाहिए। इसके अलावा इस बात के लिए भी कि जो आज मौजूदा शराब के कमिश्नर हैं और जो डिप्टी कमिश्नर हैं आज वह शराब बन्दी के कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर हों यह भी बड़ी हंसी की बात है। वह कमिश्नर उस बात के थे शराब की आमदनी बढ़ाने के, शराब ज्यादा से ज्यादा पिलाई जाय, उनका यह काम था। तो जिन लोगों ने यह काम किया है कि शराब ज्यादा से ज्यादा बढ़ाई जाये वह अब ऐसा काम कैसे कर सकते हैं कि शराब हटाई जाये। इसलिए यह काम दूसरे अधिकारियों को सौंपा जाना चाहिए और वही आदमी इस काम को करने के लिए नियुक्त किया जाय। वही सरकारी अधिकारी रखा जाये जिन्होंने पहले भी कभी आठ, दस वर्ष तक कम से कम शराब नहीं पी हो और जो आज भी शराब नहीं पी रहे हों, यानी पूरी तरह से शराब से घृणा करते हों, वही इस काम को पूरी तरह से अमल में ला सकते हैं।

तो मैं इस बात को यहां पर कह देना चाहता हूं कि शराब के बारे में जो यह खासतौर से तर्क दिया जाता है कि इससे राजस्व का नुकसान होगा. इसके बारे में मुझे थोड़े से शब्दों में कहना है। इसके बारे में भारत सरकार की ओर से एक कमेटी बनाई गई थी। टेकचन्दजी जस्टिस जो कि पंजाब के हैं वह उसके चेयरमैन बनाये गये थे। उन्होंने एक रिपोर्ट दी

(श्री आदित्येन्द्र)

और उस रिपोर्ट में उन्होंने साफ बताया है कि बम्बई में और दूसरी जगहों पर 1938-39 में जिस समय में वहां पर गवर्नमेंन्ट ऑफ इन्डिया एक्ट के तहत जब 9 राज्यों में कांग्रेस सरकार थीं मद्रास में शराब बन्दी लागू की गयी, बम्बई में शराब बंदी लागू की गयी। बम्बई में श्री गुलजारीलालजी नन्दा की अध्यक्षता में इस संबंध में अध्ययन करने के लिए और अनुसंधान करने के लिए एक कमेटी बनाई थी, एक बोर्ड बनाया गया था। उसमें 6600 के करीब लोगों से सम्पर्क किया और उसमें 5250 के करीब वे लोग थे जो कि शराब के आदी थे और 1200 के करीब ऐसे आदमी थे जो कि शराब के आदी नहीं थे। उस कमेटी ने यह रिपोर्ट दी कि वहां के मजदूरों में, बम्बई के मजदूरों में लगभग 31½ लाख रुपया एक साल में ज्यादा कमाया और उसमें से 26 लाख रुपया वह शराब पर खर्च करते थे। लेकिन इसके अलावा 9 लाख रुपया उन्होंने और जरियों से भी कमाया और इस तरह से उनकी जो क्रय शक्ति थी वह बढ़ी और उस क्रय शक्ति के बढ़ने के कारण बिक्री जब बढ़ती है तो उस पर कर भी सरकार ज्यादा लेती है और इस तरह से वहां देखा कि वहां कोई घाटा नहीं हुआ। तो घाटे की पूर्ति करने के लिए बीसियों काम हो सकते हैं, बीसियों तरकीबें हो सकती हैं जिससे कि घाटे को पूरा किया जा सकता है लेकिन मैं आज उन बातों में नहीं जाना चाहता हूं कि वह क्या हैं। समय आने पर ही जब मान लें कि दुबारा विचार करने का मौका मिलेगा तो उस समय इस बात के बारे में कहूंगा। लेकिन मेरा इतना जरूर कहना है कि वास्तव में अगर सरकार इस काम को पूरा करना चाहती है तो सरकार इस चीज को निष्ठापूर्वक अपने हाथ में ले। आज दुनियां इतनी जागृत हो गई है कि यह जागृत जनता किसी भी तरह से संतुष्ट नहीं हो सकती है इस प्रकार के विधेयकों से विधेयक में जो कमियां हैं वह किसी से पूर्ण मद्य-निषेध का विधेयक जिसे हम पूर्ण नहीं कह सकते, उसमें बहुत सी फीस ली गई हैं, लाईसैन्स को अपने हाथ में रखा है, सरकारी आदमियों के हाथ में रखा है, कम्पाउन्ड केसेज के लिए प्रावधान रखा गया है – तो इन तमाम बातों पर विचार करने के लिए मैं समझता हूं कि इस बिल को प्रवर समिति के सामने रखा जाय और इस पर प्रवर समिति अच्छी तरह से विचार करे।

मैं इन्हीं शब्दों के साथ फिर दुबारा अपनी राजस्थान सरकार से यह कहना चाहता हूं कि वह राजस्थान सरकार इस बात के लिए अच्छी तरह से विचार करे। हां, एक बात जरूर है कि अभी जो एक अखिल भारतीय सम्मेलन भरतपुर में हुआ था उसमें एक कार्यक्रम था कि 2 अक्टूबर से पहले 2 भरतपुर में पूर्ण नशाबन्दी कानून लागू किया जाये और उस सम्बन्ध में लिखा पढ़ी भी हुई है, लेकिन उस लिखा पढ़ी का, मैं समझता हूं कि कोई असर नहीं हुआ। हमने उस प्रस्ताव में इरादतन कोई ऐसी चीज नहीं रखी थी जिससे राजस्थान सरकार को परेशानी या नाराजगी हो। लेकिन यह बात तय है कि अगर 2 अक्टूबर, 1969 तक भरतपुर जिले में पूर्ण नशाबन्दी

(श्री आदित्येन्द्र)

लागू नहीं की गयी तो यह निश्चित बात है कि जिस तरह भारत में सत्याग्रह आरम्भ हुए थे अकेले भरतपुर जिले में वह सत्याग्रह होगा उसमें और जो भरतपुर जिले में सत्याग्रह होगा उसमें समझौता नहीं होगा। यह हो सकता है कि राजस्थान सरकार उसको कुचल दे लेकिन वह उस समय तक चलता रहेगा जब तक कि वह बात पूरी नहीं हो जायगी। यह मैं बहुत सोच-समझकर कह रहा हूं और मैं जानता हूं इसकी जिम्मेदारी सबसे ज्यादा भरतपुर जिले में मेरे पर होगी इसलिए जो कुछ भी मैंने कहा है वह मैंने नापतौल कर शब्द कहे हैं। बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

समितियों के गठन संबंधी सूचना

श्री सभापति : सदन के लिए सूचनाएं। इन माननीय सदस्यों ने पब्लिक एकाउन्ट्स कमेटी से अपना नाम वापस ले लिया है:—

(1) श्री रामचन्द्र आर्य।
(2) श्री रामसिंह कुड़ी।
(3) श्री हरजीराम बुरड़क।
(4) श्री फूलचन्द बाफना।
(5) श्री चुन्नीलाल इन्दलिया।
(6) राजवी श्री रूपसिंह।

इन माननीय सदस्यों ने एस्टीमेट कमेटी से अपना नाम वापस ले लिया है:—

(1) श्री रामचन्द्र आर्य।
(2) श्री हरजीराम बुरड़क।
(3) श्री देवीलाल बुरासिया।
(4) श्री जुझारसिंह।
(5) श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल।

निम्न माननीय सदस्यों ने पब्लिक एकाउन्ट्स कमेटी से अपने नाम वापस ले लिये हैं:—

(1) श्री दौलतराम सारण।
(2) श्री रामचन्द्र आर्य।

आई एम सॉरी, पब्लिक अन्डरटेकिंग कमेटी।

(1) श्री दौलतराम सारण।
(2) श्री रामचन्द्र आर्य।
(3) श्री चुन्नीलाल इन्दलिया।
(4) श्री देवीलाल बुरासिया।

श्री महेन्द्रसिंह।

राजस्थान मद्य-निषेध विधेयक, 1969, पर अग्रेतर विचार

श्री महेन्द्रसिंह हाड़ा (पीपल्दा): सभापति महोदय, जहां तक राजस्थान के अन्दर मद्य-निषेध का सवाल है और उस पर जिस प्रकार की भावना है उसका तो मैं स्वागत करता हूं, लेकिन जिस तरह का बिल आज हमारी राज्य सरकार ने हमारे सामने प्रस्तुत किया है उस बिल से ऐसा प्रतीत होता है कि राजस्थान के अन्दर अभी मद्य-निषेध होने में टाइम लगेगा। राजस्थान सरकार नहीं चाहती है कि सम्पूर्ण राजस्थान के अन्दर शीघ्रातिशीघ्र मद्य का उत्पादन, मद्य का पान बन्द किया जाय। सभापति महोदय, इस बिल के अन्दर कोई एक ही कमी नहीं है, इसमें अनेक कमियां हैं जिनके ऊपर पूर्णतया विशेषतौर से विचार करने की अत्यन्त आवश्यकता है।

(श्री महेन्द्रसिंह हाड़ा)

शराब का जहां तक सवाल है आज राजस्थान के अन्दर शराब के कारण लोगों की गरीबी दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। शराब के कारण उन लोगों की आदतें जो शराब के आदी हो गये हैं आज बिगड़ती जा रही है। उनका अपना जो अस्तित्व है वह शराब के मद में मदान्ध होकर भूलते जा रहे हैं। यहां तक ही नहीं शराब इस देश में इतनी बदनाम हो चुकी है, अतः इसको और प्रोत्साहन दिया गया, इस शराब को और जारी रखा गया उसका पान या उत्पादन तो निश्चत रूप से एक स्थिति ऐसी आ सकती है कि वे लोग जिनके समाज में या उन जातियों में जिनके अन्दर इस शराब का निषेध है, प्रतिबन्ध है, वहां पर कुछ वर्ग विशेष का उसका पान करने पर प्रतिबन्ध है कि जो भी शराब पीयेगा उसको जाति से अलग कर दिया जायगा, ऐसी बिरादरियों के लोग भी शराब के मद में चूर होकर दिन पर दिन अधिक मात्रा में इस ओर अग्रसर होते जारहे हैं। मैं, सभापतिजी, निवेदन करना चाहूंगा कि जहां तक अमीर तबके का सवाल है अगर वह शराब पीता है तो जो पूंजी उसने इकट्ठी कर रखी है उसको वह दूसरे लोगों के सामने या मार्केट में फेंक देता है, तो उसमें कोई आपत्ति नहीं हो सकती हैं, लेकिन ऐसे लोग जिनके पास कमाई के साधन सीमित हैं, जिनका आमदनी का जरिया कम है, जिनकी आर्थिक स्थिति अत्यन्त ही कमजोर है, आज वे लोग इस शराब में अधिक पड़ते जा रहे हैं, और उस प्रवृत्ति के कारण आज उनकी हालत दिन पर दिन दयनीय होती जा रही है। इसलिए आज अत्यन्त आवश्यकता है कि राजस्थान के सम्पूर्ण क्षेत्र में सारे राज्य के अन्दर तत्काल ही मद्य-निषेध किया जाय। इस मद्य के उत्पादन और पान को तत्काल ही रोका जाय, उस पर कठोर प्रतिबन्ध लगाया जाय, इसका मैं समर्थन करता हूं।

लेकिन इस बिल के अन्दर राज्य सरकार सम्पूर्ण राज्य के अन्दर शीघ्रातिशीघ्र मद्य-निषेध कर देगी ऐसी बात नहीं झलकती है। इस प्रकार की अनिवार्य भावना इस बिल के अन्दर प्रतीत नहीं होती है। राज्य सरकार ने इसके अन्दर प्रावधान रखा है, इसके अन्दर छूट रखी है, अपने हाथ में यह बात ली है कि राज्य सरकार जब चाहे-यह जरूरी नहीं है कि अगर इस कानून को विधान सभा ने पास कर दिया तो कल ही सारे राजस्थान पर लागू करदे और जहां चाहे लागू करदे। यह उसकी इच्छा पर है कि कितना लागू करती हैं किस क्षेत्र में लागू करती हैं, कब लागू करती है। इससे स्पष्ट झलक दिखती है कि राजस्थान सरकार इस मद्य को राजस्थान के अन्दर बन्द नहीं करना चाहती है, बल्कि प्रोत्साहन देना चाहती है। यह कानून लागू किया गया है वह पब्लिक के प्रेशर के कारण, जनमत इस प्रकार का बन गया था, लोगों की इस प्रकार की मांग थी कि मद्य-निषेध होना चाहिए, उस प्रेशर को देखते हुए, उस प्रेशर को शान्त करने की भावना को लेकर केवलमात्र यह कानून लाया गया है। लेकिन यह सरकार जहां तक मैं समझता हूं कि यह नहीं चाहती है कि मद्य का पूर्णतः निषेध किया जाय।

इतना ही नहीं, सभापतिजी, इस कानून के अन्दर जिस प्रकार की दण्ड-व्यवस्था रखी गई है उसको देखते हुए आज इस प्रकार झलकता है कि कौनसा दण्ड भारी है और

(श्री महेन्द्रसिंह हाड़ा)

कौनसा दण्ड कमजोर है। किसी भी प्रकार की केटेगरीज नहीं रखी गई है और जो रखा गया है वह यह है कि पीने वाले को भी वही सजा और बनाने वाले को भी वही सजा, और बेचने वाले को भी वही सजा, बनाने वाला ज्यादा कसूर करता है, पीनेवाला ज्यादा कसूर करता है, या बेचने वाला ज्यादा कसूर करता है ? आखिर, ये सारी चीजें सरकार को मद्देनजर रखना चाहिए। यदि दारू का निर्माण नहीं किया जायगा, उत्पादन राजस्थान के अन्दर नहीं होगा, दारू का आयात-निर्यात राजस्थान के अन्दर नहीं होगा तो पीयेगा कहां से ? इसलिए इन सारी बातों को मद्दे नजर रखते हुए सरकार को एक व्यवस्थित कानून बनाना चाहिए था। ऐसा नहीं कि एक बेकसूर है जिसकी गलती, कसूर नहीं हैं उसको इतना भारी दण्ड दे दें जो शायद बड़े से बड़े कसूर से कम नहीं होगा। किसी को दो साल की सजा, किसी को तीन साल की सजा, किसी को चार साल की सजा। सभापतिजी, मैं समझता हूं कि दण्ड-व्यवस्था जो रखी है राज्य सरकार ने वह अत्यन्त ही त्रुटिपूर्ण है। इस दण्ड-व्यवस्था के कारण करपशन बढ़ेगा, काफी लोग नाजायज रूप से हैरेस किये जायेंगे, शराबबन्दी कानून की आड़ में उनको परेशान किया जायगा, बदले की भावना रखी जायगी, इसलिए मैं निवेदन करना चाहूंगा कि सरकार की जो भावना है, जो मन्शा है कि शराब का पान, शराब का उत्पादन बन्द होना चाहिये राजस्थान में उसका तो मैं विरोध नहीं करता हूं, जिस प्रकार की शुद्ध भावना आज राज्य सरकार लेकर जा रही है उस प्रकार की शुद्ध भावना से सारी बातों को रोकने के लिये करना चाहिए।

मैं समझता हूं कि राजस्थान के अन्दर इसका कोई विरोध करने वाला नहीं है। सब चाहते हैं कि मद्य-निषेध होना चाहिये, शराब बन्द होनी चाहिए और निश्चित रूप से होना चाहिए। कोई भी पार्टी या व्यक्ति चाहे वह शराब पीने वाला ही क्यों न हो, वह चाहता है कि शराब निश्चित रूप से बन्द होना चाहिए, शराब निश्चित रूप से राजस्थान के अन्दर बन्द होनी चाहिए, उस पर प्रतिबन्ध लगना चाहिए। इसके लिए सारी पार्टियां एकमत हैं, विधान सभा का प्रत्येक सदस्य सहमत है। उस कानून को आज राज्य सरकार अपनी मन्शा से लगाना चाहती हैं। सरकार ने यह प्रावधान रखा है कि सरकार जब चाहे उस टाइम पर लगाये। ऐसे लॉ को जिसका किसी पोलीटिकल पार्टी ने, किसी राजनैतिक आर्गेनाइजेशन ने विरोध किया हो, उसके सिद्धान्त पर किसी न किसी रूप में उसका विरोध किया होता तब तो मैं समझता कि राजस्थान सरकार उसमें देरी लगाये तो शायद दलील या तथ्य हो सकता था, लेकिन ऐसे मसले पर जिस पर हर पार्टी यह चाहती है, मद्य-निषेध चाहती हैं, सब लोग जिसको मन्जूर करते हैं उस कानून के अन्दर, उस व्यवस्था के अन्दर आज सरकार करना चाहें एकदम से तो कर सकती है, लेकिन नहीं कर रही है और धीरे-धीरे कर रही है। मेरे खयाल से इनके करने की मन्शा नजर नहीं आती है। हमारी सरकार ही नहीं चाहती है कि दारूबन्दी हो राजस्थान के अन्दर, दारू का निर्माण होते हुए रुके, दारू का पान निश्चित रूप से बन्द हो, यह भावना सरकार की नहीं है। सरकार इसको पीने के लिए भुलाना नहीं चाहती। यही कारण है कि आज सरकार सर्वसम्मति होते हुए भी,

(श्री महेन्द्रसिंह हाड़ा)

सब लोगों की राय होते हुए भी मद्यपान का निषेध नहीं करना चाहती है राजस्थान के अन्दर और कुछ क्षेत्रों में ही करना चाहती है और वह भी तब जबकि हम सब चाहते हैं कि इसको बन्द करें।

ऐसी क्या आफत सरकार के सामने आ गई थी कि राज्य सरकार इसको धीरे धीरे बन्द करने जा रही है ? अगर इसका कोई विरोध होता तो धीरे-धीरे बन्द करते। लेकिन जो सर्व सम्मति से तैयार हैं, वहां सरकार यह कहे कि हम राजस्थान के कुछ इलाकों में लगायेंगे। इस पर मैंने भी संशोधन रखा है। जब दूसरी बार विचार किया जाएगा तो मैं कहूंगा।

श्री प्रेम सिंह सिंघवी (छबड़ा) : ओन ए प्वॉइंट ऑफ आर्डर। यह सरकार शराब बन्दी का दावा करती है लेकिन एक भी मिनिस्टर यहां नहीं बैठा है।

श्री सभापति : आर्डर प्लीज।

श्री महेन्द्र सिंह हाडा : मैं समझता हूं कि इस प्रकार से ऐसे क्षेत्रों में भी मद्य का उत्पादन आरम्भ हो जाएगा। जहां नहीं होता है वहां भी हो जाएगा। जहां एग्जम्प्शन देते हैं वहां के निवासी निश्चित रूप से जारी रखेंगे। इस बात की खुली छूट उन्होंने दी है। सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि सम्पूर्ण कानून पर विशेष रूप से विचार करना पड़ेगा। मैं समझता हूं कि इसको पास करने की जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए और इसे एक माह को जनमत जानने के लिए प्रसारित किया जाये।

श्री सभापति : श्री शिवनाथ सिंह।

श्री रामचन्द्र आर्य : सभापति महोदय, इस पूरे मन्त्री–मन्डल में सिर्फ 6 आदमी ही ऐसे हैं जो शराब नहीं पीते हैं, उन 6 आदमियों के सिवाय बाकी सारे ही शराब पीते हैं।

श्री सभापति : ऑर्डर, ऑर्डर।

श्री शिवनाथ सिंह (गुढ़ा) : सभापति महोदय, मद्य-निषेध की नीति को लेकर काफी चर्चा हुई है। इन दिनों में भी चर्चा हुई है। आयन्दा भी चर्चा हुई है, और जो हमारे पुराने नेता हैं, उन्होंने भी यह तय कर लिया है कि किसी भी तरह से हमारे यहां शराब-बन्दी हो। हमारे सामने जनता की भावनाओं को देखते हुए मद्य-निषेध को स्वीकार करने के लिए यह कदम उठाया गया है। यह पूरा मद्य-निषेध नहीं है। बल्कि पीने को रेगुलेट करने की तरह से है। जैसा यह है उस रूप में पेश किया जाता है तो कोई भी साधारण नागरिक यह नहीं मानता है कि इससे मद्य निषेध हो जाएगा। इससे तो सिर्फ रेगुलेट होगा। इसमें शराब बनाना, पीना, पिलाना या उसमें सहयोग देना यह जुर्म हैं। इसमें इस प्रकार के प्रावधान भी रखे गये हैं जिससे कि यह भावना न हो जाये कि पूर्ण निषेध कर रहे हैं। हम इसको रेगुलेट कर रहे हैं। जनता की भावनायें किस हद तक उसमें रुक सकती हैं। यह देखना है। इस बिल में ऐसे आदमी जो लाखों करोड़ों की सम्पत्ति रखते हैं। सम्पत्ति वाले हैं। ऐसे आदमियों पर इसका अधिक असर नहीं पड़ता है किन्तु जो लोग गरीब हैं।

(श्री शिवनाथसिंह)

उनसे इसका सम्बन्ध अधिक है। भागवान आदमी पीता है, अमीर आदमी पीता है तो उससे इतना असर नहीं पड़ता है। लेकिन गरीब आदमी पीता है तो उस पर असर अधिक होता है। गरीबों को राहत देने के लिए ही यह बिल पेश किया गया है। मेरा प्रस्ताव है कि यह बिल लोगों की राय जानने के लिए प्रस्तुत किया जाय। क्योंकि यह बिल, ऐसा बिल है जिसका लाखों लोगों से सम्बन्ध है। शराब के बनाने पर, रखने पर, बोतलिंग पर, ट्रान्सफर पर सब पर कानून है। किस को शराब पिलाई जाय? संघर्ष होगा। ऊंचे आफिसर होंगे। किसी प्रकार से इससे बचने के लिए उपाय करेंगे। हम किस अधिकारी को किस प्रकार के कर्तव्य देना चाहते हैं? इन सब तथ्यों को बिल में देखना होगा। क्योंकि गलती से यह बिल पास कर दिया जाता है, तो वह जो भी आधार है वह नहीं आता है। यह अधिकार दिया गया है, कैसे लाना पड़ेगा। यह प्रावधान रखा गया है। वारंट देने का किस किस कारण में अधिकार है। जो कानून बनेगा उसकी तहत गिरफ्तार भी कर सकते हैं। साथ ही साथ वह जमानत भी ले सकें। किस प्रकार के जुर्म करने वालों को बिना वारंट अरेस्ट करते हैं? किस प्रकार के जुर्म करने वालों की जमानत ले सकते हैं? किस प्रकार की हम सजा दें? यह सब बातें निहित हैं। यह बड़े समुदाय से सम्बन्ध रखता है। अधिकारियों से सम्बन्ध रखता है। जिस जनता को हम मद्य से अलग करना चाहते हैं, उससे भी इसका सम्बन्ध है। इस तरह से हमने शराब पीना निश्चित नहीं रखा है। रखना निश्चित नहीं किया है। लोगों को परमिट दिये जायेंगे।

श्री मूलचन्द डागा : एम. एल. एज. को परमिट नहीं दिया जायगा।

श्री शिवनाथ सिंह : उन अधिकारियों के कर्तव्य से सम्बन्ध है। ऐसा कोई अधिकारी बिना किसी कारण से अरेस्ट कर ले। ऐसा वह कर सकता है। यह सही रूप में जानने के लिए, इसे जनमत जानने के लिए प्रसारित किया जाना चाहिए। क्योंकि यह जन साधारण से सम्बन्ध रखता है। इसमें जल्दबाज़ी करने की जरूरत नहीं है। आर्डिनेंस लागू है। क्योंकि हो सकता है कि आगे चलकर अमेंडमेंट हो जाय। पूर्ण निषेध जो हम नहीं कर रहे हैं, हो सकता है, आगे चल कर हो जाय। लेकिन वर्तमान में कानूनी प्रावधान है, जिनका असर पड़ने वाला है। इसी भावना से मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इसको जनमत जानने के लिए प्रसारित किया जाय। अलग अलग संस्थाओं की राय आ जाय। अलग अलग राय आ जाय उसके बाद एक्ट के रूप में बतायेंगे तो उचित रहेगा। इसीलिए मैंने यह प्रस्ताव रखा है।

श्री सभापति : श्री विजयसिंह मकराना।

श्री विजयसिंह (मकराना) : सभापति महोदय, एक कहावत है, "चार लाठी चौधरी, पांच लाठी पंच। जिसके हाथ में शराब की बोतल, वह पंच गिने ना टंच।" शराब पीने वाला न किसी कानून की परवाह करता है........

Page No 111

श्री मूलचन्द डागा : क्या कहा ?

श्री विजय सिंह : यह निवेदन कर रहा हूं कि शराब पीने वाला किसी कानून को नहीं मानता है। अगर आप को आजमाईश करनी है तो पाली में जाकर कर सकते हैं किसी शराबी के समक्ष।

तो, सभापति महोदय, शराब इतनी खराब चीज है कि इससे न जाने किस किस प्रकार से घरों का सत्यानाश हो जाता है; घर नष्ट हो जाते हैं। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, कई शराबियों से मैं मिला और उनसे यह प्रार्थना की कि आप शराब पीना बन्द कर दें तो उन्होंने यह कहा 'बन्दर क्या जाने अदरक का स्वाद।' बिल्कुल ठीक कहना है उनका, जो व्यक्ति शराब नहीं पीता है, वह उसके बारे में क्या जानता है। परन्तु, सभापति महोदय, चूंकि मैं भी ऐसे घराने में जन्मा हूं जहां शराब का प्रचलन था और मुझे यह तो पता नहीं; परन्तु जैसा मुझे बताया गया, घूंटी भी हमको शराब की मिला करती थी। जब मैं बारह साल का था तब तक मैं शराब का धूंआधार पान करता था और शराब पीया करता था, जब मुझे यह महसूस हुआ कि मेरे बुजुर्ग, जिनकी आयु कम थी और उसे कम आयु में ही उनकी मृत्यु हुई—तो उसका कारण मैंने सोचा, तो मुझे पता लगा कि यह शराब है जिसकी वजह से उनको जल्दी ही इस संसार से उठना पड़ा। उस रोज से मैंने कभी, शपथ तो नहीं ली, परन्तु शराब को छुआ नहीं, छूने से मेरा मतलब यह है कि मैंने बोतल तो जरूर छुई, परन्तु पी नहीं...

श्री मनोहरसिंह मेहता : बहुत अच्छे।

श्री प्रेमसिंह सिंघवी : सूंघी तो होगी ?

श्री विजय सिंह : सूंघी तो क्या पहले तो पी है।

श्री सभापति महोदय : मैं निवेदन करना चाहता हूं, कई दफ्तरों में मैं गया तो दफ्तरों के अन्दर बड़े-बड़े ऑफिसरों को मैंने शराब पीये हुए देखा। इस प्रकार के जब तक दफ्तर चलेंगे जहां शराब पर रोक नहीं हो और शराब पीकर जो ऑफिसर दफ्तरों में बैठेंगे तो वहां किसी भी प्रकार से कानून का पालन नहीं करा पायेंगे......

श्री मुकुटबिहारी लाल गोयल (बयाना) : आपने मिनिस्टर को पीये हुए देखा या नहीं ?

श्री विजय सिंह : मिनिस्टर को भी देखा।

श्री मुकुटबिहारी लाल गोयल : कौन कौन से मिनिस्टरों को देखा ?

श्री विजय सिंह : और उन जगहों पर देखा जहां शराब नहीं पीनी चाहिए।

श्री दौलतराम सारण : वहां के लिए तो परमिट मिलती है।

श्री मुकुटबिहारी लाल गोयल : सामने जो शराब मंत्री बैठे हैं, उन्हें पीते हुए देखा या नहीं ?

श्री विजयसिंह : शराब पीयें हुए नहीं देखा, वैसे रोज देखता हूं।

श्री शिवचरण सिंह : मुझे तो नहीं देखा, परन्तु आपको देखा है।

श्री गोकुल प्रसाद शर्मा (बीकानेर) : अपने दिल को देखा है ?

श्री विजय सिंह : मैं निवेदन करना चाहता हूं कि शराब के अन्दर किसी प्रकार के गुण नहीं, अवगुण ही अवगुण से भरी हुई यह चीज है। परन्तु जो शराब पीते हैं वह खुद यह कहते हैं कि यह खराब चीज है परन्तु मैं बन्द नहीं कर सकता। जिस प्रकार लोग भ्रष्टाचार में फंस जाते हैं और पैसा कमाने में लग जाते हैं वह जानते हैं कि यह खराब है, ठीक नहीं है फिर भी वह उसे छोड़ नहीं सकते हैं। इसी प्रकार से इस शराब को पीने वाले इसे छोड़ नहीं सकते। हमारे धर्म ग्रन्थों के हिसाब से भी यह है कि शराब बहुत बुरी चीज है। मुसलमान धर्म में भी इसको नापाक बताया है तो हिन्दू धर्म में भी इसको राक्षसी वृत्ति बताया है, फिर भी हिन्दू शराब पीने लग गये हैं और मुसलमान भी शराब पीने लग गए हैं...

श्री भगवान दास शास्त्री (अजमेर) : माननीय सदस्य ! शास्त्रों में कहां इसको खराब बताया है ? वेदों में इसको सुरापान कहा है, देवताओं का पान कहा है...

श्री विजय सिंह : कहा भी होगा तो भी खराब है।

श्री गोकुल प्रसाद शर्मा : देवताओं का पान नहीं कहा है, सुरों का पान नहीं कहा है, इसको असुरों का पान कहा है।

श्री भगवान दास शास्त्री : जब असुरों ने पीना शुरू कर दिया तब से यह असुरापान हो गया।

श्री गोकुल प्रसाद शर्मा : देवताओं ने कभी सुरापान नहीं किया।

श्री भगवान दास शास्त्री : यह असुरों के हाथ में आया तब हुआ है।

श्री सभापति : ऑर्डर प्लीज।

श्री मुकुटबिहारी लाल गोयल : ऐसा विवाद चल पड़ा है, सभापति महोदय, जो शास्त्रों से ताल्लुक रखता है, तो मैं निवेदन करना चाहता हूं कि शास्त्रों के जमाने से सुरापान को हमेशा बुरा माना जाता रहा है। जो चौदह रत्नों की सूची दी है, उसमें भी समुद्र-मन्थन के बाद में यह शराब राक्षसों के बांट में आई।

श्री भगवान दास शास्त्री : वह जहर था। सुरा को तो औषधि माना है। इस शराब को नहीं, लेकिन सुरा को औषधि माना है।

श्री मुकुटबिहारी लाल गोयल : यह जरूर है, सोमरस का विधान जरूर था, लेकिन सुरापान उस जमाने में देखने को नहीं मिलता।

(व्यवधान)

श्री सभापति : ऑर्डर प्लीज।

श्री मुकुटबिहारी लाल गोयल : सुरापान को बुरा माना जाता रहा है, लेकिन आज इस जमाने में, कांग्रेस के जमाने में सुरापान को मोर्डनिज्म का, सभ्यता का निशान बना दिया गया है और आज जो लोग सोसाइटी में घूमते हैं और उनके लिए यह एक एटीकेट बनता हुआ चला जा रहा है। लोगों के अन्दर इस मोर्डनिज्म का निशान मानने का विचार उत्पन्न कर दिया गया है, लोगों को शराब पीने के लिए प्रोत्साहन दिया गया है–इससे

(श्री मुकुटबिहारी लाल गोयल)

ज्यादा बुरी कोई बात हो नहीं सकती है। यह इस बात से जाहिर है कि हमारे गोकुल प्रसाद जी यहां बैठे हैं इन्हें शराबबन्दी से कोई दिलचस्पी नहीं है, न इनकी पार्टी को दिलचस्पी है और न मिनिस्टरों को दिलचस्पी है...

श्री गोकुल प्रसाद शर्मा : सबके सब शराब के खिलाफ हैं। सब आदमी इस पर विचार कर रहे हैं।

श्री मूलचन्द डागा : सम्पूर्ण राज्य में नशाबन्दी होनी चाहिए,यह सब से पहले कहा है और सम्पूर्ण प्रान्त तो क्या सम्पूर्ण देश में शराबबन्दी होनी चाहिए...

श्री सभापति : ऑर्डर प्लीज।

श्री मूलचन्द डागा : पूरा सदन यह चाहता है कि नशाबन्दी होनी चाहिए।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : गोकुल प्रसाद जी ज्यादा बोलते हैं, इनसे पूछ लीजिए धर्म दिला कर कि कहीं शराब मिले तो यह नहीं पियेंगे ?

श्री गोकुल प्रसाद शर्मा : आप हाउस में लिखाने के लिए बात करते हैं। मैं तो शराब को ऐसे समझता हूं जैसे गौ-रक्त। आप जिन्दगी भर यह धन्धा करते रहे हैं और शराबबन्दी की बात करते हैं। मैं दवा तक नहीं लेता हूं अगर मुझे यह मालूम हो जाय कि इसमें थोड़ी सी भी शराब है।

श्री मुकुट बिहारी लाल गोयल : खेतड़ी के चुनाव में जीतने के लिए तो लोगों को शराब पिलाई थी।

श्री गोकुल प्रसाद शर्मा : यहां पर नाम लिखाने के लिए इस तरह की अपमानजनक बात करना चाहते हैं और धर्म के संदर्भ में ब्राह्मणों के खिलाफ बोलना चाहते हैं यह ठीक नहीं है।

श्री मूलचन्द डागा : सभापति महोदय, ब्राह्मण लोग शराब नहीं पीते हैं, भांग पीते हैं।

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा : भांग भी नहीं पी है।

श्री दौलतराम सारण (डूंगरगढ़): ब्राह्मण मंत्र बोल कर शराब को शुद्ध कर लेते हैं।

श्री गंगा सहाय (कठूमर सु.) : इस विधेयक में तो यहां तक कहा गया है कि धार्मिक संस्थाओं को शराब दी जायगी। इस शराबबन्दी विधेयक में यह आया है।

श्री मनोहर सिंह मेहता (मांडलगढ़) : कौनसा नम्बर है, कौनसा पेज है ?

श्री गंगासहाय : 31 में लिखा हुआ है।

श्री सभापति : माननीय सदस्य आप का नम्बर आ रहा है।

श्री मकराना !

श्री विजयसिंह : तो मैं आपसे कह रहा हूं, माननीय शास्त्री जी, अगर कहते हैं, तो मुझे तो इतना शास्त्र ज्ञान नहीं है, हो सकता है, उनको इतना शास्त्र ज्ञान हो....

श्री सभापति : शास्त्र के ज्ञान के चक्कर में मत पड़िये, जनरल बात कहिये।

श्री विजयसिंह : जनरल पर ही आ रहा हूं।

श्री दौलतराम सारण : ज्ञान का लाभ तो होना चाहिए।

श्री विजयसिंह : लेकिन किसी धर्म में नहीं कहा गया है कि शराब पीनी चाहिए, किसी धर्म में नहीं कहा गया है कि शराब अच्छी चीज है। फिर भी जो लोग पीते हैं वह धर्म की अवहेलना करते हैं। कहने का मतलब यह है कि धर्म के अनुसार लोग पहले माना करते थे, लेकिन अब बिल्कुल धर्म के अनुसार नहीं मानते हैं, इसलिए उन्हें कानून के अनुसार मनाया जाना चाहिये। अगर धर्म के अनुसार इस बात को नहीं मानते हैं तो कानून के अनुसार उनको मनवाना चाहिए। अगर राजस्थान का आप भला चाहते हैं, हिन्दुस्तान का भला चाहते हैं तो शराब के प्रति मोह लोगों का हटाना पड़ेगा। जो लोग शराब पीते हैं जो महारथी शराब पीते हैं उनके घर मैंने नष्ट होते देखे हैं, और उनके घर नष्ट हो गये हैं। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जो पृथ्वीराज चौहान थे, जो हमारे वंश के थे, वह बहादुर व्यक्ति थे, लेकिन शराब के कारण हिन्दुस्तान में अपने अस्तित्व को गंवाया। अगर वह सुरा और सुन्दरी के चक्कर में नहीं रहते तो किसी प्रकार से वह दिन देखने को नहीं मिलता। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि कि शराब का जिन्होंने ज्यादा प्रचलन किया है वह अंग्रेज थे। वह चाहते थे कि हिन्दुस्तान के लोग शराब पीयें और ऐश आराम में पड़ जायं।

श्री रघुनाथ बिश्नोई (सांचोर) : आप स्वतन्त्र पार्टी के चीफ व्हिप हैं, आप व्हिप इश्यू कर दें तो इस पर चर्चा या कोई विषय पैदा नहीं हो सकता।

श्री रामचन्द्र आर्य : अपनी पार्टी के लिए चाहते हैं। स्वतन्त्र पार्टी के व्हिप वह इसलिए है कि वह जरूर पीयें। यह दूसरों के लिए है, जैसे कांग्रेस वाले हैं।

श्री विजय सिंह : माननीय सदस्य को मैं जानकारी देता हूं कि मैं चीफ व्हिप नहीं हूं, मैं स्वतन्त्र पार्टी का सेक्रेटरी हूं, सचिव।

एक माननीय सदस्य : सचिव के लिए छूट है क्या ?

श्री सभापति : भाषण जारी रखें।

श्री गोकुल प्रसाद शर्मा : यह नहीं पीते हैं।

श्री विजयसिंह : मैं निवेदन करना चाहूंगा कि शराब के अन्दर जो अवगुण हैं,''

श्री गोकुल प्रसाद शर्मा : वह सब जानते हैं।

श्री विजयसिंह : उन अवगुणों के कारण ही देश के अन्दर एक्सीडेंट्स ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं। ड्राईवर यह समझते हैं कि हमें ज्यादा दूर चलना है इसलिए शायद शराब पीने की वजह से दूर चल सकेंगे, परन्तु नतीजा क्या होता है ? इसका नतीजा यह होता है कि सड़कों पर देखते हैं दिन पर पर दिन एक्सीडेन्ट्स बढ़ते जा रहे हैं, एक्सीडेन्ट्स पर एक्सीडेन्ट्स होते जा रहे हैं और हिन्दुस्तान के होनहार व्यक्ति इस प्रकार व्यर्थ में अपनी जान गंवा बैठते हैं।

(श्री विजयसिंह)

(3 म. प.)

राज्य सरकार सिर्फ एक बात सोचती हैं कि शराब से हमें पैसे मिलेंगे। राज्य सरकार को फायदा होगा। मैं सरकार को दो चार और बातें बताना चाहता हूं जिनसे शराब से भी अधिक फायदा हो सकता है। अगर राज्य सरकार सतर्क है और पैसा कमाना चाहती है तो बिजली को लो। अगर यह व्यवस्था सुचारु रूप से चले तो और भी आमदनी हो सकती है। जहां कनेक्शन देने हैं वहां क्यों नहीं देते ? अधिक आमदनी होगी। और आमदनी चाहते हो तो चलो मेरे साथ गांव मकराना में। लाखों रुपयों की आमदनी हो सकती है। पत्थर की सुव्यवस्था करो, कारखाना चल रहा है उसकी सुव्यवस्था करो, सतर्कता लाओ, अपने आप आपकी आमदनी बढ़ जायगी। क्या शराब से सरकार चलेगी ? जो सरकार शराब से चलेगी तो वह सरकार नहीं, वह निकम्मी सरकार होगी। शराब से चलने वाली भी सरकार हो सकती है ? शराब से चलने वाला राज्य भी राज्य हो सकता है शराब बंन्द हो सकती है और इससे राजस्थान को घाटा नहीं होने वाला है।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

आपने आबू रोड पर शराब पीने की छूट दी। वहां खूब शराब पीयो। इसका मतलब आदिवासी क्षेत्र में पीये और आबू के अन्दर नहीं पी सकते। इससे कोई फायदा नहीं होने वाला है। शराब पीने वाला नीचे जाकर पीएगा। संपूर्ण राजस्थान में नशाबन्दी कानून लागू करना चाहिए और जो पीए उसके खिलाफ पूरी सतर्कता रखी जानी चाहिए, और उनको हर तरह से पेनेलाइज करना चाहिए, और इस प्रकार से हैवी पेनेल्टी जैसे रेल्वे में (10) पेनल्टी रखी है उस प्रकार से रखनी चाहिए ताकि लोग पीना बंद करदें नहीं तो कहेंगे क्या हो गया। इस प्रकार के कानून हमें सहायता देने वाले नहीं हैं। शराब का प्रचलन नवयुवकों के अन्दर आ रहा है। स्कूली छात्र जगह 2 रेस्टोरेन्ट में बैठकर अंग्रेजी शराब पीना अपनी शान समझते हैं। यह अच्छी चीज नहीं है। इससे हमारे देश का भला नहीं होने वाला है। यह होनहार तबका खतम हो जायगा। शराब का प्रचलन क्यों होता है ? इसका कारण यह है कि जो दूध हमारे बच्चों को मिलना चाहिए वह नहीं मिल पा रहा है उसके अन्दर पानी मिला हुआ होता है उसके अन्दर शक्ति नहीं जिससे जान को अच्छी तरह चला सके। तो क्या पीयें ? पाव भर दूध भी काम का नहीं तो फिर शराब पीते हैं। इसका प्रचलन खराब है और मैं मन्त्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं, मैं जानता हूं कि मन्त्री महोदय स्वयं शराब नहीं पीते हैं इसलिए कहता हूं कि शराबबंदी कानून को जल्दी से जल्दी लागू किया जाय और हिन्दुस्तान की रक्षा की जाय। इतना कहकर मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

श्री गंगा सहाय (कठूमर सु॰) : सभापति महोदय, राज्य सरकार जो मद्य-निषेध विधेयक लायी उसका मैं स्वागत करता हूं। साथ ही उससे निवेदन करूंगा कि इस विधेयक के पास होते ही समस्त राजस्थान में लागू करें सच्चाई से। तब तो उचित लाभ होगा अन्यथा गरीबों का आज तक जो

(श्री गंगासहाय)

शोषण हुआ है वह बराबर होता रहेगा। राजस्थान गांवों का देश है, भारत गांवों का देश है और गांवों में 5 रास्तों से शराब जाती है : बाजार, साहूकार, सरकार, रीति-नीति और नशा। गांव की धन दौलत नशे के द्वारा बाहर जाती है। इसको सारे राजस्थान में लागू किया जाय। धारा 31 (ख) में लिखा है :

"प्राचीन रूढ़ि के अनुसार किसी धार्मिक प्रयोजन के लिए किसी व्यक्ति अथवा संस्था को कोई मद्य कब्जे में रखने, बोतल में भरने तथा उसका प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करते हुए अनुमति पत्र"।

अभी कह रहे थे कि धार्मिक कामों में काम में नहीं लिया जायगा। इसलिए कहता हूं कि प्रतिबंध लगाया जाय। आगे कहा है:—

"खण्ड (ख) के अधीन अनुमति पत्र कोई फीस संदत्त किये बिना अनुदत्त किया जायगा तथा वह किसी भी व्यक्ति को अस्वीकृत नहीं किया जायगा सिवाय इस आधार पर कि—

(1) उक्त व्यक्ति द्वारा अथवा उसकी अभिव्यक्ति अथवा विवक्षित अनुज्ञा से उसके नौकरों में से किसी नौकर द्वारा अथवा उस की ओर से कार्य कर रहे किसी व्यक्ति द्वारा इस खण्ड के अधीन उसको पूर्वत: अनुदत्त किसी अनुमतिपत्र के निबंधनों अथवा शर्तों में से किसी को भंग किया जा चुका है, अथवा

(2) उक्त व्यक्ति इस अध्यादेश के अधीन किसी अपराध में सिद्धदोष ठहराया जा चुका है।"

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस प्रकार की जो व्यवस्था रखी है धर्म-कार्यों के लिए वह बन्द की जाय।

इसी प्रकार होटलों और रेस्टोरेन्टों या क्लबों के लिए प्रावधान रखा है वहां पर शराब देना वाजिब ठहराया गया है। इस प्रकार सरकार ने शराब के प्रचलन को कायम रखने का साधन अपने हाथ में ले लिया है। शराब इतनी निकम्मी चीज है कि वह देश की बर्बादी करती है। एक सेठ था शराब पीता था। एक दिन नौकर को शराब की बोतल लाने के लिए कहा। वह बाजार गया। बाजार में नौकर ने सोचा कि सेठ बोतल पीयेंगे तो उसके बाद मांस भी चाहिए तो उसने मांस भी खरीद लिया। फिर उसने सोचा कि शराब और मांस के बाद मनोरंजन के दूसरे साधन चाहिए तो उसने एक वेश्या को भी साथ ले लिया। उसने फिर सोचा कि इन तीनों चीजों के बाद निश्चित है कि सेठ बीमार पड़ेगा तो डाक्टर को ले जाऊं। डाक्टर को भी ले लिया। फिर सोचा कि इस बीमारी से वह बच नहीं सकता तो कफन भी ले जाऊं तो कफन भी साथ ले लिया। फिर नौकर ने विचार किया कि रिश्तेदारों को मातम के निमंत्रण भी देता जाऊं ताकि फिर बुलाने की नौबत न आए। जब ये सब चीजें लेकर नौकर सेठ के पास पहुंचा तो उसने पूछा कि ये सब क्या हैं? नौकर ने कहा कि जो शराब पीता है उसको मांस खाने की जरूरत पड़ती है सेठ ने कहा अच्छा। लेकिन उसने पूछा कि यह तीसरा मामला क्या है? नौकर

(श्री गंगासहाय)

ने कहा जो शराब और मांस का प्रयोग करता है तो एशोआराम के लिए उसको बरवा भी चाहिए।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

फिर सेठ ने पूछा कि यह चौथी चीज क्या है, डॉक्टर क्यों साथ लाए हो ? नौकर ने कहा कि मैंने सोचा कि इसके साद प्रमेह की बीमारी होगी तो डॉक्टर की जरूरत पड़ेगी, डाक्टर नहीं बचा पाएगा तो कफन भी लाया हूं। उसके बाद मरने के बाद मातम होगा, इसलिए रिश्तेदारों को भी साथ लाया हूं। इससे सेठ इतना डर गया कि उन्होंने शराब पीना ही छोड़ दिया। तो जिस चीज में अवगुण हैं उस पर पूर्ण-रूप से प्रतिबन्ध लगाए और उसके लिए विधेयक को जनमत जानने के लिए प्रसारित किया जाय।

श्री सभापति (श्री मनोहर सिंह मेहता के खड़े होने पर) : मेहता साहब ! आप तृतीय वाचन पर बोल दें।

श्री मनोहरसिंह मेहता : मेरा संशोधन है।

श्री सभापति : आपका संशोधन है कि…

श्री मनोहरसिंह मेहता : तृतीय वाचन पर फिर बोलूंगा। थोड़ा समय लूंगा।

श्री शंकरलाल (जैतारन) : यह इनका विषय है इनको बोलने दें।

श्री मनोहर सिंह मेहता : सभापतिजी आज मुझे एक बात याद आ गई। एक आदमी ठाठ से भाषण दे रहा था। दो घंटे तक बोलता गया। एक आदमी सामने बैठा हुआ था। उसने कहा कि आपने मेरे भाषण की कद्र की है कि कम से कम आप सुन तो रहे हैं। उन्होंने कहा कि आजम मेरी है इसलिए बैठा हूं तो 38-39 मन्त्रियों में से एक डिप्टी मिनिस्टर बैठे हुए हैं क्योंकि आज इनका विषय है इसलिए विराजे हुए हैं बाकी वे भी नहीं रहते। तब भी मैं धन्यवाद देता हूं कि कम से कम एक तो मौजूद है। आजम इनकी है। बाकी ये भी नहीं मिलते।

सभापतिजी, शराबबन्दी के बारे में आजादी के 22 वर्ष बाद भी कहीं बोलना पड़ेगा। यह तो शायद किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी कि गांधी के देश में शराब बन्दी के लिए 22 वर्ष के बाद भी कहना पड़ेगा और मास्टर साहब आदित्येन्द्र जैसे आदमी को जो राजस्थान के गांधी कहे जा सकते हैं, यह कहना पड़ेगा कि अगर आप भरतपुर में 2 अक्टूबर, 1969 को शराब बन्दी नहीं करेंगे तो सत्याग्रह करूंगा और सारी मेरी जिम्मेदारी है। इसकी तो कल्पना नहीं की थी लेकिन कई कांग्रेस के राज्य शराब बन्दी से पीछे हट रहे हैं, वहां राजस्थान राज्य शराब बन्दी की ओर आगे बढ़ रहा है। इसकी हम कद्र करते हैं। हम इनको धन्यवाद देते हैं कि कम से कम इस तरफ बढ़े तो सही और इन्होंने तीन जिलों में पूर्ण नशाबन्दी की हैं और 1972 तक योजना बनाई है पूर्ण नशा-बन्दी की…

कई माननीय सदस्य विराजे हैं, उनमें से कुछ ने शंका प्रकट की है। मद्य-निषेध क्या है ? इंगलैंड, अमेरिका में शराब बन्द नहीं

(श्री मनोहरसिंह मेहता)

हुआ तो यहां शराब बन्दी की क्यों बात करते हैं ? ऐसी बात करने वालों को यह सोचना चाहिये था कि यह भारतवर्ष है। यहां की संस्कृति और वहां की संस्कृति में बहुत अन्तर है। वहां भौतिक समृद्धि को प्राथमिकता है यहां इसको प्राथमिकता नहीं है, यहां भौतिक समृद्धि में विश्वास नहीं करते। यहां नैतिकता में विश्वास करते हैं। भौतिक समृद्धि देखना हो तो कहीं बाहर नहीं जाइये केवल गंगानगर में ही चले जाइये और देखिये कि कितना सुख है, कितना ऐश्वर्य है। पांच बब्बे हैं। बन्दूक, बोतल, बकरा, बैर और बदला। बन्दूक हर वक्त कन्धे पर पड़ी रहती है, बोतल, खूब पीओ और नशे में रहो, बकरा खाओ, बैर, लड़ाई-झगड़ा करो और बदला, बदला लो। लेकिन यदि भौतिक समृद्धि के साथ-साथ यदि नैतिक समृद्धि भी आगयी होती तो यह दशा नहीं होती। शराब ने कहां ले जाकर रख दिया। 22 वर्ष पहले कांग्रेस ने यदि शराब बन्दी कर दी होती तो कल जो गति हुई वह नहीं होती। लेकिन बेईमानी, शराबखोरी, मिलावट, दूध में मिलावट, घी में मिलावट, हर वस्तु में मिलावट। जहां देखो पाप ही पाप है। शासन करती हुई पार्टी ही ऐसा करती हो ऐसी बात नहीं। शराब प्रमुख बीमारी है। शराब-बन्दी इसलिये हो कि जीवन में नैतिकता आये, आर्थिक स्थिति में सुधार हो, लोगों को बचत हो और चीज वस्तु, जमीन वगैरा खरीदने में सहायक हो, घी, दूध की नदियां बहने लगें। इसलिये मद्य-निषेध जरूरी है।

कुछ साहब ने कहा कि मद्य निषेध गरीबों के लिए तो है। लेकिन मैं कहता हूं कि गरीबों के लिए भी उतना ही जरूरी है जितना ऊंचे तबके के लिए। ऊंचा तबका शराब पीता रहेगा, उसको शैम्पियन की जरूरत है, वह समाज में आवेगा और उसके बच्चे जब पीने लग जावेंगे तो आदत कैसे छूटेगी ? मद्य-निषेध ऊंचे तबके के लिये भी बहुत जरूरी है। एक समय था गांधी के देश में जब कलाली के यहां पर पानी भी नहीं पीते थे, उसके हाथ का पानी भी नहीं पीते थे, आज तो बीच में दुकानें लगी हुई हैं कलालों की। बाजार के बीच में शराब बेचते हैं। नाम क्या है ? गुप्ता वाइन स्टोर, मेहता वाइन स्टोर, शर्मा वाइन स्टोर। कितनी शर्म की बात है, गांधी के देश में यह सारा हो रहा है।

लोग यह भी कहते हैं कि राजस्व की हानि होगी। माननीय माथुर साहब वित्त मंत्री हैं, इतना होते हुए भी उनका यह साहस है उसके लिये मैं उनको और मुख्य मंत्रीजी को बधाई देता हूं। गुजरात में मद्य-निषेध से आय घटी नहीं है, बढ़ी है। खुशहाली आयी है और खुशहाली होगी तो आय कर भी बढ़ेगा, सेल्स टैक्स भी आवेगा। इससे घाटा नहीं होने वाला है। मैं जानता हूं कि माथुर साहब बड़े हिम्मत वाले आदमी हैं। सुखाड़िया साहब और ये दोनों सारे देश को इस माने में रास्ता दिखा सकते हैं। इसलिये आप हिम्मत करिये और 2 अक्तूबर सन्, 1969 को सम्पूर्णरूप से लागू करिये।

माथुर साहब को कभी कभी लगता होगा कि शराब-बन्दी कर देंगे तो टिंचर पीवेंगे। मैं विश्वासपूर्वक कह सकता हूं कि कोई आदमी मरने वाला नहीं है। किसी व्यक्ति को डायेबिटीज हो जाती है डाक्टर शक्कर खाने के लिये मनाही कर देता है।

(श्री मनोहरसिंह मेहता)

जिन्दगी सबको प्यारी होती है। 95 प्रतिशत लोग नहीं शक्कर खावेंगे लेकिन पांच आदमी भी शक्कर खाकर मरते हैं तो कोई बात नहीं। यदि ब्लड प्रेशर हो जाता है तो डाक्टर नमक खाने के लिए मना कर देता है सौ में से 95 आदमी नहीं खावेंगे लेकिन पांच आदमी खाकर मरते हैं तो कोई बात नहीं। इसलिये कोई टिंचर पीना चाहे तो पीने दीजिये कोई परवाह नहीं जो मरना चाहें उनको मरने दीजिये।

नाजायज कसीदगी बढ़ जावेगी यह भी कहते हैं। जहां प्रोहिबिशन नहीं होगा वहां नाजायज कसीदगी ज्यादा होती है, क्योंकि शराब से शराब पनपती है। किसी के मुंह में बदबू आये तो मत डरिये और चाहे बड़े से बड़ा आदमी हो उसको हथकड़ी डाल कर जेल में डालिये। जो समाज का नाश करते हैं तो ऐसे आदमी को हथकड़ी डालते हैं तो कोई हर्ज नहीं।

कुछ साथियों ने यह फरमाया कि शिक्षा का प्रसार होना चाहिये। शिक्षा की बात करते हैं। अंग्रेजों के आने से पहले राज्यों ने शराब की आमदनी को देखा ही नहीं था पीना था वह बहुत बड़ी बुराई समझी जाती थी। जिनको पीना था अपना बना कर पी लेते थे। भगवान बुद्ध ने कहा था कि सिंह के सामने जाते हुए भय मत खाना, तुम पर्वत शिखर से पाताल में पड़ जाना, बलिदान हो जाना पर शराब से सदा डरना क्योंकि शराब पाप और अनाचार की जननी है। जैन साहब ने फरमाया था कि शिक्षा दीजिये। जैन मुनि से कौन बढ़कर त्यागी होगा। ऐसा त्याग कि कपड़े भी त्याग दिये और नग्न रहते हैं। वे शराब के लिये रोज कहते हैं। आप सौगन दिला दीजिये लेकिन सुबह जब शराब की बोतल हरे हरे रंग की देखता है तो उसकी पिंडलियां घूजने लगती है। इतना प्रचार हो रहा है। माथुर साहब को बधाई देता हूं कि उन्होंने बन्द किया। पंजाब में जाइये और देखिये कि पीओ और जीओ। खूब प्रचार। बोतल को देखता हैं तो रहा नहीं जाता। शराब को हम बन्द करना चाहते हैं। हमारा परिवार परेशान है लेकिन शराब की दुकानें जब तक खुली हैं पीना बन्द नहीं होगा। गांधीजी कहते थे सुधारक कितनी ही कोशिश करें, लेकिन शराब की दुकान जहां होगी सुधारक को सफलता मिल ही नहीं सकती। इसके लिये कड़ी से कड़ी सजा रखिये। जैन साहब ने कहा था कि हथकड़ी की सिफारिश करते हैं, जैसे उबलती हुई नदी में बच्चा जाता है तो उसको बलपूर्वक रोकना चाहिये और धधकती हुई आग में बच्चा जाय तो भी उसको बल प्रयोग करके रोकना जरूरी है उससे भी यह कार्य बहुत जरूरी है। शराब की धधकती आग से बचाना बहुत जरूरी है। क्योंकि आग और जल से तो शरीर का ही नाश होता है, लेकिन शराब से शरीर और आत्मा दोनों का नाश होता है इसलिये अत्यन्त जरूरी है कि कानून का सहारा लिया जाय। मैं माथुर साहब से निवेदन करता हूं कि केवल कानून से ही शराब-बन्दी सफल नहीं होगी, और न केवल सुधारक के प्रचार से सफल होगी। फिर भी हमें कानून का सहारा लेना ही पड़ेगा और शराबियों के घर घर जाना पड़ेगा। उनसे नफरत नहीं करना होगा। अगर वह उल्टी कर दें तो उसे भी अपने हाथ से साफ करनी होगी। यह एक रोग है। जिस तरह से रोगी के साथ सहानुभूति

(श्री मनोहरसिंह मेहता)

होती है, ठीक उसी तरह से शराब पीने वालों के साथ हमारी सहानुभूति होनी चाहिए और उसे छुड़ाने के लिये प्रयत्न करना होगा।

(समय-समाप्ति-सूचक घन्टी)

गांधी शताब्दी हम लोग मनाने जा रहे हैं। सारा हिन्दुस्तान मना रहा है। मुझे इस बात का गौरव है कि राज्य सरकार शताब्दी के वर्ष यह बिल लायी है। इसके लिये मैं उसे बधाई देता हूं। सबसे बड़ी बात जो इसमें है, वह निष्ठा की है। सभापति महोदय, मैं आपकी मार्फत माथुर साहब से निवेदन करना चाहूंगा कि जो आप बिल ला रहे हैं, निष्ठा के साथ उसका पालन करवाइये। यह भी बधाई की बात है कि जिनको आपने कमिश्नर बना रखा है, वे एक चरित्रवान आदमी हैं। अगर आप सचमुच नहीं चाहते तो ऐसे आदमी को हर्गिज वहां नहीं बैठाते। इसका जो मतलब बनता है, वह यह है कि आप शराब-बन्दी को चाहते हैं और राजस्थान देश की अगुवाई करे इस बात में।

अस्पृश्यता की बात है। यह एक कलंक की बात है। समाज और हरिजनों का कल्याण करना है तो शराब से उनका पिंड छुड़वाना होगा। अकाल राहत में काम हुआ है। जहां यह काम हो रहा है, चल रहा है, तो जहां जहां अकाल है, वहां वहां से शराब को हटावें। माथुर साहब ने हंसते हंसते कहा सारे राजस्थान में अकाल है। तुम यह कहो तो मैं आज ही शराब बन्द कर दूं। मेरी नीयत तो यह है कि आप बन्द कर दें। जहां अकाल राहत कार्य चल रहे हैं, जहां भीषण अकाल था, वहां के आंकड़े मंगाकर देखें कि कितनी शराब की बिक्री हुई है। ज्योंही पेमेन्ट हुआ वह शराब में चला गया। उनके बच्चे अन्न को तरसते हैं और नाना प्रकार के कष्ट उनको झेलने पड़ते हैं। राजस्थान में भगवान यह न करे कि किसी जिले में अकाल हो। परन्तु किसी जिले में अकाल हो तो आप तुरन्त वहां बन्द कर दें। आप यह बात 2 अक्तूबर, 69 से कर दें। कम्प्लीट प्रोहिबिशन कर दें, तो मैं समझता हूं यह उचित होगा। एक तरफ गांधी शताब्दी हो और दूसरी तरफ शराब का दौरा होगा। शताब्दी और शराब दोनों साथ-साथ नहीं चल सकते, या तो शताब्दी मना लें या फिर शराब चला लीजिये। हिम्मत करिये और बा की जयन्ती तक, दोनों की साथ 2 आती हैं, कृपया अप्रेल 70 तक कम्प्लीट प्रोहिबिशन करवा दीजिये। दो वर्ष की हिम्मत करना है। उसमें खर्चे को हम नहीं देखें। मैं अपने वेतन में से 200) रुपया कम कर सकता हूं, यदि आपके पास खर्चे की कमी हो। मैं अपने वेतन के 200) रुपयों में ही गुजर करूंगा। हिम्मत करके इस तरफ कदम बढ़ाइये। यह आज की जरूरत है। मुझे इधर बैठने वाले और उधर बैठने वाले, सदस्यों के ऊपर पूरा भरोसा है कि वे इसमें पूरे मददगार होंगे। आपका सर्व सम्मति से यही बिल पास होगा, चाहे और बिल पास हो या न हो इसका विश्वास कीजिये।

मद्यनिषेध में जहां माथुर साहब कड़ाई का पालन करेंगे, वहां हम लोगों को अपने कर्त्तव्य का भी मान रखना होगा। केवल माथुर साहब से ही यह सफल नहीं होगा। इसको सफल बनाना है तो घर घर जाना पड़ेगा और सच्चे मन से हम गांधी के कार्यकर्ता बनें। दोनों तरफ बैठने वाले,

(श्री मनोहर सिंह मेहता)

इधर और उधर बैठने वाले माननीय सदस्य, दोनों गांधी के ही पुत्र हैं। इसलिए हमें गांधी जयन्ती मनाने के लिये गांव गांव जाकर अलख जगाना होगा और शराब बंदी का नारा देना पड़ेगा। ऐसी स्थिति में, माथुर साहब, जगह जगह से, इस लोकतंत्र में जगह जगह से आवाज आयेगी। मास्टर साहब ने अभी कहा कि भरतपुर में इसके लिये सत्याग्रह होगा। माथुर साहब के साथ ही क्या, सुखाड़िया साहब के साथ उन्होंने कन्धे से कन्धा लगाकर काम किया है। मैं समझता हूं कि निश्चित रूप से भरतपुर में शराब-बंदी होगी और हम लोग भी इसके लिये तत्पर रहें। हमने अच्छा काम किया तो शराब-बंदी जरूर होगी।

एक बात और कहूंगा। भीम में अकाल पड़ता है। मुझे लोगों ने कहा कि रावत लोग शराब पीकर उसके नशे मे मदहोश पड़े रहते हैं। आप देखिये शराब से कितना बड़ा नुकसान होता है। उस एरिया में अकाल पड़ता है। इसलिये भीम जैसे एरिया में शराब बंदी हमें करना चाहिये। रावत एक बहादुर कौम है वह सेना में रहकर लड़ सकती हैं परन्तु वे मदहोश होकर पड़े रहते हैं।

इसमें पब्लिक ओपिनियन का जहां तक सवाल है, हालांकि मैंने स्वयं ने यह निवेदन किया है इस संशोधन के जरिये कि इसे 8 दिन के लिये परिचालित किया जाय पब्लिक में उसकी ओपिनियन जानने के लिये। सच्ची बात तो यह है कि मैं किसी तरह से इस विधेयक पर बोलना चाहता था और कोई रास्ता ढूंढ रहा था कि किसी तरह से बोलूं। पब्लिक की जो ओपिनियन है, वह सब जानते हैं। कोई भी शराब के पक्ष में नहीं हो सकता और आज ही इसको पास करिये। मैं माथुर साहब और राज्य सरकार को एक बार फिर बधाई देता हूं।

श्री सभापति : आप प्रस्ताव के खिलाफ बोल रहे हैं। सब्जेक्ट के ऊपर ही बोलिये।

श्री मनोहरसिंह मेहता : 8 दिन के लिये जनमत को प्रसारित नहीं करेंगे तो उस वक्त मैं अपने प्रस्ताव को वापिस ले लूंगा लेकिन इसको पास करिये और 2 अक्तूबर, 69 से इसको प्रभावी करिये और देश के अन्दर राजस्थान के गौरव को बढ़ाइये और गांधी की समाधि पर जाकर हम अपना माथा उसके चरण में धोके। जो राज्य शराब-बंदी की ओर नहीं बढ़ता उसको गांधी की समाधि में माथा धोकने का कोई अधिकार नहीं है। गांधीजी ने कहा था कि "जुर्म करने वाले से, सहन करने वाला ज्यादा दोषी है।" इसलिए दोनों ही बराबर दोष के भागी हैं। यही कहकर मैं बैठना चाहता हूं।

श्री सभापति : श्री फूलचन्द बाफणा।

श्री फूलचन्द बाफणा (सुमेरपुर) : सभापति महोदय,...

श्री सभापति : समय का ख्याल रखिये

श्री दौलतराम सारण : आप हमेशा हमसे ऊठ बैठ कराते है। किस पार्टी को कितना टाइम है, यह बता दीजिये। यदि आप टाइम नहीं बता सकते तो यह बता दीजिये कि हमारा नम्बर कब तक आ जायेगा। यह कोई तरीका है? यह गलत चीज है। समय मांगें और उठ बैठ करें।

(श्री दौलतराम सारण)

एक तरफ के तो बोलते जायं और हमें उठ-बैठ करने पड़े समय मांगने के लिये।

श्री सभापति : आपके एक सदस्य श्री जुझारसिंह बोल चुके हैं। दूसरा प्रश्न यह है कि बोलने वाले की संख्या ज्यादा है और समय सीमित है।

श्री दौलतराम सारण : आप कुछ तो कर दें। मुझे कोई आपत्ति नहीं है, आप कह दीजिये कि आपको समय नहीं दिया जायेगा परन्तु यह गलत तरीका है। दिन भर उठ बैठ करते रहें। मैं यह कतई पसन्द नहीं करूंगा मैं निवेदन करूंगा कि मेहरबानी करके जब भी आप जिस सदस्य को बोलने की अनुमति दें, वह आप पहले बता दें।

श्री सभापति : यह कैसे हो सकता है?

श्री दौलतराम सारण : आप समय का निर्धारण कर दें कि इस प्रकार व्यवस्था चलनी है यह गलत है कि दिन भर हम उठ बैठ करें। इसको हम अच्छा नहीं समझते और न यह आसन के लिये ठीक है।

श्री केसरीसिंह हाड़ा (हिन्डोली) : सभापति महोदय, जिन माननीय सदस्यों ने संशोधन दिये हैं उसी क्रम से लिया जाय तो उचित रहेगा। जिन्होंने संशोधन नहीं दिये हैं और बोलना चाहते हैं उन्हें बाद में समय दिया जाय।

श्री सभापति : श्री फूलचन्द बाफणा।

श्री केसरीसिंह हाड़ा : पहले उन सदस्यों को समय दिया जाय जिन्होंने इस बिल को सिलेक्ट कमेटी में या जनमत जानने हेतु भेजा जाय इस प्रकार के प्रस्ताव दिये हैं।

श्री सभापति : श्री फूलचन्द बाफणा।

श्री फूलचन्द बाफणा : सभापति महोदय, जहां तक शराब के पक्ष में बोलने वाले का सवाल है कोई भी नहीं बोलेगा। यह विधेयक जो पेश हुआ है, वह कानून बनेगा। इस में जो कमियां हैं उन्हीं पर मैं बोलना चाहता हूं। शराब के खिलाफ कई महान पुरुषों ने कई बातें कही हैं उनका यदि उद्धरण दिया जाने लगे तो महीनों इस पर बोला जा सकता है। भारतीय संस्कृति में इस शराब को खराब बताया है। महात्मा गान्धी की शताब्दी इस वर्ष में मनाने जा रहे हैं। अतः मैं इस बारे में महात्मा गान्धी का उद्धरण पढ़ देता हूं।

"शराब की आदत मनुष्य की आत्मा का नाश कर देती है और उसे धीरे-धीरे पशु बना डालती है, जो पत्नी, मां और बहिन में भेद करना भूल जाता है। शराब के नशे में भेद भूल जाने वाले लोगों को मैंने खुद देखा है।

शराब और अन्य मादक द्रव्यों से होने वाली हानि कई अंगों में मलेरिया आदि बीमारियों से होने वाली हानि की अपेक्षा असंख्य गुनी ज्यादा है। कारण बीमारियों से तो केवल शरीर को हानि पहुंचती है जब कि शराब आदि से तो शरीर व आत्मा दोनों का नाश हो जाता है।

मैं भारत का गरीब होना पसन्द करूंगा, परन्तु मैं यह हरगिज बर्दाश्त नहीं कर सकता कि हमारे हजारों लोग शराबी हों। अगर भारत में शराब बन्दी जारी करने के लिये

(श्री फूलचन्द बाफरणा)

लोगों को शिक्षा देना बन्द करना पड़े तो कोई परवाह नहीं। मैं यह कीमत चुकाकर भी शराबखोरी बन्द करूंगा। यदि मुझे एक घंटे के लिये भारत का डिक्टेटर बना दिया जाय तो पहला काम यह होगा कि शराब की दुकानों को बिना मुआवजा दिये बन्द करा दूंगा।"

यह तो महात्मा गांधी का कहा हुआ उद्धरण है जो मैंने पढ़ कर सुनाया है। शराब कानून से बन्द होगा या समझाइश से होगा ? मैं समझता हूं दोनों चीजें असर करती हैं। कानून के साथ-साथ समझाइश भी। बम्बई में जो इस कानून को असफलता मिली है उसका कारण यह है कि वहां समझाने की कमजोरी रही है। कानून के साथ-साथ समझाने का काम भी होना जरूरी है। सिनेमा द्वारा, भाषणों द्वारा, नाटकों द्वारा इसका प्रचार किया जाय। ऐसी कोई योजना सरकार बनाये। जिससे लोगों को शराब से होने वाली हानि का पता चल सके। यह शराब ही ऐसी चीज है जो लोगों का घर-बार बरबाद कर देती है। किस तरह से यह मनुष्य को जंगली बना देती है इस प्रकार की फिल्म बननी चाहिये। इस प्रकार से दोनों काम साथ-साथ किये जायेंगे तो लोगों को विचारों की दृष्टि से तैयार किया जा सकेगा। केवल कानून बना कर बैठ जाते हैं तो केवल कानून से यह बन्द होने वाला नहीं है। कानून में कई प्रकार की खामियां रह जाती हैं जिनके कारण, कानून में कुछ छूट देने की वजह से भी इसमें ढिलाई आती है। जैसे चोरी करना कानून से अपराध है, लेकिन फिर भी हजारों चोरियां होती हैं। इसी प्रकार कत्ल भी महान अपराध है जो कानून से निषिद्ध है फिर भी अपराध होते हैं, कत्ल होते हैं। केवल कानून बनाने से यह शत प्रतिशत बन्द हो जायगी यह मानना भूल है। कानून बनाने से फर्क जरूर पड़ता है। यह जो कानून विचारार्थ सामने है इसमें कई धारायें ऐसी हैं जिनको हटा देना चाहिये। अगर ये धारायें रह गईं तो मेरा मानना है कानून स्वयं बेकार हो जायगा। जैसे धारा 28 है जिसमें किन्हीं जगहों में इसके प्रयोग की छूट दी गई है। किन्हीं को लाइसेन्स देने का भी प्रावधान है जैसे क्लब, होटल्स, रेस्टोरेन्ट्स आदि। ऐसे क्लब जिनमें मेम्बर लोग शराब पीने जाते हैं उनको लाइसेन्स दिया जायगा। उनको सब तरह से छूट दी हुई है। एक तरफ तो कानून बनाया हुआ होगा और दूसरी तरफ लोग किसी नाम से लाइसेन्स प्राप्त करने की कोशिश करेंगे, वह रिश्वत देकर प्राप्त किया जा सकेगा, इस तरह से लाइसेन्स मिलता रहेगा और इस कानून की इस धारा का उपयोग होता रहेगा।

जैसा कि आम रिवाज है, मन्दिरों में वर्षों से परम्परा चली आ रही है इस सम्बन्ध में धारा 31 में है जिसके 'डी' भाग में लिखा है :

"प्राचीन रूढ़ि के अनुसार किसी धार्मिक प्रयोजन के लिये किसी, व्यक्ति अथवा संस्था को कोई मद्य कब्जे में रखने, बोतल में भरने तथा उसका प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करते हुए अनुमति पत्र"

इसका मतलब यह है कि प्राचीन प्रथा के अनुसार जो लोग पूजा आदि के

(श्री फूलचन्द वाफणा)

बहाने प्रयोग में लाते हैं उसको लाइसेन्स देते हैं तो फिर कानून बनाने से मतलब क्या है ? इस तरह से पूजा के नाम से हर कोई लाईसेंस ले सकता है तो फिर इस प्रकार के कानून से क्या फायदा ?

इसी प्रकार आगे की धारा में कहा गया है कि लाइसेंस किन हालातों में रद्द किया जा सकता है। धारा 31 'बी' में यह है कि धार्मिक स्थानों के लिए रद्द नहीं किया जा सकता। धार्मिक स्थानों पर अधार्मिक शराब पी जायगी यह आप छूट दे रहे हैं। इससे आपने इतना कमजोर कानून बना दिया है कि इसकी पाबन्दी कहीं भी नहीं हो पायेगी। इसमें इतनी कमजोरियां हैं जिससे जो यह मद्य-निषेध लागू कर रहे हैं इसका कोई मतलब नहीं निकलेगा।

धारा 33 'बी' में लिखा है दस हजार रुपया लेकर केस कम्पाउण्ड किया जा सकता है। इससे एक तरह से रिश्वत खोरी चलेगी। जहां कहीं भी शराब पकड़ी गई उससे पैसा लेकर रफा-दफा कर दिया जायगा। यह छूट काफी उदार है। इस तरह से कानून बेकार हो जायगा।

आगे 39वीं धारा में लिखा है बिना वारन्ट के भी किसी के घर की तलाशी लेकर उसके मालिक को पकड़ा जा सकता है। सभापति महोदय, बिना वारन्ट के किसी को पकड़ने की छूट हो गई तो फिर यह तो कर्मचारियों के लिए एक पैसे लेने का माध्यम बन जायगा। जब उसके पास किसी प्रकार का प्रमाण नहीं होगा तो भी उसको बेचारे को तंग किया जायगा। इस तरह से कानून की खामियों के कारण जनता को हैरान किया जा सकता है। इस प्रकार की कानूनी जो खामियां रह गई हैं इससे यह कानून बेकार साबित होगा। इससे तो यह हुआ कि रिश्वत देकर खूब शराब पीने की छूट दे रहे हैं। यह कानून एक तरह से शराब से आय बढ़ाने के लिए हो गया इसलिए मेरा निवेदन है कि इससे आय बढ़ाने का प्रावधान नहीं करना चाहिए।

इसी प्रकार गाँवों में केवल शराब ही नहीं चरस, गांजा, भांग, अफ़ीम आदि का भी बहुत प्रयोग होता है। इससे भी सैकड़ों घर बरबाद हो रहे हैं। मैं तो आपसे निवेदन करूंगा केवल मद्य-निषेध ही नहीं किन्तु हर प्रकार के नशे को बन्द किया जाना चाहिए। हर नशे में एक ही प्रकार का असर होता है। हरेक में आदमी की हालत प्रायः उसी प्रकार की हो जाती है जैसी शराब से होती है। कानून इस तरह का होना चाहिए जिसमें सभी प्रकार के नशे पर पाबन्दी होनी चाहिए।

मजदूर लोग शराब पीते हैं, उत्पादन वे बढ़ाते नहीं। केवल सन्तान उत्पादन ज़्यादा करते हैं। इससे परिवार नियोजन भी आपका फेल हो रहा है। क्योंकि शराब पी कर उन मजदूर लोगों को और कुछ नहीं सूझता यही सूझता है उल्टा सीधा। वास्तव में यदि आपको परिवार नियोजन के कार्य-क्रम को भी पूरा करना हो तो इसके खातिर भी आपको शराब-बन्दी के काम को साथ-साथ हाथ में लेना होगा। नहीं, तो एक तरफ आप शराबबन्दी करना नहीं चाहो, और दूसरी ओर परिवार नियोजन लागू करना चाहो तो ये दो बातें एक साथ

(श्री फूलचन्द बाफणा)

नहीं चल सकतीं, यह अन्तर्विरोध है इनमें आपस में। परिवार नियोजन में सफलता प्राप्त करनी हो तो शराब-बन्दी करनी होगी। इससे परिवार नियोजन भी होगा, मजदूरों को भी इससे छुटकारा मिलेगा और देश की दौलत भी बढ़ेगी, मजदूर खुशहाल भी होगा।

मैं कई शराबियों के सम्पर्क में आया हूं। इससे उनके परिवार में कलह रहता है और खास कर औरतों की तो मिट्टी पलीद होती है। शराबी शराब पीता है पर पीकर हुकूमत किस पर करे ? उसको हुकूमत की ख्वाहिश जागती है और फिर वह घर में अपनी पत्नी पर ही हुकूमत करता है और उसको बेरहमी से पीटता है, बाल बच्चों को बड़ी बेरहमी से पीटता है। यहां तक बेरहमी से पीटता है कि उनके अंग-अंग लहूलुहान हो जाते हैं, अंग-भंग तक हो जाते हैं। ले लाठी और वह उन पर पिल पड़ता है। यह औरत जाति पर, महिला जाति पर, एक महान अन्याय है शराब की छूट बनाये रखना। अगर आप महिला जाति की रक्षा और कुछ भी भलाई करना चाहते हैं तो उनकी खातिर ही सही, आप शराब-बन्दी करिये। यह तो इतना बड़ा कलंक है, निर्दयता है, स्त्री जाति पर इतना बड़ा अत्याचार है जिसकी मिसाल नहीं। तो इस लिए यह शराब-बन्दी होनी ही चाहिए।

एक्सीडेन्ट होते हैं। सही बात है। ड्राइवर एक्सीडेन्ट करते हैं। शराब का नशा करके वे गाड़ियां चलाते हैं, अन्धाधुन्ध चलाते हैं और परिणामस्वरूप एक्सीडेन्ट होते हैं।

सभापति महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस चालू युग में हमारे यहां एक सामाजिक मिथ्या धारणा हो गई है कि बड़ा आदमी उसको माना जाता है जो तीन चीजों को अंगीकार करता है। रम, रमी और रमणी। इन तीन चीजों का जो उपभोग करता है, वह बड़ा आदमी माना जाता है। यह गलत परिभाषा है सामाजिक रूप से बड़े आदमी माने जाने की, प्रतिष्ठा की। यह कितनी गलत बात है ? आप किस तरफ समाज को ले जाना चाहते हैं ? कई जगह इस तरह लोग शराब पीकर जंगली बन गये हैं। आदमी आदमी नहीं रह गया है। हैवान बन गया है। इस कानून में उसे हैवान बनने पर पाबन्दी आप नहीं लगाना चाहते। आपने इसमें छूट रखी है कि फलां आदमी तो पीएगा, फलां नहीं पीएगा। यह खामी है कानून में। यह इस कानून को बेकार कर देगी। फिर शास्त्रों में इसके बारे में कहां क्या क्या कहा गया है इतना सुनाऊं तो बहुत हो जावेगा। ज्यादा समय मैं नहीं लेना चाहता। ऐसा कोई ग्रन्थ नहीं है जो शराब के पक्ष में जाता हो। मैं चाहता हूं कि गांधी शताब्दी के दो अक्तूबर, 69 तक पूर्ण शराब-बन्दी होनी चाहिए। आप कहते हैं किश्तों में होगा। किश्तों में आप क्या चाहते हैं ? अत्याचार कम करना है तो क्या आप अत्याचार को किश्तों में कम करना चाहते हैं ? आप चाहते हैं कि इतना अत्याचार तो आज बन्द हो, इतना कल हो, क्या यह चाहते हैं आप ? अत्याचार को किश्तों में क्या बन्द करना है ? पूरी तरह से एक साथ बन्द होना चाहिए यह तो।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

ठीक है, मैं स्वयं समय का ध्यान रख रहा हूं। और भी बहुत से सज्जनों को बोलना है। इसलिये मेरा ऐसा मानना है

Page No 126

(श्री फूलचन्द बाफणा)

कि हमारे समाज में जो आज सामाजिक गलत मूल्य चल पड़े हैं उन सामाजिक मूल्यों को जो गलत चल पड़े हैं, सुधारना होगा, सही मूल्यों की स्थापना करनी होगी। आज यह माना जाता है कि जिसके पास पैसा है, पद है, महल है, शराबी है वे बड़े आदमी हैं। उनको बड़ा नहीं माना जाता जो भले हैं और इन सारी बीमारियों से दूर हैं जो करप्ट नहीं हैं, भ्रष्टाचार नहीं करते, तस्करी नहीं करते। जब तक हम इन सामाजिक मूल्यों में परिवर्तन नहीं लावेंगे तब तक यह शराब भी चलेगी। शराब इसीलिए बढ़ी हुई है। अफसोस तो यह है कि आजादी के 22 साल के बाद भी सामाजिक मूल्य आज भी वही हैं। तो हमें सोशल वेल्यूज बदलनी हैं। आज सामाजिक मूल्य और सोशल सेंक्शन ऐसी हद तक पहुंच गये हैं कि आदमी कुछ भी करे, चोरी करे, तस्करी करे, स्मगलिंग करे पर पैसा इकट्ठा करे, रम, रमी और रमणी में मस्त रहे उसी की आज प्रतिष्ठा है। जिस आदमी को पहले लड़के के लिए टीका नहीं मिलता था, आज इस तरह अनीति से पैसा इकट्ठा करने पर टीका मिलता है। दर्जा समाज में बढ़ जाता है। तो इसके लिए भी जरूरी है कि शराब को बन्द करना चाहिए ताकि भले आदमी की समाज में वेल्यू बढ़े। आदमी समझदार बनेगा, अत्याचार करना भूल जायगा, और शराब को छोड़कर आदमी भला बन जावेगा। तब हमारा देश और हर क्षेत्र में काफी तेजी से प्रगति कर सकेगा, हम सही माने में विकास कर पाएंगे। वरना तो सामाजिक मूल्य और सोशल सेंक्शन्स इसी तरह से रहेंगे।

आज तो केवल दो बातों के लिए समाज ने इजाजत नहीं दी है, वरना बाकी सारी छूट है। बाकी किसी काम में बुरा नहीं माना जाता। एक बात तो यह है कि कोई रास्ते चलते ताला नहीं तोड़ सकता। अगर चोरी करता है ताला तोड़ता है तो वहां की वहां उसकी मरम्मत जनता द्वारा हो जाती है, इसके लिए कोई थाने में नहीं जाता रिपोर्ट करने। क्योंकि इसकी मन्जूरी नहीं दी है समाज ने। दूसरी बात है, सरे आम आदमी खुले आम स्त्री से छेड़खानी नहीं कर सकता। करे तो जनता उसी समय उससे निपट लेती है, लोग उसके लिए भी थाने में रिपोर्ट करने नहीं जाते। तो आज तो ये दो मन्जूरियां समाज में नहीं दी हैं। बाकी आज के समाज ने तमाम बुराइयों को छूट दे दी है। इसे सुधारने के लिये सामाजिक कार्यकर्ताओं को मेहनत करनी पड़ेगी। प्रचार की एजेन्सी कायम करनी पड़ेगी। सही सामाजिक मूल्यों की पुनः स्थापना करनी पड़ेगी। इतना कह कर मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

श्री सभापति : श्री दौलतराम सारण।

श्री दौलतराम सारण (डूंगरगढ़) : सभापतिजी, सदन के सम्मुख जो विधेयक है इस पर इसको जनमत के लिये प्रसारित करने के लिये मेरा संशोधन प्रस्ताव है।

मैं इसलिये इसको जनमत के लिये प्रसारित करना चाहता हूं कि मुझे यह नहीं लगता कि यह विधेयक शराब-बन्दी के लिये पूरी तरह से उपयोगी होगा।

मुझे इस विधेयक में यह बदबू आती है, यह शंका होती है कि यह सरकार शराब-बन्दी नहीं करना चाहती। यह कानून के सहारे से शराब को समाज में

(श्री दौलतराम सारण)

जिन्दा रखने का प्रयास करना चाहती है और शराबबन्दी करना चाहती तो केवल चन्द स्थानों के लिये अध्यादेश नहीं जारी करके, केवल कुछ लोगों को लाइसेन्स परमिट देने का प्रावधान न रख कर, पूर्ण शराबबन्दी का विधेयक प्रस्तुत करती, तो मैं स्वागत करता इसका। मेरे मित्र और साथियों ने, माननीय सदस्यों ने कहा कि यह स्वागत योग्य कदम है। मैं नहीं मानता कि यह स्वागत योग्य है। इसलिये नहीं मानता कि बीस-बीस, बाइस-बाइस वर्ष से खुले आम ऐलान करने वाली पार्टी जिसकी सदस्यता में यह प्रावधान है कि वह नशाबन्दी करेगी, बेसिक कार्यक्रम में जिसके यह बात है कि शराब बन्दी करेगी जो गांधी की दुहाई देकर शासन करना चाहती है, जो जनमत को आकर्षित करना चाहती है, उस पार्टी ने आज राजस्थान में हर गरीब के झोंपड़े में शराब पहुंचा दी। उस पार्टी की सरकार ने आज जीपों में भर-भर कर शराब गांव-गांव में पहुंचा दी। उन लोगों के वक्त में जो शराब की रंग-रेलियां करते थे, कम से कम गांवों में शराब का इतना प्रचार नहीं था। पीने वाले पिया करते थे। पर जो बुरा समझते थे वे शराब से दूर रहते थे। लेकिन आज ? आज वे लोग भी शराब में मदमस्त। आज जीप जाती है उनके घर के पास तक शराब के ठेकेदार की और जीपें शराब के कमीशन एजेन्ट के पास बोतलें रख कर उन बोतलों के बेचने का प्रबन्ध करके आती है।

हम सदन में बार-बार आवाज उठाते हैं इसके लिये। इस पर कहा जाता है कि कोई शिकायत आवेगी तो विचार करेंगे। जैसे आप कुछ जानते ही नहीं हैं। जैसे आप जनता में हैं ही नहीं आज। आप अन्धे हो गये हैं सत्ता के नशे में। जनता से आपका सम्पर्क टूट गया है। एक तरफ आप कहते हैं हम जनतन्त्र में विश्वास रखने वाले लोग हैं। दूसरी तरफ कहते हैं जनता के अभाव-अभियोगों की जानकारी है आपको। तीसरी तरफ कहते हैं कोई शिकायत आवेगी तो आप विचार करेंगे। आप देखते नहीं अपनी आंखों से। आपके आबकारी अधिकारी अधिक से अधिक शराब बेचने का प्रयत्न करते हैं। आज राज्य स्वयं शराब का उत्पादन और वितरण करता है। आज शराब का स्वयं सरकार पान करवाती है। आज सरकार ने यह लाजिमी कर रखा है कि इतनी शराब तो बिकनी ही चाहिये। आप शराब मिलीट्री को सप्लाई करते हैं। पार्टियां करते हैं आप शराब की। विदेशियों को, सैलानियों के नाम पर शराब के परमिट दिये जाते हैं। आबू की ठंडी जलवायु में रंग-रेलियां करने के लिये जो निषिद्ध क्षेत्र था उसको खुला किया गया है। इस तरह का कौन प्रयत्न करता है? यह सरकार करती है जो गांधी का नाम लेकर चलती है।

सरकार सदन में शराब-बन्दी का कानून ला रही है। बापू की जन्म शताब्दी के अवसर पर आप शराब बन्द करने के लिये कानून लाना चाह रहे हैं, पर आप उसको टुकड़ों में करना चाहते हैं, एक साथ करने की आपकी हिम्मत नहीं। यह जनता की आंखों में धूल झोंकना है। सरकार की सारी नीतियां जनता को गुमराह करने की हैं। गुमराह करके देश को

(श्री दौलतराम सारण)

रसातल में पहुंचाने की इनकी साजिश है। आज इस सरकार के सारे आर्थिक स्लोगन फेल हो गये।- इसका योजनाबद्ध विकास फेल हो गया। पंचायती राज इनका फेल हो गया। सहकारी आन्दोलन इनका फेल हो गया और इस तरह इस शराब निषेध की नीति भी इनकी फेल हो गई है। फिर भी कहते हैं कि हम यह कर रहे हैं। -

राजस्थान बना, तब सरकार की आबकारी से आय लगभग तीन साढ़े तीन करोड़ के आसपास थी। आज 10 करोड़ की वार्षिक आय का हिसाब बताया गया है इसलिये राज्य सरकार ने शराब को हाथ में लिया है, इसका मुझे बड़ा खेद हुआ है। इससे ज्यादा और भोंडी दलील क्या होगी ? मैं अच्छी तरह जानता हूं। मैंने प्रयास किया है, इस सरकार के सामने मैंने लिखित में प्रस्तावों के रूप में पंचायत समितियों के, जिला परिषदों के, पंचायतों के प्रस्ताव के रूप में मैंने प्रयत्न किया है कि इन गांवों में शराब की दुकानें मत खोलो। इस शराब को पूर्ण रूप से बन्द करें। यह सरकार नहीं करना चाहती तो मैं कैसे मानूं कि सरकार की इच्छा नशाबन्दी की है ? मुझे नहीं लगता कि सन् 72 में भी यह सरकार शराब बन्द कर दे। परमिट के सहारे से शराब की दुकानों को लाइसेन्स देकर उनसे मोटी-मोटी रकमें लेना चाहते हैं। सभापति महोदय, एकाउन्ट्स कमेटी की रिपोर्ट्स को देखें, ऑडिट की रिपोर्ट्स को देखें शराब के ठेकेदारों के साथ मिल कर धोखा बड़ी देकर लाखों का घोटाला किया गया है और इस तरह शराब के नाम पर पैसा बटोरते हैं, चुनाव जीतते हैं, यह उनका चुनाव जीतने का जरिया है। मैंने अभी खेतड़ी उप-चुनाव में देखा। खेतड़ी के उप-चुनाव में इस सदन को सुनकर ताज्जुब होगा दो दिन के लिए शराब को बन्द रखा गया - दो दिन शराब-बन्दी के लिये घोषित किये गये, लेकिन कांग्रेस के झंडे वाली जीपों में शराब भर भर कर हर एक गाँव गांव में पहुंचाई गई। 10-50 गुण्डा गर्दी करने वाले हर गांव में नियुक्त किये गये, लोगों को आतंकित किया गया, बुरी तरह से डराया धमकाया गया, लोगों की जगह पर वोट दूसरों से डलवाये गये। इस तरह शराब के नाम पर चुनाव जीतते हैं।

सभापति महोदय, मैं कहना चाहता हूं इनका इरादा इस विधेयक को देखते हुये मुझे नहीं लगता कि यह सरकार शराब बन्द करना चाहती है। अगर शराब बन्द करने की इच्छा होती तो यह प्रावधान होना चाहिये था कि सरकारी कोई भी कर्मचारी जब उनकी नियुक्ति या चयन होगा तो उसके लिए यह नियम आवश्यक होगा कि वह शराब नहीं पी सकेगा। मैं मानता हूं कि अगर सरकार की शराब बन्द करने की इच्छा होती तो ....

श्री यशवन्तसिंह नाहर (बनेड़ा) : सरकारी अफसर तो नहीं पीवें और एम० एल० ए० पीवें ?

श्री दौलतराम सारण : मथुरादास जी आपसे ज्यादा जानते हैं।

तो मैं कह रहा था अगर इस शराब को बन्द करने की सरकार की इच्छा होती तो यह प्रावधान रखती कि जितने निर्वाचित लोग हैं चाहे वह पंच हों, सरपंच हों, प्रधान हों, एम०

(श्री दौलतराम सारण)

एल० ए० हो और चाहे वह नगरपालिका चेयरमैन हों या जिला परिषद् के सदस्य हों, जितने भी निर्वाचित पद पर हैं उनमें शराब पीने की अयोग्यता का आधार माना जाता, तो मैं मानता कि सरकार की वास्तविक इच्छा है। लेकिन सरकार वह प्रावधान नहीं करना चाहती क्योंकि शराब से अपने दोस्तों को जीतना है, इसलिए वह ऐसा प्रावधान रखने को तैयार नहीं है, तब मानते कि आप जन प्रतिनिधित्व कानून के अन्तर्गत विधायक और संसद् सदस्य की अयोग्यता का प्रावधान शराब पीने के कारण लाते, वह भी नहीं लाये। सरकार क्या चाहती है? पेमेंट की गारन्टी और पैदा करना चाहती है। रेस्टोरेन्ट को परमिट देने के लिये, कुछ अपने खास लोगों को परमिट देने के लिए, कुछ खास दुकानों को परमिट देने के लिए, सेना की जो मैस है, उसको परमिट देने के लिये, विदेशियों को परमिट देने के लिये और सैलानियों को परमिट देने के लिये ऐसी छूट देकर यह गन्दा पाप कराना चाहते हैं। इसके अलावा और कोई शराब बन्दी करने की इच्छा है नहीं। अगर वाकई सरकार चाहती है शराब बन्द हो, मद्य-निषेध हो, तो सरकार को चाहिये कि वह स्कूल, कॉलेज और युनिवर्सिटी के अन्दर प्रयत्न करके उन के प्रवेश नियमों में यह प्रावधान कराये कि जो मदिरा पीने वाला कोई शिक्षक है वह उसमें प्रवेश नहीं पा सकेगा सरकारी कर्मचारी नौकरी में प्रवेश नहीं पा सकेगा। शराब पीने का निषेध किया जाय। उसके बाद आप देखें समाज में परिवर्तन आता है या नहीं। समाज की राय बनानी चाहिये। यह सरकार कहती है मैं इसको स्वीकार करता हूं, लेकिन केवल यह कहना इनके प्रचार का ढंग है।

साथ ही मैं यह कहना चाहता हूं जनतन्त्र में जनता के सारे सहयोग और शक्ति को हाथ में लें। लेकिन हुआ क्या है? मैं सरकार से पूछना चाहता हूं आज तक शराब-बन्दी का, दारू-बन्दी का, मद्य-निषेध का क्या प्रचार किया? केवल चन्द एरियाज ड्राई घोषित कर दिये। केवल इतने से मात्र से शराब बन्द नहीं हो सकती है। इससे तो उल्टा ज्यादा प्रचार होगा और ज्यादा स्मगलिंग होगा, ज्यादा चोर-बाजारी होगी-चोर बाजारी की ज्यादा गुंजाइश आप करते हैं और फिर कहते हैं 10 करोड़ का घाटा होता है।

सभापति महोदय, मैं कहता हूं दस-दस करोड़ तो इनके एक एक विभाग में बाकी पड़ा है। विभागों का कोई हिसाब नहीं है। सरकार के कई ऐसे विभाग हैं जिनमें करोड़ों का कोई हिसाब ही नहीं है – क्या हुआ और क्या नहीं हुआ? ऐसे फिजूल के सरकारी विभाग हैं जिनका कोई काम नहीं हैं केवल वे डाकिया का काम करते हैं जो चिट्ठियां केवल इधर उधर पहुंचाता है। मैंने स्पीच में यह बताया था कि किस प्रकार बचत की जा सकती है। लेकिन यहां तो उसके उल्टे 5 मिनिस्टर और बना रखे हैं जो अन्डर ग्राउन्ड हैं वे किसी कमेटी के चेयरमैन हैं, किसी बोर्ड के चेयरमैन हैं, किसी निगम के चेयरमैन हैं। उन सबको मन्त्रियों का स्तर दिया गया है। मन्त्री-मंडल के सदस्यों की उनकी हैसियत है, उन के अनुसार गाड़ी है, उनके अनुसार उनको बंगले का भत्ता दिया जाता है, उनके अनुसार उनकी सब जरूरतों को पूरा किया जाता है। इस तरह यह सरकारी धन का दुरुपयोग करते हैं और करोड़ों रुपया फिजूल खर्च करते हैं। बोर्डर कमिश्नर का पद बनाया

(श्री दौलतराम सारण)

गया – किसी आदमी को एडजस्ट करने के लिये पद बना दिया गया, आदमी के बाद उस पद का भी सफाया कर दिया गया, यह हैं इनकी नीतियां। बोर्डर कमिश्नर के पद को अब कलेक्टर को सुपुर्द कर दिया गया। बोर्डर का कोआर्डिनेशन कलेक्टर अपने आप कर लेता है। इस प्रकार सुपरफ्लुअस पद बना कर जनता के पैसे से खिलवाड़ करते हैं। करोड़ों रुपये की बरबादी करते हैं और फिर शराब बन्द करने में यह दलील करते हैं कि हमें निर्माण में पैसा चाहिये, राज्य के विकास के लिये पैसा चाहिये। मैं आपसे पूछना चाहता हूं शराब पिला कर इन्सान की बुद्धि खराब कर, उसका स्वास्थ्य खराब कर, उसके परिवार को बरबाद कर उस पैसे से आप क्या विकास कर रहे हैं? उस पैसे से विकास होगा? कभी नहीं होगा। इसलिये फिर आपसे निवेदन है वाकई आपकी शराब बन्द करने की इच्छा है तो इस विधेयक को जनमत जानने हेतु परिचालित किया जाय, अवश्य कीजिये और जनता की राय प्राप्त कर उसे सम्पूर्ण कानून का रूप दीजिये और इसके पश्चात् कानून का स्वरूप देकर इसको लागू कीजिये।

मैं चाहता हूं 2 अक्तूबर से पहले पहले–2 अक्तूबर आये नहीं उससे पहले यह विधेयक कानून के रूप में लागू किया जाय। लेकिन यह साहस आपमें नहीं है। आप इस शराबबन्दी को जैसा मैंने निवेदन किया नहीं चाहते हैं। आप तो केवल प्रचार चाहते हैं, प्रोपेगेन्डा चाहते हैं और अपनी नीतियों के बारे में भ्रामक, सन्देहास्पद और पूर्ण शंकास्पद विचार फैलाते हैं। अगर आप वास्तव में जनमत को प्रभावित करना चाहते हैं तो ठोस कदम उठाइये। केवल प्रचार मात्र से जनमत प्रभावित होने वाला नहीं है। अब ऐसा नहीं होगा – ऐसा बहुत दिन हुआ। अब इसको चलाना आपके लिये न युक्तिसंगत है और न तथ्यपूर्ण है और न सही है इसलिए एक साथ नशा उन्मूलन कराना चाहते हैं तो ऐसा कानून लायें, हम सर्वसम्मिति से इसको पास करेंगे। बुराई का समूल रूप से उन्मूलन करना आवश्यक है।

(4 म. प.)

समाज में प्रचार भी जरूरी है लेकिन प्रचार मात्र से बुराई बन्द नहीं हो सकती उसके लिए शासन की कानून-शक्ति भी आवश्यक है। शासन इसलिए बनाया जाता है कि वह समाज को सुसंचालित करे, समाज को विकास के अवसर प्रदान करे, समाज में शांति और व्यवस्था बनाये। इसलिए शासन की स्थापना की जाती है और मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अगर आप सही तरीके से शासन का संचालन करना चाहते हैं तो जनता की इच्छा को आपको इस तरह से देखना चाहिए और इस कानून को सही रूप देने की ओर कदम बढ़ाना चाहिए, और इस कानून में जो खामियां हैं जिसको मेरे दूसरे दोस्तों ने बताया और मैंने भी संकेत दिया कि इसके अन्दर ऐसे अधिकार देने की बात कही है जिससे मनमानी ढंग से अधिकारी व्यवहार कर सकेंगे और उन पर कोई सुनवाई नहीं हो सकेगी उनको दूर करें। इसलिए इसमें बहुत छानबीन करने की जरूरत है, और इसको पूरी तरह से देखने की जरूरत है, और इसके लिए पूरी तरह से जनमत बनाने की आवश्यकता है। आप इस तरह की हवा पैदा कीजिए जिससे कि बुराइयों के विरुद्ध वातावरण

(श्री दौलतराम सारण)

बना कर सदन में आयेंगे तो वह ज्यादा अच्छे तरीके से प्रभावशाली ढंग से आप लागू करने में सक्षम हो सकेंगे, यह मैं कहना चाहता हूं।

सभापति जी, आर्थिक, सामाजिक, राजनैतिक, सांस्कृतिक कई पक्ष इसके बताये गये हैं। मैं मानता हूं इन सब पक्षों को। सामाजिक पक्ष में स्त्री और पुरुष की क्या हालत होती है ? शराबी के परिवार की क्या हालत होती है ? शराबी की खुदकी स्थिति क्या होती है? उसके स्वयं का क्या हाल होता है ? उसमें कितनी तरह की बुराइयां आती हैं? और किस तरह से वह जुर्म बढ़ाने में सहायक होते हैं, किस तरह से एक्सीडेन्ट्स बढ़ाने में सहायक होते हैं– यह सब बातें सदन के सम्मुख आ चुकी हैं और सब लोग जानते हैं। इसके अलावा इसका दूसरा पक्ष राजनैतिक पक्ष है, वह भी मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं। राजनैतिक पक्ष यह है कि एक तो इस राजनैतिक पार्टी ने, शासकदल ने शराबी को अपना लक्ष्य घोषित किया है इसलिए इनका फर्ज है कि नशाबन्दी करें अविलम्ब। इन्होंने जो विलम्ब किया, ढिलाई की इसलिए हम इनकी बुराइयां करते हैं। इसलिए इन बुराइयों से बचने के लिए ये इस काम को तुरन्त लागू करें।

दूसरी बात, राजनैतिक पक्ष यह भी है कि संवैधानिक निर्देशों के मुताबिक भी इसको करना चाहिए। तीसरी बात यह है कि लोकतंत्र में इस तरह का गन्दा व्यसन जो कि समाज की मानसिक स्थिति को असंतुलित करे, जो बुद्धि में विकार पैदा करे, जो जुर्म को प्रोत्साहन दे, जो समाज में दुर्भावनायें पैदा करे ऐसे व्यसन को राजनैतिक दृष्टि से भी लोकतंत्र में रोकना जरूरी है, यह मैं महसूस करता हूं।

इसके अलावा सांस्कृतिक पक्ष भी है। हमारी मान्यताओं के हिसाब से, हमारी परम्पराओं के हिसाब से और हमारी भारतीय संस्कृति के दृष्टिकोण से देखें तो शराब किसी तरह से भी हमारे यहां मान्य नहीं हो सकती। इसलिए उसको हर दृष्टि से, ऐतिहासिक दृष्टि से, सांस्कृतिक दृष्टि से हर दृष्टि से उसका उन्मूलन जरूरी है, उसका निषेध जरूरी है यह मैं कहना चाहता हूं।

इसका एक माननीय पहलू भी है। आज मानवता को शराबी शराब पीकर कुचलता है, उससे वह परे हो जाता है, मानवीय मूल्यों को वह भूल जाता है, मानवीय भावनायें कुंठित हो जाती हैं, इसलिए मानवीय दृष्टि से शराब निषिद्ध करना जरूरी है। इसलिए मैं हर पहलू से कहना चाहता हूं कि शराब को अविलम्ब रोका जाय, बन्द किया जाय। सम्पूर्ण रूप से बंद किया जाय। कुछ लोग उदाहरण देते हैं कि महाराष्ट्र में अब ढील देनी पड़ी है, वहां शराब बन्दी फेल हो गयी। मद्रास में शराब बन्दी को छोड़ना चाहते हैं। इतना समय मेरे पास नहीं है। मैंने एक बार सदन में बताया था कुछ केसेज के उदाहरण देकर कि किस प्रकार से उन प्रान्तों में शराब बन्दी फेल हुई है और पूरी तरह से सफल नहीं हो सकी। वहां पर शराबबन्दी इसलिए फेल हुई कि वहां पर शराब बन्दी में ऐसे लोग थे और ऐसे लोगों के जिम्मे उसको डाला जो कि खुद शराब पीते हैं और मैं समझता हूं कि इसके लिए निष्ठावान लोगों की आवश्यकता है। इस तरह

Page No 132

(श्री दौलतराम सारण)

के सही दृष्टिकोण वाले अधिकारी होने चाहिए जो कि शराबबन्दी के पक्ष में हों। लेकिन भयंकर शराबखोर और शराब में लिप्त अधिकारियों के हाथ में शराबबन्दी का काम देंगे तो वह असफल होगा, इसमें कोई शकोशुबाह नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि शराब-बन्दी होनी चाहिए तो आपको इसके लिए निष्ठावान् और लगनशील स्टाफ को नियुक्त करना पड़ेगा।

इसमें जो स्टाफ का खर्चा दिखाया गया है वह भी बहुत भारी है। उसके संबंध में भी विवेचन की आवश्यकता है। क्या वर्तमान स्टाफ को अतिरिक्त अधिकारी देकर राजस्व अधिकारी को, पुलिस के अधिकारी को, पंचायत के अधिकारियों को इस काम को नहीं दिया जा सकता ? यह भी विचारणीय प्रश्न है। निर्वाचित प्रतिनिधियों को सम्मिलित करके क्या इस काम को नहीं किया जा सकता ? यह भी इस संबंध में प्रश्न है जो कि विचारणीय है।

इसी प्रकार से इस कानून के बनने के बाद जो शक्तियां सरकार ने ली हैं इस विधेयक के अन्तर्गत वह भी बहुत अजीब हैं और वह भी विवेचन की आवश्यकता रखती हैं, विश्लेषण की आवश्यकता रखती हैं, उस संबंध में भी विचार की आवश्यकता है। इसलिए बहुत से मुद्दे, हैं जिनके आधार पर इस बिल पर विचार करने की आवश्यकता है। इसी दृष्टि से मैंने इसको जनमत जानने हेतु परिचालित करने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। मैं चाहता हूं अविलम्ब मद्यनिषेध हो, लेकिन मेरे चाहने मात्र से नहीं हो सकता, मेरी भावनामात्र से नहीं हो सकता। मैं तो केवल आप लोगों की भावनाओं को उद्वेलित करने का प्रयास कर सकता हूं, मैं तो आपको आह्वान कर सकता हूं। अगर सारे सदस्य इस तरफ लग जायें, इस सरकार को बाध्य कर दें कि कानूनी शक्ति द्वारा इस बुराई का अंत करने के लिए तैयार हो जाय और फिर हम सब सहयोग करके समाज में से उन्मूलन करें तो ही हो सकता है। इन भावनाओं के साथ अपने प्रस्ताव को प्रस्तुत करते हुए मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

श्री सभापति : श्री कल्याणमल।

श्री कल्याणमल (जहाजपुर सु०) : सभापति महोदय, में मद्यनिषेध बिल जो सदन में पेश हुआ है उसको प्रवर समिति को सौंपने के लिए निम्नांकित प्रस्ताव पेश करता हूं :

"राजस्थान मद्यनिषेध विधेयक, 1969 को एक प्रवर समिति को निर्दिष्ट कर दिया जाय जो अपना प्रतिवेदन आगामी सत्र के प्रथम सप्ताह में प्रस्तुत करे (समिति के सदस्यों की नामावली बाद में प्रस्तुत कर दी जायगी"।

माननीय सभापतिजी, शराबबन्दी के लिए आज से नहीं कई दिनों से इस सदन में बारबार चर्चा आई है, लेकिन फिर भी सरकार इसको बन्द करने में असमर्थ है। पता नहीं सरकार को इससे क्यों इतना मोह है ? हां, सरकार शराब के जरिये जनता में कितनी बुराइयां फैलती हैं और यह शराब खुलेआम शादी विवाहों में चलती है और जहां आम जनता इकट्ठी होती है मेले वगैरह में वहां यह शराब बिकती है। माननीय सभापतिजी, शराब के जरिये एक ही नहीं कई ऐसे उदाहरण हैं कि कितने ही आदमी बरबाद हो चुके हैं और बरबाद होते जा रहे हैं। सरकार यह कहने के लिए तैयार है कि इससे जो फायदे

(श्री कल्याणमल)

होते हैं और इसकी आमदनी से हम विकास करते हैं, वह विकास रुक जायेगा। इसी तरह के और भी कई जरिये हो सकते हैं जिससे सरकार पैसा कमा सकती है और उसके आधार पर हमारे देश का हम विकास कर सकते हैं। तो सरकार अगर जनता की इतनी इच्छा होते हुए भी इस को बन्द न करे तो यह तो एक बहुत बुरी बात है। मैं उदाहरण के तौर पर यह कहूंगा कि एक स्त्री ने इस विषय पर यह कहा है "सेठानी ओढे शाल दुशाला, चूना की हेली, कपड़ा बिना फिर्या करे पिया थारी" एक स्त्री अपने शराबी पति से कहती है सेठानी तो शाल दुशाला ओढ़ती है और मेरे बदन पर कपड़ा भी नहीं है। तो ऐसी मुसी॰ बत आ जाने की बात है। शराब पीने के साथ-साथ हिम्मत पस्त होती जाती है। जो शराब पीते हैं उनको किसी तरह का ज्ञान नहीं रहता है। मैं यह भी कहना चाहूंगा कि कई आदमी रात-दिन शराब पीते हैं तो उस के कारण से उनका शरीर दुबला होता जाता है, और कई बीमारियां उनको लग जाती हैं। तो कई तरह की ऐसी बातें होती हैं। तो मैं निवेदन करूंगा कि शराब को सरकार बन्द करें, और यह बिल जो है उसको प्रवर समिति को जनमत जानने के लिए सौंपा जाय। यही मेरा संशोधन है।

श्री सभापति : श्री देवीदत्त गाड़िया। सीमा समय 5 से 8 मिनट।

श्री देवीदत्त गाड़िया (बारां) : सभापति महोदय, वित्त एवं आबकारी मंत्रीजी ने इस प्रकार का मद्य-निषेध के सम्बन्ध में यह जो बिल प्रस्तुत किया है वह बिल इस प्रकार का दिखाई देता है और मुझे ऐसा आभास होता है कि वित्त मंत्रीजी की यह इच्छा है कि इस प्रकार के कानून बनाकर के पुलिस अधिकारियों, राजस्व अधिकारियों और आबकारी विभाग के अधिकारियों को किसी भी दूकान पर जाकर, किसी भी मकान पर जाकर वे शराब की आड़ के अन्दर छापा मार सकते हैं तथा और भी कोई व्यक्ति रेस्टोरेन्ट के अन्दर गया मिलने के लिए उस को हैरेस करने का अधिकार दिया जाय। यह बिल इस प्रकार का प्रस्तुत किया गया है कि पुलिस के अधिकारी किसी भी शरीफ आदमी की इज्जत लेना चाहें तो बिना किसी कारण के उसको शराब की आड़ में गिरफ्तार कर सकते हैं। उसके बाद वह व्यक्ति अपनी सफाई पेश करे तब कहीं जाकर वह उसको छोड़ेगा। तो मैं माननीय वित्त मंत्रीजी से कहना चाहता हूं कि लोकतन्त्र के अन्दर इस प्रकार का यह अधिकार इन तानाशाही अधिकारियों को देना बहुत बड़ी खतरनाक चीज होगी। आज हम देखते हैं, सभापति महोदय, कि पुलिस के अधिकारी आये दिन लोगों को चाहे विद्यार्थी हों, चाहे नागरिक हों, चाहे राजनैतिक पार्टी हो, जो लोकतान्त्रिक तरीके से प्रदर्शन करने का जिन्हें अधिकार है उनके ऊपर अकारण लाठीचार्ज करती है और सदन के अन्दर उसको रखते हैं तो माननीय गृह मंत्रीजी चाहे लाठीचार्ज विश्वविद्यालय में किया गया हो ......

श्री सभापति : आप अपने प्रस्ताव पर बोलें।

श्री देवीदत्त गाड़िया : मैं उसी को ले रहा हूं।

(श्री देवीदत्त गाड़िया)

पुलिस को जो अधिकार दिये गये हैं तो खुलकर उसका दुरुपयोग कर रहे हैं, तो आबकारी मंत्रीजी उन्हीं को रेस्टोरेन्ट के नाम पर शराब की आड़ लेकर घर पर छापा मार कर, रेस्टोरेन्ट पर छापा मार कर किसी व्यक्ति को पकड़ने का अधिकार दें, यह अनुचित होगा।

इतना ही नहीं जहां राज्य सरकार यह घोषणा करती है कि हम राजस्थान में शराब-बन्दी करना चाहते हैं और उस आधार पर वित्त मंत्रीजी ने बजट सेशन के अन्दर यह घोषणा की कि अमुक साल के अन्दर सप्ताह में दो दिन दुकानें बन्द होंगीं, उसके बाद और दूसरे वर्ष में हर सप्ताह चार रोज दुकानें बन्द होंगीं, तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मंत्रीजी, कि एक-एक शहर के अन्दर एक एक ठेकेदार ने आठ-आठ दुकानें खोल रखी हैं और उसने लाइसेन्स ले रखा है। उस आधार पर सप्ताह में दो रोज तक दुकानें बन्द कर दें तो क्या वे 6 दूकानें बन्द रहेंगी? वे तो खुली ही रहेंगी। इसका मतलब यह है कि दो रोज तक भी शराब बिकेगी। इसलिए मैं कहता हूं, सभापति महोदय, आपके माध्यम से कि यदि सरकार वास्तव में सप्ताह में दो रोज दुकानें बन्द करना चाहती है तो सरकार और वित्त मंत्रीजी यह घोषणा करें कि उस शहर के अन्दर, चाहे जयपुर हो, चाहे कोटा हो, चाहे कोई भी हो, सप्ताह के अन्दर किसी भी ठेकेदार की कोई भी दुकान नहीं खुलेगी, तब तो मैं यह मान कर चलूंगा कि सप्ताह में दो रोज तो शराब बन्द रहेगी, लेकिन दो रोज एक दुकान बन्द हो और बाकी दूसरी दुकानें खुली रहें तो इस बात से कोई समस्या का हल नहीं होने वाला है, क्योंकि एक एक ठेकेदार की एक-एक शहर के अन्दर आठ-आठ दुकानें खुली हुई हैं।

दूसरे, माननीय सभापति महोदय, आबकारी मंत्रीजी ने पिछली बार यह घोषणा की थी कि इस प्रकार की जो मजदूरों की कॉलोनीज होंगी, आदिवासी इलाका होगा, आदिवासी लोग रहते होंगे, धार्मिक स्थान होंगे और स्कूल्स होंगे उनके पास में शराब की दुकानें नहीं होंगी तो मैंने पिछली बार भी आबकारी मंत्रीजी से कहा था और उनका ध्यान आकर्षित किया था कि बारां के अन्दर रेलवे स्टेशन के पास मजदूर बस्तियां हैं वहां पर आज भी शराब की दुकानें खुली हुई हैं। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि उन्होंने क्यों नहीं कार्यवाही की? क्यों नहीं सूची मंगाई कि किस-किस मजदूर कॉलोनी के अन्दर दुकान खुली हुई है। माननीय सभापति महोदय, मैं यह निश्चित दावे के साथ कह सकता हूं कि आज जहां भी शराब की दुकानें हैं वे वास्तव में हरिजन बस्तियों के पास में हैं। वे वहां पर हैं जहां पर पिछड़ी हुई जाति के लोग रहते हैं और जो शराब पीते हैं तो उनको शराब पिलाने के लिए उन्होंने वहां पर दुकानें खोल रखी हैं। इसका तात्पर्य यह है कि पिछड़े हुए लोगों से शराब नहीं छुड़ाना चाहते हैं।

सरकार यह दम भरती है कि इस प्रकार से शराब बन्दी करना चाहते हैं, लेकिन मैं यह मानकर चलता हूं और अभी कुछ समय पहले जिस समय माननीय आदित्ये-न्द्रजी भाषण दे रहे थे उसके ऊपर वित्त मंत्रीजी ने यह कहा था कि राजस्थान के अन्दर नया शराब बनाने का लाइसेन्स नहीं दे रहे हैं। मैं वित्त मंत्रीजी से पूछना चाहता हूं कि पार्लियामेंट में कुछ दिन पहले एक

(श्री देवीदत्त गाड़िया)

प्रश्न उठाया गया था तो वहां के मंत्रीजी ने यह बताया था कि बिरला को जो कि बहुत बड़े उद्योगपति हैं उनको राजस्थान में बियर का कारखाना खोलने के लिए लाइसेन्स दिया जा रहा है। क्या मैं यह पूछ सकता हूं कि सरकार शराब-बन्दी करने की नियत रखती है या बिरलाजी को यहां बियर बनाने का लाइसेन्स देती है ? क्या वह शराब नहीं है ? इस प्रकार का लाइसेन्स देने से आपकी जो घोषित नीति है उसको खतरा होगा। मैं यह पूछना चाहता हूं कि बिरलाजी को किस आधार पर लाइसेन्स दिया गया है ? आज जो यह सरकार जो समाजवाद का नारा लगाती है, पूंजीपतियों को नहीं चलने देंगे और गरीबों को ऊंचा उठाना चाहते हैं वह बिरलाजी को जो देश के बहुत बड़े उद्योगपति हैं उनको लाइसेन्स क्यों देती है ?

मैं, माननीय सभापति महोदय, राज्य सरकार और एक्साइज मिनिस्टर से पूछना चाहता हूं कि आज हमारे राजस्थान के अन्दर आबकारी का कितने लाख रुपया बाकी है ? मेरी जानकारी के अनुसार इस राजस्थान सरकार का करीब 68,80,941 रुपया आबकारी का ठेकेदारों में अभी भी बाकी है। यह रुपया क्यों नहीं वसूल किया जा रहा है ? इतना ही नहीं, सभापति महोदय, इस 68 लाख रुपये को राइट ऑफ करने के लिए सुझाव दिया गया है, और सरकार उसको मानने जा रही है ? यह किस कारण से और क्यों मानती है ? क्यों राइट ऑफ कर रही है ? क्या विधि विभाग से इसकी राय ले ली है ? क्या जो आपने इन ठेकेदारों से एग्रीमेंट किये हैं एक्साइज डिपार्टमेंट की ओर से, तो क्या आपके अधिकारियों ने उन ठेकेदारों से उन एग्रीमेंट्स की शर्तों का पालन कराया ? क्या उन एग्रीमेंट्स के अन्दर उन ठेकेदारों पर कार्यवाही नहीं हो सकती ? लेकिन करना चाहें तब। सभापति महोदय, मैं चाहूंगा कि यह रुपया राइट ऑफ नहीं किया जाय। विधि विभाग से राय ली जाय। एग्रीमेन्ट की शर्तों के अनुसार उन पर पी० डी० आर० की कार्यवाही होनी चाहिए। इतना ही नहीं, सभापति महोदय, मैं वित्त मंत्रीजी से यह पूछना चाहूंगा कि जो अधिकारी इस विभाग के हैं क्या उनकी यह जिम्मेदारी नहीं है, क्या उनका यह कर्त्तव्य नहीं है कि वे अधिकारी इस रुपये को वसूल करते ? उन्होंने अपने कर्त्तव्य का पालन क्यों नहीं किया ? कार्यवाही करने का उनका उत्तरदायित्व है। उस उत्तरदायित्व से उन लोगों को आप विमुक्त क्यों कर रहे हैं ?

मैं सभापति महोदय, एक बात कहना चाहूंगा कि राजस्थान सरकार यह कहती है कि सीमा के ऊपर हमने इस प्रकार से 25 किलोमीटर तक की दूरी पर शराब की दुकानें लगाना बन्द कर दिया है, लेकिन यह बात गलत है। मैं, सभापति महोदय, आपके माध्यम से आबकारी मंत्रीजी को पूछना चाहूंगा कि जालौर जिले की सीमा पर शराब का स्मगलिंग होता है। जालौर जिले के अन्दर जितनी शराब की दुकानें हैं मेरा आरोप है कि वहां पर जो असिस्टेन्ट एक्साइज ऑफिसर हैं श्री गेरालाल माथुर, सभापति महोदय, वे लगातार 8 सालों से वहां पर हैं क्यों वे वहां पर एक ही स्थान पर नियुक्त हैं ? क्योंकि माथुर साहब के वे रिश्तेदार हैं और जितनी भी सीमा से लगी हुई दुकानें हैं उनमें अप्रत्यक्ष रूप से गेरालाल माथुर का हिस्सा है।

श्री सभापति : सरकारी अधिकारियों का नाम लेकर न कहें।

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा : जो व्यक्ति यहां पर नहीं हैं उन पर आरोप नहीं लगाये जायें।

श्री देवीदत्त गाड़िया : उसका तबादला क्यों नहीं किया जाता है ?

जो सराहन एक गांव है, सभापति महोदय, आपके माध्यम से मैं बोल रहा हूं......

श्री सभापति : माननीय सदस्य प्रस्ताव पर ही बोल रहे हैं ?

श्री देवीदत्त गाड़िया : सरकार ने सीमा पर शराब-बन्दी की घोषणा की है। लेकिन वास्तव में सरकार ऐसा नहीं कर रही है। मैं उदाहरण देता हूं, पाली जिले का एक गांव है सुमेरपुर। वहां लाइसेंस भी दे रखा है। वह सराहन गांव के नजदीक पड़ता है। सुमेरपुर में शराब की दुकान है। क्या उससे शराब नहीं जाती है ? क्या वह 25 किलोमीटर के अन्दर नहीं है ? इतना ही नहीं, आप को मैं यह भी कह सकता हूं, सभापति महोदय, यह सरकार वास्तव में अगर शराब-बन्दी करना चाहती है, और वास्तव में सरकार की यह नीति कि सप्ताह में दो रोज शराब की दुकानें बन्द रहेंगी तो क्या सरकार ने यह निर्णय लिया है कि जितनी डिस्टिलरी है, उनको बन्द किया है ? अगर वास्तव में सरकार चाहती है तो उसे डिस्टिलरी बन्द करनी चाहिए। इतना ही नहीं उदयपुर में शराब की डिस्टिलरी है। वह अंगूर कहां से खरीदती है ? शराब बनाने के लिए अंगूर कहां से खरीदती है ? किस भाव से खरीदे जाते हैं ? सभापति महोदय, मैं स्पष्ट कहना चाहता हूं कि राजस्थान के मुख्य मन्त्री मोहनलाल सुखाड़िया के बगीचे से अंगूर खरीदे जाते हैं। मुख्य मन्त्री को खुश करने के लिए डिस्टिलरी वाले अच्छे भावों में खरीदते हैं। इस प्रकार से सरकार के आबकारी विभाग को नुकसान होता है।

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा : गलत, गलत।

श्री देवीदत्त गाड़िया : सभापति महोदय, इस प्रकार से यह शराब अधिक से अधिक बनती जा रही है। जैसा कि कोटा जिले के शाहाबाद इलाके में सहरियों की आर्थिक स्थिति खराब है। शराब के कारण इधर-उधर ठोकरें खा रहे हैं। सरकार को घोषणा करनी चाहिए कि जितने भी शिड्यूल्ड कास्ट के हैं भील हैं, आदिवासी हैं, उनके क्षेत्र में शराब नहीं बिकेगी। अनुचित ढंग से जहां शराब बिकती है, मैं दावे से कह सकता हूं। तहसील शाहाबाद में टूटा गांव है। जितनी शराब कोटा डिस्टिलरी में बनती है, उतनी शराब नाजायज ढंग से वहां तैयार की जाती है। ड्रम के ड्रम तैयार होते हैं। वहां का एक जागीरदार है जिससे सरकार भी घबराती है। जिसके पास हथियार हैं। यदि कोई वहां प्रवेश करता है तो गोली से उड़ा दिया जाता है। मैं कहूंगा कि 15 साल से लगातार शराब बनाई जाती है। दो-तीन बार वह पकड़ा भी गया है। पुलिस से सांठ-गांठ है। एक्साइज विभाग से सांठगांठ है, मंत्री मण्डल में बैठने वाले मन्त्रियों से सांठ,

(श्री देवीदत्त गाड़िया)

गांठ हैं। रोजाना ड्रम के ड्रम बनाये जाते हैं। लेकिन आज तक उसको पकड़ा नहीं जाता है। इसी कारण नाजायज ढंग से उस इलाके में शराब बनाई जाती है। इसलिए मैं यह कहूंगा कि राजस्थान का स्तर यदि ऊंचा करना चाहते हैं, और यदि गरीबी को दूर करना चाहते हैं तो सबसे पहले, सभापति महोदय, मैं यह कहूंगा कि यह कानून भी बना दिया जाये कि जनता का चुना हुआ वही व्यक्ति आ सकता है जो शराब नही पीता हो। वही व्यक्ति चुना जा सकता है जो शराब नहीं पीता हो। मुझे लगता है कि मंत्री-मन्डल के और एक्ससाइज विभाग के मन्त्री शराब के दौर में मस्त रहते हैं।

श्री गोकुल प्रसाद शर्मा : गलत, गलत।

श्री देवीदत्त गाड़िया : यह कानून बना दिया जाये कि जनता के वोट पर नहीं आ सकता है जो शराब नहीं पीता हो। बड़े-बडे रेस्टोरेन्ट जो लखपतियों और करोड़ पतियों के चलते हैं, उनमें शराब दी जाती है। लाइसेंस दिये जाते हैं। यदि यह आप नहीं करना चाहते हैं, यदि यह रोकने की नीति नहीं है तो यह बन्द नहीं हो सकता है। इसलिए मैंने इस बिल को प्रवर समिति को सुपुर्द करने का प्रस्ताव किया है। अन्त में मैं यह कहूंगा कि इस बिल को प्रवर समिति को सुपुर्द किया जावे। वह जो रिपोर्ट करे वह अगले सत्र में पेश की जाये।

श्री गोकुल प्रसाद शर्मा : सभापति महोदय,....

वित्तीय समितियों से नाम वापिस लेने की अवधि में वृद्धि

श्री सभापति : मैं माननीय सदस्यों को सूचित करता हूं कि कुछ माननीय सदस्यों के आग्रह पर वित्तीय समितियों से नाम वापस लेने का समय दि० 25 अगस्त, 1969 को दिन के 2 बजे तक बढ़ा दिया गया है।

यदि निर्वाचन आवश्यक हुआ तो वह दि० 26 अगस्त, 1969 के दिन के प्रातः 10 बजे से सायं 4 बजे तक होगा।

श्री शंकर लाल।

राजस्थान मद्य निषेध विधेयक पर अग्रेतर विचार

श्री बृजवल्लभ वोहरा : सभापति महोदय, मैं बोलना चाहता हूं। मेरे बाद के दो बोल गये हैं।

श्री सभापति : आप थे नहीं, उस वक्त। बाद में बोल लीजिये।

श्री शंकर लाल।

श्री शंकर लाल (जैतारण) : सभापति महोदय, मैंने राजस्थान मद्य-निषेध विधेयक को प्रवर समिति के समक्ष रखने का प्रस्ताव किया है। सभापति महोदय, प्रत्येक आदमी चाहता है कि यह बिल जल्दी से जल्दी पास हो। लेकिन साथ ही साथ मैं यह भी चाहता हूं कि राजस्थान स्टेट की जो मद्य-निषेध करने की नीति है वह राज्य में इम्प्लीमेंट हो, कार्य रूप में परिणत हो। इसीलिए मैंने प्रवर समिति के सुपुर्द करने का प्रस्ताव रखा है। माननीय सदस्यों

(श्री शंकर लाल)

स्यों ने इसको जनमत में प्रसारित करने का प्रस्ताव रखा था। मैं समझता हूं कि वह उपयुक्त नहीं है, क्योंकि जनमत इसके साथ है। राजस्थान की जनता इसको चाहती है। जैसा कि श्री मनोहरसिंह जी मेहता ने कहा था कि चर्चा के लिए रखा था। मैंने जो रखा है यह चर्चा के लिए नहीं रखा है। कोई भी माननीय सदस्य इसको पढ़ें। इसकी धाराओं को देखा जाय तो कई तरह से सोचने की और तब्दील करने की बात आती है। वह ऐसी तब्दीलियां है जो प्रवर समिति विचार कर सकती है। सभापति महोदय, मैं बहुत संक्षिप्त में कहना चाहता हूं क्योंकि समय आपने बहुत सीमित कर रखा है।

मैं आपका ध्यान इस विधेयक की धारा 31 की तरफले जाऊं तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो अनुज्ञापत्र जारी करने का प्रावधान है। राज्य सरकार द्वारा बनाये गये नियमों के अधीन मद्यनिषेध आयुक्त अथवा उसके द्वारा एतदर्थ सशक्त किया गया कोई मद्यनिषेध अधिकारी—

(क) किसी व्यक्ति को निजी उपभोग के लिए किसी मद्य का उपभोग करने तथा उसे कब्जे में रखने के लिये प्राधिकृत करते हुए अनुमति-पत्र, दे सकेगा।"

जब पर्मीशन दे सकता है पर्सनल यूज के लिए, फिर क्या प्रोहिबिशन हुआ? इतना ही नहीं, आगे है—

"(ख) प्राचीन रूढ़ि के अनुसार किसी धार्मिक प्रयोजन के लिये किसी व्यक्ति अथवा संस्था को कोई मद्य कब्जे में रखने, बोतल में भरने तथा उसका प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करते हुए अनुमति-पत्र, जारी कर सकेगा,

(ग) संस्थाओं अथवा क्लबों को मद्य के कब्जे तथा खण्ड (क) के अधीन अनुमति-पत्र रखने वाले अपने सदस्यों को उसे जारी करने के लिए अनुज्ञप्ति-पत्र, मिल सकेगा,

(घ) होटलों के स्वामियों को मद्य के कब्जे तथा खण्ड (क) के अधीन अनुमति—पत्र रखने वाले आगन्तुकों को उसे जारी करने के लिए अनुज्ञप्ति-पत्र दे सकेगा,

(ङ) किसी रेलगाड़ी से संलग्न भोजन-यान (रेस्टोरेन्ट कार) के प्रभारी व्यक्ति को अथवा रेल्वे अल्पाहार–प्रकोष्ठ (रिफ्रेशमेंट रूम) के प्रभारी व्यक्ति को मद्य के कब्जे तथा वास्तविक यात्रियों को उसे सर्व करने के लिये अनुज्ञप्ति—पत्र, दे सकेगा,

(च) व्यक्तियों को, उसे कब्जे में रखने हेतु प्राधिकृत व्यक्तियों को मद्य के विक्रयार्थ अनुज्ञप्ति—पत्र जारी कर सकता है।"

इतने प्रकार के कमीशन देने के बाद मद्यनिषेध रखा है, तो मैं समझता हूं कि इससे कोई मद्य-निषेध नहीं होगा। आदमियों को व्यक्तिगत कन्ज्यूम करने के लिये दे दिया, रेलगाड़ियों में और होटलों में जो अभी नहीं देते हैं, उनके लिए रख दिया, रेलगाड़ियों के रेस्टोरेन्ट कार लगती है, उसमें अभी शराब नहीं रहती है, अब उसमें रहने लग जायगी, इसके अलावा आपने इसमें धार्मिक संस्थाओं का जिक्र भी कर दिया है। मेरी समझ में नहीं आता है, कौन से धर्म के अन्दर शराब के धार्मिक प्रयोजन के लिए लिखा हुआ है। लेकिन इस विधेयक में लिखा हुआ है। इसका मतलब यह हुआ है

(श्री शंकर लाल)

कि परमीशन लेने की लोगों के अन्दर प्रवृति बढ़ेगी। बहुत से आदमी इसके लिऐ परमीशन लेंगे, तो मैं समझता हूं कि मद्य निषेध जैसी फिर कोई चीज लागू होने वाली नहीं है। इसलिए केवल सदन में ही इस धारा पर विचार नहीं हो बल्कि प्रवर समिति में इस धारा पर विचार करना चाहिए कि इन सब लोगों को परमीशन दी जाय या नहीं? मैं समझता हूं कि जब आप प्रॉहिबिशन लागू करते हैं तो उसमें ऐसा प्रोवीजो क्यों? केवल बीमारी के लिए एक प्रोवीजन हो, जो इसमें अलग रख रखा है, उसके अलावा कोई परमीशन नहीं मिलनी चाहिए वरना मद्य निषेध की नीति कोरी नीति रह जायगी और एक्सेप्शन के जरिये इसमें करप्शन बढ़ जायगा। जो आदमी मैनेज कर पायेगा वह परमीशन ले लेगा, लाइसेन्स ले लेगा और फिर ब्लैक मार्केट करेगा। इससे प्रॉहिबिशन की भावना को आघात पहुंचेगा। इसलिए मैं इसको प्रॉहिबिशन नहीं कह सकता।

इसके अलावा और भी धाराय हैं, जिनके बारे में भी सोचना जरूरी है। इसके अन्दर धारा 10 है, उसके अन्दर बताया गया है :

"रसायनज्ञ की दुकान आदि में उपयोग अनुज्ञात करने के लिये दण्ड:—

कोई रसायनज्ञ, भेषजिक, औषधिक या कोई औषधालय चलाने वाला जो ऐसे किसी मद्य का जिसका किसी रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी के नुस्खे के अनुसार कोई वास्तविक औषधीय उपयोग नहीं है, अपने कारोबार के भूगृहादि पर किसी व्यक्ति द्वारा उपयोग किया जाना अनुज्ञात करता है, वह ऐसे कारावास से जो छः मास तक का हो सकता है या जुर्माने से जो एक हजार रुपये तक का हो सकता है, या दोनों से दण्डित किया जायगा।"

यानि कोई केमिस्ट अपनी दूकान पर शराब नहीं रख सकता। उसके दण्ड दिया जायगा। साथ में धारा 29 में लिखा है :

"वास्तविक औषधीय तथा अन्य प्रयोजनों के लिए अनुज्ञति-पत्र"

एक तरफ कहते हैं कि रख नहीं सकता है, दूसरी तरफ आप उनको परमीशन दे सकते हैं। मतलब यह है कि एक तरफ प्रॉहिबिशन करने की बात इस विधेयक में कहते हैं और दूसरी तरफ बैक डोर खोल दिया है। सामने वाले दरवाजे से देखेंगे तो वहां पर प्रॉहिबिशन है, यह उससे जाहिर कर दिया है लेकिन पीछे से एक बैक डोर खोल दिया है कि बैक डोर से परमीशन ले सकता है, परमीशन ले कर इस विधेयक के अनुसार वह काम कर सकता है। अब परमीशन किसको मिलेगी, उसमें क्या होगा? यह सब करप्शन बढ़ाने की बात है। इसलिए मैं जरूरी समझता हूं कि इसको प्रवर समिति के अन्दर भेजा जाना चाहिए।

इसके अन्दर धारा सात के अन्दर कहा गया है, उसके पहले धारा बनी हुई है, चार और पांच, उनके अन्दर मिलावट करने वाले के लिए सजा या दण्ड का प्रावधान रखा गया है, लेकिन जहां ओपन प्लेस है उसके लिए रखा है :

(श्री शंकरलाल)

"किसी स्थान को सामान्य मद्यपान गृह के रूप में खोलने या प्रयोग करने के लिये अथवा उक्त किसी स्थान की देख-रेख प्रबन्ध या नियंत्रण करने के लिये या कारोबार के संचालन में सहायता करने के लिए दण्ड",

अब वह दण्ड कितना रखा है :

"वह ऐसे कारावास से जो एक वर्ष तक का हो सकता है या जुर्माने से जो दो हजार रुपये तक का हो सकता है।"

इसमें 'या' शब्द आ गया है। खुली ओपन दुकान में किसी जगह मद्य मिलता है और मद्यपान होता है तो उसमें सजा या जुर्माना रखा है। इसमें 'या' नहीं होना चाहिए। ओपनली दुकान खोलकर बैठे तो उसकी वजह से सजा होनी चाहिए और जुर्माना भी उसके साथ में होना चाहिए। यह प्रवर समिति के देखने की चीज है। चार और पांच के अन्दर जो प्रावधान रखा है, उसमें सजा होगी, दो वर्ष तक की सजा हो सकती है, इसमें 'एण्ड' शब्द रखा है, और दूसरी जगह पर और रख दिया है, दुकान खोलकर बैठे उसके लिए।

इस विधेयक में इस प्रकार की कमियां हैं इसको जल्दी में पास नहीं करना चाहिए, इसलिए मैंने प्रस्ताव रखा है कि इसको एक सप्ताह में अपना प्रतिवेदन देने के लिए प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाय, वह हाउस के मेम्बर्स की समिति होगी, उसमें वह सब बातों पर विचार करलें। और जल्दी में इस विधेयक को पास कर दिया जाता है, तो मैं समझता हूं कि इसका कोई मकसद या उद्देश्य पूरा नहीं होने वाला है। इस विधेयक में एक तरफ का आपको दरवाजा मिलेगा लेकिन दूसरी तरफ का बैक डोर आपको खुला मिलेगा। पूरे विधेयक में यह स्थिति हैं, इसमें हम देखते हैं कि सजा रखी हुई है, सब कुछ है, लेकिन आगे जाकर एक प्रोवीजन रखा है कि इसके अन्दर केसेज में कम्प्रोमाइज हो सकता है। गवर्नमेंट पैसा लेकर कम्प्रोमाईज कर सकती है, इसमें सजा की जरूरत नहीं होगी। यह ताज्जुब की बात है। मैं समझता हूं कि इस प्रकार का प्रोवीजन रखा जाय या नहीं।

(समय–समाप्ति–सूचक घंटी)

यह देखने की बात है, सभापति महोदय, यह बहुत ही जरूरी बातें हैं, इसलिए माननीय सदस्यों के समक्ष रखना चाहता हूं कि इसको प्रवर समिति के सुपुर्द क्यों किया जाय ? इस पर गम्भीरता से विचार करने की जरूरत है। मैं आपको पढ़ कर सुनाता हूं, जिसमें रेसट्रिक्शन दिया हुआ है, ऊपर रेसट्रिक्शन के लिए दिया हुआ है, लेकिन बाद में कम्प्रोमाईज के लिए दिया हुआ है। अगर गवर्नमेंट की परमिशन भी नहीं होगी तो भी गवर्नमेंट यदि चाहेगी तो उसके अन्दर कम्प्रोमाइज कर सकती है। इस प्रकार का जो यह प्रोवीजन है, उससे क्या होगा ? होगा यह कि कोई अदालत में मुकदमा जायेगा नहीं। एक तरफ तो कहते हैं कि सजा होनी चाहिए, पैनल्टी होनी चाहिए पनिशमेंट होना चाहिए, लेकिन दूसरी तरफ कहते हैं, नहीं, इसके अन्दर कम्प्रोमाइज कर सकते हैं। इस प्रकार के कई प्रावधान हैं, जिनके अन्दर ज्यादातर गवर्नमेन्ट मशीनरी के हाथ में पॉवर दी हुई है। एक तरफ तो प्रावीजन बनाया हुआ सजा के लिए, लेकिन दूसरी तरफ प्रोवीजन बनाया है परमीशन के लिए और कम्प्रोमाइज के लिए। इस विधेयक के अनुसार गवर्नमेंट के हाथ में अधिकार है कि वह चाहेगी जिसको परमीशन देगी, चाहेगी जिससे कम्प्रो-

(श्री शंकर लाल)

माइज करेगी, इससे शराबखोरी बढ़ेगी। धारा 36 (1) में लिखा हुआ है:

"राज्य सरकार द्वारा एतदर्थ विशेष रूप से प्राधिकृत कोई मद्यनिषेध अधिकारी, ऐसे किसी व्यक्ति से, जिसका अनुज्ञप्ति-पत्र अथवा अनुमति-पत्र धारा 34 की उप-धारा (1) के खण्ड (क) अथवा (ख) के अधीन रद्द अथवा निलम्बित किया जाने का भागी है अथवा जिस पर धारा 35 के अधीन अपराध करने का युक्तियुक्त सन्देह है, उक्त रद्दकरण अथवा निलम्बन के बदले या उक्त अपराध के शमन करने स्वरूप, यथास्थिति, दस हजार रुपये से अनधिक कोई धनराशि प्रतिग्रहीत कर सकता है।"

एक तरफ माननीय सदस्यों की यह आवाज आती है कि इसको गांधी शताब्दी के वर्ष में लागू किया जाय, दूसरी तरफ कहते हैं कि इस बात को गवर्नमेंट देखेगी कि कौन कौन से जिलों में इसको लागू किया जायगा, पूरे के पूरे राजस्थान में लागू किया जायगा। राजस्थान में जो पहाड़ी क्षेत्र है, उनमें उदयपुर है, बांसवाड़ा है, तो फिर आपने पाली में गिरासिया में क्यों नहीं किया? रायपुर तहसील में रावत खेड़ा भीम के इलाके में पड़े रहते हैं, जिनका जीवन शराब के कारण बरबाद हो रहा है, अभी फेमिन के काम में मजदूरी मिली लेकिन वह तमाम मजदूरी शराबखोरी में चली गई, और वह भूखे के भूखे और नंगे के नंगे रहे। इसलिए इसको वहां पर क्यों नहीं लागू किया जाय? इसलिए इस संबंध में प्रवर समिति देखेगी कि कौन कौन से क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर लागू करे। केवल उदयपुर और जालौर में ही पहाड़ी क्षेत्र नहीं है, दूसरी जगह भी हैं। यह भी हमें देखना है, इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस पर चिन्तन करने के लिए, चिन्तन जल्दी करने के लिए प्रवर समिति को सौंपने का समय एक सप्ताह का रखा है, इसको मैं समझता हूं, माननीय मंत्रीजी स्वीकार कर सकते हैं, क्योंकि इससे वास्तव के अन्दर विधेयक के आने का मकसद हल हो सकता है, वरना इस विधेयक को पास कर लिया जाय प्रवर समिति को सौंपे बिना इस पर विवेचन, चिन्तन और मनन किये बिना, तो मैं समझता हूं, इसका मकसद और भावना पूरी नहीं होगी। इसलिए मेरा निवेदन है कि इसे प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाय।

श्री सभापति : श्री हरिदेव जोशी।

कार्य सलाहकार समिति के बीसवें प्रतिवेदन का उपस्थापन

श्री हरिदेव जोशी : सभापति महोदय, मैं कार्य सलाहकार समिति के बीसवें प्रतिवेदन का उपस्थापन करता हूं। प्रतिवेदन के कन्टेन्ट इस प्रकार है:

"समिति अपने उन्नीसवें प्रतिवेदन में आंशिक परिवर्तन करते हुए सिफारिश करती है कि दिनांक 22 अगस्त 1969 से 26 अगस्त 1969 तक लिये जाने वाले कार्य के सम्बन्ध में समय का बंटवारा इस प्रकार किया जाय:

शुक्रवार

दिनांक 22 अगस्त 1969

(1) संविधान (22 वां संशोधन) विधेयक, 1969 से सम्बन्धित शासकीय संकल्प पर विचार।

(श्री हरिदेव जोशी)

(2) राजस्थान विधान सभा (अधिकारियों और सदस्यों के परिलाभ (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1969 पर विचार तथा उसका पारण।

(3) राज्य की अकाल स्थिति पर विचार।

सोमवार

दिनांक 25 अगस्त 1969

राज्य की अकाल स्थिति पर अग्रेतर विचार।

मंगलवार

दिनांक 26 अगस्त 1969

(1) राज्य की अकाल स्थिति पर हुई चर्चा का सरकार की ओर से उत्तर।

(2) अनुपूरक अनुदानों की मांगों के 1969-70 के प्रथम खंड पर विचार व मतदान तथा तत्सम्बन्धी विनियोग विधेयक पर विचार तथा उसका पारण।

उपरोक्त समय के बंटवारे में श्री अध्यक्ष द्वारा आवश्यकतानुसार परिवर्तन किया जा सकेगा।

सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन कार्य सलाहकार समिति के 20 वें प्रतिवेदन से अपनी सहमति प्रकट करता है।

श्री सभापति :प्रश्न यह है कि कार्य सलाहकार समिति के 20 वें प्रतिवेदन को स्वीकार किया जाय ?

(स्वीकृति)

प्रतिवेदन स्वीकार किया गया।

राजस्थान मद्य-निषेध, विधेयक 1969 पर अग्रेतर विचार

श्री हंसराज आर्य : मैं बोलना चाहता हूं।

(कई माननीय सदस्य एक साथ बोलने के लिए खड़े हुए)

श्री सभापति : आर्डर प्लीज।

श्री देवीदत्त गाड़िया : माननीय केशरीसिंह के कई संशोधन हैं। पहले उनको अवसर मिलना चाहिये।

श्री सभापति : आर्डर प्लीज। माननीय केशरीसिंह का जो प्रस्ताव है, मूव हो चुका है इम्मीज्एटली श्री गाड़िया ने मूव किया है।

श्री देवीदत्त गाड़िया : वह तो अलग है। कई संशोधन हैं।

आप पूरे बिजनेस को देखें। सबके संशोधन हैं, इनको अवसर पहले मिलना चाहिये।

श्री सभापति : वह तो बाद में आएगा।

(शोरगुल)

आॅर्डर प्लीज।

श्री फतेहसिंह (ब्यावर) : पाइन्ट आफ आर्डर,सर। क्या यह व्यवस्था रखी है कि चाहे संशोधन भी दिया हुआ हो प्रवर समिति को भेजने के लिए फिर भी मौका नहीं मिले ?

(श्री फतेसिंह)

हरेक सदस्य को इस सदन में बोलने और विचार व्यक्त करने का अधिकार है। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि सबको बोलने का अधिकार दिया जाय चाहे थोड़ा समय भी हो। अगर आवश्यक हो तो सदन की कार्यवाही और बढ़ा दी जाय, एक दिन और दो दिन और चले लेकिन जो बोलना चाहते हैं उनको विचार व्यक्त करने का अधिकार है।

श्री भगवानदास शास्त्री : बोलने का अवसर दें।

श्री सभापति : आपके साथ आसन की पूरी सहमति है लेकिन समय की तरफ देखते हुए मजबूरी भी है।

(कई माननीय सदस्य एक साथ खड़े हुए)

श्री भगवान दास शास्त्री : सदन का समय बढ़ाना चाहिये, इस कार्यवाही को बढ़ाना चाहिये। सदन की कार्यवाही चल सकनी है। सदन के आधीन आसन को चलना है। वरना यह स्वस्थ परम्परा नहीं है।

श्री सभापति : आर्डर प्लीज। जिन माननीय सदस्यों के प्रस्ताव बाकी रहे हैं, उनको तृतीय वाचन पर बोलने के अवसर देने पर विचार किया जायगा। उस समय आप अपने विचार प्रकट कर सकते हैं।

श्री केशरीसिंह : तृतीय वाचन पर वैसे ही बोल सकते हैं......

श्री सभापति : जिनके शेष रहे हैं उनको प्राथमिकता दी जायगी।

श्री केशरीसिंह: 15 मिनट और बढ़ा दें।

(कई माननीय सदस्य बोलने के लिए खड़े हुए–शोरगुल)

श्री पृथ्वीसिंह : सरकार का बहुमत है, बहुमत के द्वारा विधेयक पास करवा सकती है लेकिन......

श्री देवीदत्त गाड़िया : संशोधन रखने का मतलब क्या है ?

(एक साथ कई माननीय सदस्य खड़े हुए)

आप कहते हैं कि तृतीय वाचन पर समय दिया जायगा। फिर संशोधन का क्या अर्थ रहा ? इसलिए जिन्होंने संशोधन रखे हैं उनको पहले अवसर दिया जाना चाहिये ताकि सदन का दिमाग बने उसके बाद वित्त मंत्री अपने विचार व्यक्त करें।

श्री सभापति : समय सीमा के अन्दर रहते हुए प्रत्येक माननीय सदस्य को 5 मिनट से अधिक समय नहीं दिया जायगा। श्री फतेहसिंह।

श्री फतेहसिंह (ब्यावर) : सभापति महोदय, सबसे पहले मुझे आपने बोलने का अवसर दिया, उसके लिए बार बार धन्यवाद। श्रीमान्, यह ध्रुव सत्य है कि इस शराब से गरीब अधिक गरीब हो गये और आम जनता का स्वास्थ्य बिगड़ गया। भगवान बुद्ध ने कहा था कि शराब से भयभीत रहना, क्योंकि यह पाप और अनाचार की जननी है। विशेषज्ञों का भी कहना है कि पागलपन, लकवे की बीमारी, मानसिक रोग और व्यभिचार करने की आदत प्रायः शराब पीने वालों में पाई जाती है। इन सब बुराइयों को महात्मा गांधी ने, हमारे नेताओं ने समझा था। इसलिए जब संविधान बना तो

(श्री फतेहसिंह)

आर्टीकल 47 में एक डाइरेक्टिव प्रिन्सिपल रखा जिसका मतलब यह था कि हरेक राज्य को नशाबंदी लागू करनी पड़ेगी, नशाबंदी ही नहीं ड्रग्स वगैरह पर प्रोहिबिशन लगाना पड़ेगा। आज उस संविधान को फ्रेम हुए 20 वर्ष हुए हैं और देश को आजाद हुए 22 वर्ष हुए हैं। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि राज्यों में और देश में अब तक सम्पूर्ण नशाबन्दी नहीं हो पाई है। खैर। समय कम है इसलिए संक्षेप में अपने विचार व्यक्त करूंगा। गांधीजी ने यह कहा था कि यदि एक घण्टे के लिए मैं डिक्टेटर हो जाऊं तो पहली बात यह होगी कि सब शराब की दुकानों को बन्द कर दूंगा और बिना मुआवजे के बन्द कर दूंगा। हम जिनको राष्ट्रपिता कहते हैं, जिनकी यह भावना थी, आज हम उनकी भावना की कुछ कद्र नहीं करते। मैं पूछना चाहता हूं आप अपनी अंतरात्मा की तलाश करें, अगर आप सम्पूर्ण नशाबन्दी लागू नहीं करते हैं तो गांधीजी की आत्मा के साथ अन्याय करते हैं और वह आत्मा चाहे कहीं भी है, हमसे नाराज होगी। इस विधेयक की यदि भावना अच्छी है तब तो मैं इसका स्वागत करता हूं लेकिन जिस ढंग से यह बिल लाया गया है, उसमें हमें कुछ आपत्ति है। इसलिए मैंने इस विधेयक को प्रवर समिति को भेजने के लिए प्रस्ताव रखा है। इसके एम्स और आब्जेक्ट्स में कहा गया है कि राज्य के वित्तीय साधनों का ध्यान रखते हुए, इसको शनैःशनैः लागू किया जायगा, यह गंभीर बात है। वित्तीय साधनों की कमी के कारण आप जनता के स्वास्थ्य के साथ और अधिक खिलवाड़ नहीं कर सकते। वित्तीय साधनों की जहां बात आती है तो इस प्रकार के लाभ होते होंगे तो इस प्रकार के काम लागू कर सकेंगे, क्या प्रोस्टिचुशन का लाइसेन्स देंगे वित्तीय साधन बढ़ाने के लिए? प्रोस्टिचुशन से भी शराब पीने की आदत ज्यादा खराब है।

जहां तक वित्तीय स्थिति का प्रश्न है जैसा माननीय मनोहर सिंहजी ने कहा और अन्य माननीय सदस्यों ने कहा कि शराब पीना कम करेंगे तो जो आमदनी बचेगी उसको दूसरे काम में लगा सकेंगे। हमारी खुशहाली बढ़ेगी इसलिये जमीन जायदाद बन सकेगी, अच्छे मकान बना सकेंगे, अच्छे कपड़े खरीद सकेंगे, जिससे सेल्स टैक्स राज्य को मिलेगा, मोटरों में चलेंगे तो पैसेन्जर टैक्स मिलेगा, रेल गाड़ियों में चलेंगे तो उससे रेलवे को पैसा मिलेगा। इससे साफ है कि आर्थिक हानि होने वाली है वह बात नहीं है। आर्थिक हानि हो तो गांधीजी ने कहा था कि मैं देश का दिवालिया होना पसंद करूंगा लेकिन शराब की आदत एक दिन भी रखी जाय मैं उसको पसन्द नहीं करूंगा।

राज्य सरकार जहां जिस जगह जब चाहे इसको लागू करेगी। यह अजीब बात है। बीस वर्ष हो गये, जब से आपके हाथ में सत्ता आयी है, अभी आप कहते हैं कि शनैः शनैः लागू करेंगे। आप विधेयक के प्रति वफादार नहीं हैं। आप वाकई वफादार होंगे जब मनोहर सिंहजी मेहता के प्रस्ताव का समर्थन करेंगे कि इसको तत्काल सारे राजस्थान में लागू किया जाय, गरीब लोगों को गरीबी से बचा सकेंगे और उनके स्वास्थ्य की रक्षा कर सकेंगे। तत्काल से मेरा मतलब गांधी शताब्दी मनाई जा रही है, 2 अक्टूबर से इसको लागू करिये और प्रशासनिक कठिनाइयां हैं तो इस विधेयक को 30

(श्री फतेहसिंह)

जनवरी, 1970 से सारे राजस्थान में लागू करिये । 30 जनवरी गांधीजी की निर्वाण तिथि है । इसको सारे देश में लागू किया जाय और निश्चित लागू करने की तिथि कायम की जाय वरना यह एक प्रचारात्मक और घोषणा मात्र है । घोषणा की बात करते हैं तो विधान सभा के प्रथम सत्र की बात आती है । छोटी जोतों पर भू-राजस्व की छूट दी जावेगी यह घोषणा की गई थी । लेकिन उस घोषणा को वापिस ले लिया गया । इसलिये इस प्रकार की घोषणा का कोई मूल्य नहीं रहता है । अत: कोई निश्चित तिथि मुकर्रर कर ली जाय यही उचित होगा ।

फिलहाल यह बांसवाड़ा, डूंगरपुर, सिरोही और उदयपुर की 3 तहसीलों में लागू होगा उसका हम स्वागत करते हैं लेकिन हम चाहते हैं इसको सारे राजस्थान में लागू किया जाय और सारे राजस्थान में लागू करने में थोड़ी कठिनाइयां भी होती हैं तो माननीय मनोहर सिंहजी ने, माननीय श्री शंकरलालजी ने कहा माथुर साहब हमारे ऊपर दया कीजिये और सारे भीम सब डिविजन में इसको लागू कीजिये, ब्यावर सब डिविजन में जो लगा हुआ एरिया है वह पहाड़ी एरिया है वहां लागू कीजिये । इसको पाली जिले के खारची और रायपुर तहसीलों में लागू करिये क्योंकि वह पहाड़ी इलाका है वहां पर गरीब लोग रहते हैं और शराब की आदत ने उनको बरबाद कर दिया है ।

(समय समाप्ति सूचक घंटी)

दो शब्द कहूंगा ।

मैंने हिन्दी ड्राफ्ट और अंग्रेजी ड्राफ्ट को पढ़ा है माननीय शंकरलालजी ने जो बात कही है उसको दोहराते हुए कहूंगा । एक दूसरे की भाषा में 'एन्ड' 'और' का बड़ा अन्तर मालूम हुआ है । यह सब बातें तो प्रवर समिति में जाने पर ठीक की जा सकती हैं । इस विषय में अधिक नहीं कह कर यही निवेदन करूंगा कि इसको प्रवर समिति में भेजना चाहिये ।

परमिट और लाइसेन्स का प्रावधान किया गया उसका मैं सख्त विरोध करता हूं । इससे अधिकारियों में भ्रष्टाचार की मनोवृत्ति बढ़ेगी । परमिट और लाइसेन्स किस बात का देते हैं ? परमिट और लाइसेन्स देंगे तो शराब की मनोवृत्ति और बढ़ेगी । परमिट और लाइसेन्स दें भी तो मैडीशनल परपजेज के लिये दें । सैकिन्ड ओफैन्स कोई करता है तो उसके लिये जेलखाना अनिवार्य हो यह जरूर होना चाहिये । कम्पाउन्ड करने की बात में मैं विश्वास नहीं करता ।

अन्तिम बात कहना चाहता हूं सदन के माननीय सदस्यों को और मंत्रिमंडल के सदस्यों को । क्योंकि आफ्टर आल चेरिटी बिगिन्स एट होम । हमें जनता के सामने उदाहरण प्रस्तुत करना चाहिये । वाकई यदि मद्य निषेध करना चाहते हैं यह जब ही होगा जब कि सब सदस्य प्रतिज्ञा करें, कि हम शराब नहीं पीयेंगे तो मैं सोचता हूं हम वाकई मद्य निषेध चाहते हैं नहीं तो नहीं ।

(समय समाप्ति सूचक घंटी)

मंत्रिमंडल और इधर व उधर बैठे, सब इलेक्टेड रिप्रेजेटेटिव्ज, हम सब इसमें आगे हों और दुनिया के सामने अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करें । इसलिए मैं चाहता हूं कि इसको प्रवर समिति को, सुपुर्द किया जाय ताकि भाषा वगैरा कानूनी त्रुटियां उसकी निकाली जा सके।

श्री सभापति : श्री केसरीसिंह हाड़ा ।

श्रीकेशरीसिंह हाड़ा (हिन्डौली): सभापति महोदय, मैं माननीय आबकारी मंत्री को बधाई देने से पीछे नहीं रहूंगा। इस स्वतन्त्र राज्य के 22 साल के शासनकाल में यह विधेयक आया। महात्मा गांधी स्वतन्त्रता से पहले कहा करते थे। यह बड़ी खुशी की बात है कि राजस्थान के अन्दर नशे का उन्मूलन हो जावेगा और यह तब ही हो सकता है जब कि राज्य सरकार इस विधेयक को सही रूप में रखे और इसको पारित करे ताकि सही तरीके से लागू हो सके। इस विधेयक को देखने से पता चलता है कि इसमें अनेकों त्रुटियां हैं। इसमें लाइसेन्सिग की प्रथा रखी है। वह केवल रोगियों के लिए, बूढ़ों के लिए ही रखनी चाहिये न कि जो भी प्रार्थना-पत्र दे उसको मिल जाय। इसके साथ साथ यह गरीबों का शोषण करने वाला है इसमें इतने बड़े बड़े जुर्माने लगाये हैं, कैद इत्यादि लगाये हैं, जो गरीब लोग दारू पीते आये हैं, शराब पीते आये हैं जिनको कानून का ज्ञान नहीं हुआ है वे अपनी प्रवृति से बाज नहीं आवेंगे तो अधिकारी लोग छापे मारेंगे पकड़ लेंगे, मुकदमे चलायेंगे और जुर्माना करेंगे और परेशान करेंगे। इसलिए इसको शनैः शनैः करें। एक दफा हिदायत करें, फिर बाद में सजा दें। वरना क्या होगा कि एक्जम्प्शन्स रखे हैं क्लबों के लिये, होटल्स के लिये, प्राइवेट कन्सर्स के लिये, वे लोग परमिट ले लेंगे। गरीब मारे जावेंगे। जिनको आप फायदा पहुंचाना चाहते हैं उनको आप वास्तव में नुक्सान पहुंचायेंगे। अभी हो भी यही रहा है बहुत से आदमी नाजायज शराब निकालते हैं, गलती करते हैं उनको पकड़ लेते हैं। उन पर मुकदमे चला कर उनसे पैसा ले लेते हैं और उनको छोड़ देते हैं। यह प्रवृत्ति बहुत खराब है। उनको जुर्माना किया जाय लेकिन वह कम किया जाय, दुबारा गलती करें तो ज्यादा किया जाय और फिर सख्ती की जाय। नशाबन्दी से किसको फायदा होने वाला है? सरकार को फायदा नहीं होगा। आम जनता को फायदा होने वाला है। परिवार वाले फायदा उठायेंगे। मेरा निवेदन है कि इसको प्रवर समिति को भेजा जाय ताकि क्लॉज बाई-क्लॉज डेटेल्स में देख कर जिन जिन क्लॉजेज में गलतियां हैं, उनको सही किया जाय और ऐसा कानून बने जिसमें संशोधन बार बार न आये। अभी तक राज्य सरकार की यही प्रवृति रही है कि राज्य सरकार कानून जल्दी जल्दी बना देती है और पास भी जल्दी ही करा लेती है और फिर उसमे संशोधन आया ही करते हैं। इसलिये एक बार कानून बनायें और उसमें संशोधन न लायें।

श्री सभापति: ऑर्डर प्लीज।

सदन की अनुमति से बैठक का समय एक घन्टे और बढ़ाया जाता है।

श्री दिग्विजयसिंह।

(5 म. प.)

श्री दिग्विजय सिंह (उनियारा): सभापति महोदय, आपने मुझे समय दिया उसके लिए मैं आभारी हूं। जहां तक मद्य-निषेध विधेयक का सम्बन्ध है, सरकार प्रस्तुत कर रही है उसका मैं स्वागत करता हूं। साथ-2 मैं यह अवश्य निवेदन करना चाहूंगा कि सरकार को यह अवश्य विचार करना चाहिये कि कहीं हम भावना में तो नहीं बहे जा रहे हैं। ठीक है कई माननीय सदस्यों ने यह राय व्यक्त की कि गांधी सेन्टीनरी में ही सम्पूर्ण नशाबन्दी लागू कर दी जाय। अगर इसी प्रसंग को लेकर आप चलते हैं तो यह

(श्री दिग्विजयसिंह)

एक भावनात्मक होगा । यदि आप लागू करना चाहते हैं तो मेरा तो साफ निवेदन है कि समस्त भारतवर्ष में प्रोहिबिशन लागू करें । पीस मील में इसको लागू करते हैं, एक प्रान्त में लागू होगा, दूसरे में नहीं होगा राजस्थान में लागू कर रहे हैं, कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में लागू न करके इसको सम्पूर्ण राजस्थान में यदि लागू करना है तो अवश्य करें। फिर इस तरह से डिस्ट्रिक्ट वाइज में, थोड़े थोड़े पार्ट में, करते जायेंगे तो उपयुक्त नहीं होगा । सभापति महोदय, मैं इस बात से डिफर करता हूं । प्रोहिबिशन लागू कर दिया जाये । प्रोहिबिशन को अवश्य लागू होना चाहिये । हम सब इस बात को मानते हैं कि शराब पीना बुरा है, अच्छी चीज़ नहीं है, नहीं पीना चाहिये । मैं समझता हूं स्वयं इस बात को । मैं सभी महानुभाव, समाज सेवियों से निवेदन करूंगा कि यदि इस गरीब जनता को बचाना है, तो इसके लिये कानून का जरिया न लें । जिस प्रकार अंग्रेज राज करते थे, वही पद्धति बगैर कोई ख्याल किये आप अपना रहे हैं । मैं समझता हूं कि इसमें कोई फर्क नहीं है । फर्क सिर्फ यह है कि वे बाहर से आये और आप यहां के होकर यहां से सत्ता प्राप्त कर रहे हैं । इसलिये मैं भावना में बहकर प्रोहिबिशन को लागू करना उचित नहीं समझता । यह भी देखना है । हमारे प्रान्त को जो आमदनी हो रही है उसमें इससे कितना घाटा आता है । आपकी आमदनी कम होगी, तो वित्त मन्त्री महोदय, मजबूर होकर टैक्स लगायेंगे जिसका आप लोग विरोध करेंगे । साथ ही साथ दूसरी फेसिलिटी को देखना होगा । अब तो यह जो बात करना है, यह मैं समझता हूं कि न्यायसंगत नहीं है । हमारी सरकार स्वयं कहती है कि हम आगे आगे बढ़ गये हैं । इतना बढ़ गये हैं । हम शिक्षा में भी आगे बढ़ गये हैं । लोगों में इस शिक्षा से यह प्रवृत्ति उत्पन्न होनी चाहिये कि शराब बुरी चीज़ है और ऐसा वातावरण क्रियेट होना चाहिये कि शराब की बोतल पड़ी रह जाये और कोई शराब की बोतल को छूए नहीं । कानून की शरण से आप यह करना चाहते हैं । यह मेरी समझ में नहीं आता । शारदा एक्ट आपके यहां लागू है । फिर भी धड़ाधड़ शादियां हो रही हैं । मृत्युभोज का कानून है, परन्तु अन्धाधुन्ध मृत्युभोज हो रहे हैं और उस समय जब कि चुनाव होते हैं, चुनावों के समय अधिक मृत्युभोज होते हैं और चाहे वे किसी भी पार्टी वाले हों, कोई एक दूसरे की शिकायत नहीं करता । जिसकी शिकायत होती है उसके वोट चले जाते हैं । यह आप लागू करेंगे, डिस्ट्रिक्ट के अन्दर, पार्टली यह उचित नहीं है । आप ऐसी परिस्थितियां पैदा करें, आप खुद अनुमान लगावें कि हम इतने प्रोग्रेसिव नहीं हैं कि इसको चैक कर सकें । अमेरिका जैसे देश में, जहां आपसे हमसे ज्यादा उन्नति है, शिक्षा है, उस देश में प्रोहिबिशन लागू किया गया और वह वहां टोटली फेल हुआ है । मैं निवेदन करूंगा कि इसी को मद्देनजर रखते हुए इसको इम्प्लीमेंट करें । मैं यह नहीं कहता कि शराब चले । मगर हम सब समाज में प्रयत्न करें । इसकी कुरीतियों का प्रचार करें कि यह बुरी चीज है और इसकी ये खराबियां हैं और यह परिस्थिति पैदा करें कि शराब पीने वाले न मिले । दुकानें खाली पड़ी रहें । आप इन बातों को देख कर ही इसे लागू करें । आप सारे हिन्दुस्तान

(श्री दिग्विजयसिंह)

में गांधी जी की सेन्टीनरी मना रहे हैं और उस पर इसको लागू कर रहे हैं तो मैं मानता हूं, और आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि इसको सोच समझ कर लागू करें। इस विधेयक में काफी त्रुटियां हैं और गंभीर बातें हैं। आपने कई पेनल्टीज रखी हैं, एक्जम्पशन्स रखे हैं और उसके साथ साथ पनीशमेंट वगैरह हैं। उनको देखते हुए ऐसा लगता है कि राज्य सरकार, खासतौर से सत्ता के पक्ष में जो विराजमान हैं, से निवेदन करूंगा कि वे इसका पोलिटिकली मिसयूज नहीं करें।

श्री मथुरादास माथुर : नहीं करेंगे।

श्री दिग्विजयसिंह : पर यह होता है। आप अपनी अन्तरात्मा से पूछें। मेरा निवेदन यह करना है कि अगर आप करते हैं तो थ्रू आउट राजस्थान में कर दें। इस तरह से एक डिस्ट्रिक्ट में करके, उसके कुछ हिस्सों में, तहसीलों में करना है तो यह उचित नहीं है। मैं एक उदाहरण आपको बताना चाहता हूं। कई लोग अहमदाबाद से माउन्ट आबू आकर शराब पीते हैं। सिरोही में आपने डिक्लेअर कर रखा है परन्तु सुमेरपुर ग्राम में आपने ठेका दे रखा है। आप चाहते हैं शराबबंदी, यह कैसे हो सकती है। आप आबू में चले जाइये। All over India it should be implemented इस तरह से आप अगर इसको इम्प्लीमेंट करेंगे तो राजस्थान की आर्थिक स्थिति पर प्रभाव पड़ेगा। साथ ही साथ कानून की शरण लेकर काम करते हैं, यह जो पद्धति बन गयी है, वह गलत प्रथा है। इससे कुटीर उद्योगों को धक्का पहुंचेगा। महात्मा गांधी ने यह नहीं कहा, कभी नहीं कहा है कि कुटीर उद्योगों को बन्द कर दो। यह कुटीर उद्योग है। जो विदेशी शराब है, उसको आप बन्द कर दें। परन्तु यह तो कुटीर उद्योग है। आप आज ऐसी हालत में हैं कि लोगों को एम्प्लायमेंट नहीं दे सकते।

(समय समाप्ति सूचक घंटी)

इससे काफी लोग अपनी रोजी रोटी कमाते हैं। वे क्या करेंगे ? वे भूखे नहीं मर जायेंगे। आपसे यह उम्मीद नहीं कि आप उनको रोटी-रोजी देंगे, कपड़ा देंगे। मैं निवेदन करूंगा कि यह एक गम्भीर विषय है और इसमें कहीं आप भावनाओं में आकर के बह मत जाइये। आप इस पर पुनः विचार करें। माननीय सदस्यों ने जो सुझाव दिये हैं, मैं उनसे सहमत हूं। और इसको आप प्रवर समिति को जरूर सुपुर्द कर दें ताकि इसमें जो त्रुटियाँ हैं, वे दूर हो सकेंगी तो मैं समझता हूं कि यह सही तरीका होगा।

श्री सभापति : श्री रामचन्द्र आर्य,
(अनुपस्थित)
श्री हरजी राम बुरड़क
(अनुपस्थित)
श्री रूपसिंह।
(अनुपस्थित)
श्री बद्री प्रसाद गुप्ता
(अनुपस्थित)
श्री हंसराज आर्य
(अनुपस्थित)
श्री हरिवल्लभ शर्मा

श्री हरिवल्लभ शर्मा (सवाई माधोपुर) : सभापति महोदय, सबसे पहले जो यह कानून लाया गया है, आबकारी मन्त्रीजी को इसके लिये धन्यवाद देना चाहता हूं परन्तु मैं इसके तरीके की तीव्र भर्त्सना करता हूं। पहले 8 जुलाई को अध्यादेश जारी करवाया। मेरी समझ में नहीं आता कि राजस्थान में एक प्रक्रिया सी बन गई है

(श्री हरिवल्लभ शर्मा)

कि जो भी कानून यहां लाना है, उसका पहले अध्यादेश जारी कर दिया जाये जिससे कि सदस्यों के ऊपर, शासक दल के सदस्यों के ऊपर एक नैतिक दबाव डाला जाये कि अध्यादेश जारी हो गया है; इसलिये यह प्रतिष्ठा का प्रश्न है और इसलिये इसको वैसा का वैसा, उसी स्वरूप में पास करना है। मेरी समझ में नहीं आता कि मुख्य सचेतक का क्या काम है ? राज्य सरकार ने गिरधारीलाल जी को यहां बैठा रखा है। वे तनख्वाह और भत्ता लेते हैं। यह किस बात का लेते हैं ? खैर, यह कानून आया। जो प्रारूप है, उसमें कुछ खामियां हैं। उस पर हमें ध्यान देना है। आया राज्य सरकार ने जो इस विधेयक को प्रस्तुत किया है, क्या वह उसकी नशाबंदी के प्रति दृढ़ संकल्प का प्रतीक है ? क्या वह उसने निष्ठा के साथ प्रस्तुत किया है या नहीं ? दरअसल संकल्प में कमियां हैं। निष्ठा का तो प्रश्न ही नहीं है। मैं इसका उदाहरण दूं इसकी पृष्ठभूमि है, जिससे यह अनुमान लगाया जा सकता है। जब कभी गाड़ी तेज रेस से चलती है तो यह नहीं मानना चाहिये कि रुकेगी। रुकेगी तो एकदम उलट जायेगी। यह हालत आप देखिये। जहां जहां ठेके शराब के अधीन आपने दिये हैं। उनके पास एक स्थान का परमिट होता है। एग्रीमेंट में यह शर्त होती है कि केवल इस जगह पर, इस क्षेत्र में, इस स्थान पर यह ठेका होगा। परन्तु उसकी दुकानें कई जगह दिखाई देती है। परन्तु व्यवहार में इसका क्या स्वरूप है ? व्यवहारिकता यह है कि जहां एक जगह ठेके की दुकान है, वह कम से कम जीप में भर कर, पड़ौस के गांव गांव में जाकर शराब पहुंचाई जाती है और उसके करीब 50 कमीशन एजेन्ट बने हुए रहते हैं। मैं खुद अपने क्षेत्र की बात जानता हूं।

हमारे जो माननीय सदस्य चुन्नीलालजी हैं उन्होने आबकारी उपमंत्री को बताया कि मेरे पड़ोस में 10 कमीशन एजेन्ट्स हैं आखिर उनको कौन पकड़ता है। शराब को इस प्रकार से प्रोत्साहन दे रखा है घर घर और झोंपड़े झोंपड़े तक इसको पहुंचा दी है। इसकी कोई सीमा भी नहीं है। लेबर कोलोनीज में फैक्टरीज के पास स्टेशनों पर सब जगह दुकानें चल रही हैं। चुन्नीलाल जी के पड़ौस में एक हजार हरिजनों की आबादी है वहां दस घरों में शराब रखी हुई है। इस बारे में वे जिलाधीश से मिले लेकिन आज तक उसका कुछ परिणाम नहीं हुआ। जहां तक मद्यपान का संबंध है, ठेकेदारों को नाजायज तरीके से आपने बेचने के लिये प्रोत्साहन दे रखा है, इसमें जो विधि रखी है उससे वह चीज मिटने वाली नहीं है। जिस स्पीड से मद्यपान चल रहा है आज इसका प्रचार घर घर और झोंपड़े झोंपड़े तक, स्कूलों के पास सभी जगह दुकानें खुलवादी हैं। इसीलिये मैंने जनमत जानने हेतु प्रचारित करने के लिये निवेदन किया है।

मैंने यह भी निवेदन किया है इस मद्य निषेध कानून के साथ साथ यह उद्घोषणा भी हो कि गांधी शताब्दी पर ही इसको लागू कर दिया जायगा। मेरी समझ में तो यह विधेयक केवल लोकलाज के लिये प्रस्तुत कर दिया गया है ताकि लोगों में यह बात हो कि गांधी शताब्दी वर्ष में राज्य सरकार ने मद्य निषेध कानून बना दिया है। जबकि इसको गुजरात के साथ लगे हुए केवल तीन जिलों में लागू किया गया है।

समाज में जो बुराइयां पनप रही हैं, शराबखोरी बढ़ रही है, इसका कारण क्या है?

(श्री हरिवल्लभ शर्मा)

सरकार का कहना है कि इसका आर्थिक समस्या से भी संबंध है। मद्य-निषेध कर दिया जायेगा तो आर्थिक घाटा होगा। मैं सदन से निवेदन करना चाहता हूं गुजरात ने शराबबन्दी की है, उसके बाद के बजट के आंकड़े देखे जायं तो पता चलेगा कि गुजरात में मद्यनिषेध लागू करने के बाद बिक्री कर की आय जो केवल 37 लाख की थी वह 67-68 में दस गुना तक बढ़ गई। इसी प्रकार से मनोरंजन कर से होने वाली आय भी दुगुनी होगई। मद्य-निषेध लागू करने से जहां गरीबों के घर बार ठीक हो जायेंगे वहां राज्य सरकार को आर्थिक लाभ भी होगा। मद्यनिषेध से होने वाले घाटे की पूर्ति बहुत जल्दी हो जायेगी। वित्त मंत्री महोदय, इस आबकारी से होने वाली आय को छोड़ना नहीं चाहते। वित्त मंत्री में यह हिम्मत नहीं।

सभापति महोदय, मैंने इस कानून को देखा है इसके चेप्टर तीन में पैनल्टी लागू की है जिसमें सब को चोर बनाया गया है। जैसे धारा 25 में आपने व्यवस्था रखी है जो इनफोरमेंट हैं उसको भी अपराधी माना जायगा उसकी सूचना झूंठी साबित होती है तो उस पर जाब्ता फौजदारी की दफा 182 के तहत कार्यवाही नहीं की जायगी बल्कि पुलिस को उसकी सूचना पर इत्तला दी जायगी और अगर उसकी इत्तला गलत हुई तो उस पर कानूनी कार्यवाही की जायगी। जब कि अन्य कानूनों में इस प्रकार के ओफेन्सेज कहीं भी कोग्नीजीबल नहीं रख गये हैं और चेप्टर 3 के अन्तर्गत यह ओफेन्स कोग्नीजीबल बनाया गया है। मद्य-निषेध यदि वास्तव में लागू करना चाहते हैं तो सूचना देने वालों को प्रोत्साहित करना चाहिए, उसके ओफन्सै को कोग्नीजीबल नहीं बनाना चाहिए। उसकी इनफोर्मेशन का लीकेज हो जाता है और अपराधी को पता लग जाय तो वह वहां से सब सामान को हटा सकता है तो ऐसी हालत में सूचना देने वाले को अपराधी मान कर उसके खिलाफ कार्यवाही करना उचित नहीं होगा। इस तरह से सूचना देने वाले को अपराधी की श्रेणी में मान कर उसको कोग्नीजीबल बनाना मद्यनिषेध नीति के विपरीत होगा। इससे तो जान बूझकर भी कोई सूचना नहीं देगा।

जहां आपने यह प्रावधान रखा है कि यह कोग्नीजीबल ओफेन्स है लेकिन बेलेबल कौनसे ओफन्स हैं और नॉन बेलेबल कौन से हैं, यह प्रावधान नहीं रखा गया है। उस पर जाब्ता फौजदारी की धारायें लागू होंगी ऐसी कोई डिफाइन नहीं किया गया।

तीसरी बात जाब्ता फौजदारी की दफा 182 में जिस प्रकार की व्यवस्था है, पुलिस में रिपोर्ट की गई, पुलिस रिपोर्ट के अनुसार अपराधी पर कम्प्लेन्ट पेश होगी और उसके बाद 211 के तहत वह झूंठी साबित हो तो कम्प्लेन्ट दायर होगी। कौनसी जगह वह शराब निकालता था वह एक अधिकारी के पास सूचना आई उसने उस सूचना को पुलिस को दी उसके बाद अपराधियों का पता लगता नहीं है कि किसके कब्जे में शराब है। हम जहां यह चाहते हैं कि इस बारे की अधिक से अधिक सूचनायें मिलें, कहां शराब रखी हुई, कौन शराब पीता है वह मुखबिर सामने आयगा अगर उसकी सूचना गलत साबित होती है तो वह इस प्रकार के प्रावधान से भयभीत होगा और उसकी गलत सूचना पर

(श्री हरिवल्लभ शर्मा)

उसको दण्डित करेगा । मैं मानकर चलता हूं कि इन प्रावधानों में संशोधन की आवश्यकता है ।

दूसरी बात जो यह अध्यादेश जारी किया गया है इस मंशा से कि सारे राजस्थान के अन्दर किसी ढंग का मेन्युपुलेशन नहीं हो लेकिन एक एक हजार बोतलें अन्डर ग्राउण्ड कर देंगे । यह बिल जो पेश किया गया है 2 अक्टोबर, 1969 को लागू हो जायगा । ऐसी घोषणा करें तब ही इसका स्वागत होगा । मेरे ख्याल से इन सब बातों का खयाल न कर वित्त मंत्री को अपने वित्त का सबसे अधिक खयाल है । माथुर साहब से पूछना चाहता हूं गत वर्ष की गारन्टी का पैसा जिन लोगों में बकाया था उन्हीं लोगों को 70 में गारन्टी दे दी जब कि उन लोगों में 67 लाख रुपये की बकाया थी आप उसको राइट आफ करना चाहते हैं । जब कि ये ठेकेदारों से मिलकर नाजायज तौर से शराब में पानी मिला मिला कर बेचते हैं और इस तरह से शराब की कम बिक्री होती है। और इसलिए सरकार से वे शराब नहीं खरीदते । आप कहते हैं कि जितनी उनको गारन्टी थी उतनी शराब हम उनको नहीं दे पाये । वे कैसे खरीदेंगे जब कि वे शराब में पानी मिला मिला कर बेचते हैं और इस तरह से काफी फायदा उठाते हैं ? इस तरह से भी आपने इस मद्य को बहुत प्रोत्साहित किया है । ठेकेदार और उसके बाद आपका अधिकारी वर्ग उनको ज़बरदस्त संरक्षण देता है जो गाड़ियों में जीपों में भर भर कर झोपड़ियों तक ले जा रहे हैं उनके घरों में बोतलें पहुंचा रहे हैं । इस बिल को आप फिर एक बार देख लीजिए । इसको जनमत जानने हेतु प्रचलित कीजिए ताकि पता लग सके कि जनमत क्या चाहता है यदि 2 अक्टोबर को भी आप लागू करना चाहते हैं तब तक जनता की राय आ जायगी ।

श्री मथुरादास माथुर (वित्त मंत्री) : सभापति महोदय, राजस्थान मद्य-निषेध विधेयक, 1969 को विचारार्थ प्रस्तुत करने के बाद इस पर दो तरह के प्रस्ताव आये हैं । एक में यह मांग की गई है कि इसको जनमत जानने हेतु प्रसारित किया जाय और दूसरे में इसको सिलेक्ट कमेटी को सुपुर्द करने के लिए कहा गया है । जहां तक इस बिल को जनमत जानने हेतु प्रसारित करने का सवाल है मैं जानता हूं मद्य निषेध के विरोध में जनमत नहीं होगा । इस संबंध में यहां जिस प्रकार के विचार रखे गए हैं उससे जनमत का पता चलता है । इसलिए पब्लिक ओपीनियन के लिए भेजने का सवाल पैदा नहीं होता ।

दूसरा प्रस्ताव जो प्रवर समिति को सुपुर्द करने का आया है उस संबन्ध में मेरा निवेदन है कि इतने बड़े बिल को अममून मैं सिलेकट कमेटी में भेजने को तैयार रहता हूं मगर मैंने इस बिल को सदन के समक्ष पेश करने से पहले आर्डिनेन्स के रूप में इसे लागू कर दिया ।

और यह इसलिये करना पड़ा जो मैं शुरु में ही निवेदन कर चुका हूं । जयपुर से आने वाले ब्राढ़दार साहब ने प्रस्ताव रखा था और जिन्होंने बाद में उसे वापिस ले लिया । वह चाहते थे कि आर्डिनेन्स को रिजेक्ट किया जावे । उसको उनको वापिस लेना पड़ा । उस वक्त बता दिया था कि आर्डिनेन्स क्यों सरकार को जारी करना पड़ा । जनमत

(श्री मथुरादास माथुर)

चाहता था जो कदम सरकार ने उठाया है उसको कानून के द्वारा अमली जामा पहनाया जावे, यह जरूरी था। सिर्फ एग्जीक्युटिव आर्डरों से और कुछ एक्साइज के कानून कायदों की मदद से यह काम हम कर रहे थे पर इससे काम चल नहीं सकता था, इसलिये आर्डिनेन्स लाना जरूरी हो गया था। आर्डिनेन्स भी जारी कभी का हो जाता, दूसरे सत्र के पहले से ही हमने राष्ट्रपति की आज्ञा के लिये कन्सेन्ट के लिये मामला भेज दिया था पर वहां से जल्दी स्वीकृति नहीं आई। फिर असेम्बली का सत्र हो गया। और चूंकि वह सत्र भी एब्रप्टली खत्म हो गया था इसलिये मैं उस वक्त बिल सदन में ला नहीं सका। इसलिये आर्डिनेन्स लागू करना पड़ा। और अब बिल लाकर सदन में मैं उपस्थित हुआ हूं इसलिये जब आर्डिनेन्स चालू है तो यह कानून भी इसी सत्र में पास होना चाहिये, नहीं तो वह लैप्स हो जावेगा और फिर वेक्यूम क्रीएट हो जावेगा इसलिये प्रवर समिति में भी भेजने के प्रस्ताव से मैं सहमत नहीं हूं क्योंकि इस सदन के कार्यकाल में उसकी रिपोर्ट आ नहीं सकेगी। इसी कारण मैं जनमत प्रसार की बात भी मान नहीं सकता। फिर इधर तो आप मद्य-निषेध की बात करते हैं और उधर कानून आप इस सत्र में पास नहीं करने देना चाहते तो सारा काता पींजा कपास हो जावेगा। इसलिये ये दोनों बातें मैं मानने में असमर्थ हूं।

दूसरा यह जो बिल मैंने बनाया है वह मध्यप्रदेश, गुजरात महाराष्ट्र स्टेटों में कानून लागू हैं और जो 15 सालों से लागू हैं जो सिलेक्ट कमेटियों में जा चुके थे हाई कोर्ट और बड़े बड़े कोर्टों की जाँच में से निकल चुके थे उन सबकी धाराओं को लेकर बनाया है। घर का कुछ नहीं डाला है। कुछ लोकल कन्डीशनों से एडजस्ट किया है। इसलिये प्रवर समिति में भी जाकर कानूनी तौर पर इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं होने वाली है। इसलिये प्रवर समिति में भेजने में इस बिना पर भी असमर्थ हूं।

अब सवाल यह रह गया कि इस को लेकर दो तीन बड़े मुद्दों की बात कही गई।

मेजर श्री फतेहसिंह: मैंने यह देखा है इसमें भाषा की काफी त्रुटियां हैं।

श्री मथुरादास माथुर: इसके लिये प्रवर समिति की जरूरत नहीं है। अंग्रेजी अनुवाद इसका ओथेन्टिकेटेड होने के बाद वह माना जावेगा। वैसे मैं खुद भी भाषा के मामले में कमजोर हूं जैसे आप हैं। आप तो फिर भी अच्छे होंगे। पर लॉ विभाग से इसे तैयार कराया है। फिर भी इसमें खामी होगी तो ठीक कराया जा सकता है।

अब इसको लेकर इसकी आड़ में ई तरह की बातें कही गई। इन पर मैं अभी कुछ नहीं कहूंगा, बाद में कहूंगा। इस बिल पर जो कहा गया है उन पर पहले कहूंगा। सदस्य जो इस ओर उस ओर या मध्य में बैठे हैं उनकी एक ही आवाज उठी है कि मद्य-निषेध होना चाहिये। यह स्वागत की की बात है। इससे राज्य सरकार को बल मिला है। और आगे भी मिलेगा। आपकी हिम्मत से राज्य सरकार को भी हिम्मत बन्धी है आज। आप तो कहते हैं बीस साल की बात कि बीस साल आजादी को मिले हो गये और हमने इस काम को नहीं किया। पर खेद के साथ कहना चाहता हूं कि डि.

(श्री मथुरादास माथुर)

स्टेटों ने बहुत पहले यह काम किया था और अपने कदम आगे बढ़ाये थे आज दस कदम पीछे हो गये हैं। मैसूर और पंजाब ने इस कानून को इरेज कर दिया। हरियाणा ने इरेज कर दिया। मध्यप्रदेश ने इरेज कर दिया। कई रियासतों ने कर दिया। महाराष्ट्र ने इरेज तो नहीं किया पर ढ़ीला जरूर कर दिया।

सब जगह ऐसी हालत है, ऐसी आबहवा में भी मद्य-निषेध की भावना फैली है दो वर्षों में राजस्थान ने कदम उठाये हैं। वह हिम्मत की है। आपकी ताकत से वह हिम्मत की है। आगे भी आपकी ताकत से सरकार काम करेगी। इसके लिये मैं सबको बधाई देता हूं। जो बिल का खण्ड एक है उसमें कहा है राज्य सरकार वक्तन फवक्तन नोटिफिकेशन के जरिये राजस्थान में प्रोहिबिशन की तरफ बढ़ती रही है, आज्ञाएं जारी करती रही हैं। प्रोहिबिशन दो तरह से होता है। एक तो एक दम बन्द हो जावे। कुछ लोग झटके में विश्वास करते हैं। बहुत से हलाल में करते हैं। मेरा विश्वास दूसरा है। मैं उनमें हूं कि जो चाहते हैं कि निषेध हो। पर साथ ही चाहता हूं कि आज भी कर दें, पर जो मशीनरी हमारे पास है वह अप्रर्याप्त है उसके जरिये से काफी नहीं कर सकते हैं। इस मसले को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी में भी ले जाया गया। वहां का फार्मुला सात साल का हो गया। पर हमारे मुख्य मंत्री ने कहा कि हम तो चार साल में कर देंगे। चार साल में हो जावेगा १र सप्ताह में धीरे धीरे दिन बढ़ाकर कर देंगे। इसलिये इतना ही खाना चाहिये जितना हजम कर सकें। पब्लिक पर कानून को लाद दिया जाता है और सोशल रिफार्म कर दें तो भाषण कुछ भी दे दें यहां खड़े होकर। कई मिनिस्टरों के बारे में कहा जाता है, पर अपने हमाम में जाकर अपनी शक्ल देखें, सब नंगे नजर आते हैं। तो विरोध या क्रिटिसाइज करने की आवश्यकता नहीं है। वह छोड़ें, यह खुशी की बात है।

पर निवेदन करता हूं कि दो अक्टूबर को गांधी शताब्दी आगई। इसलिये इस पर बन्द कर दिया जावे। दो अक्टूबर हर साल आती है। गांधीजी के स्वर्गवास को भी बीस साल हो गये। हम तो उतना ही कर सकेंगे जितना कि हम उस कानून को अमलीजामा पहिना कर एनफोर्स कर सकते हैं। कितना ही आप एडमिनिस्ट्रेशन स्ट्रोंग कर लीजिये। फिर भी लीकेज तो होता ही है। पर बाद में कोई न रह जावे। यह पहले कई बार हुआ हैं। हमने प्रोग्राम जो दिया है मद्य निषेध में काम करने वालों को पूछ कर सोशल कण्डीशन को देख कर किया हैं। अब या तो डिस्ट्रिक्ट वाइज कर लीजिये यह जैसा हैं वैसा मान लीजिये। मास्टर आदित्येन्द्रजी ने भरतपुर के लिए कहा क्योंकि वहां सम्मेलन हो गया। इसलिए वहां पर रखना चाहिये, भीम और ब्यावर के एरियाज के लिए कहा। इसी तरह दूसरे कहते हैं। एक यह भी सुझाव आया है कि 25 किलो मीटर के बेल्ट में गुजरात में किया है, वहां कर दीजिये। यह दलील अब दी जा रही है कि जिस जिले में आपने किया हैं उसके 25 किलो मीटर और आगे कर दिया जावे। पर बाद में यह तय हुआ कि फेजवाइज चलना चाहिये। दो दिन कम्पलीट कर दें, अगले साल दो दिन और करेंगे फिर चार साल में पूरा कर देंगे।

(श्री मथुरादास माथुर)

पर डेजवाइज और एरियावाइज नहीं चल सकते दोनों साथ साथ । एरिया कोई भी प्रोहिबिशन का नहीं बढ़ाया जावेगा। किन्तु एक अप्रेल को चार दिन प्रोहिबिशन कर दिया जावेगा उस घोषणा के आधार पर चलेंगे। यह हमारी नीति होगी। इसलिए मुझे खेद है कि शिड्यूल्डकास्ट या शिड्यूल्डट्राइब्स के नाम पर, एरिया के नाम पर, सम्मेलन हुआ इस नाम पर, बार बार कहा जाता है, उससे मैं सहमत नहीं हूं। राज्य सरकार की नीति सदन ने एप्रूव की है उसके अनुसार चलेंगे। यह बिल उस नीति को एग्जीक्यूट करने का एक माध्यम है। और बिल आपके सामने मौजूद है। इसलिए दो अक्टूबर, 69 को पूर्ण मद्य-निषेध डीक्लेयर करने में असमर्थ रहूंगा।

सभापति महोदय, यह भी कहा गया कि किसी नई डिस्टलरीज को लाइसेन्स दिया जाता है। यह भी आप समझ लें। मैंने राजस्थान में, जब से, इस चुनाव के बाद, एक भी डिस्टलरी का लाइसेन्स नहीं दिया है। अभी कहा था कि भारत सरकार ने बीयर के लिये लाइसेन्स दिया होगा। इण्डस्ट्रियल लाइसेन्स भारत सरकार किसी को दे। बिरलाजी को दें, किसी को दे, हमारा जहां तक सम्बन्ध है इस बारे में न मुझे पूछा गया न हमने कुछ कहा। पर एक्साइज के लाइसेन्स का मामला देखने का अधिकार मुझे है।

श्री हरिवल्लभ शर्मा : सवाई माधोपुर में दिया न ?

श्री मथुरा दास माथुर : एक्साइज लाइसेन्स देने का अधिकार मेरा है मैंने एप्रूव नहीं किया है। जब तक मैं लाइसेन्स न दूंगा, तब तक वह उसको गले में लगा कर घूमता रहेगा। राजस्थान में ब्रुअरी नहीं लगा सकेगा। और वह लाइसेन्स हमने नहीं दिया है। ब्रुअरी का लाइसेन्स राजस्थान सरकार से इश्यू नहीं हुआ है। डिस्टिलरीज को कोई नया लाइसेन्स इश्यू नहीं हुआ है। पुराने लाइसेन्स हैं तीन-चार लोगों के पास हैं जो चार-पांच साल पहले दिये गये थे। मैं आपकी जानकारी के लिए बताऊं डिस्टिलरी का लाइसेन्स गुजरात में दिया जाता है, बम्बई में दिया जाता है। यह इन्डस्ट्रीयल अल्कोहल होता है जो कई इन्डस्ट्रीज में काम में आता है इसका मतलब यह नहीं है कि जो स्प्रिट बनेगी वह शराब के लिए ही प्रयोग में आयगी। अल्कोहल गुजरात में नहीं होता है तो वह दूसरी जगहों से उसे मंगाता है, इससे उनकी इन्डस्ट्री को धक्का पहुंचता है। मैं यहां पर कम्पलीट प्रोहिबीशन कर दूंगा। लेकिन अल्कोहल और स्प्रिट उसमें काम में आयेगी। डिस्टिलरी से कोई घबराने की बात नहीं है। बोतल परपज के लिए वह स्प्रिट काम में नहीं आनी चाहिये। राजस्थान में किसी तरह का लाइसेन्स नहीं दिया है। राजस्थान में जहां डिस्टलरीज हैं वहां भी सरकार बन्द करने जा रही है। अभी 3-4 डिस्टलरीज चल रही हैं। सरकार ने फैसला कर लिया है कि मन्डौर में जो डिस्टलरी चल रही है, उसको बन्द कर दी जाय। सभापति महोदय, यह भी एक माननीय सदस्य ने कहा सुखाड़िया साहब की नर्सरी के अंगूर एक्साइज डिपार्टमेंट खरीदता है। मैं आपको बताता हूं न तो कोई उदयपुर में डिस्टिलरी है और न ही राज्य सरकार के डिपार्टमेंट और न स्टेट एन्टरप्राइज अंगूरों को खरीदती है। इसलिए इस शंका का तो वे निराकरण कर लें।

(श्री मथुरादास माथुर)

सभापति महोदय, यह भी कहा गया कि खेतड़ी के उप चुनावों के दिनों में शराब पिलाई गई, यह बिल्कुल गलत है .....

श्री रामचन्द्र आर्य (नोहर) : यह आप बिल्कुल गलत कह रहे हैं। हमने आंखों देखी है। ट्रक भर भर कर आये हैं। लोगों को खूब पिलाई गई है।

(शोरगुल, अश्रव्य)

हमारी आंखों के सामने पिलाई गई है और फिर आप इस तरह से कहते हैं ....

(कई मानीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर-अश्रव्य)

श्री मथुरादास माथुर : आप सुनिये...

(कई मानीय सदस्यों के साथ बोलने पर-अश्रव्य)

श्री रामचन्द्र आर्य : आप यह कहिये कि हमने नहीं पिलाई। दौलतराम जी ने देखा है कि कांग्रेस वालों ने पिलाई है। हमने नहीं पिलाई है यह कैसे कहते हैं ?

श्री सभापति : आर्डर, आर्डर। आप सुनिये....

श्री मथुरादास माथुर : आप सुनिये....

(शोर गुल, अश्रव्य)

श्री सभापति : आर्डर, आर्डर।

श्री मथुरादास माथुर : सभापति महोदय, राज्य सरकार ने इस बात का फैसला किया है और मैंने यह हुक्म निकाला है कि चुनावों के 5 दिन पहले कत्तई शराब की दुकानें बन्द कर दी जायेंगी। हर चुनाव के 5 दिन पहले शराब की दुकानें बन्द करने का राज्य सरकार का निर्णय है...

श्री रामचन्द्र आर्य : उस दिन शराब जयपुर से भर कर गई थी।

श्री मथुरादास माथुर : मैं खुद खेतड़ी में मौजूद था। मेरी मौजूदगी में ऐसा कैसे हो सकता है, मेरा ही कानून अमल में नहीं लाया जाय इससे ज्यादा मेरे लिये और क्या शर्म की बात होगी। मैं ऐसा आदमी नहीं हूं।

(कई माननीय सदस्यों के पुनःएक साथ बोलने पर-अश्रव्य)

एक माननीय सदस्य : जालौर में पिलाई गई थी।

श्री मथुरादास माथुर : जालौर में कोई शराब नहीं पिलाई गई। हम तो इस तरह की आदत ही नहीं डालना चाहते हैं...

(शोरगुल)

मैं यह निवेदन कर देना चाहता हूं कि जनता भी इस बात को अच्छी तरह जानती है....

श्री रामचन्द्र आर्य : खेतड़ी के चुनाव के अन्दर 14 हजार बोतलें उठी हैं।

श्री मथुरादास माथुर : सभापति महोदय अगर वहां शराब पिलाते तो 12 हजार वोटों से जीतने का सवाल नहीं होता....

श्री विजय सिंह (मकराना) : 12 हजार बोतलें पिलाई गई हैं खेतड़ी के चुनाव में। ट्रकों से शराब भर कर मंगाई जाती है।

Page No 156

(श्री विजयसिंह)

सभापति महोदय, अगर आपकी पार्टी वाले कहेंगे तो आप क्या दन्ड देंगे, इसके लिये आप क्या व्यवस्था करेंगे ? मैं साबित कर सकता हूं कि शराब पिलाई गई है।

श्री मथुरादास माथुर : आप जरा तसल्ली रखिये, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि सभापति महोदय....

श्री रामचन्द्र आर्य : सभापति महोदय, मैं भी एक निवेदन करना चाहता हूं ..

श्री सभापति : निवेदन बाद में करें। माननीय मंत्रीजी का उत्तर हो जाने दीजिये बाद में निवेदन करें।

श्री विजयसिंह : आपके खुद के डीडवाना के चुनाव में श्री चेनाराम जो ऑर्गेनाइजर के रूप में काम कर रहा था वह हमेशा शराब पीये हुये रहता था और शराब पीये ही सारा चुनाव का कार्य करता था।

श्री मथुरादास माथुर : उसने शराब छोड़ दी है। चेना राम जो ऑर्गेनाइजर था अब उसने कत्तई शराब छोड़ दी है। 12 महीने से उसने शराब की एक बून्द भी मुंह के नहीं लगाई है।

श्री रामचन्द्र आर्य : इस तरह जनता में झूठ बोलना शोभा नहीं देता है।

श्री हीरा भाई (कुशलगढ़) : झूंठ झूंठ-बोल बोल कर आप अराजकता फैलाना चाहते हैं।

श्री मथुरादास माथुर : झूंठ है या सच है, सभापति महोदय, चुनावों का नतीजा साफ बताता है।

श्री रामचन्द्र आर्य : यह भ्रष्टाचार नहीं है जितने मंत्रिमण्डल में हैं वे सारे के सारे आ गये ...

(शोर गुल-अश्रव्य)

श्री मथुरादास माथुर : मैं पैर पर खड़ा हुआ हूं इस लिये नम्र निवेदन करना चाहता हूं कि खेतड़ी में, जालौर में एक भी पैसे की शराब वितरित नहीं कि गई है। मैं बुलन्द अवाज से कहता हूं।

एक माननीय सदस्य : जालौर की जनता सुनती तो आपको पता लग जाता कि आप झूंठ बोल रहे हैं या सच ?

श्री मथुरादास माथुर : यह तो वह बात है नाई नाई बाल कितने जुजमान अभी सब सामने आ जाते हैं...

श्री रामचन्द्र आर्य : कांग्रेस की तरफ से शराब नहीं पिलाई गई, आप कह दें ?

श्री हसराज आर्य : कोई शराब नहीं पिलाई गई, सब असत्य है, झूंठ है।

मेजर फतेहसिंह : मैं एक बहुत महत्वपूर्ण सूचना देना चाहता हूं ब्यावर में सदर थाने से कुछ दूरी पर सांसी और कंजर रहते हैं वे शराब बनाते हैं। पुलिस वाले भी वहां शराब पीने जाते हैं। आपके वहां के आबकारी अधिकारी कुछ नहीं कहते और करते। फिर आप किस तरह कहते हैं कि शराब बनाना बंद होगा ?

श्री मथुरादास माथुर : आप खत लिखे देते तो मैं जांच करवा लेता।

मेजर फतेहसिंह : मैं इस तरह का खत राज्य के गृह मंत्री को लिख चुका हूं। यह आपके प्रशासन की खराबी है।

श्री मथुरादास माथुर : माननीय सभापतिजी, मैं माननीय सदस्यों को खत आने के बाद...

श्री फतेह सिंह : आप चाहे कभी भी ब्यावर पधारें भेष बदलकर आवें और एक मील दूर गाड़ी को खड़ी कर दें। ब्यावर में ये सब लोग पीते हैं।

श्री मथुरादास माथुर : आप कह रहे हैं तो मैंने नोट कर लिया है और इस पर कार्यवाही करूंगा। पहले आप मुझे कह लेने दें।

श्री हरिवल्लभ शर्मा : सवाई माधोपुर के लिये ..

श्री मथुरादास माथुर : माननीय सदस्य विधान सभा का जब सशन होता है तभी इत्तला देते हैं....

श्री रामचन्द्र आर्य : गांवों में शराब जीपों में भर भर ठेकेदार घर घर में बेचते हैं। उसकी सूचना दी है आपको। कोई इन्तजाम नहीं किया।

श्री शंकर लाल : आन ए पाइन्ट ऑफ आर्डर, सर। जो बातें विधेयक से सम्बन्धित हैं उतनी ही आनी चाहिये। हर एक बात को लेकर सदन का समय खराब न किया जाय।

श्री मथुरादास माथुर : इस विधेयक के सिलसिले में कहा गया और एक आड़ में कहा गया। आड़ का जवाब न दूं तो लोग यह समझेंगे Silence is half consent.

श्री रामचन्द्र आर्य : यह जवाब नहीं है, पर्दा डालने वाली बात है।

श्री मथुरादास माथुर : आप पर पर्दा डालने की बात कौन कहता है ?

श्री रामचन्द्र आर्य : मेरे पर क्या पर्दा डालेंगे ?

श्री मथुरादास माथुर : मेरे पास चिट्ठी आई है पाली जिले से, वहां स्टेशन पर दुकान थी उसको बन्द करवाया है, जोधपुर में जनसंघ के माननीम सदस्य ने लिखा था कि बिजोलिया में शराब की दुकान है, उसको मैंने हटा दी है। एक दुकान गंगा नाम वाली स्कूल के पास थी, किसी ने चिट्ठी लिखी उसको मैंने हटा दी है।

श्री रामचन्द्र आर्य : चिट्ठी का प्रश्न नहीं है। हमने विधान सभा में इस मामले को उठाया और आप इन्क्वायरी कराइये। आपको विश्वास नहीं है तो आप हमारे साथ चलो, मैं आपको पकड़वाऊंगा। क्या जरूरत है चिट्ठी लिखने की जब विधान सभा में मामले को बार बार उठाया है और आपको कहा है कि घर घर में जाकर जीपों में भरकर शराब बेची जा रही है, आप उसको रोकें। फिर बार बार कहते हो कि चिट्ठी क्यों नहीं लिखी। किस बात की चिट्ठी लिखें ?

श्री मथुरादास माथुर : इसके बाद में बाड़मेर शहर में गुरुद्वारे के पास में जो शराब की दुकान थी उसको हटा दिया। जवाहर सागर में लेबर कॉलोनी में जो शराब की दुकान थी उसको हटा दिया। अब कोई चिट्ठी मेरे पास पेंडिंग नहीं है। जीपों में बैठकर शराब बेची जाती है तो

(श्री मथुरादास माथुर)

यह तो जनरल बात कह दी । जनरल भाषण का जवाब भी जनरल होता है । आप बता दें कि उक्त ठेकेदार ने उक्त जीप में बैठकर शराब बेची है तो मैं उसकी जांच करूंगा ।

श्री रामचन्द्र आर्य : आपको उसकी जांच करानी चाहिये । सी. आई. डी. से और अपने आदमियों से । हर तरह से आप पता लगायें । आपकी जिम्मेदारी है । हम बार–बार आपको क्या लिखें ?

श्री मथुरादास माथुर : माननीय सभापति महोदय, अगर लिखने की आदत नहीं है और लिखना नहीं चाहते तो मैं क्या करूं ?

एक माननीय सदस्य : सभापति महोदय, मैं वित्त मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि खास करके बिलाड़ा में मस्जिद के पास एक दुकान है उसके लिए मैंने जोधपुर में भी शिकायत की थी....

श्री मथुरादास माथुर : किस को की?

एक माननीय सदस्य : आपके डिपार्टमेंट को ।

श्री मथुरा दास माथुर: मुझे दी क्या? नहीं तो बस ठीक है । मुझे देते तो मैं उस पर कार्यवाही करता ।

इस बीच में एक बात और कही है । एग्जम्शन फोर लाइसेन्स के लिए बहुत कहा है । यही नहीं, जहां जहां प्राहीबिशन बिल बने हैं वहां लाइसेन्स इन्डीविजुअल शाप्स को दिये जाते हैं और परमिट्स इन्डीविजुअल को दिये जाते है मेडिकल ग्राउन्ड्स पर । अब कोई आदमी 60 वर्ष का हो गया, 70 वर्ष का हो गया और डाक्टर कहता है और अलाऊ करता है तो हमें उसको देना पड़ता हैं । तो उसी के लिए है यह । मैं और निवेदन कर दूं कि यह तो अथॉरिटी राज्य सरकार ने अपने हाथ में ली है कि वह परमिट और लाइसेन्स दे सके । अब इसके अलावा कई फारिन टूरिस्ट्स आते है, नई होटलें बनती हैं तो बार रूम में बैठकर पी सकते हैं उनके पास में परमिट्स होते हैं, नेशनल परमिट होते हैं । तो किसी के पास मेडिकल ग्राउन्ड पर होते हैं और किसी के पास टूरिस्टेस के परमिट्स होते हैं और यह तो अलाऊ करना ही पड़ता है । लेकिन यह मैं आपको साफ कहना चाहता हूं कि सरकार ने इन्डीजीनस लीकर के लिए किसी को लाइसेन्स आज तक नहीं दिया । इसलिए मैं फिर दोहरा देता हूं कि प्राविजन्स तो सभी रखने पड़ेगें और मैं हाउस को एश्योर करता हूं कि फोरिन लीकर के लिए परमिट देगें और के लिए नहीं देगें ।

श्री फतहसिंह : तो फिर ऐसा प्रावधान कर दीजिए ।

श्री मथुरादास माथुर : रूल्स में लिख दूंगा और आपकी टेबल पर रख देंगे । इस लिए मैं, सभापति महोदय, लम्बी बहस नहीं करना चाहता हूं । एक एरियर्स के लिए माननीय सदस्यों को बहुत गलतफहमी है और पब्लिक अकाउन्ट्स कमेटी ने भी इसके लिए जिक्र किया । माननीय सभापति महोदय, चूंकि शंका यहां पर इस बात की उठाई गई इसलिए इसको यहीं साफ कर देना ठीक समझता हूं नहीं तो कोई दूसरा मौका ढूंढ़ता मैं निवेदन करना चाहता हूं कि पब्लिक

(श्री मथुरा दास माथुर)
अकाउन्ट्स कमेटी को भी गलतफहमी है और धारा सभा के सदस्यों को भी है। मैं बहुत साफ कहना चाहूंगा कि हमारे यहां जो गारन्टी की रकम होती है वह एरियर नहीं है और एक्साइज ड्यूटी का एक भी पैसा बाकी नहीं है। जितनी शराब बिकती है उसी समय एक्साइज ड्यूटी वसूल कर ली जाती है। अब शराब की कोई दुकान एक लाख की गारन्टी पर उठाई तो राज्य सरकार की कन्डीशन होती है कि लाख रुपये की शराब वह बेचेगा और उसको लाख रुपये की शराब राज्य सरकार देगी और राजस्थान के अंदर इस समय हमारी स्प्रिट की मेनुफेक्चिरिंग की पोटेंशेलिटी गंगानगर शुगर फैक्टरी और दूसरे में 33 परसेन्ट थी और अब 50 परसेन्ट है। हमारे यहां राजस्थान में कुल 16 से 20 लाख गैलन की कन्जम्प्शन है। हम चार, पांच लाख गैलन बनाते हैं और बाकी स्प्रिट हमको दूसरी रियासतों से मंगानी पड़ती है और उसके अलावा गवर्नमेंट ग्राफ इन्डिया एलॉट करती थी और जब कभी शुगरकेन कम पैदा होता है तो हमारे यहां स्प्रिट कम बनती है। तो जब हम सप्लाई ही नहीं कर सकते तो वह कहते हैं कि आपने सप्लाई नहीं की तो हम जितनी शराब दे पाते हैं उसी की तो वसूली कर सकते हैं। 1962-63 में हमारा गारन्टी सिस्टम शुरु हुआ और 62-63 के पिछले 7 वर्ष में 25 करोड़ की शराब बिकी है और 62-63 के बाद 7 वर्षों में 50 करोड़ की शराब बिकी है और उसके लिए 18 लाख या 20 लाख की छूट देनी पड़ी और यह छूट इसलिए देनी पड़ी कि क्योंकि हमारे पास शराब नहीं थी जो उतनी सप्लाई कर सकते और उसके अलावा बाहर से भी जो हम स्प्रिट मंगवाया करते थे वह भी नहीं मिल सकी और फिर शुगर केन की क्रॉप भी कम हुई तो यह बातें होती है। तो हमने एक जांच के लिए इन्कवायरी कमेटी बैठाई श्री मुकर्जी, फाईनेन्स कमिश्नर की अध्यक्षता में और उन्होंने इसके लिए फार्मुला बताया वर्ना एक्साइज की ड्यूटी की वसूली में तो एक पैसा भी नहीं छोड़ा जाता है। इसलिए जो गलतफहमी है कि एरियर्स हैं यह गलत है। अगर हम पूरी शराब दे देते हैं तो पूरी शराब ही उसे बेचनी पड़ेगी। याने हमने एक लाख रुपये की शराब किसी को दी तो उस को एक लाख की शराब बेचनी पड़ेगी लेकिन हम किसी को कम की शराब दें तो वह कहां से पूरी एक लाख की बेचेगा। अगर पचास हजार की ही बेची है तो 50 हजार का रेमीशन देना पड़ता है और लोग इसको समझते हैं कि माफ कर दिया। इसलिए मैं इसको साफ कर देता हूं कि यह एरियर्स नहीं है बल्कि यह गारन्टी अमाउन्ट है। इसलिए हमने एक कमेटी बैठाकर और फैसला करके यह करवाया। इसलिए रेमीशन के लिए गलत प्रचार है और उसको साफ करना चाहता हूं....

श्री हरिवल्लभ शर्मा : 67 लाख की राइट ऑफ करने की सिफारिस की थी मुकर्जी कमेटी ने ?

श्री मथुरादास माथुर : मुकर्जी कमेटी ने फार्मुला बनाया था।

श्री हरिवल्लभ शर्मा : 67 लाख नहीं आता है 18 लाख आता है।

श्री मथुरादास माथुर : 9 करोड़ में से 18 लाख की छूट की बात होती है तो

(श्री मथुरादास माथुर)

क्या हुआ है ? कुछ भी नहीं है। तो यह सब इसको साबित करता है कि राज्य सरकार कस कर वसूल करती है लेकिन जो शराब नहीं दे सके उसको कैसे वसूल करेंगे ? और जो शराब बिकी ही नहीं है उस पर एक्साइज ड्यूटी कैसे ले सकते हैं ? इसलिए एक्साइज ड्युटी का एक पैसा भी राजस्थान में बाकी नहीं है। हां, गारन्टी मनी का एरियर्स हो सकता है लेकिन वह हमारा लीगल एरियर नहीं है। इसलिए, माननीय सभापति महोदय, मैंने बहुत समय ले लिया है क्योंकि इसको साफ करना जरूरी था।

मैं अन्त में यही निवेदन करता हूं कि माननीय सदस्यों ने जो सिलेक्ट कमेटी में और पब्लिक ओपिनियन के लिए प्रस्ताव दिया है वह वापिस ले लें।

श्री रामचन्द्र आर्य : आप कहते हैं कि हमने नाजायज नहीं किया तो जनलेखा समिति ने क्यों एतराज किया ? हम तो चाहते हैं कि ठेकेदारों की बकाया की वसूली हो।

वह किस कारण से नहीं की और कोई वजह थी तो जनलेखा समिति ने क्यों लिखा ?

श्री मथुरादास माथुर : उनकी भी गलतफहमी है कि जितना हम गारन्टी अमाउन्ट तय कर देते हैं वही एरियर हो जाता है उसमें शराब की सप्लाई को मद्देनजर नहीं रखा।

श्री रामचन्द्र आर्य : क्या जनलेखा समिति वालों को गलतफहमी है ?

श्री मथुरादास माथुर : हां।

इसलिए मैं चाहूंगा कि यह प्रस्ताव जो सिलेक्ट कमेटी के लिए और पब्लिक ओपीनियन के लिए रखे हैं वह प्रस्ताव वापिस लिए जायें।

श्री हरिवल्लभ शर्मा : मेरे दो प्रश्नों का उत्तर दें। यह जो धारा 12 में प्रावधान रखा गया है कि रिपोर्ट कुनिन्दा के लिए पनिशमेंट का प्रावधान रखा है और उधर 25 धारा में ......

श्री मथुरादास माथुर : आप तो वकील हैं। उसका जो पहला सेन्टेन्स है उसको पढ़ लें— "maliciously and falsely lays information" ऐसा कहा है कि ठेकेदार से पैसा मांगा .... ..

श्री हरिवल्लभ शर्मा : आप मेरी बात सुन लीजिये। पनिशमेंट पर मुझे एतराज नहीं है। मेरा एतराज यह है कि धारा 25 में उसको काग्नीजेबल कर दिया है तो कोई अन्य अधिनियम में ऐसा नहीं है और न.सी. आर. पी. सी. में ऐसा है कि अगर कोई फाल्स कम्प्लेन्ट होती है या कम्प्लेन्ट भेजता है तो काग्नीजेबल ऑफेन्स होता है। इस ढंग का नहीं हुआ करता है।

श्री मथुरादास माथुर : इसके ऊपर मैं देख लूंगा। अगर आफेन्स को काग्नीजेबल नहीं करेंगे तो यह एक्ट लागू नहीं होगा।

श्री वृद्धिचन्द्र जैन (बाड़मेर): काग्नीजेबल होना आवश्यक है।

श्री मनोहरसिंह मेहता : डीग जो इन्फार्म करता है उसके लिए आपने रखा है।

श्री आदित्येन्द्र (डीग): सभापति महोदय, क्या वित्त मंत्रीजी यह बताने की कृपा करेंगे

(श्री आदित्येन्द्र)

कि वह तिथि कौन सी है जब कि पूरे राज-स्थान में पूर्ण शराब बन्दी लागू हो जायगी ? वह तिथि अभी तक आपने बताई नहीं ।

श्री सभापति : वह कम्प्लीट प्रोहिबिशन की तिथि कौन सी है ?

श्री मथुरादास माथुर : वह मैंने हिसाब बताया है। 68-69 से चल रहा है। इसमें दो दिन बन्द होगा, 69-70 में शायद एक दिन बन्द है ...

श्री मनोहरसिंह : दो दिन ।

श्री मथुरादास माथुर : 69-70 में दो दिन तो दो और दो चार हो गये । फिर...

श्री आदित्येन्द्र : दो दिन आपने फर्माया है तो कौन से साल में फैसला हुआ था ?

श्री मनोहरसिंह : 1969-70.

श्री मथुरादास माथुर : 73-74 में बन्द होगा ।

श्री आदित्येन्द्र : 68-69 में दो दिन और 69-70 में......

श्री मथुरादास माथुर : फर्स्ट अप्रेल 1974 को कम्प्लीट प्रोहिबिशन होगा।

श्री आदित्येन्द्र : 1972 में होना चाहिए ।

श्री मथुरादास माथुर : 1974.

श्री रामचन्द्र आर्य : 1974 में उस वक्त तक आप रहेंगे या नहीं ?

श्री मथुरादास माथुर : तुम कर देना अगर रहोगे तो । नाखून आते ही नहीं गन्जे के ।

श्री सभापति (श्री मनोहरसिंह के उठने पर) : माननीय सदस्य, पीछे से कुछ पूछ रहे हैं ।

श्री आदित्येन्द्र : जो आपने यह कार्य-क्रम रखा है उसके अनुसार तो पहली अप्रेल, 1972 को पूर्ण नशाबन्दी लागू हो जाना चाहिए ।

श्री मथुरादास माथुर : आई एम सारी । 1972 का है । फर्स्ट अप्रेल, 1972 से कम्प्लीट प्रोहिबिशन की स्कीम बनाई गई है, और इसको मैं सदन में कई दफ़ा कह चुका हूं ।

श्री भैरोंसिंह : ज्यादा अच्छा यह होगा कि 72 में आम चुनाव होंगे उससे पहले इसको लागू कर दें ।

श्री मनोहर सिंह मेहता : यह तो हो सकता है ।

श्री मथुरादास माथुर: हो नहीं सकता क्योंकि इससे पहले जो एग्रीमेंट चल रहे हैं वे फर्स्ट अप्रेल से 31 मार्च तक के चल रहे हैं । बीच में दो महीने कम नहीं कर सकते हैं ।

श्री भैरोंसिंह : जब आप एग्रीमेंट करें 1971 में तो आप कहें कि 12 महीने की जगह 10 महीने का एग्रीमेंट करते हैं ।

श्री मथुरादास माथुर : मैं इसको सोचूंगा ।

श्री मनोहरसिंह मेहता : यह अच्छी चीज है।

श्री सभापति : फर्स्ट अप्रेल के नाम से विश्वास नहीं हो रहा है। ....

श्री मथुरादास माथुर : राजस्थान के अन्दर और हिन्दुस्तान के अन्दर और जहां जहां भी पार्लियामेन्ट्री डेमोक्रेसी है ब्रिटिश पैटर्न पर वहां पर फर्स्ट अप्रेल ही से चलता है।

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि इस विधेयक को जनमत जानने हेतु ......

श्री हरिवल्लभ शर्मा : माननीय सभापति महोदय, मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं आया है। मैंने धारा 12 और 25 दोनों का हवाला दिया था कि धारा 12 में जो इनफोर्मेंट है उसके आफेन्स को काग्नीजेबल रखा है।

श्री मथुरादास माथुर : मैंने कहा कि जब सेक्सन को लेंगे उस वक्त देख लेंगे।

श्री सभापति : प्रस्ताव वापिस लिए जा रहे हैं।

श्री मनोहरसिंह मेहता : प्रस्ताव वापिस ले लिए।

श्री कल्याणमल : सिलेक्ट कमेटी का प्रस्ताव वापिस लेने की आज्ञा चाहता हूं।

श्री मनोहरसिंह मेहता : ले लीजिये ताकि सर्व सम्मति से पास हो।

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि श्री मूलचन्द डागा ने जनमत जानने के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत किया है उसको वापिस लेने की आज्ञा प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई।

श्री मूलचन्द डागा : मैं प्रस्ताव वापिस लेता हूं।

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि विधेयक को प्रवर समिति में भेजने के लिए जो प्रस्ताव श्री आदित्येन्द्र और श्री कल्याणमल ने रखा है और अब वे उसको वापिस लेना चाहते हैं। क्या सदन की अनुमति है ?

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई।

श्री कल्याणमल : मैं प्रस्ताव वापिस लेता हूं।

श्री आदित्येन्द्र : मैं अपना प्रस्ताव वापिस लेता हूं।

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि विधेयक को विचारार्थ लिया जाय।

(स्वीकृत)

विधेयक विचारार्थ लिया गया।

खण्डशः विचार। खण्ड नं. 2 श्री केशरीसिंह हाड़ा।

श्री केशरीसिंह हाड़ा : सभापति महोदय, मेरा इसमें संशोधन है कि "इसके भाग(छ) में प्रयुक्त कोमा "बीअर" के पश्चात तथा शब्द "समस्त" से पूर्व शब्द "व्हिस्की" ब्रान्डी व "रम" अन्तः स्थापित किये जायं।" 'लिकर' के अन्दर इन्होंने केवल 'बियर' को लिया है और दो-तीन लिकर को छोड़ दिया है, व्हिस्की, ब्राण्डी एण्ड रम। इन्होंने खाली

(श्री केशरीसिंह हाड़ा)

बियर को रखा है। इसमें तीन और जोड़ी जांय – व्हिस्की, ब्राण्डी एण्ड रम आलसो शुड बी एडेड टू दी क्लॉज।

श्री मथुरादास माथुर : आप एमेण्डमेन्ट्स को पूरा कर दें खण्ड दो पर।

एक माननीय सदस्य : विथ्ड्रा करते हैं क्या?

श्री केशरीसिंह हाड़ा : अभी तो रखा है। विथ्ड्रा करने का सवाल ही क्या? जो बियर पियेंगे वे यह भी पियेंगे।

श्री महेन्द्रसिंह हाड़ा : ओन ए पाइंट ऑफ आर्डर, सर। खण्ड नं० 1 पर एमेंडमेंट रह गया मेरा।

श्री सभापति : वह बाद में लिया जायगा।

श्री हरजीराम बुरड़क।

श्री हरजीराम बुरड़क : सभापति महोदय, इस विधेयक के खण्ड 2 दो पर मैंने यह संशोधन दिया था कि इसमें जो परिभाषा की गई है उसमें 'छप्पर' और 'बाड़ा' भी इससे शामिल किये गये हैं। जैसे मौजूदा समय के एक्साइज एक्ट के अन्दर शराब पकड़ी जाती है उसमें ऐसा होता है कि जिस किसी आदमी के रंजिश हो जाती है तो बाड़े या खेत में शराब रख कर उस को पकड़ा देते हैं तो वे इसमें इस प्रकार से रखेंगे। जिस किसी से रंजिश हो गई और वह उसको पकड़ाना चाहेगा तो उसके बाड़े में शराब रख देगा और उसको पकड़ा देगा। इसलिए इनको विलोपित कर देना चाहिए।

श्री सभापति : महेन्द्रसिंह।

श्री महेन्द्रसिंह : कौन सा खण्ड ले रहे हैं?

श्री सभापति : खण्ड 2।

श्री महेन्द्रसिंह : एक नहीं लेंगे?

श्री मथुरादास माथुर : एक बाद में लेंगे।

श्री सभापति : खण्ड 1 में कोई संशोधन नहीं है।

श्री महेन्द्रसिंह : मेरा संशोधन है।

श्री सभापति : खण्ड 1 बाद में लेंगे और उस खण्ड पर कोई संशोधन भी नहीं है।

श्री महेन्द्रसिंह : खण्ड 1 की उप-धारा (3) में मैंने संशोधन दिया हुआ है। शुरू में वह आता है।

श्री सभापति : खण्ड 1 बाद में आयेगा उस वक्त आपका जो संशोधन है मूव कर दें। अभी खण्ड 2 पर आपका जो संशोधन है वह मूव कर दें।

श्री महेन्द्रसिंह : सभापति महोदय, खण्ड नं० 2 पर मेरा यह संशोधन है कि इसके भाग (ङ) हैं –

"ऐसे किसी एक स्थानीय क्षेत्र से बाहर जहां यह अध्यादेश लागू है, राज्य में ऐसे किसी अन्य स्थानीय क्षेत्र को जहां यह अध्यादेश लागू नहीं किया गया है, ले जाना, या"

(श्री महेन्द्रसिंह)

इसको विलोपित करने के लिये मैंने एक प्रस्ताव मूव किया है। लेकिन मैंने यह निवेदन किया था कि खण्ड (1) पर मैंने जो संशोधन प्रस्ताव मूव किया है उसको जब तक नहीं लेंगे तब तक इसी मन्शा साफ जाहिर नहीं होती है। खण्ड 1 की उप-धारा (3) के अन्दर जो है मैं उसको पढ़ कर सुना देता हूं—

"यह राज्य में ऐसे क्षेत्रों में तथा ऐसी तारीख को प्रवृत्त होगा जो राज्य सरकार, समय समय पर, एतदर्थ अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करें।"

इसके अन्दर जो संशोधन मूव किया है उसकी मन्शा यह है कि वित्त मन्त्री महोदय ने यह स्वीकार किया है कि यह एक बिल ऐसा है जिसका आज तक न तो किसी राजनैतिक पार्टी ने, न सामाजिक पार्टी ने, न धार्मिक पार्टी ने राज्य में जो मद्य-निषेध किया जा रहा है इसका विरोध किया है। यह बात बिल्कुल सत्य है कि प्रत्येक राजनैतिक पार्टी, सामाजिक पार्टी, और धार्मिक पार्टी समय समय पर सरकार के ऊपर दवाव लाते रहे हैं, वे मांग करती रही हैं कि राज्य के अन्दर मद्य-निषेध होना चाहिए, और जब स्थिति यह है कि मन्त्री महोदय स्वयं भी इस बात को मन्जूर करते हैं इस बात के लिए कि आज किसी को एतराज नहीं है, तो मैं नहीं समझता कि जब एतराज नहीं है तो सारे राजस्थान के अन्दर मद्य-निषेध को स्वीकार करें तो उसमें आपत्ति क्या रहती है? सिर्फ दो बातें मन्त्रीजी ने अपने जवाब में बताई हैं। एक तो यह कि इसकी पालना किस प्रकार से होगी।

(6 म.प.)

श्री सभापति : सदन की अनुमति से सदन का टाइम जब तक विधेयक पास नहीं हो तब तक के लिये बढ़ाया जाता है।

श्री महेन्द्रसिंह : मैं नहीं समझता कि सरकार इसको पालन करने में अपने कैसे समर्थ नहीं पा रही है। जहां तक मद्य उत्पादन करने का सवाल है, वह राज्य सरकार कर रही है। जितना भी मद्य उत्पादन किया जाता है, गवर्नमेंट डिस्टिलरी द्वारा किया जाता है। स्वयं सरकार मद्य का निर्माण कर रही है तो सारी डिस्टिलरी को बन्द करने में क्या दिक्कत आती है? मैं समझता हूं कि प्राइवेट डिस्टिलरीज को कम्पेनसेट करना पड़ेगा। मुआवजा देना पड़ेगा। तब यह कहा जाता है कि आज राज्य की ऐसी स्थित नहीं है कि जितनी भी फेक्टरीज चल रही हैं उनको बन्द कर सकें। और यहां पर कोई प्राइवेट फेक्टरी नहीं है। जो खुले रूप में उत्पादन करते हों, हो सकता है छुपे तौर से कहीं पर उत्पादन होता हो। लेकिन उसको सरकार द्वारा कम्पेनसेट करने का सवाल नहीं आता है। मन्त्रीजी ने एक और बात कही है।

जो जीवन भर से पीते आ रहे हैं, उनको बन्द करने से कठिनाई पैदा होगी। आप ने ऐसे लोगों को परमिट देने की व्यवस्था की है। जो जीवन में शराब के वशीभूत हो गये हैं या जिनको शारीरिक क्षति होती है। जिसके किसी प्रकार की क्षति होने की संभावना है। जब इस प्रकार का कानून में प्रावधान है तो, मैं समझता हूं कि इससे हानि होने की संभावना है। सरकार यह नहीं चाहती है कि राज्य आगे बढ़े।

श्री सभापति : यह बात आप कैसे कह रहे हैं ?

श्री महेन्द्रसिंह : मैंने अमेंडमेंट मूव किया है। इसलिए मैं बताना चाहता हूं कि यह राज्य क्षेत्रों में तथा ऐसी तारीख को प्रवृत्त होगा जो राज्य सरकार, समय समय पर, एतदर्थ अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करें। यह रुक रुक कर नहीं। सारे में मद्यनिषेध क्यों नहीं लागू हो। मैं समझता हूं कि इसको मन्त्रीजी स्वीकार करेंगे। इसी तरह से क्लॉज नं० 2 उपधारा (1) को विलोपित किया जाय। के बारे में लिखा है, भाग (ङ) उपधारा एक भाग (च) जहां यह अधिनियम लागू है, लिखा गया है। उसको विलोपित किया जाये। क्योंकि जब कानून लागू होता है तो इस उदारता की कोई आवश्यकता नहीं रहती है।

(समय समाप्ति सूचक घंटी)

श्री मथुरादास माथुर : कितने ही तरह के अमेंडमेंट आये हैं। उपखण्ड है उसके लिए यह कहा गया है कि हटा दिया जाये और राज्य सरकार इसको तुरन्त लागू करे। आपने सुझाव दिया था। जैसा कि मैंने मनोहर सिंह जी को जवाब दिया था कि राज्य सरकार यह तरमीम अमेंड करने में असमर्थ है।

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि श्री महेन्द्रसिंह ने जो संशोधन प्रस्तुत किया है, वह स्वीकार किया जाये ?

(अस्वीकृत, संशोधन गिर गया)

(विराम)

प्रश्न यह है कि खण्ड दो को स्वीकार किया जाये ?

श्री मथुरादास माथुर : खण्ड दो के अन्दर तरमीम रखी गयी है। वह खण्ड मंजूर हो जायग तो खण्ड 1 अपने आप होजायगा। 2 का सवाल यह है कि व्हिस्की ब्रांडी व रम ये नाम स्टोर्स में आते हैं। इनको हमने स्प्रिट में रखा है क्योंकि अलग मुल्कों में अलग अलग नाम है।

श्री केशरीसिंह हाड़ा : सभापति महोदय, मैं अपना संशोधन वापिस लेने की आज्ञा चाहता हूं।

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि जो संशोधन श्री केशरीसिंह हाड़ा ने प्रस्तुत किया है उसको वापिस लेने की आज्ञा प्रदान की जाय। (स्वीकृत) आज्ञा प्रदान की गई।

श्री केशरीसिंह हाड़ा : मैं अपना संशोधन वापिस लेता हूं।

श्री मथुरादास माथुर : एक संशोधन छप्पर व बाड़ा के बारे में आया है। अमूमन ऐसी डिस्टिलरी की चीजें छप्पर और बाड़े में ही पकड़ी जाती है। यह तो आलरेडी एक्साइज एक्ट में हैं।

श्री हीरा भाई : यह गलत है, वैसे भी कोई बदला लेने के लिये छप्पर या बाड़े में रख देगा।

श्री मथुरादास माथुर : वह तो आप कह देंगे कि छत पर भी फेंक देगा।

श्री हीरा भाई : वह मकान के ऊपर फेंक देगा। गरीब पकड़ा जाएगा। नहीं पीने वाला होगा तो भी पकड़ा जाएगा।

श्री मनोहरसिंह मेहता : नहीं पीने वाला होगा तो पकड़ा भी नहीं जाएगा।

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा : कम्पलीट सजा होनी चाहिए।

श्री हीरा भाई : सभापति महोदय

श्री सभापति : आर्डर प्लीज।

श्री हीरा भाई : शराब पीने वाले की परिभाषा मेरे ऊपर ला रहे हैं। मेरे कहने का मतलब यह है (शोरगुल अश्रव्य) किआपको पता नहीं हैं कि हमने कई शराबबन्दी आन्दोलनों में कई बार जेल काटी है। लेकिन आज परिस्थिति दूसरी है। बाड़ा और छप्पर का अर्थ यह है कि वह आदमी बदला ले सकता है।

श्री मथुरादास माथुर : आप समझे नहीं, यह परिभाषा का सवाल है। खण्ड दो है, उसमें परिभाषा है : स्थान में मकान, भवन, दुकान, कमरा, बूथ, तम्बू, बाड़ा, छप्पर (शेड), जगह, जलपान, बेड़ा तथा गाड़ी सम्मिलित है।

अब इस डेफीनेशन के लिए आप कहें कि इसमें से बाड़ा और छप्पर निकाल दिया जाय तो फिर लोग मर्जी आये जहां कानून तोड़ेगे. क्योंकि वह इस विधेयक में नहीं आते हैं।

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि विधेयक का खण्ड दो स्वीकार किया जाय ?

श्री मथुरादास माथुर : अमेंडमेंट ?

श्री सभापति : अमेंडमेंट गिर गया।

श्री रामचन्द्र आर्य : चाहे जैसा रखना चाहें वैसा आप रख लें, आपका बहुमत है। लेकिन इससे लोग दुश्मनी से किसी के बाड़े और छप्पर में रख देंगे और उसको सजा दिला देंगे। एक निर्दोष आदमी अदालत में जाय और उसको सजा हो, यह क्या न्यायसंगत है ? यह इस प्रकार का क्लॉज है····

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा : सरकार किसी को सजा दे दे तो फिर बाड़े और छप्पर में नहीं बना सकते या रख सकते।

श्री रामचन्द्र आर्य : कोई दुश्मनी से इसको रख देता है तो इस कानून के अनुसार उसको अदालत भी नहीं छोड़ेगी।

श्री भैरों सिंह : यह गोकुलप्रसादजी····

श्री शंकरलाल : माननीय सदस्य को शंका है ·······

श्री भैरोंसिंह : यह गोकुलप्रसादजी इसलिए जोर से बोल रहे हैं क्योंकि भांग को इन्क्लूड नहीं किया है। भांग को इन्क्लूड कर लें तो यह भी बन्द हो जावेंगे।

श्री शंकरलाल : माननीय सदस्य की शंका है······

श्री जगन्नाथ : यह बाड़ा और छप्पर इस खण्ड में है, यह अगर इससे नहीं निकलेगा तो यह खण्ड ऐसा होगा जो कि गरीब काश्तकारों के ऊपर कुठाराघात करेगा, इससे लोग मारे जायेंगे।

श्री रामचन्द्र आर्य : यह इनको पता नहीं है कि बाड़ा और छप्पर किसको कहते हैं, खेत होते हैं, उनमें बाड़े और छप्पर होते हैं। उसमें बोतल रख कर किसी को भी पकड़वा सकते हैं और उसको सजा हो सकती है।

श्री जगन्नाथ : किसानों की बाड़ा और छप्पर एकमात्र सम्पत्ति है। बड़े बड़े सेठ साहूकारों को क्या है, उनकी बड़ी हवेली है, ऊँचे ऊंचे मकान हैं, चिकना फर्श है, लेकिन किसान की छप्पर और बाड़ा ही एकमात्र सम्पत्ति है। अगर यह किसान के बाड़े और छप्पर पर भी कानून लागू हो गया तो किसानों को पहले ही वित्त मंत्रीजी ने पानी पी पी कर मारा है, और इससे फिर उन्हें मार देंगे।

श्री शंकरलाल : सभापति महोदय,

श्री जगन्नाथ : इसका क्या नतीजा हुआ ? इसको हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। और बातों को बर्दाश्त कर लेंगे। वित्त मंत्री जी जो कुछ कहेंगे, वैसा करेंगे। लेकिन यह तो किसानों का कत्ल है, इसको हम कभी सहन नहीं करेंगे।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : सभापति महोदय, यह कांसस बोल रही है यहां पर, इस पर व्हिप की जरूरत नहीं है।

श्री जगन्नाथ : किसान का बाड़ा और छप्पर उसकी सम्पत्ति है। बाड़ा और छप्पर को इस कानून में शामिल करते हैं, यह एक तरह से उसके मुंह पर थप्पड़ मार दिया है। उसकी रक्षा करने के बजाय आपने उसके मुंह पर थप्पड़ मारा है।

श्री रामचन्द्र आर्य : बाड़ के अन्दर कोई भी शराब रख कर पकड़वा देगा, यह सही है। रंजिश में कोई शराब रख देगा और लोगों को गिरफ्तार करवा देगा।

श्री सभापति : आर्डर प्लीज।

श्री जगन्नाथ : किसानों के खेतों के अन्दर अब फसल आने वाली है, बाजरे और मक्का की, वह फसल की रक्षा करने के लिए खेतों के अन्दर छप्पर और बाड़ बनायेगा ....

श्री मनोहरसिंह मेहता : आप कह दीजिये कि बाड़े को इसमें नहीं लेंगे।

श्री जगन्नाथ : यह रोटी खाने के लिए जायेगा, पीछे से कोई उसमें बोतल ठूंस देगा, फिर उसको पकड़ कर मार दिया जायगा।

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : कोई मारेगा नहीं।

श्री जगन्नाथ : यह किसानों के लिए खराब रहेगा, इसलिए आप छप्पर और बाड़े को निकाल दें, तब तो यह पास हो जायेगा, नहीं तो गिरेगा, गिरेगा और गिरेगा।

श्री मनोहरसिंह मेहता : इस सिलसिले में मुझे निवेदन करना है ...

श्री सभापति : क्या केशरीसिंह हाड़ा ने अपना संशोधन वापिस ले लिया है ?

श्री केशरीसिंह हाड़ा : ले लिया है।

श्री सभापति : श्री महेन्द्रसिंह।

श्री महेन्द्रसिंह : कौनसा खण्ड ? किसको ले रहे हैं ?

श्री सभापति : खण्ड 2।

श्री महेन्द्रसिंह : प्रथम में मैंने दिया था, फर्स्ट में, उसको अगर मंजूर नहीं करते हैं तो इसका प्रश्न पैदा नहीं होता। उस

(श्री महेन्द्र सिंह)

क्रम में मैंने मूव किया था, पहले राज्य सरकार इस पर राजी हो जाय कि सम्पूर्ण राज्य में लागू होगा।

श्री परसराम मदेरणा : (पंचायत मंत्री) कान्सीक्यूएन्सल है, एक के साथ दो में है।

श्री मथुरादास माथुर : दो को छोड़ दीजिये। क्योंकि एक में संशोधन है, इसलिए एक और दो को बाद में ले लीजिये।

श्री सभापति : दो को छोड़ दें।

श्री मथुरादास माथुर : दो को छोड़ दीजिये। तीन और चार को ले लीजिये, उनमें कोई नहीं है।

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि खण्ड तीन स्वीकार किया जाय ?

(स्वीकृत)

श्री महेन्द्रसिंह : ऑन ए पाइन्ट ऑफ आर्डर ...

श्री सभापति : खण्ड तीन स्वीकार किया गया।

श्री मथुरादास माथुर : खण्ड तीन में संशोधन नहीं था।

श्री सभापति : खण्ड तीन में संशोधन नहीं था।

श्री महेन्द्रसिंह : कैसे नहीं था, क्लॉज 4 में 'ज' के नीचे है जो इस प्रकार है : इस खण्ड के उप खण्ड (1) में प्रयुक्त शब्द "दो वर्ष" शब्द "एक वर्ष" द्वारा तथा शब्द "दो हजार" शब्द "एक हजार" द्वारा प्रतिस्थापित किये जायं। "मद्यपान के फलस्वरूप मत्तावस्था में पाया जाता है, वह उक्त प्रत्येक अपराध के लिये ऐसे कारावास से जो दो वर्ष तक का हो सकता है या जुर्माने से जो दो हजार रुपये तक का हो सकता है, या दोनों से दंडित किया जायगा।" उसमें यह मैंने लिखा है कि दो वर्ष की जगह छः माह होनी चाहिए और दो हजार रुपये की जगह एक हजार होनी चाहिए। यह मूव किया है।

श्री मथुरादास माथुर : आपका तीन में संशोधन नहीं है, आपके पास नहीं है, हमारे पास नहीं है, फिर कैसे आ गया ?

श्री सभापति : आर्डर प्लीज। आपका खण्ड तीन में संशोधन नहीं है। खण्ड तीन स्वीकार कर ली गई है।

खण्ड 4। श्री केशरीसिंह हाड़ा।

श्री केशरीसिंह हाड़ा : सभापति महोदय, मेरा संशोधन इस प्रकार है : "उप खण्ड (1) : इस उपखण्ड में प्रयुक्त शब्द "दो वर्ष" शब्द "छः माह" द्वारा तथा शब्द "दो हजार" शब्द "दो सौ" द्वारा प्रतिस्थापित किये जायं।

"उप खण्ड (2) इस उप खण्ड में प्रयुक्त : (1) शब्द "कब्जे में" के पश्चात् तथा शब्द "मद्य" से पूर्व शब्द "बिना छूट" तथा "अनुज्ञप्ति पत्र" अंतःस्थापित किये जायं; तथा (2) शब्द "दो वर्ष", शब्द "छः माह" द्वारा तथा शब्द "दो हजार" शब्द "दो सौ" द्वारा प्रतिस्थापित किये जायं।

"उप खण्ड (4) इस उप खण्ड में प्रयुक्त शब्द "उप धारित" के पश्चात् एवं शब्द "किया" से पूर्व शब्द "नहीं" अन्तःस्थापित

(श्री केशरीसिंह हाड़ा)

किया जाय। दो वर्ष की जगह छः माह कर दिया जाय और दो हजार की जगह दो सौ कर दिया जाय।''

श्री मनोहरसिंह मेहता : नहीं नहीं।

श्री केशरी सिंह हाडा : इसका तात्पर्य यह है कि जो समझदार लोग हैं, मोटे लोग हैं उन पर भले ही जुर्माना कर दीजिये, लेकिन जो समझदार नहीं है, काश्तकार, वह इसको पहले पहल नहीं समझेगा। आपने बड़ों के लिए जो परमिट का प्रावीजन रखा है, वह तो परमिट से काम चला लेगा लेकिन गरीब काश्तकार इसको नहीं समझेगा और इस पर यह काफी ज्यादा जुर्माना हो जायगा।

श्री मनोहरसिंह मेहता : यह तो गरीबों को उबारने के लिए ही रखा है। अगर सख्त सजा होगी तो वह समझ जायेंगे।

श्री मथुरादास माथुर : और भी मूव करा दीजिये।

श्री महेन्द्रसिंह : सभापति महोदय, इसमें यह है कि कोई मद्यपान के फलस्वरूप मत्तावस्था में पाया जाता है तो उसको दो वर्ष तक का कारावास हो सकता है। इसमें मेरा अमेंडमेंट है कि दो वर्ष की जगह छः माह कर दिया जाय। और जो जुर्माना है वह दो हजार तक हो सकता है उस दो हजार की जगह पांच सौ किया जाय। इस संशोधन को प्रस्तुत करते हुए मैं इसको रखने का प्रयोजन बताना चाहता हूं; इसका उद्देश्य यह है, सभापति जी, कि सजा के अन्दर कुछ केटेगरीज होनी चाहिए कसूर की कौन व्यक्ति अधिक कसूरवार है, क्या निर्माण करने वाला व्यक्ति कसूरवार है, या बेचने वाला है, लेने वाला है। मैं समझता हूं कि अगर कोई व्यक्ति शराब का निर्माण नहीं करे तो शराब को पीने वाले का प्रश्न पैदा नहीं होता है। इसलिए पीने वाले की बनिस्बत जो शराब का निर्माण करता है, उत्पादन करता है वह अधिक कसूरवार है। इसलिए जो बड़ी भारी सजा का क्लॉज रखा है मद्यपान वाले के लिए, मैं समझता हूं, यह न्यायोचित नहीं होगा, और यह गरीब लोगों के ऊपर, गरीब तबके के ऊपर एक कुठाराघात होगा, यह एक इस प्रकार का अन्याय होगा जिसको मैं किसी प्रकर से उचित नहीं समझता हूं। इसलिए मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि दो वर्ष के कारावास की जगह में छः माह के कारावास का प्रावीजन करें और दो हजार जुर्माने की जगह पर पांच सौ के जुर्माने का प्रावीजन करें।

श्री मथुरादास माथुर : सभापति महोदय...

श्री भैरों सिंह : इस धारा में एक सब-क्लॉज का मैं भी विरोध करना चाहता हूं, मेरा अमेंडमेंट तो नहीं है लेकिन पूरी की पूरी धारा ले ली गई हैं, इसलिए मैं एक सबक्लॉज का विरोध करना चाहता हूं।

श्री मनोहरसिंह मेहता : शंकरलाल जी आप भी अब भाषण दे सकते हैं, अब आप भी दें।

श्री सभापति : बिना अमेंडमेंड के कैसे करेंगे ?

श्री भैरोंसिंह : वह कर सकता हूं।

श्री केशरीसिंह : बोल सकते हैं। कर सकते हैं विदाउट अमेंडमेंट।

श्री भैरोंसिंह : बोलूं क्या ?

श्री सभापति : बोलिये। श्री भैरोंसिंह।

श्री भैरोंसिंह : सभापति महोदय, इसमें यह है :

"(4) It shall be presumed until the contrary is proved

(श्री भैरोंसिंह)

that a person accused of any offence under sub-section (1) or sub-section (2) has committed such offence in respect of any liquor or any still, utensil, implement or apparatus whatsoever for the manufacture of liquor and the tapping of toddy, or any such materials as are ordinarily used in the manufacture of liquor or in the tapping of toddy, for the possession of which he fails to account satisfactorily."

सभापति महोदय, इसका विरोध इसलिए कर रहा हूं कि हिन्दुस्तान में जो कानून की व्यवस्था है और खासतौर से क्रिमिनल प्रॉसीजर कोड में जिस प्रकार की व्यवस्था है उस व्यवस्था के आधार पर कोई व्यक्ति यदि दोषी है तो दोष के सम्बन्ध में जो प्रॉसीक्यूटिंग एजेंसी है उस एजेंसी के ऊपर यह बर्डन रहता है कि वह कोर्ट में उसके इल्जाम को साबित करे। पहले सरकार की तरफ से गवाही पेश होती है, उसके बाद में चार्जशीट दी जाती है, चार्जशीट पर डिफेन्स देने का मौका दिया जाता है और उसके बाद में यदि चार्ज एस्टेब्लिश हो जाय तो सजा मिलती है। यह अब तक की कानून के सम्बन्ध में अगर व्यवस्था है तो अब उस व्यवस्था के विपरीत इस विधेयक के द्वारा यह व्यवस्था की जा रही है कि जो प्रासीक्यूटिंग एजेंसी का काम पहले रहा है, उसके बजाय अब जिस व्यक्ति को पकड़ा गया, उस व्यक्ति को यह सिद्ध करना पड़ेगा कि बिना किसी चार्जशीट के मेरे पास जो शराब पकड़ी गई, बरतन पकड़ा गया, या बाकी की व्यवस्था हुई, वह मेरे पास इस कानून के विपरीत थी। मैं समझता हूं कि सरकार इसमें सख्ती से काम करना चाहती है, यह तो मैं मानता हूं लेकिन उस सख्ती का कहीं दुरुपयोग न हो जाय। अभी जो माननीय सदस्य झोंपड़ी और उसके लिए कह रहे थे, वह बात कोई गलत नहीं है, उनकी इस बात में दम नहीं है—ऐसी बात नहीं है।

अधिकांश केसेज में तो नहीं होता है लेकिन जहां रंजिश निकालने का प्रश्न है, वहां इस प्रकार के अधिकार का उपयोग किया जाता है कि किसी व्यक्ति के मकान में शराब रख दी, बाड़े में शराब रख दी, झोंपड़े में शराब रख दी, उसके बाद उसको पकड़ लिया तो मैं इस पक्ष में नहीं हूं कि इस डेफीनेशन को ही निकाला जाय लेकिन अगर आपने यह प्रावधान रखा और जिसके घर में शराब मिल गई तो उसको यह सिद्ध करना पड़ेगा कि मेरे पास शराब कहां से आई, मैं इसके लिए जिम्मेदार नहीं हूं। तो उसके लिए यह भी आवश्यक है कि आप साबित करें कि इस आदमी के घर में था, उसने डेलीबरेटली कुछ किया है वह अगर नहीं आप करते हैं तो इस अधिकार के अंतर्गत लोगों को बहुत परेशानी का सामना करना पड़ेगा। आप चाहते हैं दंड देना तो सीधी प्रक्रिया से दंड दें। आपका प्रोहिबिशन ऑफीसर या एक्साइज आफीसर कहीं कुछ पकड़ता है और जिन लोगों के सामने व्यक्ति पकड़ा जायगा, उनकी एवीडेन्स होगी। आपने तो ऐसी व्यवस्था कर दी कि कोई एक आदमी एक्साइज

(श्री भैरोंसिंह)

विभाग का पहुंच गया और उसके बाद झोंपड़े से बोतल शराब की निकाल दी, कोई भी मौजूद नहीं, सीधा गया दफ्तर में और जाकर उस व्यक्ति को नोटिस दिया कि 22 तारीख को मैं जंगल में गया था, तुम्हारे झोंपड़े में शराब की बोतल पाई गई, तुम साबित करो कि तुम्हारी नहीं है। इससे उल्टा अन्याय होगा। जिनको यह अधिकार काम में लेना चाहिए उनमें करप्शन बढ़ेगा और किसी भी व्यक्ति को फंसा लेगा तो क्रिमिनिल प्रोसीजर और इंडियन पेनल कोड और एवीडेंस एक्ट के अंतर्गत जिस प्रकार का प्रोसीजर है प्रासीक्यूट करने का उसी प्रोसीजर से डेवीएट होने की आवश्यकता नहीं, वही एडाप्ट करें। पकड़ो, उसके बाद चालान करो, उसके बाद गवाही, उसके बाद चार्जशीट मिलेगी, उसके बाद में यदि केस साबित होगा तो वह अपनी डिफेंस पेश करेगा तो एवीडेंस और डिफेंस के बीच जो बात सही होगी उस आधार पर जिस अधिकार के सामाने मामला जायगा, वह फैसला देगा। इसलिए झोंपड़े की बात उस जगह महत्वपूर्ण नहीं हैं लेकिन झोंपड़े के साथ यह पाबंदी रखी गई है कि जिस आदमी के घर पकड़ा गया वह सिद्ध करेगा कि मेरे घर में नहीं था मैं समझता हूं, इस कानून का जबरदस्त दुरुपयोग होगा। इसको रोकने के लिए आप इस धारा को हटालें और सामान्य प्रक्रिया को इस पर लागू कर दें।

श्री मथुरादास माथुर : जहां तक इस खंड की तरमीम का सवाल है ...

श्री फतेहसिंह : मैं भी बोलना चाहता हूं, महत्वपूर्ण है।

श्री सभापति : आप सुन लीजिए।

श्री मथुरादास माथुर : बर्डन ऑफ प्रूफ के सिलसिले में जो बात कही गई मैं माननीय भैरोंसिहजी का ध्यान राजस्थान एक्साइज एक्ट के सेक्शन 68 की तरफ आकर्षित करता हूं। हिंदुस्तान में जितने एक्साइज एक्ट्स हैं सबके के अंदर बर्डन ऑफ प्रूफ मुल्जिम पर रखा है और ये सब स्कीम्स चलती हैं। तो जो प्रजम्पशन है:—

"68. Presumption as to commission of offences in certain cases–In every prosecution for any offence punishable under this Act, it shall be presumed without further evidence until the contrary is proved, that the accused person has committed such offence"......

तो अपने एक्साइज एक्ट में यह स्कीम ऑफ थिंग्स है।

श्री भैरोंसिंह : जिस समय यह एक्साइज एक्ट बना था उस समय सरकार का यह स्टैंडर्ड नहीं था। सरकार में लोग विश्वास करते थे। आज सरकार के अधिकारी इस प्रकार इस ढंग से इन्वाल्वड हैं कि वह विश्वास ही खत्म हो गया। आज भी सरकार को वही अधिकार हों यह जरूरी नहीं। सरकार के फंक्शन्स डिटेरियोरेट हों तो फिर अधिकार दे दें।

श्री मथुरादास माथुर : सरकार का स्टैंडर्ड था या नहीं, मेरे खयाल से यही कांग्रेस सरकार तब भी थी। 1950 में

Page No 172

(श्री मथुरादास माथुर)

एक्ट बना था, ओरिजिनल एक्ट में समय समय पर संशोधन हुए हैं। 1951 में मैं मंत्री था। राजस्थान में कांग्रेस की सरकार थी, आज भी है इसलिए यही स्टैंडर्ड है इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ा है। इसके अलावा आप कोई भी प्रोहिबिशन एक्ट निकालें, 5-6 राज्य हैं महाराष्ट्र मध्यप्रदेश...

श्री भैरोंसिंह : मध्यप्रदेश के एक्ट की कापी मेरे पास है।

श्री मथुरादास माथुर : गुजरात में भी बर्डन आॅफ प्रूफ मुल्जिम पर है, अगर इसको हटाया जाय तो मतलब ही खत्म हो जाय। डिस्टलरी झोंपड़ी में मिले तो साबित होता है। वह कहेगा मैं तो गंगाजल बना रहा था। लैट हिम प्रूव। इसलिए यह धारा जरूरी है।

श्री भैरोंसिंह : अगर कोई गंगाजल चढ़ाने के लिए सामने रखता है, आप कहते हैं कि शराब है तो आपकी जिम्मेदारी है कि आप साबित करें।

श्री मथुरादास माथुर : क्योंकि उनके यहां शराब के लिए डिस्टिलरी और एपरेटस मिलेगा, वह कहता है शराब नहीं है गंगाजल है। यह सब जितने भी प्रोहिबिशन एक्ट्स हैं महाराष्ट्र, गुजरात, मद्रास, सब स्कीम्स के अंदर बर्डन आफ प्रूफ उस पर रखा गया है। यह सन 1950 के एक्ट में है। इसके अलावा टेकचन्द कमेटी की रिपोर्ट मैंने पढ़ी है। उसमें उन्होंने इस बात को साफ किया है कि इस मामले में, एक्साइज ड्यूटोज के फंक्शन में बर्डन ऑफ प्रूफ मुल्जिम पर रहे वरना नामुमकिन हो जायगा साबित करना। आपकी तरमीम तो है नहीं लेकिन जो आशंका है उसका मैंने जवाब दिया है।

दूसरी तरमीम है आफेंस की सजा को कम करने की। उसके लिए मैं फिर कहता हूं कि जितने कानून हैं हिंदुस्तान में सबमें ये सजायें हैं। टेकचन्द कमेटी ने कहा था कि और भी स्ट्रिक्ट सजा होनी चाहिए, इसलिए मैं इस तरमीम को मानने में असमर्थ हूं।

मेजर श्री फतेहसिंह : आपने कहा था कि बाद में अवसर मिलेगा। इस खंड को गंभीरता से विचार करना चाहिए। सेक्सन 4 सब क्लॉज 4 के संबंध में माननीय भैरोंसिंह जी ने ......

श्री मथुरादास माथुर : मैंने जवाब दे दिया।

मेजर श्री फतेहसिंह : माथुर साहब, You may have been an advocate some time back, but probably you are not aware what is happening in the country these days.

श्री मथुरादास माथुर : I might have been an advocate some time past, but I am still an advocate of the people in the House and I have been Law Minister for a number of years.

मेजर श्री फतेहसिंह : But you are not conversant with the decision of the highest court of the land.

श्री सभापति : आप क्या कहना चाहते हैं ?

मेजर श्री फतेहसिंह : सही बात यह है कि यह बड़ा डेन्जरस क्लॉज है ।

श्री मथुरादास माथुर : It is already in the Excise Act.

मेजर श्री फतेहसिंह : We may have erred in the past, but we should not repeat it again. उस समय अगर गलत बात हो गई थी तो उसका मतलब यह नहीं कि जब आज हम विचार कर रहे हैं तो उसी बात पर अड़े रहें ? बर्डन आफ प्रूफ कभी भी क्रिमिनल जुरिस्प्रूडेन्स में चेंज नहीं होता, it always remains in the prosecution. It never shifts. अगर मुल्जिम एक्सप्लेनेशन देता है और थोड़ा संतोषजनक है तो पर्याप्त है। He is not required to prove anything positively. This is the ruling of the highest court of the land. इसलिए यह बड़ा डेंजरस क्लॉज है । बर्डन आफ प्रूफ प्रासीक्यूशन पर रखना चाहिए, नहीं तो इसका दुरुपयोग होगा और गरीब लोग मारे जायेंगे, गंभीरता से सोचें इसलिए हम प्रवर समितियों की बात कर रहे थे। आप लीगल एक्सपर्ट्स से और पूछें।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह (डूंगरपुर): यह जो आपके एक्साइज एक्ट में स्कीम है, यह ब्रॉड एथिक्स आफ जुरिस्प्रूडेंस के विरुद्ध है । इसमें लेकुना है। हम सब डिफेक्ट्स को दुरुस्त नहीं कर सकते, खामियां रहेंगी। जहां क्राइम है वहां कोई भी लॉ परफेक्ट नहीं हो सकता लेकिन इतना तो निवेदन करूंगा कि दूसरे राज्यों को अपने राज्य में म्युटैटिस म्युटैंडिस एडॉप्ट कर लिया है, ठीक है आपको करना चाहिए, हमारा देश फेडरल बेसिज पर है और दूसरे राज्यों के जो कानून हैं, उनसे लाभ उठायें ।

"लेकिन इसके अन्दर जैसे माननीय सदस्य भैरोंसिहजी ने कहा, जैसे माननीय सदस्य श्री फतहसिंहजी ने कहा मैं इससे भी सहमत हूं । अगर इसके सम्बन्ध में पुनर्विचार करके कोई अमेन्डमेंन्ट लाना चाहें तो इस पर गम्भीरतापूर्वक विचार करना चाहिये । माननीय सदस्य जो कुशलगढ़ से आये हैं, मेरे क्षेत्र के सन्निकट हैं, एक्साइज पुलिस वाले, मैंने अक्सर देखा है कि अनुचित लाभ उठाने के लिये लोगों से रिश्वत खाने के लिये, एक दो बोतलें, झाड़ी में, छप्पर में, बाड़े में रख देते हैं और पकड़ लेते हैं। सोसाइटी है वहां यह चीज अनिवार्य है। कोई निकालता है तो आप सोच सकते हैं। आप सरकार हैं। मैं समझता हूं यह अवांछनीय प्रोविजन है। आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता था।"

श्री रघुनाथ विश्नोई : किसी के पजेशन में कोई चीज मिल जाय····

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : जुरिस्प्रूडेन्स के बारे में कह रहा था।

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि खंड को स्वीकार किया जाय ?

कई माननीय सदस्य : हमको बोलने दीजिये ।

श्री सभापति : जो इसके पक्ष में हों वे हां कहें ?

(श्री सभापति)

(हां की आवाज)

जो विरोध में हों वे ना कहें।

(ना की आवाज)

हां पक्ष जीता।

श्री भैरोंसिंह : नोज हैव इट सर।

मेजर श्री फतेहसिंह : आफ्टर आल दिस इज असेम्बली।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : पहले अमेन्डमेन्ट को तो पास करें।

श्री देवीदत्त गाड़िया : सभापति महोदय, मेरा यह कहना है कि इस प्रकार के अधिकार देने से अधिकारी इसका इतना खुल कर दुरुपयोग करेंगे, बोतल रख दी, अमुक मकान से बरामद कर ली और फिर प्रमाण वह देगा, यह गलत चीज होगी।

श्री सभापति : ऑर्डर प्लीज।

श्री देवीदत्त गाड़िया : इसका राजनैतिक दुरुपयोग होगा सभापति महोदय। विरोधी दल के कार्यकर्ता शहरों और गांवों में रहते हैं। उनसे बदला लेकर कुचलने की यह साजिश है। आपके माध्यम से एक्साइज मंत्री महोदय से मेरा निवेदन है कि इसको प्रवर समिति के सुपुर्द कर दें।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : सभापति महोदय, मैं सिर्फ मंत्री महोदय का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूंगा कि यह स्पेशल लॉ है, यह कोमन लॉ को सुपरसीड करता है तो to that extent it is repugnant.

इसके लिये भी सोच लीजिये इसकी लीगेलिटी।

मेजर श्री फतेहसिंह : What presumption is to be made, that should be left to the court whether one is guilty or not.

लेकिन आपने तो सारे अधिकार उनको दे दिये हैं कि मुल्जिम साबित नहीं कर पाये। एक्युज्ड ही साबित करेगा। नहीं करेगा तो प्रिजम्पशन खिलाफ में होगा।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : यह वेरियस प्रोहिबिशन एक्ट्स पर बेस्ड है। इसको टैस्ट नहीं किया है। कोर्ट ओफ लॉ में इसको टैस्ट करेंगे, जुरिस्प्रूडेन्स अलाउ नहीं करेंगे तो कोमन लॉ को सुपरसीड करेगा।

श्री विजयसिंह (मकराना) : एक कानून बना दें, जो भी कांग्रेस का विरोध करेगा उसके लिये यह होगा।

श्री सभापति : आर्डर प्लीज।

प्रश्न यह है कि श्री केशरीसिंह हाड़ा ने खंड 4 में जो संशोधन रखा है उसको स्वीकार किया जाय ?

(अस्वीकृत)

संशोधन प्रस्ताव गिर गया।

(विराम)

प्रश्न यह है कि श्री महेन्द्रसिंह ने जो संशोधन प्रस्ताव खण्ड 4 में रखा है उसको स्वीकार किया जाय ?

(अस्वीकृत)

संशोधन गिर गया।

(विराम)

प्रश्न यह है कि खण्ड 4 को स्वीकार किया जाय ?

(स्वीकृत)

खण्ड 4 स्वीकार किया गया।

खण्ड 5

श्री केशरीसिंह हाड़ा ।

श्री केसरीसिंह हाड़ा : सभापति महोदय, इसमें भी मेरा सुझाव वही है जो पहले वाले कलॉज में था कि जुर्माने की राशि कम कर दी जाय।

श्री सभापति : इसको विड्रो करते हैं आप ?

श्री केशरीसिंह हाड़ा : कम कर दी जाय।

श्री सभापति : आप अपने संशोधन को रिपीट कर दीजिये।

श्री केशरीसिंह हाड़ा : इसके उप खंड (1) में प्रयुक्त शब्द "दो वर्ष" शब्द "छः माह" द्वारा एवं "दो हजार", शब्द "दो सौ" प्रति स्थापित किये जायं।

श्री मथुरादास माथुर : मुझे मंजूर नहीं है।

श्री विजयसिंह (मकराना) : दो हजार की जगह दो लाख कर दिया जाय।

श्री केशरीसिंह हाड़ा : लॉटरी में मिल जायेगा आपको।

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि जो संशोधन श्री केशरीसिंह हाड़ा ने रखा है उसको स्वीकार किया जाय ?

(अस्वीकृत)

संशोधन गिर गया।

(विराम)

प्रश्न यह है कि खंड 5 स्वीकार किया जाय ?

(स्वीकृत)

खण्ड 5 स्वीकार किया गया।

खण्ड 6

श्री केशरीसिंह हाड़ा।

(विराम)

श्री भैरोंसिंह : सभापति महोदय, वे अमेन्डमेन्ट मूव नहीं कर रहे हैं। खण्ड 6 का मैं विरोध करता हूं।

सभापति महोदय, मैंने जैसा पहले खंड के सम्बन्ध में निवेदन किया था और आपने कुछ शंकायें इस सदने के सामने प्रस्तुत की थीं उनको दुर्भाग्य से सरकारी पक्ष ने स्वीकार नहीं किया लेकिन जो खण्ड 6 है उसको यदि जैसा है वैसा ही स्वीकार कर लिया गया तो मैं इतना ही कहता हूं कि उससे कोई आदमी सुरक्षित नहीं रहेगा। उसके कुछ रीजन्स हैं। इसलिये सबसे पहले तो मैं इसको पढ़कर सदन में सुनाना चाहता हूं।

Page No 176

(श्री भैरोंसिंह)

"6 Punishment for conspiracy.—When two or more persons agree–

(a) to commit or cause to be committed any offence under section 4 or section 5, or

(b) to evade or nullify the provisions of this Act in any area to which it has been applied each of such persons shall, notwithstanding that no act except the agreement was done by any of the parties thereto in pursuance thereof or that the agreement was made or the operations thereunder took place in an area to which this Act has not been applied, be punished with imprisonment which may extend to three years, or with fine which may extend to five thousand rupees, or with both."

जहां तक सजा की सीमा निर्धारित की गयी है उसके बारे में इस समय कुछ नहीं कहना चाहता लेकिन 'कोन्स्पीरेसी' के प्रश्न पर इस सदन को गम्भीरता से विचार करना पड़ेगा। 'कोन्स्पीरेसी' वैसे इन्डियन पीनल कोड में अच्छी तरह से डिफाइन्ड है। उस 'कान्स्पीरेसी' की डेफिनिशन इस एक्ट में कहीं नहीं है। सारे क्लॉजेज को जो मैं देख पाया हूं 'कान्स्पीरेसी' एक्सवाई जेड के तहत कैसे होगी कहीं भी यह डिफाइन की हुई नहीं है। 'कान्स्पीरेसी' के बारे में जो इन्डियन पीनल कोड में निर्धारित है वही परिभाषा होगी। बाकी के कानून में 'कान्स-पीरेसी' की परिभाषा डिफाइन्ड है उसके अनुसार 'कान्स्पीरेसी' साबित करनी पड़ेगी और किस बात के लिये? जब एक या दो से ज्यादा आदमी हों। इस बात के लिये एग्री करते हों इस कानून के अन्तर्गत धाराओं और व्यवस्थाओं का उल्लंघन करेंगे, प्रुव करने की व्यवस्था क्या है। बर्डन आफ प्रूफ उस पर चला गया है कि मैंने कोई कान्स्पीरेसी नहीं की।

अब उसके ऊपर बर्डन ऑफ प्रूफ चलाया जाय, तो पुलिस किसी के ऊपर भी कान्स्पीरेसी कर उसको पकड़ सकती है। जिस आदमी को चाहे उस आदमी का पुलिस चालान कर सकती है कि तुम दोनों ने मिल कर कान्स्पीरेसी की है। तुम दोनों ने मिल कर यहां पर शराब निकालने की व्यवस्था की है तो यह किस प्रकार की कान्स्पीरेसी है?

श्री **मथुरादास माथुर** : मैं पहले भी बता चुका हूं। आप सब सेक्सन (4) पढ़ें। उसमें लिखा है "It shall be presumed until the contrary is proved that a person accused of any offence under sub-section (1) or sub-section (2) has committed such offence...." इसके लिये यह है प्रक्रिया। यह क्लॉज 4 का (4) है। जिसमें बर्डन ऑफ प्रूफ है। यह सब पर लागू है। यह प्रिजम्पशन है कान्स-

(श्री मथुरादास माथुर)

पीरेसी का। बाकायदा प्रूव करना पड़ेगा, conspiracy will have to be proved.

श्री भैरोंसिंह : परन्तु आपने इसमें लिखा है "It shall be presumed until the contrary is proved that a person accused of any offence under sub-section (1) or sub-section (2) has committed such offence..."

श्री मथुरादास माथुर : उसमें उसे कान्स्पीरेसी को साबित करना पड़ेगा।

श्री भैरोंसिंह : देखिये सब-क्लॉज (4) "It shall be presumed until the contrary is proved that a person accused of any offence under sub-section (1) or sub-section (2) has committed such offence..."

श्री मथुरादास माथुर : आप क्लॉज 4 में आ जाइये। सब में दिया गया है। इसके लिये बर्डन ऑफ प्रूफ वह नहीं है। अन्डर सब-सेक्सन (2) है। वहां पर बर्डन ऑफ प्रूफ जनरली नहीं है। कान्स्पीरेसी के लिये प्रूव करना पड़ेगा।

श्री भैरोंसिंह : आप जो कहें सही हो सकता है। आपने ही लिखा है अगर दूसरी बात साबित नहीं करता है तो प्रिज्यूम किया जायेगा कि उसने कराया है।

श्री मथुरादास माथुर : वन और टू क्लाजेज हैं।

श्री भैरोंसिंह : क्वेश्चन यह है कि सेक्सन 4 में स्पष्ट लिखा

"(1) Whoever–

(a) imports, exports or transports liquor, or,

(b) taps any toddy producing tree or permits or suffers to be tapped any toddy producing tree belonging to him or in his possession or;

(c) draws toddy from any tree or permits or suffers toddy to be drawn from any tree..." etc. etc.

अब इस सेक्शन के क्लॉज (4) को देखिये। "(4) It shall be presumed until the contrary is proved that a person accused of any offence under sub-section (1) or sub-section (2) has committed such offence...."

यहां आपने लिखा है। मैं पूछना चाहता हूं कि आपने लिखा है "6. Punishment for conspiracy.– When wto or more persons agree –

(a) to commit or cause to be committed any offence under section 4 or section 5, or..."

आप यह समझते हैं कि सेक्सन 4 में से बाकी की चीजें एक्सक्लूड हो गई हैं।

Page No 178

श्री मथुरा दास माथुर : पनिशमेंट और कान्स्पीरेसी के लिये है। कान्स्पीरेसी के लिये जो बर्डन आफ प्रूफ है, वह एक्यूज्ड पर नहीं होगा। वह इसमें है, 4 में है अन्डर सेक्सन 1, 2 में है। इसके अन्दर है। क्लाज 4 और 4 के साथ ही 1, 1 भी इम्पलाइड है।

श्री भैरोंसिंह : आपकी धारा में यह नहीं लिखा है। यह है........

"When two or more persons agree—

(a) to commit or cause to be committed any offence under section 4 or section 5, or..."

ये तो इन्क्लूडेड हैं और एक्सक्लूड कहा गया है।

श्री मथुरादास माथुर : इसमें करने की जरूरत नहीं है। मेन क्लाज 4 है। उसके अन्दर लिखा है कि बर्डन आफ प्रूफ इन में इम्पलाइड होता है। इसलिये पर्टीकूलर क्लॉज यहां पर डालनी पड़ी है।

श्री भैरोंसिंह : आप आगे की इबारत पढ़िये। सेक्शन 4 का सब क्लॉज (2)। बर्डन आफ प्रूफ एक्यूज्ड पर डाला है। क्लॉज 6 में आपने लिखा है। उसमें कहा है इसके ऊपर सब क्लॉज 2 लागू नहीं होगी। यह कहा है। सेक्सन 6 है और क्लॉज 2। यह लागू होगा या नहीं? इसलिये इस पाइंट का मैं विरोध करता हूं। इसमें पोजीशन आपने क्लीअर नहीं की है।

श्री मूलचंद डागा : सेक्सन 4 और 5। सेक्सन 4 का जो आधार आपके दिमाग में है, वह सेक्शन 4 कान्स्पीरेसी नहीं है। कान्स्पीरेसी कहां होती है, यह कहां है कि कान्स्पीरेसी का जहां मामला होगा वहां पर इसके अनुसार होगा। कान्स्पीरेसी नहीं होगी वहां पर सेक्सन लागू नहीं होगा।

श्री विजयसिंह : आप जैसे वकील नहीं मिलेंगे।

श्री भैरोंसिंह : सभापति महोदय, माननीय सदस्य जैसी बात कह रहे हैं, वैसी बात नहीं है। (2) में लिखा है.....

"(2) Whoever possesses, manufactures or sells liquor shall be punishable for every such offence with imprisonment which may extent two years and with fine which may extend to two thousand rupees."

मैं आपको कहता हूं कि कोई कान्सपीरेसी करता है, और सब सेक्शन (2) में जिन चीजों को पेनेलाइज करने की व्यवस्था की है, इस सब सेक्शन (2) के मातहत बने अपराध जो माने हैं, उन अपराधों का, या जो कान्स्पीरेसी करते हैं, क्या वही आदमी इस धारा से कवर नहीं होगा?

श्री मथुरादास माथुर : नहीं होगा। इसलिये नहीं होगा कि आप वकील साहब से पूछ लीजिये इसकी क्या मंशा है। यह जो सेक्शन है 4, उसके अन्दर 4 में लिखा है। उसमें कहा है कि जो सब-क्लॉज एक,

Page No 179

(श्री मथुरादास माथुर)

दो है, उसका बर्डन ऑफ प्रूव डिफीट होगा। फिर आगे 5 है। उसका बर्डन आफ प्रूफ की क्लॉज दो है। किस के लिये है? इसलिये यह नार्मली जो लॉ है उससे गवर्न होगी और जहां जहां नार्मली लॉ से वह डिपार्ट करती है, उसके लिये स्पेसिफिक करना पड़ता है। उसको नार्मल लॉ से डाइवर्ट किया है तो स्पेशली प्राविजन डाल दिया है। कान्स्पीरेसी करने वालों के लिये दफा 4, 5 में लिखा है कि ये ये कान्स्पीरेसी के काम हैं, इनका पनिशमेंट अलग है और क्रिमीनल प्रोसीजर की तरह ही है वरना एक और सेक्शन और डाल देते हैं कि बर्डन ऑफ प्रूव इस पर होता है।

श्री भैरोंसिंह : सभापति महोदय, जो पाइंट है, मैं समझता हूं, वह उलझा हुआ है और माननीय मन्त्री महोदय ने इस पर जो कहा है, उसे मैं सरकारी पक्ष की राय मानकर चलता हूं। फिर भी मैं समझता हूं कि इस मामले पर स्टडी करने की आवश्यकता है। लेकिन दूसरी आपत्ति है कोन्स्पीरेसी करने वाले को प्रोसीक्यूशन करने की। मैं जानकारी करना चाहता हूं। कानून में कोन्स्पीरेसी पर पेनेल्टी को हटा दिया है जितने भी आई० पी० सी० के मातहत ओफेन्सेज के लिये जो व्यवस्था है उसी व्यवस्था को लेकर हम यहां पर उसे इनकोरपोरेट करना चाहते हैं। आप यह समझ कर चलते हैं आई० पी० सी० की व्यवस्था के मातहत किसी आदमी को सजा नहीं दे सकते। कोन्स्पीरेसी प्रूव करने के लिये आई० पी० सी० लागू होगी इस प्रकार का प्रोवीजन रखने की क्या आवश्यकता है? कोन्स्पीरेसी वही होगी जो आई० पी० सी० में डिफाइन की गई हैं।

श्री मथुरादास माथुर : Conspiracy to commit offence and therefore we have to put this.

श्री भैरोंसिंह : इसको तो आलरेडी 4 और 5 में ओफेन्स माना गया है।

श्री मथुरादास माथुर : जहां तक कोन्स्पीरेसी का सवाल है वह सब आई० पी० सी० के अन्तर्गत आयेगी। मेरे यहां इस बिल में आई० पी० सी० के ओफेन्सेज को इसीलिये नहीं रखा गया। कोन्स्पीरेसी का मतलब वही होगा जो आई० पी० सी० में डिफाइन किया हुआ है।

जैसे कोन्स्पीरेसी किस बात के लिये? To Commit offence, तो कोन्स्पीरेसी के लिये इसमें रखने की आवश्यकता नहीं है। वकील साहब आप जरा माननीय सदस्य को समझने में सहयोग देंगे।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह: सभापति महोदय, कोन्स्पीरेसी के संबन्ध में माननीय मंत्री महोदय ने जो उत्तर दिया है उसके ऊपर मैं विशेष तूल तंलूल में नहीं पड़ना चाहता। सेक्शन 6 जो आपके इस बिल का है आपने इसके बारे में लीगल डिपार्टमेन्ट से परामर्श लेकर रखा होगा। चार पांच सेक्शन्स में जो कोन्सक्वेन्शल प्रोवीजन है Burden of proof should lie on the accused. यह सारे बिल के अन्दर महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इस तरह के कानून को

(श्री महारावल लक्ष्मणसिंह)

गुड इनलॉ नहीं मान सकते। It is of a very doubtful legality.
कॉमन लॉ को एवरी टाइम वीशियेट करें यह उचित नहीं माना जाता। मैं इस प्रोहीबिशन का विरोध नहीं करता। लेकिन इस तरह के प्रोवीजन रख कर You can't get away if it is challenged in the court of law.

श्री मथुरादास माथुर : सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं, यह कोई लीगल फ्लॉ नहीं है। पनिशमेन्ट कम ज्यादा हो सकती है।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : For burden of proof, you proceed with the assumption that the burden of proof should lie on the accused. That presumption is bad in law.

श्री मथुरादास माथुर : I can quote so many such sort of provisions.

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : I have full sympathies with you. But I cannot resist the observation that this provision is bad in law and equity. The basic jurisdiction on which it proceeds is defective

श्री मथुरादास माथुर : मैं जुरिस्प्रूडेन्स की बहस में नहीं पड़ना चाहता। मैं पड़ सकता हूं........

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : मैं तो वकील नहीं हूं।

श्री मथुरादास माथुर : मेरा नम्र निवेदन है जिस नेचर का ओफेन्स है किसी मकान में जाकर ओफेन्स करने वाले को पकड़ते हैं डिस्टिलेशन के सामान को पकड़ते हैं।

उससे यह पता चल जाय कि डिस्टिलिशन किया है। उससे कैसे यह मान लिया जाय कि वह शराब नहीं बना रहा था ? हमने यह बरडन एक्यूज्ड पर नहीं डाला तो क्या एक केस भी साबित होगा ?

Then this law will become incompetent.

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : जिस प्रकार की मोरेलिटी है उसमें क्या हम इस प्रकार के अधिकार देकर प्रोसीड कर सकते हैं ? किसी भी देश के अन्दर, मेरे ख्याल से, ऐसा नहीं है। इसमें फण्डामेण्टल राइट्स पर भी विचार करना है।

Can you do away with morality in democracy ? The law is there. You cannot violate the basic principles, If prohibition compels you to enter into a house without the permission of the owner....

श्री मथुरादास माथुर : Search warrant. In every law it is there. Otherwise all wrong doers will be left away.

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : मुझे जो कुछ कहना था वह मैंने पोइण्ट आउट कर दिया है। इसमें लीगल फ्ला है इस पर मुझे इतना ही कहना है।

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि खण्ड 6 स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

खण्ड 6 स्वीकार किया गया।

खण्ड 7

श्री केशरीसिंह हाड़ा।

श्री केशरीसिंह हाड़ा : मैं इस पर अपना संशोधन मूव नहीं करना चाहता।

श्री शंकरलाल : सभापति महोदय, मैं इस सम्बन्ध में इतना ही कहना चाहता हूं कि ओपन प्लेस पर ड्रिंक करने का सवाल है उसके लिए सजा कम्पलसरी करनी चाहिए। वन ईयर या कुछ सजा तो कम्पलसरी होनी चाहिए। ओपन मैदान में यदि कोई शराब की दुकान खोल कर बैठ जाय तो सजा का होना अनिवार्य होना चाहिये "Or" की जगह एण्ड शब्द लगा दिया जाय।

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि खण्ड 7 को स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

खण्ड 7 स्वीकार किया गया।

खण्ड 8

श्री केशरीसिंह हाड़ा।

श्री केशरीसिंह हाडा : सभापति महोदय, खण्ड 8 के सब खण्ड (5) में प्रयुक्त शब्द "पांच सौ" शब्द "एक सौ" द्वारा प्रतिस्थापित किया जाय।

(2) इस खण्ड में शब्द "किया जायेगा" के पश्चात् प्रयुक्त अभिव्यक्ति विलोपित की जाय।

श्री फतेहसिंह : सभापति महोदय, इस खण्ड 8 में जो लास्ट सेन्टेन्स है।

"Any person found in a common drinking house during any drinking therein shall be presumed, until the contrary is proved, to have been there for the purpose of drinking."

मैं समझता हूं यह मिस्चिवियस वर्डिंग है उसको डिलीट कर दिया जाय। कोमन ड्रिंकिंग प्लेस है अगर वहां पर किसी को सन्देश देने के लिये हम जाते हैं तो हमें भी कहा जायगा आप भी वहां गये थे दारू पीने के लिये। प्रीजम्प्शन कर सकते हैं और इसी पर केस चलाया जा सकता है।

श्री मथुरादास माथुर : कलाल की दुकान पर कोई दूध पीने तो जायगा नहीं जैसी हमारे यहां कहावत है। इस तरह से टेढ़ा मेढ़ा पकड़ने से कोई लाभ नहीं होगा। कलाल की दुकान पर दूध हाथ नहीं लगता है।

श्री फतेहसिंह : मैं आपको यह कह सकता हूं यदि कोई कलाल की दुकान पर किसी को शराब नहीं पीने के लिये समझाने भी जायगा तो उसको भी कहा जायगा आप भी पीने के लिये आये हैं।

(7 म.प.)

श्री मनोहरसिंह मेहता : कलाल के घर जाओ ही मत।

श्री विजयसिंह : आप वोट लेने जावोगे तब कोई आपको पकड़ लेगा ?

श्री मनोहरसिंह मेहता : मेरे तो जीवन में काम ही यह पहले पहल पड़ा है वोट लेने का।

श्री विजयसिंह : कोई नशाबन्दी समिति के लोग जावेंगे तो उनको पकड़ लेंगे।

श्री मथुरादास माथुर : कोई आदमी सही काम से जावे तो पकड़े नहीं जाते हैं। बातें कहने की ही हैं ये। फिर नशाबन्दी वाले लोग कहेंगे, अगर कोई पकड़ भी लेगा तो छोड़ देंगे, पहले तो उनको पकड़ेंगे ही नहीं ऐसा कहने पर।

श्री दिग्विजयसिंह : समझाने में कहीं धक्का मुक्की हो गई और दारू के छींटे कहीं किसी के मुंह पर भी लग गये, तो यह कह कर पकड़ लेंगे कि तुम्हारे मुंह से बदबू आ रही है।

श्री मथुरादास माथुर : मुंह से दारू की बदबू आवेगी तो पकड़ा जावेगा।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : यह सिद्धान्त की बात है। एक सभ्य देश है, सभ्य देश लॉ की निगाह में हरेक सिटीजन को गुड सिटीजन मानता है। पर यह कानून इस प्रिजम्पशन पर प्रोसीड करता है कि every citizen is bad. But not only bad very bad.

मेरा ख्याल है यह भी प्रोविजन इन लॉ डिफेक्टिव हैं। The whole procedure I think, is fundamentally defective.

अब दूसरे सभ्य देश के अन्दर ड्रिंकिंगनेस के लिए पांच दस या पचास रुपया जुर्माना कर दिया और उस पर निकाल दें कि सारे एशियाटिक देशों में भी यही है। बहुत रिजिड और नैरो गाइडेड इन्टरप्रीटेशन लेकर यह प्रिज्यूम करते हैं कि हरेक सिटीजन दारूड़िया है तो यह तो ठीक नहीं है। सभापति महोदय, मेरे मित्र माननीय मेहता साहब को भी निवेदन करूं कि कलाल के घर पर नहीं जाना। पर बहुत से कलाल लेन देन का धन्धा भी करते हैं। बहुत से रिश्तेदारों में से कोई उनके यहां जावे तो जाने की तो, कई मजबूरियां हो सकती हैं। तो अगर कोई उनके घर जावे तो वह भी आफेन्स हो गया? आप प्रिज्यूम करें कि कलाल के घर या फलां जगह जाना ही जुर्म है तो यह कोई लॉ है ? यह तो लॉ लेसनैस है। This is Lawlessness.

श्री मथुरादास माथुर : जहां शराब के दौर चलते हों और शेअरिंग आन दी ड्रिंकिंग हो रहा हो, वह छिपा नहीं रहता।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : Until contrary is proved the whole basis is defective.

श्री देवीदत्त गाड़िया : यह राजस्थान के इतिहास में काला कानून सिद्ध होगा।

श्री मनोहरसिंह मेहता : कलाल के घर में जाने वाले के लिए काला कानून सिद्ध होगा।

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि श्री केशरीसिंह हाड़ा ने संशोधन प्रस्ताव पेश किया है वह स्वीकार किया जाय ?

(अस्वीकृत)

Page No 183

(श्री सभापति)

संशोधन प्रस्ताव अस्वीकार किया गया।

(विराम)

प्रश्न यह है कि खण्ड 8 को स्वीकार किया जाय ?

(स्वीकृत)

खण्ड 8 स्वीकार किया गया।

(विराम)

खण्ड 9 श्री केशरीसिंह हाड़ा।

श्री केशरीसिंह हाड़ा : सभापति महोदय, खण्ड 9 में मेरा संशोधन इस प्रकार है :—

(1) इसके उप खंड (1) में प्रयुक्त शब्द "छः माह," शब्द "एक माह" द्वारा तथा शब्द "दो हजार," शब्द "एक सौ" द्वारा प्रतिस्थापित किये जायं।"

(2) इसके उप खंड (2) में प्रयुक्त शब्द "उपधारित" के पश्चात् तथा शब्द "किया" से पूर्व, शब्द "नहीं" अन्तः स्थापित किया जाय।"

जब तक प्रमाणित नहीं किया जावे उसको सजा नहीं होनी चाहिये।

श्री सभापति : आप मूव नहीं कर रहे हैं क्या ?

श्री केसरीसिंह हाड़ा : मूव तो किया है न।

श्री मथुरादास माथुर : मुझे मन्जूर नहीं है। वह तो बहस हो चुकी।

श्री मूलचन्द डागा : He is not serious.

श्री सभापति : श्री केसरीसिंह हाड़ा ने जो संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत किया है, प्रश्न यह है कि वह स्वीकार किया जाय ?

(अस्वीकृत)

संशोधन गिर गया।

(विराम)

प्रश्न यह है कि खण्ड 9 स्वीकार किया जाय ?

(स्वीकृत)

खण्ड 9 स्वीकार किया गया।

(विराम)

खण्ड 10

कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड 10 स्वीकार किया जाय ?

श्री केशरीसिंह हाड़ा : इसमें संशोधन है।

श्री सभापति : नहीं है।

प्रश्न यह है कि खण्ड 10 स्वीकार किया जाय ?

(स्वीकृत)

खण्ड 10 स्वीकार किया गया।

(विराम)

(श्री सभापति)

खण्ड 11 श्री केशरीसिंह हाड़ा

श्री केशरीसिंह हाड़ा : मैं मूव नहीं करना चाहता ।

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि खण्ड 11 को स्वीकार किया जाय ?

(स्वीकृत)

खण्ड 11 स्वीकार किया गया ।

(विराम)

खण्ड 12 ।

श्री सभापति : श्री केशरीसिंह हाड़ा ।

श्री केशरीसिंह हाड़ा : अब मैं मूव नहीं करना चाहता । आपकी इच्छा है तो इसको पास कर दीजिये । मूव करने से कोई फायदा नहीं ।

श्री सभापति : सभी मूव नहीं कर रहे हैं ?

श्री केशरीसिंह हाड़ा : एक को भी नहीं मानते हैं । जायज बात को भी नहीं मानते तो मूव करने से फायदा क्या होगा ? आप तो पास कर दीजिये । फिर कोर्ट ऑफ लॉ में जाते रहेंगे । जब इतने नशे में हैं कि एक भी नहीं मानते तो क्या फायदा मूव करने से ?

श्री सभापति : खण्ड 12 प्रश्न यह है कि खण्ड 12 स्वीकार किया जाय ?

(स्वीकृत)

खण्ड 12 स्वीकार किया गया ।

(विराम)

आगे 13 से 26 तक ।

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : 26 के लिये मुझे बोलना है ।

बहुत जरूरी है साहब ।

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि खण्ड 13 से 25 तक स्वीकार किये जायं ?

(स्वीकृत)

खण्ड 13 से 25 तक स्वीकार किये गये ।

खण्ड 26

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : 26 के लिये वैसे मैंने मूव नहीं किया है ।

श्री केशरीसिंह हाड़ा : यह साहब, आप टाइम क्यों खराब कर रहे हैं ?

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : मैं परमिसन ले रहा हूं ।

श्री मथुरादास माथुर : फिर आप पूरे क्लॉज को डिलीट करने के लिये कह रहे हैं ।

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : जी हां ।

सेक्शन 26 इस प्रकार है :

"Power to compound certain offences– The Prohibition Commissioner or Prohibition Officer specially authorised by the State Government in this behalf, may subject to such

(श्री वृद्धिचन्द्र जैन)

conditions and restrictions as may be prescribed, accept from any person who has committed an offence under clause (g) of sub-section (1) of section 4, so far as it relates to the consumption of liquor, clause (h) of that sub-section, section 8, or section 13, a sum of money not exceeding rupees ten thousand by way of composition of such offence."

अभी कितने क्लॉजेज हैं, जो कि हमने अभी पास किये हैं अगर यह क्लॉज 26 कम्पाउन्डेबल रखा गया तो पनिशमेंट की जो मंशा है वह खतम हो जाती है। मैं यह चाहता हूं कि जो आफेन्डर हैं उनको पनिशमेंट दिया जाना चाहिये। अगर कम्पाउन्ड का प्रावधान हुआ तो जो पूंजीपति, रईस हैं वे इस प्रकार के ऑफेन्स को कम्पाउन्ड करा कर जुर्म से बरी हो जायेंगे। हम चाहते हैं कि जुर्म से बरी न हो। अगर कम्पाउन्ड का क्लॉज कर दिया गया तो कानून की जो मंशा है वह समाप्त हो जायगी इसलिये क्लॉज 26 डिलीट हो जाना चाहिये।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : अजीब प्रोविजन है। मान लें, मैं बेईमान हूं और 5 लाख की दारू लेकर जा रहा हूं और उसके पीछे अगर मैं 10 हजार रुपये देकर कम्पाउन्ड करा लेता हूं तो कानून ने जुर्म करने वालों को कोई सजा नहीं दी। 10 लाख की शराब लेने वाला 10 हजार रुपया आसानी से दे देगा।

श्री मूलचन्द डागा : जो माइनर ऑफेन्स हैं उसमें इजाजत दी है।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : मेक्सिमम प्रोविजन दस हजार का रखा है। 10 हजार रुपये दे दें और खुशी पड़े सो करें।

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : हां, यही बात है। मैं आपसे सहमत हूं।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : एक तो जुर्म करें और जुर्म करने के बाद कोई सजा नहीं होगी। कम्पाउन्ड करने का मतलब जो कुछ वस्तु है वह तो घर ले जायें और 10 हजार रुपये दे दें। यह भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा हैं।

श्री देवीदत्त गाड़िया : वरना माथुर साहब ......

श्री कृष्णकुमार गोयल (कोटा) : पाली से आने वाले माननीय सदस्य ने जो इस सेक्सन के बारे में कहा यह मामूली ऑफेन्स के बारे में व्यवस्था की गई है। मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं सेक्सन 4 के बारे में लिखा है।

"......any person who has committed an offence under clause (g) of sub-section (1) of section 4 ...."

कोई सब सेक्सन नहीं है।

श्री परसराम मदेरणा : यह लीगल लेंगवेज है।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : क्लॉज (2) में "May be confiscated" को "shall be" — mendatory बनायें।

(महारावल श्री लक्ष्मणसिंह)

मतलब खुशी पड़े तो लें और खुशी पड़े न लें। 'shall be confiscated' करें। अगर कानून बनाना है तो कानून की अवहेलना नहीं होनी चाहिये। जो कुछ वस्तु है वह उससे छीन लेना चाहिये वरना कान्फिस्केटेड है।

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : 'shall' होना चाहिये 'May' के स्थान पर।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : आप (श्री वृद्धिचन्द्र) मूव करिये, आप कांग्रेस के हैं इसलिये मान लेंगे हम लोग कहते हैं तो वे नहीं मानते हैं। मैं शुद्ध दिल से कहता हूं कानून अच्छा बने तो जनता को मालूम हो कि क्या चीज बनाई है। "May be" और "shall be" में बहुत रात दिन का फरक है। सबसे पहले यह मानिये मैं बेईमान हूं। इस कानून से फायदा उठाऊंगा या नहीं, माथुर साहब यह बताइये ?

श्री मथुरादास माथुर : आप कानून के पहलुओं को देखिये। सभापतिजी, जो बाड़मेर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा धारा 26 को आप देखिये। क्लॉज 4 सब क्लाज (1) (2) उस में लिखा है—

"consumes or buys liquor; or is found in a state of intoxication as a result of having drunk liquor; ...."

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : (अश्रव्य)

श्री मथुरादास माथुर : 10 लाख की कहीं नहीं आती है।

दो के लिये है बाकी माइनर ऑफेन्स के लिये आज भी प्रोविजन है एक्साइज एक्ट में फिर दूसरा—

"On the payment of such sum of money to such officer the accused person shall be discharged, the property seized, if any..."

सवाल यह है कि एक्साइजेबिल आर्टिकल है वह कनफिस्केटेड है except an excisable article which may be confiscated, shall be released and no further proceeding shall be taken against such person...

तो उस आदमी के पास एक्साइजेबिल आर्टिकल होगी जैसे शराब की बोतल, ले लेंगे। कानफिस्केटेड है। सेक्सन में साफ लिखा है।

मेजर श्री फतेहसिंह : Except an excisable article which may be confiscated.

हम सजेस्ट करते हैं "shall" होना चाहिये।

श्री मथुरादास माथुर : Here 'may' is as equal as 'shall be'. You are a lawyer.

मेजर श्री फतेहसिंह : वह ठीक है।

श्री रघुनाथ बिश्नोई : 'shall' मंजूर है।

श्री मथुरादास माथुर : I accept. I have no objection. But "may" comes sometimes before 'shall' He is an Advocate. He knows it.

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : You are the Minister, you know better about the intention of the Government.

श्री मथुरादास माथुर : आगे "shall" काम में लिया है। इसको आप 'shall' कर लीजिये।

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : प्रश्न यह है जो कन्जूम कर और लिकर अगर खरीद लेता है 15 हजार का ....

श्री मथुरादास माथुर : 15 हजार का प्रश्न नहीं होता है।

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : 20 हजार का खरीद सकता है। यह ऑफेन्स है, साधारण ऑफेन्स नहीं है इसलिये कम्पाउन्ड का प्रोविजन बन गया तो उनको प्रोत्साहन मिलता है।

श्री मथुरादास माथुर : आप राजस्थान में मुझे बता सकते हैं? राजस्थान में दस लाख की शराब खरीदना मुझे नहीं जंचता है। एबसर्ड बातें हैं। रख नहीं सकता 'Shall' फिर भी कर सकते हैं। इसको आप नोट कर लें।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : 'Shall' के लिये विरोध नहीं करते हैं।

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि खन्ड 26 को एज अमेन्डेड स्वीकार किया जाय?

(स्वीकृत)

खन्ड 26 एज अमेन्डेड स्वीकार किया गया।

(विराम)

प्रश्न यह है कि खन्ड 27 से 30 तक स्वीकार किये जायं ?

श्री कृष्णकुमार गोयल : मैं विरोध करता हूं। यह जल्दबाजी के अन्दर न किया जाय। मैं बहुत नम्र निवेदन करना चाहता हूं। इस बिल को जल्दबाजी में पास करने के प्रयास किये जा रहे हैं। जैसा अभी माननीय सदस्य ने एक क्लॉज पर आपत्ति की। कम्पाउन्ड के बारे में माननीय सदस्य ने आपत्ति की है.......

श्री सभापति : कौन से क्लॉज पर बोल रहे हैं आप ?

श्री कृष्णकुमार गोयल : मैं क्लॉज 28 पर आपत्ति कर रहा हूं। 28 का जितना......

श्री सभापति : एक मिनट, प्रश्न यह है कि खण्ड 27 को स्वीकार किया जाय ?

(स्वीकृत)

स्वीकार किया गया।

खण्ड 28

श्री कृष्णकुमार गोयल : सभापति महोदय, मैं निवेदन यह कर रहा था कि इस बिल को वित्त मंत्री जी बहुत जल्दबाजी में पास करवा रहे हैं।

श्री मथुरादास माथुर : मैंने जल्दबाजी में नहीं किया है।

श्री कृष्ण कुमार गोयल : एक साथ इस प्रकार के क्लाजेज लिये जा रहे हैं। क्लॉज 26 में आपत्ति की कम्पाउन्ड के बारे में जो अधिकार दिये जा रहे हैं वह गलत हैं। सारे एक्ट की जो मंशा है, शराब-बन्दी की वह खत्म हो जाती है।

क्लॉज 26 पर हमने आपत्ति की लेकिन क्लॉज 17 के अन्दर हमने इसी एक्ट के अन्दर ऐसे बड़े अधिकार दे दिये हैं कि धारा 4 के अंतर्गत अगर कोई अपराध करता है तो उससे केवल सिक्योरिटी बाण्ड लेकर छोड़ा जा सकता है। क्लॉज 17 में, सभापतिजी, उन्होंने लिखा है :

'Whenever any person is convicted of an offence punishable under section 4, other than the offence of consuming liquor, or of an offence under section 5, section 6 or section 7 the magistrate convicting him may, at the time of passing sentence on such person, order him to execute a bond for a sum proportionate to him means...'

याने इतना बड़ा अधिकार दिया है। हमारी आपत्ति कम्पाउण्ड करने के बाद में है। कम्पाउण्ड करने का अधिकार नहीं होना चाहिए। किसी ने जुर्म कर दिया वह अपराधी है तो उसके केस को कम्पाउण्ड करने के अधिकार नहीं देने चाहिए सरकार को। लेकिन क्लॉज 17 के तहत सरकार दे गयी कि कोई सेक्शन 4 में अपराध करता है तो मजिस्ट्रेट सजा देने के समय पर उससे बांड लिखाकर उसको छोड़ सकता है। एक तरफ तो हम बड़े स्ट्रिक्ट बनना चाहते हैं कि कोई भी शंका हो, हम प्रिज्यूम कर लें कि यह शराब पीकर आया है या शराब का धंधा करता है और उसको कड़ी से कड़ी सजा देना चाहते हैं और आगे जाकर हम कम्पाउन्ड करने के लिए अधिकार दे रहे हैं। वह केवल सिक्योरिटी बांड दे दे तो उसके आधार पर उसको छोड़ देना चाहते है। तो मैं निवेदन करूंगा कि बहुत जल्दबाजी में यह बिल चल रहा है और एक साथ सारे क्लॉजेज लेकर इस बिल को निकाल देना चाहते हैं। मैं, सभापति महोदय, आपके माध्यम से माननीय सदस्यों का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि यह जो क्लॉजेज 28 29, 30, 31 चैप्टर 4 के अंदर 'एग्जम्प्शन एण्ड लाइसेन्सेस' हैं इस अधिकार को लेकर राज्य सरकार किसी भी वस्तु को जिसको कि इस कानून के तहत पाबन्द किया है, जिसको इल्लीगल माना है किसी भी दवा की दुकान पर कोई चीज नहीं बिकनी चाहिए और जिसको यह मानकर चला जाता है कि वह शराब वगैरह के काम में नहीं आ सकती ऐसी सब बातों को तो कड़ाई के साथ जहां निर्धारित की है वह एग्जम्प्शन के माध्यम से सारे अधिकार को छीनकर सारे एक्ट की मन्शा खतम करना चाहते हैं। इस लिए मैं मांडलगढ से आने वाले माननीय सदस्य से निवेदन करना चाहूंगा कि जिस स्पीरिट में हम बिल को स्वीकार कर रहे हैं और मैं सहमत हूं कि जितना सख्त से सख्त कानून को बनायें तो बनाया जाना चाहिए लेकिन सरकार एग्जम्प्शन के मातहत

Page No 189

(श्री कृष्णकुमार गोयल)

जिसको चाहे उसको लाइसेन्स दे दें चाहे वह ओपिन प्लेस पर हो, चाहे वह दुकान हो, चाहे पीने का मामला हो इसलिए मैं समझता हूं कि सारे एक्ट की मन्शा और हम इसके द्वारा राजस्थान के अन्दर जहां भी यह लागू होगा और जहां शराब को रोकना चाहते हैं सारी मन्शा ही खत्म हो जायेगी। इसलिए आबकारी विभाग ने गारन्टी सिस्टम इन्ट्रोड्यूज करके जिस प्रकार से सदन के माध्यम से जनता को यह विश्वास दिलाया था....

श्री मथुरादास माथुर : आप किस पर बहस कर रहे हैं ? गारन्टी की बात कर रहे या बिल पर बोल रहे हैं ?

श्री कृष्णकुमार गोयल : मैं कोई भी बात इर्रिलिवेंट नहीं बोलूंगा। मैं केवल आपके माध्यम से सदन के सदस्यों को यह विश्वास दिलाता हूं ...

श्री सभापति : क्लाज 28 में क्या सुझाव आप पेश करना चाहते हैं ? कोई डेफिनेट बात बताइये।

श्री कृष्णकुमार गोयल : " Power to notify exemption (i) The State Govt. may by notification and subject to such conditions as it may think fit to impose, exempt any specified liquor or article containing liquor from the observance of all or any of any of the provisions of this Ordinance on the ground that such liquor or article is required for a medicinal, scientific industrial or such like purpose."

मैं 28 के साथ ही साथ दुबारा इसको रिपीट नहीं करना चाहता हूं 29 में दूसरी धारा है, 30 की दूसरी है, सारी की सारी लगभग एग्जम्प्शन के संबंध में इन सब की मन्शा आसपास की सब की एक सी है और बारबार मुझे निवेदन करना नहीं पड़े ....

श्री मूलचन्द डागा : सभापति जी, इसमें जो आपत्ति है वह है : 'Or any other person or class of person.'

श्री सभापति : आर्डर, आर्डर, माननीय सदस्य। वित्त मंत्री जी।

श्री मथुरादास माथुर : माननीय सभापति महोदय, हमारे कोटा से आने वाले माननीय सदस्य ने चैप्टर 4 के लिए कहा है और यह चैप्टर है एग्जम्प्शन एण्ड लाइसेन्सेस मैं माननीय सदस्य से कहना चाहता हूं कि आप एक भी एक्ट नहीं बना सकेंगे जिसमें कि स्टेट को इमरजेन्सी में एग्जम्प्शन की पावर्स नहीं दी हों तो आर्म्ड फोर्सेस, कैन्टीन वगैरह। इसलिए मेडिकल, इन्डस्ट्रियल, आर्म्स फोर्सेस और सब बातें कहीं हैं और यह बॉम्बे, मद्रास, गुजरात में जहां जहां भी प्राहिबीशन 15-20 सालों से चल रहा है उससे लिया है। कोई इसको हमने घर से नहीं जोड़ा है। आप लोग अध्ययन करके नहीं आये फिर मुझे कहें ...

श्री कृष्णकुमार गोयल : माननीय सभापतिजी, इस बात को जिस ढंग से माननीय वित्त-मंत्री महोदय निकालना चाहते हैं मैं गंभीरता से आपके माध्यम से माननीय सदस्यों का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। क्लाज 28 का सब क्लाज (1) ले लें :

"The State Government may, by notification and subject to such conditions as it may think fit to impose, exempt any specified liquor or article containing liquor from the observance of all or any of the provisions of this Ordinance on the ground that such liquor or article is required for a medicinal, scientific, industrial or such like purposes"

आज के युग में शराब बन्द होना चाहिए यह हम मानकर चल रहे हैं लेकिन जिन व्यक्तियों का धंधा है कि वह शराब से नाजायज फायदा पहुंचाये वह उसका नाम शराब नहीं रखकर उसका नाम अमृत रख कर जिसके अन्दर केवल शराब है, और उसके अलावा कोई चीज नहीं है, किसी प्रकार से उस दुकान पर बेचना चाहे। शराब का नाम बन्द हो जाये, चीज वही है, लेकिन बोतल बदल गयी है उस नाम से चीज को बेचना चाहे और सरकार कहे, जिसको आज तक शराब मान रहे हैं और उसका सरकार एग्जम्प्शन देना चाहे तो मैं समझता हूं कि यह अधिकार सरकार को नहीं देने चाहिए। मैं इस संबंध में यही निवेदन कर रहा था कि यह जो एग्जम्प्शन के अधिकार सरकार अपने हाथ में ले रही है यह हम एग्जम्प्शन के अधिकार सरकार को नहीं दे सकते। हो सकता है आर्म्ड फोर्सेस के बारे में ...

श्री मथुरादास माथुर : आप नहीं देंगे तो इन्डस्ट्रियल्स के लिए चाहियेगा, साइंटिफिक लेबोरेटरी के लिए चाहियेगा, और नये नये रिसर्च हो रहे हैं उसके लिए चाहियेगा तो उनको कहां से मिलेगा ? मैं उनको नहीं दूंगा तो क्या अस्पताल, कॉलेजेज, स्कूल्स वगैरह बन्द कर दें ? टिंचर में स्प्रिट होती है वह इसमें कवर होता है। आपके अनुसार इस तरह से कर दिया जाये तो दुनिया का काम चल ही नहीं सकता इसलिए आपकी धारणा है कि एग्जम्प्शन अथॉरिटी राज्य सरकार को नहीं देना चाहिए यह गलत है। आप एक भी किसी भी एक्ट में राज्य सरकार को एग्जम्प्शन के अधिकार नहीं दिये हों वह बता दें ? आप बता दें किसी का मिसयूज हुआ हो ?

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि खण्ड 28 से 30 को स्वीकार किया जाय ?

श्री केशरीसिंह हाड़ा : 28 को ही।

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि खण्ड 28 को स्वीकार किया जाय ?

(स्वीकृत)

खण्ड 28 को स्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि खण्ड 29 को...

श्री कृष्णकुमार गोयल : सभापति महोदय, इस पर कहना है। मैं माननीय सदस्यों का ध्यान इस क्लॉज की ओर आकर्षित करना चाहता हूं :

(श्री कृष्णकुमार गोयल)

"The State Government or subject to the control of the State Government the Prohibition Commissioner or any Prohibition Officer specially authorised by the State Government in this behalf may issue licences, subject to the payment of such duty as may be prescribed, to any person or in respect of any institution, whether under the management of Government or not, for the manufacture, export, import, transport, sale or possession of any liquor or article containing liquor on the ground that····

यहां पर "टू एनी पर्सन" जो शब्द यूज किये हैं इनको हटा देना चाहिए। अगर राज्य सरकार की कोई मन्शा है पवित्र जिसके माध्यम से उसकी आवश्यकता को महसूस करते हुए इस क्लॉज को रखने की जरूरत हुई है, तो मैं समझता हूं कि to any person को जो यूज किया है उसको हटा देना चाहिए। "to any person" अगर यहां पर रह गया तो इसमें गुन्जाइश रहेगी।

श्री मनोहरसिंह मेहता : to any person को हटा दें।

श्री मथुरादास माथुर : इसको आप पढ़ लें लैंग्वेज को। इसमें लिखा है–

"........may issue licences subject to the payment of such duty as may be prescribed to any person or in respect of any institution...."

"Any person" 'by such person' के उसमें आता है–

Any person for industrial or medical institution.

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : यह बिल्कुल ठीक है।

श्री कृष्ण कुमार गोयल : वैसे यह क्लाज 28 से कवर हो जाता है। क्लॉज 28 अपने आप में क्लियर है जिसके अन्दर पावर्स टू नोटिफाई दी एक्जेम्प्शन का अधिकार दिया है। अब हम यह कहना चाहते हैं कि आपने 28 में अधिकार तो ले लिये हैं फिर 29 वें क्लॉज में किसी व्यक्ति विशेष को एक्जेम्प्शन देने का अधिकार क्यों लेना चाहते हैं ? इसमें से "टू एनी पर्सन" को हटा दें और केवल "इन्स्टीट्यूशन्स" को रखा जाय। गवर्नमेंट मैनेजमेंट का सवाल रह जाय तो आप उनको आवश्यकता होगी तो दे सकते हैं, लेकिन एक व्यक्ति-विशेष के लिए एक्जेम्प्शन लेना चाहते हैं वह ठीक नहीं है।

श्री सभापति : श्री मथुरादासजी माथुर-29।

श्री केशरीसिंह हाड़ा : कोई भी अटेन्टिव नहीं है।

श्री मथुरादास माथुर : पर्सन के लिए डिसाइड करेंगे तो पर्सन के लिए मेडिसिनल परपजेज के लिए रखेंगे तो क्या खराबी हो जायगी ? "Any person or

(श्री मथुरादास माथुर)

institution में से any person निकाल देंगे तो क्या कोई आदमी की institution नहीं होगी ?

"To any person or in respect of any institution for a bonafide medicinal, scientific, industrial or any such like purpose." के लिए होगा उसको दे सकते हैं। इसमें दिया गया है-

"To any person or in respect of any institution, whether under the management or Government or not, for the manufacture, export, import, transport, sale or possession of any liquor or article containing liquor on the ground that such liquor or article is required by such person or in respect of such institution for a bonafide medicinal, scientific industrial or such like purpose."

इसमें पर्सन है तो क्या हुआ ?

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि खण्ड 29 को स्वीकार किया जाय ?

(सरकारी पक्ष की ओर से 'हां' की आवाजें और विपक्ष की ओर से 'ना' की आवाजें)

हां पक्ष जीता ।

श्री भैरोंसिंह : "ना" पक्ष जीता ।

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि खण्ड 29 को स्वीकार किया जाय ?

(सरकारी पक्ष की ओर से "हां" की आवाजें और विपक्ष से "ना" कि आवाजें)

हां पक्ष जीता ।

श्री भैरोंसिंह : ना पक्ष जीता ।

(विभाजन की घंटी)

इस तरह से ऐसे कानून यह सरकार बनाना चाहती है उसको हम एलाउ नहीं करेंगे । जल्दी में इसको पास करना चाहते हैं बातें सुनते हैं नहीं, सुनने को तैयार हैं नहीं तो इस तरह से तो हम इसको पास नहीं करने देंगे । हम भी बैठे हैं सुबह तक ।

(विभाजन की घंटी बजती रही)

आप थोड़ी देर में पास कराकर भाग जायेंगे ऐसा सोचते हैं तो हम भी देखेंगे कि कैसे पास होता है । इतना बड़ा लॉ बना रहे हैं और यह सुनने तक को नहीं है कि इसको सिलैक्ट कमेटी में भेजा जाय ।

श्री मथुरादास माथुर : यदि आप नहीं चाहते हैं तो हमें जल्दी भी क्या है?

श्री भैरोंसिंह : यह चीज नहीं है कि हम प्रोहिबिशन के पक्ष में नहीं हैं और न हम यह चाहते हैं कि प्रोहिबिशन में देरी हो लेकिन जिस प्रकार का कानून आप बना रहे हैं उससे भ्रष्टाचार फैलेगा ।

(विभाजन घंटी बजती रही)

श्री मथुरादास माथुर : भैरोंसिहजी इसका हमें भी ख्याल है। किसी ने ही इसका ठेका नहीं ले रखा है। एक एक धारा पर डिसकशन हुआ है अभी तक। अगर आप चाहते हैं तो कल लेलें। हमें कोई ऐतराज नहीं हैं।

श्री फतेहसिंह : हमें इतनी जल्दी में काम नहीं करना चाहिए।

श्री मथुरादास माथुर : मैं भी जल्दी के पक्ष में नहीं हूं। अगर हाउस कल के लिए चाहता है और आप अगर थक गये हों तो मुझे ऐतराज नहीं है। इसको डिसकस करते हैं और एमेंडमेंट्स होते हैं तो उनका जवाब देते हैं। गवर्नमेंट की तरफ से कोई जल्दी नहीं है।

श्री सभापति : ऑर्डर प्लीज। क्या सदन की अनुमति है कि क्लॉज 29 को आज ले लिया जाय ?

श्री भैरोंसिंह : अगर पोस्टपोन करना है तो क्लॉज 28 और 29 दोनों को ही कल रखें। ये दोनों ही इस प्रकार की क्लॉजिज हैं कि इनमें यह है कि हम चाहे जिस को परमिट दे सकते हैं, लाइसेन्स दे सकते हैं। उसमें करप्शन होता है। परमिट और लाइसेन्स में पक्षपात होता है। इनमें पर्याप्त झगड़ा है। जिन्होंने कभी शराब के दर्शन नहीं किये होंगे उनको पकड़ा जायेगा। पोस्टपोन करना है इनको भी कल रखें।

श्री सभापति : सदन की कार्यवाही दिनांक 22 अगस्त, 1969 को प्रातः 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही 7 बजकर 38 मिनट पर दिनांक 22 अगस्त, 1969 के प्रातः 11 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

Page No 194

परिशिष्ट 1

तारांकित प्रश्न सं० 267 की सूची

बाड़मेर व जैसलमेर जिलों में निम्न ग्रामों में निम्न व्यक्तियों को मुआवजा दिया गया

क्रम संख्या	नाम गांव	व्यक्तियों की संख्या	रकम
1.	मुनाबा	47	15815-00
2.	रोहिड़ी	64	7952-50
3.	सुन्दरा	169	37598-00
4.	अकली	104	28943-00 2216-00
5.	केलनोर	61	18060-00
6.	कलरों का तल	11	580-10
7.	भीलों का तल	20	898-00
8.	नवातला जैतमालोतान	36	4056-00
9.	मिठड़ाऊ	50	5368-00
10.	हुसेन का तला	5	513-00
11.	सोमराड़	10	1296-00
12.	म्याजलार	16	2490-00
			1,25,785-60

16 व्यक्तियों की सूची जिनके मकान भारत पाक संघर्ष के दौरान क्षतिग्रस्त हुए थे तथा इस कार्यालय द्वारा अनुदान दिया गया

क्र० सं०	नाम व्यक्ति	ग्राम	स्वीकृत धनराशि
1.	श्री कालू पुत्र पन्ना	म्याजलार	54-00
2.	श्री पपूराम पुत्र कालूराम	,,	190-00
3.	श्री बीजराम पुत्र भीखाराम	,,	48-00
4.	श्री सिकर्याराम पुत्र भीखा राम	,,	200-00
5.	श्री लखिया पुत्र हेमत	,,	325-00
6.	श्री खाकरिया पुत्र अलसाराम	,,	11-00
7.	श्री मनजी पुत्र भीखाराम	,,	108-00
8.	श्री केवल पुत्र कालू	,,	100-00
9.	श्री केसरा पुत्र जसी	,,	198-00
10.	श्री बलवन्तसिंह पुत्र पहाड़सिंह	,,	182-00
11.	श्री मंगलसिंह पुत्र समरथसिंह	,,	203-00
12.	श्री मानसिंह पुत्र बुलीदानसिंह	,,	100-00
13.	श्री किरतसिंह पुत्र मंगसिंह	,,	20-00
14.	श्री काचर पुत्र मेता	,,	125-00
15.	श्री चांदिया पुत्र लकू	,,	231-00
16.	श्री तारसिंह पुत्र पाबूदानसिंह	,,	395-00
		योग-	2,490-00

परिशिष्ट 2
समयाभाव के कारण समय पर न लिये जाने वाले तारांकित प्रश्नोत्तर

श्री महाराजा उम्मेद मिल्स पाली से गृह कर के सम्बन्ध में समझौता

270. श्री मूलचन्द डागा (पाली) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(क) क्या गत नगरपालिका बोर्ड पाली ने श्री महाराजा उम्मेद मिल्स पाली से गृह करके सम्बन्ध में तारीख 16 से 20 जून के बीच कोई समझौता किया ? यदि हां, तो उसके आधार पर कितने रुपये महाराजा उम्मेद मिल्स पाली से, कितने सालों के गृह कर पेटे किस आधार पर वसूल किये गये ?

(ख) क्या यह सत्य है कि इस समझौते से नगरपालिका पाली को बड़ी भारी रकम का नुकसान हुआ ? यदि हां, तो कितनी रकम का ?

उत्तर

(क) जी नहीं। प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

(ख) जी नहीं।

बोर्डर कमिश्नर की पोस्ट

271. श्री जुझारसिंह (रामगंज मंडी) : क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) बोर्डर कमिश्नर की पोस्ट कब और किन 2 कारणों से स्थापित की गई थी और इसकी क्या क्या ड्यूटीज थीं ?

(2) क्या बोर्डर कमिश्नर की जगह कम कर दी गई है ? यदि हां, तो क्यों ?

(3) राजस्थान में नई जगह कायम करने व हटाने के क्या कारण हुआ करते हैं ? डाइरेक्टर इन्टेलिजेन्स की जगह स्थापित करने व डाइरेक्टर पब्लिक एन्टरप्राइजेज के स्थान को पहले डिग्रेड करने व वापस अपग्रेड कर देने के क्या कारण हैं ?

उत्तर

(1) सीमा आयुक्त का पद 21-5-64 से सृजित हुआ। राजस्थान सीमा पर पाकिस्तान द्वारा गाहे बगाहे छेड़छाड़ किये जाने के कारण विभिन्न सीमा स्थित जिलों के सुरक्षात्मक एवं अन्य महत्वपूर्ण कार्यों में समन्वय स्थापित करने व जिलाधीशों को ऐसे कठिन समय में एक वरिष्ठ अधिकारी द्वारा मार्ग-दर्शन दिये जाने की दृष्टि से ही यह पद सृजित हुआ। इस पद की ड्यूटीज संलग्न सूची में अंकित हैं।

(2) सीमा आयुक्त का पद 7-6-67 से मितव्ययिता को दृष्टि में रखते हुए कम कर दिया गया परन्तु इस पद का कार्य यथावत् जारी रखा गया व यह कार्य अध्यक्ष क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकारी के पद के साथ जोड़ दिया गया। इस पद को शीघ्र ही समाप्त करने का निर्णय ले लिया गया है। प्रशासनिक कारणों से अथवा किसी नई स्कीम को कार्यरूप देने हेतु नये पद सृजित होते हैं। किसी पद की आवश्यकता न रहने पर उसे समाप्त कर दिया जाता है।

(3) "डायरेक्टर इन्टेलिजेन्स" नाम का कोई पद अभी तक सृजित नहीं हुआ। यद्यपि "चीफ ऑफ इन्टेलिजैन्स" के नाम

(मुख्य मन्त्री)

से एक पद अभी 11-7-69 से सृजित हुआ है। राजस्थान के लम्बे व रेगिस्तानी बोर्डर जो पाकिस्तान की सीमा से लगा हुआ है, की सुरक्षा की दृष्टि से बोर्डर इन्टेलीजैन्स जो बड़ा महत्वपूर्ण विषय है, के लिये एक ऐसा पद कायम किया जाना जरूरी समझा गया।

डायरेक्टर पब्लिक एन्टर प्राइजेज के नाम से कोई पद नहीं है। यद्यपि "आयुक्त राजकीय उपक्रम विभाग" के नाम से एक पद है। शुरू शुरू में जबकि राज्य सरकार ने राजकीय उपक्रम हाथ में लिये तो यह जरूरी समझा गया कि इस विभाग के आयुक्त के पद पर एक वरिष्ठ अधिकारी का होना जरूरी है अतः यह पद आई.ए.एस. की सुपर टाइम स्केल में सृजित किया गया। समयानुसार जैसे ही इस विभाग में कार्य स्थिति सामान्यरूप से ठीक होगई वैसे ही आयुक्त के पद के खर्च को कम करके इसका सीनियर स्केल में परिवर्तन किया गया। अभी यह पद वापिस अपग्रेड नहीं किया गया।

POWERS AND FUNCTIONS OF THE BORDER COMMISSIONER

(Order No. F.1 (21) GA/I/Gr. II/65 dated 10-6-65)

1. Jurisdiction—Border districts of Jaisalmer, Barmer, Bikaner and Ganganagar with headquarters at Jodhpur.

2. Supervision over the general working of the police department and general law and order position in the 4 districts.

3. Incharge of Civil Defence programme within the border districts to be guided by the advice of the Advisor, Civil Defence.

4. Shall be a Programme Advisor to the Government for the planning implementation of the development activities in all the Panchayat Samities (16) touching the border:—

(i) will visit Panchayat Samiti every year to acquaint himself with the general development.

(ii) will review the departmental programme from time to time.

(iii) will call quarterly meetings of regional officers.

5. (i) will be expected to review the departmental programmes in respect of all such Panchayat Samities and convene

(मुख्य मन्त्री)

regional coordination meeting every six months.

(ii) Will be informed of all border problems that arise in respect of any department by the concerned authorities and his advice and guidance will be given due consideration.

6. General supervision over revenue officers including Collectors.

7. Will have right to visit any Collectorate, S. D. O's office or Tehsil office to ascertain that the activities referred to above are being properly conducted (will not be expected to carry out any routine inspection)

8. Shall have powers—

(i) to appoint revenue inspector and ministerial staff except Office Supe-rintendent substantively and Tehsildar, Nayab Tehsildar, Sadar Kanoongo and office Superintendent in an officiating capacity in the border districts.

(ii) to carry out inter-district transfers of the ministerial and revenue staff upto Tehsildars in the border districts.

9. Effective liaison with the military authorities, R.A.C. and the central customs agencies.

10. Right to inspection of R.A.C. Battalion and border out posts.

11. Will act as Liaison Officer of State Government in respect on voluntary agencies interested in investing money and making contribution for development of border districts.

12. Will submit six months report on border problems and activities to the Chief Secretary.

13. Will submit to the Government a statement every year in January about inspection and work done by officers over whom he is required to supervise.

14. Will initiate the character rolls of collectors and will also record his opinion about the work of the regional

(मुख्य मन्त्री)

level officers and all police officers of the rank of S. P. and above.

राष्ट्रपति शासन के दौरान राज्यपाल द्वारा दिये गये वक्तव्य

272. श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : क्या जन सम्पर्क मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राष्ट्रपति शासन के दौरान तत्कालीन राज्यपाल डा. सम्पूर्णानन्द ने कब कब पत्रकार सम्मेलन बुलाये अथवा पत्रकारों को किसी भी प्रकार के वक्तव्य दिये उन सबकी प्रेस विज्ञप्तियों की प्रतिलिपियां सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) क्या यह सही है कि डा. सम्पूर्णानन्द ने 30-31 मार्च, 67 को पत्रकारों से वार्तालाप करते हुए उन्होंने यह वक्तव्य दिया था कि गोलीकाण्ड जांच आयोग का प्रतिवेदन राज्य सरकार द्वारा ज्यों का त्यों स्वीकार कर लिया जायेगा और इस आशय की सूचना राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को भिजवा दी गई है ? यदि हां, तो यह वक्तव्य किस तारीख को दिया गया, कहां दिया गया, किनको दिया गया और वह किन किन अखबारों में छपा है ? इसकी प्रेस विज्ञप्ति की प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

(1) जनसम्पर्क विभाग के द्वारा राज्यपाल महोदय ने राष्ट्रपति शासन काल में कोई पत्रकार सम्मेलन नहीं बुलाया, इस विभाग द्वारा इस सम्बन्ध में कोई प्रेस विज्ञप्ति जारी नहीं की गई।

(2) राज्यपाल की प्रेस कांफ्रेंस के बारे में राज्य सरकार के पास कोई सूचना नहीं है और न इस बारे में कोई प्रेस विज्ञप्ति जन सम्पर्क विभाग द्वारा जारी की गई।

कनिष्ठ एवं वरिष्ठ लिपिकों की पदोन्नतियां

273. श्री नाथूराम (बागीडोरा सु.) : क्या मुख्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) कनिष्ठ लिपिक, वरिष्ठ लिपिक के स्थाईकरण, वरिष्ठता निर्धारण के सम्बन्ध में राज्य सरकार के क्या निर्देश हैं ? प्रति सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(2) क्या यह आवश्यक है कि फाइनल सीनियरिटी लिस्ट के पूर्व सभी कर्मचारियों की इन्टरलेस्ड सीनियरिटी लिस्ट कर्मचारियों में प्रसारित की जाय ? यदि हां, तो राज्यादेश की प्रति सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें। यदि नहीं, तो क्यों ?

(3) क्या यह भी सत्य है कि स्थायी वरिष्ठ लिपिक के पद पर नियुक्ति हेतु कोई सेवा अवधि, परीक्षा आदि का प्रतिबन्ध है ? यदि हां, तो क्या ?

(4) यदि कोई कनिष्ठ लिपिक क्रम (3) में बतायी गयी सेवा अवधि के पूर्व स्थानापन्न रूप से पदोन्नत हो जाता है तो उसका स्थायीकरण कब होगा व वरिष्ठता निर्धारण किस प्रकार होगी ? क्या सरकार के ध्यान में है कि कुछ विभागाध्यक्ष नियमों

(श्री नाथूराम)

में दी गई व्यवस्था का पालन नहीं कर रहे हैं ? यदि हां, तो इसकी रोक हेतु क्या प्रयत्न किये जा रहे हैं ?

उत्तर

(1) कनिष्ठ लिपिक, वरिष्ठ लिपिक के स्थाईकरण (Substantive appointment), वरिष्ठता निर्धारण करने का प्रावधान राजस्थान सचिवालय लिपिक वर्ग सेवा नियम, 1956 व राजस्थान अधीनस्थ कार्यालय लिपिक वर्ग सेवा नियम, 1957 में है। इन दोनों नियमों के सम्बन्धित नियम (राजस्थान सचिवालय लिपिक वर्ग नियम 1956 के नियम 7,25(3),26,27,28, 29,30 व 31) व (राजस्थान अधीनस्थ कार्यालय लिपिक वर्ग सेवा नियम 1957 के नियम 7 (बी) व (सी), 7 के परन्तुक (2) नियम 15,18,25,26 (3) 27,28 व 30,30 A) की प्रतिलिपियां सदन की मेज पर रख दी गई हैं।

(2) यदि किसी विभाग में भूतपूर्व अजमेर राज्य के कर्मचारियों का एकीकरण हुआ है तो States Re-organisation Act, 1956 के सम्बन्धित प्रावधान के अनुसार 1-11-56 के कर्मचारियों की इन्टरलेस्ड सीनियरिटी लिस्ट प्रकाशित करनी जरूरी है, ताकि सम्बन्धित व्यक्तियों को अपनी स्थिति मालूम हो जावे और यदि उनको ऐसी लिस्ट के विरुद्ध कुछ निवेदन करना हो तो वे निश्चित अवधि में कर सकें। तत्पश्चात ऐसी लिस्ट फाइनल की जाती है। सम्बन्धित आदेश की प्रतिलिपि सदन की मेज पर रख दी गई है।

(3) स्थायी वरिष्ठ लिपिक के पद पर पदोन्नति द्वारा नियुक्ति होने के लिये कनिष्ठ लिपिक के पद पर स्नातक हो तो तीन वर्ष अन्यथा यानि मैट्रिक्यूलेट हो तो 7 वर्ष की सेवा काल का होना राजस्थान अधीनस्थ कार्यालय लिपिक वर्ग सेवा नियम, 1957 के नियम 15(1) के अनुसार आवश्यक है। राजस्थान अधीनस्थ कार्यालय लिपिक वर्ग सेवा नियम के 29,30 व 30 ए नियमों में तथा राजस्थान सचिवालय लिपिक वर्ग सेवा नियम 1956 के सम्बन्धित नियम 25(3) में, के अनुसार कनिष्ठ लिपिक के पद पर कार्य करने वालों में से मेरिट तथा सीनियरटी कम मेरिट के आधार पर एक कमेटी द्वारा रिक्त वरिष्ठ लिपिक के पद के लिये चयन किया जाकर नियम संख्या 26,29 व 30 के अनुसार विभागीय परीक्षा प्रोबेशन काल में पास करने पर स्थायी नियुक्ति की जाती है।

(4) उपर्युक्त भाग तीन में बताई गई अवधि के बाद ही व्यक्ति को पदोन्नति द्वारा स्थायीकरण किया जा सकता है पहले नहीं। जो व्यक्ति सीधी नियुक्ति द्वारा (राजस्थान अधीनस्थ कार्यालय लिपिक वर्ग सेवा नियम, 1957 के नियम 7 (सी)) के अनुसार वरिष्ठ लिपिक नियुक्त होते हैं उनकी स्थाईकरण नियम 28,29 व 30 के अनुसार साल के प्रोबेशन के बाद किया जा सकता है। इसी प्रकार राजस्थान सचिवालय लिपिक वर्ग सेवा नियम के नियम 7 के अनुसार वरिष्ठ लिपिक की 1/3 भाग जो जे.डी.सी. पास शुदा व आयोग द्वारा संचालित Competitive Examination के पास शुदा व्यक्तियों से भरी जाती है उनका स्थायीकरण भी नियम 26,29 व 31 के

(मुख्य मंत्री)

अनुसार किया जाता है। वरिष्ठता निर्धारण, स्थायीकरण की तिथि से होगी सभी विभागाध्यक्षों को उपरोक्त नियमों के अनुसार कार्यवाही करना जरूरी है।

(सूची अधिक विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

नगरपालिकाओं के चुनाव कराने की अवधि

274. श्री वृद्धि चन्द्र जैन (बाड़मेर): क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या म्यूनिसिपल बोर्ड भंग होने पर या उसकी अवधि समाप्त होने पर उसके दुबारा चुनाव कराने के लिये कोई अवधि निर्धारित है ? अगर नहीं तो, क्यों ?

(2) क्या राजस्थान प्रान्त में ऐसे कई म्यूनिसिपल बोर्ड हैं जिनके कि चुनाव उनके भंग होने या अवधि समाप्त होने के बाद दो वर्ष तक नहीं हुए हैं ?

(3) क्या सरकार अवधि निर्धारित करने के लिये कोई म्यूनिसिपल एक्ट, 1959 में संशोधन करना चाहती है ? अगर नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी नहीं। राजस्थान नगरपालिका अधिनियम में ऐसा प्रावधान नहीं है।

(2) जी हां।

(3) अभी इस मामले पर कोई चिन्तन प्रारम्भ नहीं हुआ है।

विभागीय जांच आयुक्त के पास विचाराधीन मामले

275. श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर): क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) 1 अप्रेल सन् 65 से लेकर अब तक विभागीय जांच आयुक्त को किस 2 वर्ष में कितने 2 मामले जांच हेतु दिये गये और उनमें से कितने मामलों की जांच पूर्ण हुई ? अब किस-किस वर्ष के कितने-कितने मामलों में किन-किन अधिकारियों के विरुद्ध जांच हो रही है ?

(2) जिन मामलों की जांच में 1 वर्ष से अधिक का समय लगा है, उनके प्रत्येक के क्या-क्या कारण हैं ?

(3) ऐसे कितने मामले हैं जिन में विभागीय जांच आयुक्त के निर्णय को पूर्णतया स्वीकार नहीं किया गया ? प्रत्येक के कारणों सहित सरकार द्वारा अन्तिम रूप से की गई कार्यवाही का विवरण देते हुये तालिका प्रस्तुत करने का कष्ट करें।

उत्तर

(1) विवरण सदन की मेज पर रख दिया है।

(2) कारण साधारणतया एक से हैं जैसे:—

(1) गवाहों के सम्मन डिस्ट्रिक्ट जजी से समय पर तामील होकर नहीं आना,

(मुख्य मंत्री)

(2) गवाहों का तारीख पेशी पर उपस्थित नहीं होना;

(3) जांच अधिकारी या अपचारी अधिकारी का स्थानान्तरण हो जाना,

(4) वांछित अभिलेख का न्यायालय में होना अथवा भ्रष्टाचार निरोधक विभाग से या महालेखाकार राजस्थान से समय पर प्राप्त नहीं होना।

(3) छः मामले हैं।

विवरण सदन की मेज पर रख दिया है।

(सूची अधिक विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रख दी गई)

सहकारी प्रसार अधिकारी सिकराय के विरुद्ध शिकायतें

276. श्री दुर्गालाल याददार (हवा-महल, जयपुर) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि श्री रामजीलाल मीणा सहकारी प्रसार अधिकारी सिकराय के विरुद्ध पंचायत समिति सिकराय की साधारण सभा दिनांक 28-12-68 में राजनीति में भाग लिए जाने का गंभीर आरोप लगाते हुए उसके स्थानान्तर किये जाने की मांग की है ?

(2) यदि हां, तो उसमें अब तक सहकारी विभाग ने क्या गति दिखलाई है ?

(3) क्या यह भी सही है कि उक्त कर्मचारी ने टोरड़ा ग्राम सेवा सहकारी समिति के चुनाव में अनियमितता अपनाई और उसकी शिकायत जनता द्वारा की गई ?

(4) क्या यह भी सही है कि चुनाव में गड़बड़ी करने की आशंका से सहायक रजिस्ट्रार जयपुर ने टोरड़ा में इस कर्मचारी की गतिविधियों की जांच हेतु पर्यवेक्षक रखा और तभी चुनाव सम्पन्न हो सके ?

(5) क्या यह भी सही है कि उक्त कर्मचारी ने दिनांक 31-12-68 को सहकारी सदस्यों की बैठक टोरड़ा ग्राम में की और वहां के सरपंच श्री नारायण दास के पक्ष में वोट देने का प्रचार उक्त कर्मचारी ने किया ?

(6) क्या सरकारी उक्त कर्मचारी का स्थानान्तरण करने पर कोई विचार कर रही है ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) इसके बारे में सहायक रजिस्ट्रार सहकारी समितियां, जयपुर द्वारा जांच कराई गई। जांच रिपोर्ट दिनांक 26-7-69 को प्राप्त हो गई है तथा श्रीरामजीलाल का स्थानान्तरण सिकराय से दिनांक 18-8-69 को किया जा चुका है।

(3) जी नहीं। चुनाव से पूर्व अवश्य टोरड़ा ग्राम सेवा सहकारी समिति के सदस्यों से प्रधान पंचायत समिति, सिकराय के द्वारा शिकायती-प्रार्थना पत्र प्राप्त हुआ था, जिस पर सहायक रजिस्ट्रार, जयपुर द्वारा सामयिक कार्यवाही कर ली गई थी।

(4) गतिविधियों की जांच के लिये तो नहीं किन्तु मीटिंग में उपस्थिति होने के लिये

(सहकारिता मंत्री)

अवश्य राजस्थान सहकारी संस्था नियम 1966 के अनुसार सहायक रजिस्ट्रार, जयपुर द्वारा एक निरीक्षक को आदेश दिये गये थे।

(5) विभाग को इस प्रकार की कोई सूचना अथवा कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई।

(6) श्रीरामजी लाल मीणा, सहकारी प्रसार अधिकारी, सिंकराय का स्थानान्तरण दिनांक 18-8-69 को दिया जा चुका है।

ग्राम भुमा छोटा थाना लक्ष्मणगढ़ में डकैती का मामला

277. **श्री नथमल चौहला** (लक्ष्मणगढ़ सु.) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या सरकार को विदित है कि ग्राम भुमा छोटा थाना लक्ष्मणगढ़, जिला सीकर में दिनांक 19-10-68 को एक बोरी चीनी की बिक्री की हुई रकम की डकैती हुई थी जिसकी रिपोर्ट पुलिस थाना लक्ष्मणगढ़ में हो चुकी थी ?

(2) क्या यह सही है कि गोरू राम व वार्ड पंच श्री लादूराम विक्रेता चीनी दोनों को नग्न करके डकैतों ने पिटाई की ?

(3) क्या यह सही है कि इन डाकुओं के पास एक रिवाल्वर व बन्दूक बिना लाईसेन्स थी ?

(4) क्या यह सही है कि इन डाकुओं में से एक व्यक्ति ने अपने कुबीडों के गोली मारकर पुलिस से मिलकर ताजीरात हिन्द दफा 307 का मुकद्दमा मुस्तगीस के खिलाफ दर्ज करवाया ?

(5) क्या यह सही है कि पुलिस द्वारा इस मुकद्मे में कोई कार्यवाही नहीं की गई तथा मुल्जमान को बचाने व मुस्तगीस को फंसाने की कार्यवाही की जा रही है ? यदि यह सही है तो क्यों ?

उत्तर

(1) यह सत्य है कि दिनांक 20-10-68 को श्री गोरूराम ब्राह्मण साकिन भुमा छोटा की दरख्वास्त बाबत छीन ले जाने की एक बोरी चीनी बिक्री शक्कर की रकम व किरच पेश होने पर मु. नं० 40 दिनांक 20-10-68 धारा 395/323 ता० हि० थाना लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर खिलाफ गोरूराम जाट वगैरा सा० भुमा छोटा के दर्ज हुआ जिसकी तफतीश जारी है।

(2) यह सत्य नहीं है कि नग्न कर पिटाई की गई बल्कि दोनों पार्टीज के आपस में थापे मुक्का हुवे तथा गोरूराम ब्राह्मण से नग्न किरच दल्लाराम जाट (भाई गोरूराम जाट) ने छीन कर पुलिस में रिपोर्ट की। इतला अव्वल में श्री गोरूराम ब्राह्मण ने नग्न करने का हाल नहीं लिखा, बल्कि थापा मुक्का देना लिखा है।

(3) यह सत्य नहीं है तथा मुस्तगीस ने भी इतला अव्वल में बिना लाईसेन्स बंदूक, रिवाल्वर का मुलजिमान के पास होना का दर्ज नहीं किया।

(4) मुलजिमान मु० नं० 40 सन् 68 थाना लक्ष्मणगढ़ ने मुस्तगीस गोरूराम ब्राह्मण सा० भुमा छोटा तथा उसको पार्टी के विरुद्ध मु० नं० 42/68 तारीख 21-10-68 धारा 307/147/150 ता० हि० (गोरूराम ब्राह्मण लादूराम जाट कुल 24

(गृह मंत्री)

मुलजिमान के) दर्ज कराया है। तफतीश जारी है जब तक मुकम्मिल तफतीश न हो जाय निश्चयात्मक रूप से नहीं कहा जा सकता है कि घटना वास्तव में सही है या बनाई हुई हैं।

(5) यह सत्य नहीं है कि तफतीश मुकद्दमा करीब करीब पूर्ण हो चुकी है नतीजा शीघ्र पेश किया जावेगा।

पत्रकारों को सुविधाएं

278. (10 पर्यटन नं) श्री देवीदत्त गाड़िया (बारां) : क्या जन सम्पर्क मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जयपुर में अब तक किस किस संपादक व संवाददाता पत्रकार को किन नियमों के अन्तर्गत मकान बनाने के लिये कितने प्लाट्स दिये और किस किस के प्रार्थना-पत्र कितने समय से अभी तक विचाराधीन पड़े हुए हैं और किन कारणों से पड़े हुए हैं ? सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(2) क्या यह सही है कि आर. डी. गुप्ता नामक व्यक्ति को भी प्लाट दिया गया ? यदि हां, तो किस आधार पर ?

(3) क्या सरकार ने पत्रकारों को मकान बनाने के लिए सरकारी ऋण देने का निर्णय भी किया था ? यदि हां, तो किस किस को कितना कितना रुपया दिया ?

(4) क्या राज्य सरकार ने पत्रकारों को अन्य प्रकार की सुविधाएं देने का भी निर्णय किया है ? यदि हां, तो क्या क्या ?

(5) क्या सरकार ने अन्य राज्यों की सरकारों द्वारा पत्रकारों को दी जाने वाली सुविधाओं के बारे में जानकारी प्राप्त की है ? यदि हां, तो अन्य राज्य की सरकारें क्या क्या सुविधाएं दे रही हैं ? क्या सरकार अन्य प्रान्तों की तरह पत्रकारों को सुविधा देने का विचार कर रही हैं ?

उत्तर

(1) भवन निर्माण हेतु भूखण्ड नगर विकास न्यास द्वारा आवंटित किये जाते हैं। किन किन पत्रकारों को भूखण्ड आवंटित किये गये हैं तथा किन किन पत्रकारों के आवेदन विचाराधीन हैं उनकी सूची नगर विकास न्यास में उपलब्ध है। जिन पत्रकारों को भू-खण्ड देने की सिफारिश अधिस्वीकरण समिति के नियमानुसार की गई थी उनकी परिशिष्ट 'क' पर हैं।

(2) श्री आर० डी० गुप्ता को संपादक, माहवार नवजीवन के रूप में दिनांक 4 मार्च 1968 को हुई, अधिस्वीकरण समिति की बैठक में मान्यता दी गई थी और इसी आधार पर दिनांक 2, जुलाई 68 को हुई बैठक में इन्हें भू-खण्ड आवंटित करने की सिफारिश अवश्य की गई थी। इन्हें प्लाट मिला या नहीं इसकी जानकारी इस विभाग को नहीं हैं।

(3) पत्रकारों को भी भवन निर्माण के लिए उसी प्रकार ऋण प्राप्त है जिस प्रकार अन्य नागरिकों को मिलता है।

(4) केवल अधिस्वीकृत पत्रकारों को कुछ सुविधाओं देने का प्रावधान है। सुविधाओं के अन्तर्गत रियायती दर पर रेल्वे यात्रा, विशेष समारोहों तथा आयोजनों के निमंत्रण पत्र

(जनसम्पर्क मंत्री)

तथा विशिष्ठ अतिथियों के आगमन पर सुरक्षा पास देने की व्यवस्था है।

(5) राज्य सरकार ने अन्य राज्यों की सरकारों से पत्र-व्यवहार किया है। केवल चार ही राज्यों की सूचना प्राप्त हुई है जिनमें भी प्राय: वहां पर भी दी जाने वाली सुविधाएं ही दी गई हैं। अन्य राज्यों की सूचना प्राप्त नहीं हुई है।

(सूची अधिक विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

नगर परिषद् जयपुर में विशेष अधिकारियों की नियुक्ति

279. श्री रामकिशन (बैर): क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) जयपुर नगर परिषद् में कुल कितने विशेष अधिकारी कार्य कर रहे हैं? इन विशेष अधिकारियों की नियुक्ति क्या नगर परिषद् के प्रशासक द्वारा चाही गई थी?

(2) विशेषाधिकारियों को नगर परिषद् कितना वेतन, भत्ता आदि चुकाती है।

उत्तर

(1) दो। जी नहीं।

(2) 1533) रुपया प्रतिमाह।

भूतपूर्व एडीशनल मुन्सिफ मजिस्ट्रेट बीकानेर के विरुद्ध मामले

280. (671 म.सं.) श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर): क्या मुख्य मंत्री यह बताने का कष्ट करेंगे:—

(1) बीकानेर के भूतपूर्व एडीशनल मुन्सिफ मजिस्ट्रेट श्री पी.सी. सिंघवी ने उक्त पद पर कब से कब तक कार्य किया?

(2) उक्त श्री सिंघवी के विरुद्ध क्या कोई ज्ञापन उन्हें पेश किये गये? यदि हां, तो उसकी प्रति संदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(3) उक्त ज्ञापनों पर राज्य सरकार द्वारा अब तक क्या कार्यवाही की गई?

(4) क्या यह सही है कि राज्य सरकार के यह बात ध्यान में लाई गई है कि श्री सिंघवी ने काबिल जमानतें मुकदमों के बिला जमानती वारन्ट जारी कर दिये? यदि हां, तो ऐसा कितने मुकदमों में हुआ और ऐसा करना एक ज्युडिशियल या अन्य मजिस्ट्रेट के लिये कहां तक उचित है व शोभनीय है?

(5) क्या राज्य सरकार के पास कानून के गैर कानूनी प्रयोग करने वाले मजिस्ट्रेटों को सजा देने या दण्ड देने की कोई प्रक्रिया या व्यवस्था है? यदि हां, तो क्या?

(6) क्या राज्य सरकार की यह जानकारी में है कि श्री सिंघवी के खिलाफ राजस्थान हाईकोर्ट में भी बीकानेर के कुछ वकीलों ने शिकायत की थी और उस शिकायत पर उनका ट्रान्सफर हाईकोर्ट ने फलौदी कर दिया और उनके विरुद्ध प्राथमिक जांच के लिये जिला न्यायाधीश को मुकर्रर किया?

(7) क्या यह सही है कि उक्त जांच के दौरान श्री सिंघवी ने उक्त ट्रान्सफर के

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

आदेश को क्रियान्वित नहीं किया और अपने आपको ज्युडिशियरी से मुक्त करवा लिया और पुनः राज्य सरकार के प्रशासन विभाग के तहत अपनी सेवा का तबादला करा लिया ? यदि हां, तो क्या इसमें राज्य सरकार की भी कोई स्वीकृति थी ? यदि हां, तो क्या राज्य सरकार की राय में हाईकोर्ट द्वारा की जा रही जांच के दौरान इस प्रकार के परिवर्तन का सेवाओं की नैतिकता पर बुरा प्रभाव नहीं पड़ता व ऐसे परिवर्तन से जांच पर भी प्रतिकूल असर नहीं पड़ता ?

(8) क्या राज्य सरकार, हाईकोर्ट द्वारा श्री सिंघवी को बीकानेर में शिकायतों के आधार पर जांच प्रभावित न हो, इस उद्देश्य से फलौदी भेजा गया, उस जांच के दौरान बीकानेर में पुनः बिक्री कर अधिकारी रखने के कोई युक्तिसंगत कारण बता सकती है ? यदि नहीं, तो किनके प्रभाव व दबाव से उन्हें बीकानेर रखा जा रहा है ।

(9) क्या यह सही है कि श्री सिंघवी को बीकानेर में बिक्री कर अधिकारी रखने के लिये श्री शर्मा को जो बिक्री कर अधिकारी थे व जिनकी पत्नी भी बीकानेर में सरकारी सेवा में डाक्टर थीं, को बिना किसी अन्य कारण के तुरन्त हटाया जाकर पति पत्नी को यथासंभव एक साथ रखने के सरकारी नियम की अवहेलना की गई ?

उत्तर

1. श्री पी. सी. सिंघवी अतिरिक्त मुंसिफ मजिस्ट्रेट बीकानेर के पद पर माह सितम्बर 1963 से अक्टूबर 1967 तक रहे जो ज्ञापन प्राप्त हुआ उसकी प्रति सदन की मेज पर रखवादी गई है ।

2. इस सम्बन्ध में निबन्धक, राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर से पत्र व्यवहार किया । उत्तर में प्राप्त हुए निबन्धक के पत्र दिनांक 11 मार्च 68 की प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखवादी गई है । इस विभाग के ध्यान में ऐसे कोई मामले नहीं लाए गये हैं ।

3. सी.सी.ए. रूल्स के अन्तर्गत विभागीय जांच के अतिरिक्त मजिस्ट्रेटों को सजा देने की कोई विशिष्ट प्रक्रिया या व्यवस्था नहीं है । आइटम 4 के संबंध में दिये गये उत्तर के आधार पर विभागीय जांच करने का प्रश्न नहीं उठता ।

4. राजस्थान हाईकोर्ट ने श्री सिंघवी का स्थानान्तरण बीकानेर से फलौदी किन कारणों से किया राज्य सरकार को मालूम नहीं है ।

5. यह सही है कि श्री सिंघवी के विरुद्ध प्राथमिक जांच के लिए जिला न्यायाधीश बीकानेर को राजस्थान उच्च न्यायालय ने मुकर्रर किया था ।

6. श्री सिंघवी के बीकानेर से फलौदी स्थानान्तरण किये जाने की कोई सूचना राज्य सरकार को नहीं थी । श्री सिंघवी को जब राजस्थान उच्च न्यायालय ने ज्युडिशियल सेवा से कार्यमुक्त कर दिया तब उन्हें आर. ए. एस. पद पर आज्ञा दिनांक 31-10-67 द्वारा पद स्थापित कर दिया ।

7. श्री सिंघवी के स्थानान्तरण से प्राथमिक जांच पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा हो, राज्य सरकार को जानकारी नहीं है ।

8. श्री सिंघवी के बीकानेर से फलौदी स्थानान्तरण के कारणों के सम्बन्ध में राज्य

उत्तर

सरकार को कोई जानकारी नहीं थी। श्री सिंघवी को बीकानेर में वाणिज्य कर अधिकारी प्रशासनिक कारणों पर पद स्थापित किया गया।

9. इस सम्बन्ध में किसी नियम की अवहेलना नहीं हुई।

(सूची अधिक विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में मंजूर राष्ट्रीय मार्ग

281. **श्री रामप्रसाद बोहरा** (झालरापाटन) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राजस्थान में चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में नेशनल हाई वे (राष्ट्रीय मार्ग) कितने मंजूर किये गये हैं और वे कहां कहां से निकाले जावेंगे ?

(2) क्या झालावाड़, रीछवा, भालना आसलपुर, होकर ब्यावर को मिलाने के लिए राष्ट्रीय मार्ग की स्वीकृति पहले दी जा चुकी है ? यदि हां, तो इस सड़क का कार्य कब चालू होने की सम्भावना है ?

उत्तर

(1) नया राष्ट्रीय मार्ग चतुर्थ योजना में स्वीकार नहीं हुआ है।

(2) जी नहीं, प्रश्न नहीं उठता।

नगरपरिषद् अजमेर के भूतपूर्व प्रशासक के विरुद्ध शिकायतें

282. **श्री परसराम गंगाराम** (परबतसर सु.) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) अजमेर नगर परिषद् के भूतपूर्व प्रशासक के खिलाफ क्या क्या चार्जेज व कितनी शिकायतें हैं ? विवरण सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) क्या यह सही है कि भूतपूर्व प्रशासक के पड़ाव में जो दुकानें बनी हुई हैं उनको व्यापारियों को न देकर अन्य लोगों को दुकानें व गोदाम एलॉट कर दिये हैं ? यदि हां, तो किस किस को ? उनके नाम व पतों की सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

(1) अजमेर नगरपरिषद् के भूतपूर्व प्रशासक के विरुद्ध प्राप्त सभी शिकायतें सतर्कता आयोग को जांच हेतु भिजवाई गई हैं।

अतः शिकायतों का विवरण सदन की मेज पर रखा जाना संभव नहीं है।

(2) जी नहीं। केवल दुकान कम-गोदाम नं० 1 व 2 मेसर्स ओसवाल ट्रेडर्स व मेसर्स सुगनचन्द नौरतनमल को अलॉट की गई थी जिनके आवंटन को रद्द करने के लिए विभाग से लिखा जा चुका है। अतः सूची सदन की मेज पर रखने का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है।

तहसील बूंदी में भूमि का बेचान

283. **श्री कृष्णकुमार गोयल** (कोटा): क्या उपनिवेशन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) जिला बूंदी की तहसील बूंदी में सन् 1968 में कितनी भूमि किन किन

Page No 208

(श्री कृष्ण कुमार गोयल)

व्यक्तियों को बेचान की गई है ? कृपया सूची प्रस्तुत करने का कष्ट करें ।

(2) क्या यह सही है कि इन भूमि के बेचान पर ग्राम वासियों की ओर से आपत्ति प्रस्तुत की गई है ? अगर हां तो उस पर क्या कार्यवाही की गई ?

उत्तर

(1) जिला बूंदी तहसील बूंदी में सन् 1968 में 62 व्यक्तियों को 1025½) 3 बीघा भूमि बेचान की गई है ।

(सूची संलग्न है)

(2) जी हां, ग्रामवासियों की आपत्तियों को अधिकांश रूप में नीलामी के समय तहसीलदार द्वारा तथा इसके पश्चात् नियमानुसार उज्रदारियां सुनी जाकर नीलामी की स्वीकृति से पूर्व जिलाधीश (उपनिवेशन) द्वारा निर्वर्तित कर दिया गया है ।

(सूची अधिक विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

सेवा निवृत्त राजपत्रित अधिकारी

284. श्री दिग्विजयसिंह (उनियारा): क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राज्य सरकार के निर्णय के अनुसार अब तक 55 वर्ष वाले कितने व्यक्तियों को रिटायर किया गया है और उसमें राजपत्रित अधिकारी कितने हैं ?

(2) उक्त निर्णय लेने के पश्चात् ऐसे कितने राजपत्रित अधिकारी थे जिनको सेवा से निवृत्त नहीं करके एक्सटेन्शन दिया गया ?

(3) जिनको सेवा निवृत्त कर दिया गया है क्या उनके पेन्शन केसेज तय कर दिये गये हैं यदि नहीं, तो कब तक पूर्ण हो जायेंगे ?

(4) क्या सरकार ने इनको कोई इन्टरिम ग्रान्ट्स दी हैं ? यदि हां, तो कितनी ? यदि नहीं, तो क्यों नहीं दी है ?

उत्तर

(1) अभी तक प्राप्त सूचना जो कि दिनांक 1-7-68 तक के समय की है के आधार पर सन् 1967-68 में लगभग 3065 व्यक्ति सेवा निवृत्त हुए जिनमें राजपत्रित अधिकारी 342 थे ।

(2) मेडीकल व शिक्षा विभाग के कतिपय केटेगरीज के कर्मचारियों के अतिरिक्त जिनकी 55 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने के पश्चात् भी 58 वर्ष तक सेवा काल में वृद्धि उस विभाग की सहमति से की जा सकती है, के अतिरिक्त किसी को एक्सटेन्शन नहीं दिया गया ।

(3) सन् 1967-68 में लगभग 2154 मामलों में पेन्शन तय हो चुकी थी एवं 730 केसेज दिनांक 1–7–68 तक शेष थे ।

(4) राजस्थान सेवा नियम 1951 के नियम 296 के अनुसार सेवा निवृत्त अधिकारियों को जिनकी पेन्शन पूर्ण रूप से सेवा निवृत्ति की तारीख तक व इसके तुरन्त बाद Asses न हो जाय Anticipatory Pension दिलाने का प्रावधान है न कि इन्टेरिम ग्रांट का । अतः इस प्रावधान के अनुसार वित्त (नियम) विभाग के आदेश

(मुख्य मंत्री)

दिनांक 13-6-67 के द्वारा कि जिसके अनुसार सर्व प्रथम 55 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर सेवा निवृत्ति के आदेश जारी किये गये थे इस प्रकार के मामलों में Anticipatory Pension दिलाने की प्रक्रिया को और भी सरल कर दिया गया। मौजूदा आज्ञाओं (एक)1 (52) एफ डी (एक्स) (रूल्स) 65 दिनांक 29-1-67 एवं 20-4-68 के अन्तर्गत कार्यालय अध्यक्ष अराजपत्रित अधिकारियों को Anticipatory Pension स्वीकृत करने के अधिकारी हैं इसी प्रकार राजपत्रित अधिकारियों को Anticipatory Pension महालेखाकार की Authority के प्राप्त होने पर की जाती हैं। कुल संख्या कि जिनको Anticipatory Pension मिल गई है, वह सूचना जो प्रश्न में चाही गई है उसको एकत्रित करने में पर्याप्त समय लगेगा।

तखतगढ़ जल प्रदाय योजना

285. श्री फूलचन्द बाफणा (सुमेरपुर) : क्या जल प्रदाय योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि जलप्रदाय योजना, तखतगढ़ जिला पाली के विषय में जनता की शिकायतों को लेकर जलप्रदाय विभाग पाली के अधिशासी अभियन्ता और फालना, जिला पाली के सहायक अभियन्ता ने दिनांक 20-2-69 को तखतगढ़ में मौके पर जांच की थी और जनता की शिकायतों को सही पाया था ? जांच रिपोर्ट सदन के पटल पर रखी जावे व यह बताया जावे कि सही पाई गई शिकायतों के बारे में क्या क्या कार्यवाही की गई ?

(2) क्या तखतगढ़ की जल-प्रदाय योजना को स्थानीय ग्राम पंचायत को सौंपने की आज्ञा हो चुकी है और सौंपी जा चुकी है ?

उत्तर

(1) जी हां, यह सही है कि दिनांक 20-2-69 को अधिशासी अभियंता, जलदाय विभाग, पाली ने अपने निरीक्षण के दौरान में जनता की शिकायतों के बारे में पूछताछ की व जनता से बातचीत भी की। बहुत सी शिकायतों का हल मौके पर ही कर दिया गया। दोषी कर्मचारियों के खिलाफ रेगूलर इनक्वारी की गई उसको नियमानुसार नोटिस दे दिया गया है। प्रशासकीय कार्यवाही पूरी होने पर उपयुक्त दण्ड दिया जावेगा। जांच की रिपोर्ट संलग्न हैं।

(2) योजना को सौंपने के आदेश राज्य सरकार द्वारा जारी हो चुके हैं सहायक अभियंता जलदाय उपखण्ड फालना को जल योजना तखतगढ़ की पंचायत तखतगढ़ को सौंप देने के आदेश दे दिये गये हैं। सौंपने की कार्यवाही जारी है।

राजस्थान सरकार

कार्यालय सहायक अभियन्ता, जलदाय उप खण्ड फालना

प्रारूप आरोप-पत्र

आरोप-पत्र नं०:— 1	जांच रिपोर्ट:—
श्री जीवराज पम्प चालक, तृतीय जलदाय योजना, तखतगढ़ ने निष्पादन अभियन्ता, या अधिदर्शक की पूर्व आज्ञा के बिना ही श्री नगर भूरमल सुरतीमाजी कुचारा मुधा गली, तखतगढ़ के नाम में फिटिंग की जो कि वर्कचार्ज सेवा के विरुद्ध है।	1. सही पाया गया।
आरोप-पत्र नं०:— 2	
श्री जीवराज पंप चालक, तृतीय जलदाय योजना, तखतगढ़ ने अधिदर्शक या निष्पादन अभियन्ता की आज्ञा के बिना ही दिनांक 21-6-68 को जो नगर भूरमल सुरतीमाजी के नाम में विभागीय मेन से जल सम्बन्ध कर दिया जो कि वर्कचार्ज नियमों के अनुसार गंभीर आरोप है।	2. सही पाया गया।
आरोप-पत्र नं०:—3	
दिनांक 21-6-68 को उपरोक्त जल संबंध कर देने के बाद श्री जीवराज ने अधिदर्शक कार्यालय में सूचना नहीं दी। इससे प्रतीत होता है कि श्री जीवराज ने अनुचित लाभ उठाने के लिए ऐसा गलत कार्य किया।	3. सही पाया गया।

कस्बा सुजानगढ़ में सिनेमा बनाने की इजाजत

286. श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सत्य है कि कस्बा सुजानगढ़, जिला चूरू में सिनेमा हाल बनाने के लिये जिलाधीश, चूरू द्वारा दी गई इजाजत के खिलाफ सरकार के पास कोई ऐतराज पेश किया है ? यदि हां, तो किसने क्या ऐतराज पेश किया है और उस पर सरकार ने क्या कार्यवाही की ?

(2) सिनेमा हाल बनाने के लिए दी जाने वाली इजाजत के सम्बन्ध में कोई नियम बना रखे हों तो उनकी प्रति सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

(3) इस प्रकार की इजाजत देने में क्या प्रक्रिया अपनाई जाती है ?

(4) क्या यह भी सत्य है कि उक्त जगह पर लड़कियों का स्कूल व छात्रावास है और इसी बात का शिकायत स्थानीय जनता ने की है ? यदि हां, तो इस जगह पर सिनेमा हाल बनाना सरकार क्यों उचित समझती है ?

उत्तर

1. जी हां, सुजानगढ़ निवासी श्री सूरजमल कनोई तथा सोनादेवी सेठिया बालिका महाविद्यालय, सुजानगढ़ की अध्यक्षा ने जिलाधीश द्वारा सिनेमा भवन निर्माण हेतु दिये गये "आपत्ति नहीं Noc प्रमाण पत्र" के विरुद्ध सरकार को अपील प्रस्तुत की है। अपील में निम्नलिखित ऐतराज किये गये हैं:–

(1) सिनेमा भवन की प्रस्तावित इमारत से एक फर्लांग की दूरी में सोनादेवी सेठिया गर्ल्स कॉलेज का छात्रावास है ।

(2) सुजानगढ़ हाई स्कूल का छात्रावास उक्त प्रस्तावित इमारत से 400 फीट की दूरी पर है ।

(3) प्रस्तावित सिनेमा की भूमि घनी आबादी वाले रिहायशी मकानात के समीप है ।

(4) प्रस्तावित सिनेमा भवन से एक फर्लांग की दूरी में कई एक मन्दिर व धार्मिक संस्थाऐं हैं। इन अपीलों की सुनवाई सरकार के विचाराधीन है ।

2. सिनेमा भवन के निर्माण संबंधी कार्यवाही राजस्थान सिनेमा रेगुलेशन रूल्स 1959 की धारा 16 के अन्तर्गत की जाती है यह गजट में शाया हो चुके हैं ।

3. सिनेमा भवन निर्माण संबंधी "आपत्ति नहीं Noc प्रमाण-पत्र" दिये जाने से पूर्व जिलाधीश को सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, उप खण्ड अधिकारी तथा अध्यक्ष नगर पालिका की सम्मति प्राप्त करनी होती है ।

4. प्रस्तावित सिनेमा भवन के निकट महाविद्यालय के छात्रावास होने की शिकायत कुछ व्यक्तियों ने की है । अपील पर सुनवाई के समय सब प्रकार के ऐतराज की सत्यता का निश्चय करने के बाद ही सरकार द्वारा निर्णय दिया जावेगा । फिलहाल विचाराधीन अपील के लिए कुछ नहीं कहा जा सकता है ।

The Rajasthan Cinemas Regulation Rules, 1959.

Part III

Permanent Buildings

16. *Situation*—(1) No permanent building except that already licensed at the commencement of these rules shall be licensed for cinematograph exhibitions if it is situated:—

Within a radius of one furlong from—

(*i*) any residential institution attached to a recognised educational institution such as a college, a high school or girls schools; or

(*ii*) a public hospital with a large indoor patient Ward; or

(*iii*) an orphanage containing one hundred or more inmates, or

(*b*) in any thickly populated residential area which is either exclusively residential or reserved or used generally for residential as distinguished from business purposes.

(2) For the purpose of this rule, the Licensing Authority shall, subject to the general control of the State Govt. determine what is a hospital a recognised educational institution, a large indoor patient ward or a thickly populated residential area, and his decision shall be final and conclusive:

Provided that the Licensing Authority may for sufficient reasons and with the prior approval of the State Govt. relax this rule or any part thereof in any case and specially in the case of cinemas already completed or nearing completion prior to the commencement of these rules;

Provided further that in relaxing this rule or any part thereof the State Govt. shall take into consideration the nature of the proposed building and whether or not it is sound proof or is within a radius of 50 feet from any petrol pump or any shop or store dealing in highly combustible material or is air conditioned.

अधीक्षक के विरुद्ध शिकायतें

287. श्री गंगासहाय कोली (कठूमर सु.) : क्या मुद्रण एवं लेखन सामग्री मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि श्री करणराज बोहरा अधीक्षक, राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर के विरुद्ध एन्टीकरप्शन डिपार्टमेन्ट राजस्थान, जयपुर ने 1964 में जांच की व अपनी रिपोर्ट उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही हेतु स्पेशल सेक्रेटरी, नियुक्ति विभाग, राजस्थान, जयपुर को भेजदी थी ?

(2) यदि हां, तो उक्त रिपोर्ट पर राज्य सरकार ने क्या कार्यवाही की ?

(3) क्या यह सही है कि श्री करणराज बोहरा को अधीक्षक पद के लिये डिपार्टमेन्टल प्रमोशन कमेटी ने जुलाई, 1966 में अयोग्य घोषित कर दिया था ?

(4) यदि हां, तो वे अभी तक अधीक्षक पद पर किस नियमानुसार कार्य कर रहे हैं ?

(5) क्या यह सही है कि श्री ओंकारसिंह तात्कालीन निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग, राजस्थान जयपुर, ने श्री करणराज बोहरा के सम्बन्ध में राज्य सरकार को जानकारी देते हुए इन्टीग्रिटी सर्टिफिकेट्स वापिस ले लिये थे ?

(6) क्या यह सही है कि श्री करणराज बोहरा के विरुद्ध एन्टीकरप्शन डिपार्टमेंट की रिपोर्ट पर कोई कार्यवाही नहीं की गई है और उन्हें उच्च पद पर ही लगा रखा है ?

(7) क्या यह सही है कि राजस्थान में राष्ट्रपति शासन के समय राज्यपाल के सलाहकार ने अप्रेल, 1967 में श्री करणराज बोहरा, अधीक्षक की सहायक अधीक्षक के पद पर नियुक्ति कर दी थी ?

(8) यदि हां, तो उन्हें अब तक अधीक्षक पद पर क्यों रखा जा रहा है ?

(9) क्या यह सही है कि श्री करणराज बोहरा अधीक्षक के विरुद्ध कार्य न करने, भ्रष्टाचार, अनियमिततायें, राज्य को हानि पहुंचाने आदि की रिपोर्ट निदेशकों द्वारा गत 4-5 वर्षों से राज्य सरकार को भेजी जा रही है ?

(10) यदि हां, तो इनके विरुद्ध राज्य सरकार ने अब तक अनुशासनात्मक कार्यवाही करके राज्य सेवा से पृथक् क्यों नहीं किया गया ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) उनको दिनांक 4-9-67 को चार्जशीट दी जा चुकी है।

(3) जी हां।

(4) इस वक्त वे अधीक्षक पद पर कार्य नहीं कर रहे हैं।

(5) जी हां।

(6) जी नहीं।

(7) जी नहीं।

(8) प्रश्न ही नहीं उठता।

(मुद्रण एवं लेखन सामग्री मंत्री)

(9) जी हां। यह सही है कि श्री बोहरा के विरुद्ध कार्य न करने, पत्रों के उत्तर समयानुसार न देने एवं अनियमिततायें आदि की रिपोर्ट निदेशालय द्वारा गत वर्षों से राज्य सरकार को प्राप्त हो रही थी।

(10) श्री बोहरा को superannuation की तिथि से पूर्व compulsorily retire कर दिया गया है। चार्जशीट व उस जांच की कार्यवाही अलग से जारी है।

शियरिंग शैड, छापर

288. श्री रावतराम (छापर सु०): क्या पशुपालन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) शियरिंग शैड छापर (जिला चूरू) के लिये मशीनरी कब आई और क्या उक्त मशीनरी से कार्य चालू कर दिया गया है? यदि हां, तो कब से?

(2) क्या शियरिंग शैड छापर को बिजली का कनेक्शन मिल गया है? यदि हां, तो कब से और नहीं तो, क्या कारण है?

उत्तर

1. ऊन उत्पन्न केन्द्र, छापर के लिए कोई अलग से मशीनरी नहीं आई। सन् 1965 में छापर केन्द्र पर प्रशिक्षण हेतु पैट्रोल से चलने वाली मशीनें लगाई गई थीं जिनका कि कार्य 1967 तक चलता रहा।

2. जी नहीं। कनेक्शन अभी इसलिए नहीं दिया गया कि विद्युत विभाग ने इसके लिए रुपये [illegible] का व्यय का अनुमान दिया है। अतः एक केन्द्र के विद्युतिकरण के लिए इतना व्यय करना उचित नहीं समझा गया।

जोधपुर में गृह-कर की वसूली

289. श्री ओमदत्त भाटी (सरदारपुरा): क्या स्वायत्त शासन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या सरकार की जानकारी में है कि जोधपुर नगर परिषद् के प्रशासक महोदय द्वारा वर्ष 1962 से 1968 तक की गृह-कर की वसूली के नोटिस जारी किये गये थे और इस कारण जोधपुर के नागरिकों में भयंकर असन्तोष व्याप्त था?

(2) क्या यह सही है कि गृह-कर का एसेसमेंट किये जाने के पश्चात् उनके संबंध में आपत्तियां नियमानुसार नहीं मांगी गई?

(3) क्या यह सही है कि प्रशासक ने चुंगी कर में वृद्धि करते समय यह आश्वासन दिया था कि अब किसी प्रकार का कर नहीं लगाया जायेगा?

(4) क्या यह सही है कि उक्त कर के विषय को लेकर जिलाधीश कार्यालय के समक्ष आन्दोलन चला था?

(5) क्या सरकार ने इस संबंध में कोई आवश्यक निदेश जारी किये थे?

उत्तर

1. आपत्तियां मांगने के लिये धारा 117 के तहत नोटिस दिये गये थे। कर वसूली के लिये बिल दिये गये हैं। जनता में विशेष असंतोष मालूम नहीं पड़ता।

(स्वा. शा. मंत्री)

2 जी नहीं। आपत्तियां नियमानुसार मांगी गई हैं।

3. जी नहीं। सिर्फ चुंगी कर में वृद्धि नहीं करने का आश्वासन दिया था।

4. जी हां।

5. जी नहीं।

अश्व पालन उद्योग

290. श्री पृथ्वीसिंह देवड़ा (बाली): क्या पशुपालन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या सरकार को विदित है कि राजस्थान में अश्व पालन एक बहुत प्राचिन उद्योग है ? राजस्थान में अश्वों की संख्या क्या है ?

(2) सरकार ने इस उद्योग को प्रोत्साहन देने हेतु क्या योजना बनाई है ?

(3) यदि नहीं, तो क्यों ?

(4) क्या यह सही है यहां पर आर्मी वालों ने एक हार्स ब्रीडिंग की योजना चालू की थी पर राज्य सरकार की तरफ से ब्रीडर्स को प्रोत्साहन नहीं मिलने के कारण उन्हें बड़ी निराशा हुई है और वे धीरे धीरे इस योजना को बन्द करने लगे हैं ?

उत्तर

1. राजस्थान में अश्वों की (टट्टुओं सहित) संख्या 63085 है।

2. जी, नहीं।

3. अश्वपालन का सामरिक महत्व अब कम हो गया है और कृषि में भी अश्वों का कोई खास प्रयोग नहीं होता है। ऐसी अवस्था में राज्य सरकार अपने सीमित साधनों का व्यय अश्व-पालन के लिये करने में असमर्थ है।

4. इस प्रश्न का सम्बन्ध सुरक्षा मंत्रालय भारत सरकार से है। पशुपालन विभाग को इस सम्बन्ध में कोई जानकारी नहीं है।

उप जिला क्षेत्र छबड़ा के थानों में दर्ज डकैतियों के मामले

291. प्रेमसिंह सिंघवी (छबड़ा): क्या गृहमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) 1 अप्रेल से 31 जुलाई, 1969 तक छबड़ा उप जिला क्षेत्र के थानों में डकैतियों के कितने मामले दर्ज किये गये ? यह डकैतियां किन किन अफसरों की नियुक्ति के समय में हुईं ?

(2) क्या सरकार को यह उचित प्रतीत नहीं होता कि जिन अधिकारियों के तैनात रहते हुए यह डकैतियां हुईं उनसे स्पष्टीकरण मांगा जावे ?

उत्तर

1. 1 अप्रेल से 31 जुलाई, 1969 तक छबड़ा उप जिला क्षेत्र में डकैती के 5 अभियोग दर्ज हुए हैं। यह अभियोग किन किन अफसरों की नियुक्ति में हुए हैं की तथा थानावार अभियोगों की तालिका संलग्न है।

2. उपरोक्त पांचों अभियोगों से 1 अभियोग में 11 मुलजिमान को गिरफ्तार किया गया व माल मसरूका 36000) रु०

(गृह मंत्री)

उनके कब्जे से बरामद किया जाकर तारीख 26-6-69 को चालान न्यायालय में प्रस्तुत किया जा चुका है। तथा बकाया चार अभियोगों में पतारसी माल मुलजिमान की कोशिश जारी है। एक सब इन्सपेक्टर को गफलत आदि के आरोपों पर सस्पेन्ड भी किया गया है व जहां भी कोई ढिलाई या दोष पाया जाता है कर्मचारियों के खिलाफ उचित कार्यवाही नियमानुसार की जाती है।

1 अप्रेल से 31 जुलाई 1969 तक छबड़ा उप जिला क्षेत्र में कुल पांच अभियोग डकैती के पंजिबद्ध हुए जिनकी स्थिति निम्न प्रकार है :—

(1) अभियोग संख्या 20 धारा 395/397 ता० हि० दि० 5-4-69 थाना बापचा जिला कोटा। थाना इन्चार्ज एस० आई० श्री घनश्यामलाल की नियुक्ति के समय।

(2) अभियोग संख्या 21 धारा 395/397 ता० हि० दि० 12-4-69 थाना बापचा जिला कोटा। थाना इन्चार्ज एस० आई० श्री घनश्यामलाल की नियुक्ति के समय।

(3) अभियोग संख्या 18 धारा 395/353 ता० हि० दि० 8-4-69 थाना हरनोदा जिला कोटा। श्री रामनारायन एस० आई० इन्चार्ज थाना की नियुक्ति के समय।

(4) अभियोग संख्या 65 धारा 396/397 ता० हि० दि० 20-4-69 थाना छबड़ा जिला कोटा। श्री झमनलाल, एस० आई० इन्चार्ज थाना की नियुक्ति के समय इन्हें सस्पण्ड कर दिया गया है।

(5) अभियोग संख्या 57 धारा 395/397 ता० हि० ता० 24-4-69 थाना छीपा बड़ोद, जिला कोटा। श्री सांवतसिंह एस० आई० इन्चार्ज थाना की नियुक्ति में।

अमरपुरा राठान एवं गांव लढ़ाना की काश्त की भूमि

292. श्री रामचन्द्र आर्य (नोहर) : उपनिवेशन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि अमरपुरा राठान व गांव लढ़ाना में आबादी भूमि कई सालों से काश्त होती है? यदि हां, तो कुल कितना मुरब्बा अमरपुरा राठान में व कितना मुरब्बा लढ़ाना की काश्त हो रही है?

(2) क्या यह सही है कि अमरपुरा राठान की 5 मुरब्बा व लढाना की 2 मुरब्बा आबादी भूमि बीरबल प्रधान पं० समिति सूरतगढ़ काश्त करता है? यदि हां, तो क्यों?

(3) क्या यह सही है कि लढ़ाना की आबादी भूमि के 2 मुरब्बे गिरधारी सरपंच राजपुरा फपरेन के नाम अलाट हुए हैं? यदि हां, तो क्यों?

(4) क्या यह सही है कि यह 7 मुरब्बा भूमि नाली की है जिसमें करीब 50—60 हजार रुपयों की आमदनी होती है? यदि हां, तो इस आमदनी का कौनसा हिस्सा सरकार के खजाने में जमा होता है? यदि नहीं होता है, तो क्यों?

(5) अमरपुरा राठान व लढ़ाना की आबादी के 7 मुरब्बे कौन कौन से सन् से काश्त हो रहे हैं व काश्त कौन करता है?

उत्तर

(1) जी हां, अमरपुरा राठान की आबादी भूमि 133।।।)। बीघा में से 33 बीघा सन् 65–66 से कर्मसिंह व ग्राम लुढ़ाना की आबादी भूमि 125) बीघा में से 24) बीघा सन् 65–66 से कुल 57 बीघा काश्त होती रही है।

(2) जी नहीं।

(3) जी हां। सन् 1965–66 में यह आबादी की 24 बीघा भूमि राजस्व मंत्री के आदेश दिनांक 3-5-65 के द्वारा अलोट की गई थी।

(4) जी नहीं। बल्कि अमरपुरा राठान की 33) बीघा व लुढाना की 24) बीघा भूमि में ही काश्त होती है जो 4) रुपया प्रति बीघा मालकाना पर उपनिवेशन अधिकारी द्वारा राजस्व मंत्री के दिनांक 3-5-65 के आदेश अनुसार आवंटित की गई थी।

(5) प्रश्न नहीं उठता। प्रश्न 1 में जानकारी दी गई है।

मनोहरथाना जल प्रदाय योजना

293. **श्री विट्ठल प्रसाद शर्मा (अकलेरा)** : क्या जन स्वास्थ्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) मनोहरथाना जल प्रदाय योजना कब से शुरू हुई थी और कब तक पूर्ण हो जाने का अनुमान है ?

(2) इस योजना पर लागत राशि अभी तक क्या हो चुकी है ?

(3) क्या विभागीय अधिकारियों द्वारा कूप निर्माण एवं टंकी निर्माण कार्य उपेक्षा से किया गया है ?

(4) क्या यह सही है कि कुओं में पानी नहीं है और टंकी जगह जगह से टूट चुकी है ?

(5) जिन अधिकारियों ने राजकीय धन का दुरुपयोग किया है उनके विरुद्ध सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

उत्तर

(1) सन् 60 से योजना पूर्ण की जा कर जल वितरण शुरू किया जा चुका है।

(2) इस योजना पर अब तक लगभग रुपया 1.88 लाख व्यय किया जा चुका है।

(3) जी नहीं।

(4) जी नहीं, किन्तु अब टंकी ठीक हालत में है।

(5) धन के दुरुपयोग करने का प्रश्न नहीं उठता।

पुलिस थाना मलारना डूंगर में मुलजिम की मृत्यु

294. **श्री श्रवण लाल** (हिन्डोन): क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि पिछले कुछ माह में पुलिस थाना मलारना डूंगर में किसी मुलजिम की मृत्यु पुलिस थाने के अन्दर हुई थी ?

(2) क्या यह सत्य है कि उसकी मृत्यु पुलिस थाने के एस. एच. ओ. की मारपीट के कारण हुई ?

(श्री श्रवणलाल)

(3) यदि हां, तो उनके खिलाफ सरकार ने क्या कार्यवाही की ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी नहीं।

(3) इसकी जांच हस्ब दफा 176 जा० फौ० एस० डी० एम० साहब गंगापुर द्वारा की गई।

बून्दी नगरपालिका के प्रशासक द्वारा भूमि का बेचान

295. श्री केशरीसिंह हाड़ा (हिन्डोली): क्या स्वायत्त शासन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) बून्दी नगरपालिका के भंग होने के बाद प्रशासक के कार्य-काल में कितनी जमीनें बेची गईं व किस दर से और किस किस को ?

(2) प्रशासक के कार्यकाल में कितनी बत्तियाँ नई लगाई गईं ?

(3) क्या यह सत्य है कि देवपुरा से बून्दी सड़क पुलिस लाइन के सामने होकर जाती है वह कोटा—बून्दी की मुख्य सड़क होते हुए भी उस पर एक भी बत्ती क्यों नहीं लगाई गई जब कि प्रशासक ने अपने मकान के सामने व बंगले में दो बत्तियां लगा लीं और चिमन कादरी के मकान के सामने कम से कम 100 वाट का बल्व लगा हुआ है ?

(4) सरकार वार्ड नं 18 जो कि एक पिछड़ा हुआ वार्ड है और नगरपालिका ने जिसकी की सदा से उपेक्षा की है, वहां पर पाइप लाइन व सड़क पर बत्तियों की पूर्ण व्यवस्था कब तक करा देगी ?

(स्थगित किया गया)

स्थगित प्रश्न

14-8-69

झालावाड़ जिले में अपराधों की संख्या

75. श्री लक्ष्मण तानीवाल (डग सु.): क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) झालावाड़ जिले में गतवर्ष सन् 1967-68 में हत्याएं, शील भंग एवं अपहरण की कुल कितनी वारदातें हुईं ? इन घटनाओं का विवरण मय स्थान, तारीख सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) खानपुर तहसील के लीमी ग्राम में बन्दूक से घायल होने की घटना की सूचना से वर्तमान स्थिति तक की सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) उपरोक्त अवधि में हुई इन घटनाओं पर कितनों को दण्डित किया व कितने केस अभी चल रहे हैं ?

(स्थगित किया गया)

स्थगित प्रश्न

14-8-69

ग्राम खेड़ली रेल में पुलिस द्वारा औरतों के साथ छेड़छाड़

81. श्री गंगासहाय कोली (कठूमर-सु०): क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि 4-3-69 की रात्रि को कुछ पुलिसमैन थाना खेड़ली

(श्री गंगासहाय कोली)

मंडी से ग्राम खेड़ली रेल में, शराब पीकर गये और कोलियों के घरों में घुसकर औरतों से छेड़छाड़ की ?

(2) क्या यह भी सही है कि इस छेड़छाड़ के कारण मारपीट हुई ?

(3) क्या यह सही है कि पुलिसमैन एक बार पिट कर आ गये और दुबारा कुछ अन्य साथियों को लेकर गये और पुनः मारपीट हुई ?

(4) क्या यह भी सही है कि दूसरी बार पिटकर आने पर पुलिसमैन थानेदार को, 8 पुलिसमैन को साथ लेकर राइफलें लेकर गये और वहां से औरतों व बच्चों को घसीट कर लाये और गोलियां चलाईं तथा झोंपड़ियों में आग लगा दी ?

(5) क्या यह भी सत्य है कि जनता की भीड़ को देखकर पुलिस डर गई और वापिस आ गई ?

(6) क्या यह भी सही है कि 5-6-7-3-69 को जो भी कोली किसी भी गांव का सामने आया उसी को पकड़ कर थाने ले गये और पिटाई की गई ?

(7) क्या यह भी सही है कि खेड़ली रेल के 14 कोलियों को एक एक करके थाने में ले जाकर बन्द कर दिया और उनकी पिटाई की गई जिसके मार के निशान शरीर पर 16-3-69 तक भी मौजूद थे ?

(8) क्या यह भी सही है कि नायब थानेदार ने हरएक थाने में बन्द व्यक्ति को कहा कि एक एक हजार रुपये देते जाओ और छूटते जाओ ? क्या यह भी सत्य है कि बाद में प्रत्येक से दो दो सौ रुपये लिये गये हैं और छोड़ा गया है ?

(9) क्या यह भी सही है कि जिस परिवार के लोगों के यहां सबसे पहले पुलिसमैन शराब पीकर घुसे थे वह परिवार पुलिस के डर से गांव छोड़कर भाग गया था जिसका पता 16-3-69 तक कहीं भी नहीं लगा था ?

उत्तर

1— यह सत्य है कि दि० 4-3-69 को आरक्षी श्री रामजीलाल मय आरक्षी किशोरीलाल व विष्णुप्रिय के खाना खाने के लिये अपने रिश्तेदार रामजीलाल धोबी के घर आरक्षी केन्द्र खेड़ली से ग्राम खेड़ली रेल गये थे। यह सत्य नहीं है कि उन्होंने कोलियों के घरों में घुस कर उनकी औरतों को छेड़ा। पुलिस वालों ने आपस में झगड़ा होने की इत्तला दी थी किन्तु छेड़ छाड़ करना व उसके कारण झगड़ा होना जांच में पाया नहीं गया। डाक्टरी मुआयने से आरक्षी किशोरीलाल का शराब पीया हुवा मालूम हुवा लेकिन वह होश में था।

2— जी नहीं।

3— जी नहीं।

4— जी नहीं।

5— जी नहीं।

6— जी नहीं।

7— जी नहीं। बल्कि 11 कोलियों को दि० 7-3-69 को केस नं० 7/69 के सिलसिले में आरक्षी केन्द्र खेड़ली पर तलब किया गया था जिनको जमानत पर आजाद किया गया।

8— जी नहीं।

9— जी नहीं।

परिशिष्ट 3

(अ. प्र. सं 378 की सूची)

LIST OF BOOKS ON WHICH CASH AWARDS HAVE BEEN SANCTIONED TO GOVERNMENT SERVANTS

1. Shri P. S. Chaudahry, Steno, Govt. Secretariat, Jaipur.	Rs. 500/- May, 1963.	Book on Public Administration.
2. Shri K. S. Shankhala, Soil Conservation Officer, Forest Deptt. Jaipur.	Rs. 1500/- Aug. 1965.	1. Wild Life of Rajasthan. 2. Wild Life Conservation. 3. Wild Life Sanctuaries 4. Immigration game birds from Rajasthan.
3. Shri P. R. Vyas UDC Development Deptt. Jaipur.	Rs. 1000/- Dec. 1968.	1. Vichar aur Kartavya. 2. Ratan Parkhi. 3. Satya ki Vijaya. 4. Teen lakh ki teen Bat. 5. Articles published in various papers.
4. Shri Suraj Raj Bhansali, A. O. Industries, Deptt. Jaipur.	Rs. 500/- May, 1969.	Panchyati Raj Ka vit Vidhan.

List of books on which no award was recommended.

1. Shri R. P. Vashtha, Steno. Govt. Secretariat, Jaipur.	May, 1963.	1. Navrang. 2. Pratidhawani 3. Nari Hath
2. Shri B. L. Dashora, Director, Training Devt. Deptt. Jaipur.	April, 1963.	Rajasthan ki Tritiya Yojna.

Page No 221

3. Shri P. M. Bhandari, Distt. Industries Officer, Bhilwara.	July, 1963.	A guide to Small Scale Industries.
4. Shri Ram Kishan Vyas, Steno Govt. Sectt. Jaipur.	1965	Tankan Shiksha.
5. Shri N. C. Dutta, D.I.G. Jodhpur.	Oct., 1966	Snakes, Camels, Sand and our border
6. Shri T. P. Joshi, S.D.O. Jaipur.	Dec., 1966	(1) Samadhi ke Prashna (2) Shankhon ke Tukre.
7. Shri Prahlad Sharma	April, 1969	Balu ki Parten.
8. Shri Nanag Ram Peon Govt. Sectt., Jaipur.	July, 1969	Do Nayan.

The application of Shri Sukhvir Singh Gahlot, Tehsildar Sojat received here in April, 1969 and is under consideration. The book submitted for consideration is "Rajasthan ka Sankshipt Itihas".

Page No 222

परिशिष्ट 4

(अ० प्र० सं० 382 की सूची)

ऐसे कर्मचारियों की सूची जिन्हें अलवर शहर में नौकरी करते हुए 20-25 वर्ष हो चुके हैं।

नाम कार्यालय	कर्मचारी का पद		संख्या
1. शिक्षा विभाग, अलवर	अध्यापक		1
2. जिला सत्र न्यायाधीश, अलवर	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी		1
3. वन विभाग, अलवर	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी		1
4. अधिशाषी अभियन्ता, भवन व पथ, अलवर।	कनिष्ठ लिपिक		1
5. पशु पालन कार्यालय, अलवर	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी		1
6. अधिशाषी अभियन्ता, सिंचाई	——		3
7. जिला कारागृह, अलवर	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी		2
8. राजकीय कॉलेज, अलवर	प्रोफेसर, वरिष्ठ लिपिक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी		6
9. प्रिंसिपल, मेडीकल एण्ड हैल्थ ऑफीसर, अलवर	डाक्टर	4	41
	क० लि०	2	
	कम्पाउन्डर	10	
	टैक्नीशियन	2	
	दाई	1	
	दरजी	2	
	वार्डन	2	
	चतुर्थ श्रेणी क०	16	
	रसोइया	1	
	पम्पड्राइवर	1	
	कुल योग :—	41	
10. वाणिज्य आयकर विभाग	कनिष्ठ लिपिक, च० श्रे० क०		3
11. सर्किट हाउस, अलवर	———		4
	कुल योग		64

परिशिष्ट 5

(अ. प्र. सं. 383 की सूची)

युनिट का नाम	आमदनी			
	65-66	66-67	67-68	68-69
	(1-7-65 से 31-3-66)			
1. राजस्थान स्टेट होटल, जयपुर	259413	436659	509627	584043
2. राजस्थान स्टेट होटल, उदयपुर	48312	105828	131861	151120
3. राजस्थान स्टेट होटल, जोधपुर	39838	80665	25853	—
4. राजस्थान स्टेट होटल, बीकानेर	23379	30483	11204	—
5. राजस्थान स्टेट होटल, सिलिसेड	40223	63678	84174	89345
6. लिकर शॉप माउन्ट आबू	16261	137098	178083	241178
विजिटर्स की संख्या (रात्रि का विश्राम)				
राजस्थान राज्य होटल, जयपुर	5,302	8,183	9,368	8,748
राजस्थान राज्य होटल, जोधपुर	1,520	3,709	1,532	—
राजस्थान राज्य होटल, उदयपुर	2,394	4,475	5,902	3,950
राजस्थान राज्य होटल, बीकानेर	1,238	1,652	604	—
राजस्थान राज्य होटल, सिलिसेड	1,018	1,452	1,710	1,254

नोटः— राजस्थान राज्य होटल, जोधपुर एवं बीकानेर सन् 1968–69 में राज्य सरकार के अधीन आ गए हैं।

परिशिष्ट 6

(अ. प्र. सं. 385 की सूची)

GOVERNMENT OF RAJASTHAN

Cabinet Secretariat

No. F. 17 (1) Cab/67
Dated, Jaipur, June 12, 1967.

To

ALL COLLECTORS.

In order to deal with and redress legitimate grievances of the public, it has been decided that the Collectors should fix one day in a week when they will stay at the headquarters of their districts and be available to the public to hear their grievances. They should invariably stay at the headquarters on that day unless for reasons of administrative expediency they have to be unavoidably away from the headquarters. In that case the next senior officer, e. g. the Additional Collector or the Sub-Divisional Officer, should be present at the head-quarters and should hear the grievances of the members of the public.

Such an assurance has been given in the Rajasthan Legislative Assembly and it is enjoined on all Collectors to implement this assurance in letter and in spirit.

The day of the week thus fixed by the Collectors should be made known to the public and also intimated to the Government (addressed to the Deputy Secretary, Cabinet Secretariat).

Sd/-K. P. U. Menon
Chief Secretary to Government.

Copy for information to the:--

1. All Secretaries to Government.
2. Private Secretaries to All Ministers/Dy. Ministers.
3. Secretary, Rajasthan Legislative Assembly, Jaipur.

Sd/A. V. Nag,
Assistant Secretary to the Government.

परिशिष्ट 7

(अ. प्र. सं. 388 की सूची)

फहरिस्त चन्दा एन० डी० एफ० 1965 जिला गंगानगर

नं० शु०	नाम महकमा	रकम
1.	त० अनूपगढ़	32416-04
2.	,, गंगानगर	10726-46
3.	,, करनपुर	103437-74
4.	,, रायसिंहनगर	26423-89
5.	,, पदमपुर	156789-74
6.	,, सूरतगढ़	94979-63
7.	,, हनुमानगढ़	193786-56
8.	,, सादुलशहर	46078-07
9.	,, सांगरिया	69164-24
10.	,, टीबी	66122-14
11.	,, नोहर	49226-69
12.	,, भादरा	25305-00
13.	,, उपजिलाधीश, करनपुर	3625-00
14.	,, रायसिंहनगर	5158-00
15.	,, ए. आर. टी. ओ. गंगानगर	2716-00
16.	,, अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई, गंगानगर	219-00
17.	,, अधिशाषी अभियन्ता, हनुमानगढ़	230-28
	योग-	977905-01

Page No 226

परिशिष्ट 8

(अ० प्र० सं० 389 की सूची)

(सूची ख)

कोटा जिले की विभिन्न तहसीलों से राजस्थान मुख्य मंत्री अकाल एवं बाढ़ सहायता कोष में प्राप्त राशि की सूची

	नाम तहसील	संग्रहित धनराशि सन् 1969 तक
1.	शाहबाद	1617-60
2.	छीपाबड़ोद	6352-45
3.	किशनगंज	5790-22
4.	सांगोद	13468-25
5.	रामगंज मंडी	11404-00
6.	अटरू	398-00
7.	छबड़ा	1237-00
8.	बारां	1511-73
9.	पीपल्दा	5221-00
10.	मांगरौल	3492-45
11.	दीगोद	318-00
12.	लाडपुरा	235-00
	योग	51045-10

ह० जिलाधीश (सहायता),
कोटा ।

(सूची ख)

कोटा नगर में राजस्थान मुख्य मंत्री अकाल एवं बाढ़ सहायता कोष में प्राप्त राशि

क्रम सं०	नाम व्यक्ति या एजेन्सी जिसके द्वारा राशि प्राप्त हुई	संग्रहित धनराशि दि० 30 जून 69 तक		विशेष विवरण
		नगद द्वारा	चैक या ड्राफ्ट द्वारा	
1	2	3	4	5
1.	श्री कन्या विद्यालय निरीक्षिका, कोटा	1641-99		
2.	,, प्रिंसिपल जे. डी. के. गर्ल्स कालेज, कोटा	500-00		
3.	,, प्रधान अध्यापिका गर्ल्स हा० से० स्कूल, भीमगंज मण्डी	700-00		
4.	,, कन्या विद्यालय निरीक्षिका, कोटा	1213-56		
5.	,, प्रधान अध्यापिका, गर्ल्स सैकण्ड्री स्कूल, टिप्टा	10-00		
6.	,, अध्यक्ष, दिव्य भारती, कोटा	501-00		
7.	,, प्रधान अध्यापक, उच्च० प्राथ० वि० पाटनपोल, कोटा	51-00		
8.	,, उप जिला विकास अधिकारी, कोटा	1001-00		
9.	,, प्रधान अध्यापक, रा० बु० प्रा० शाला, लाड़पुरा प्रथम कोटा,	12-50		
10.	,, जिला रसद अधिकारी, कोटा	476-00		
11.	,, गजेन्द्र प्रसाद शिक्षा प्रसार अधिकारी, प० स० लाडपुरा	190-00		

Page No 228

1	2	3	4	5
12.	श्री प्रधान अध्यापक, राज० उच्च. प्राथ. वि० लाडपुरा, कोटा	51-00		
13.	,, जे० के० सिन्थेटिक्स, कोटा	4105-00		कोष में चालान द्वारा जमा कराया
14.	,, एम० एल० गुप्ता, मैनेजर बृज टॉकीज, कोटा	51-00		
15.	,, दिव्य भारती, कोटा	500-00		
16.	,, मजदूर सेवा संघ, गांधी झुग्गी, कोटा	201-00		
17.	,, ओमप्रकाश बलवानिया संयुक्तमंत्री, कोटा	51-00		
18.	,, भंवरसिंह, उपाध्यक्ष, कोटा	101-00		
19.	,, घनश्याम व्यास, कोटा	151-00		
20.	,, धन्नालाल ठेकेदार, कोटा	101-00		

परिशिष्ट 9

(अ. प्र. सं. 401 की सूची)

दिनांक 24-7-69 वर्ष 1968-69 में मरम्मत कार्यों पर खर्च की राशि की सूची

क्र. सं.	मद	कुल खर्च वर्ष 68-69	खर्च की राशि सब डि० टोंक	जिला टोंक में सब डिवीजन मालपुरा	कुल टोटल जिला टोंक	जिला सवाई माधोपुर में टोंक डिवीजन द्वारा खर्च की गई राशि
1	मरम्मत कार्य भवनों पर	187214	73099	16371	89470	97744
2	मरम्मत कार्य सड़कों पर	1504740	633022	356191	989213	515527
					1078683	613271

नोट:— 1. बजट प्रावधान कार्य वार किया जाता है और स्वीकृत धन राशि उसी कार्य पर खर्च होती है जिसका कि प्रावधान होता है। अतः मूल कार्यों का खर्चा तालिका में शामिल नहीं किया गया है।

नोट:— 2. सवाई माधोपुर जिले का कुछ भाग भरतपुर डिवीजन में भी आता है। भरतपुर डिवीजन द्वारा सवाई माधोपुर जिले में खर्च की गई धन राशि के आंकड़े इस तालिका में भरतपुर जिले से संबन्धित प्रश्न न होने के कारण शामिल नहीं किये गये हैं।

परिशिष्ट 10

अ. प्र. सं० 416 की सूची

परिशिष्ट "क"

भूमि विकास बैंकों द्वारा जिलेवार ऋण की 30-6-69 तक की सूची

क्रम संख्या	नाम जिला	रकम
1.	अजमेर	37,38,525
2.	अलवर	22,74,369
3.	भरतपुर	33,60,730
4.	भीलवाड़ा	20,33,350
5.	बून्दी	14,41,680
6.	बांसवाड़ा	5,06,020
7.	बाड़मेर	9,98,150
8.	चित्तौड़गढ़	18,86,350
9.	चूरू	2,34,955
10.	डूंगरपुर	3,05,950
11.	गंगानगर	42,73,330
12.	जयपुर	63,95,170
13.	जोधपुर	24,85,350
14.	जालोर	7,19,190
15.	झालावाड़	13,23,035
16.	झुंझुनू	15,07,070
17.	कोटा	73,20,102-50
18.	नागौर	16,86,095-00
19.	सिरोही	5,86,580-00
20.	पाली	10,84,600-00
21.	सीकर	39,09,340-00
22.	सवाई माधोपुर	56,12,935-00
23.	टोंक	16,41,490-00
24.	उदयपुर	29,68,970-50
		5,82,93,337-00

परिशिष्ट "ख"

ऋण जिस काम के लिए दिया गया उसकी 31-3-69 तक की सूची

क्रम संख्या	ऋण का प्रकार	संख्या काश्तकार	रकम
1.	बन्धक से छुड़ाने बाबत	190	4,06,210-00
2.	पुराने कर्ज चुकाने बाबत	389	8,35,657-00
3.	परोक्ष ऋण	230	4,73,475-00
4.	नए कुएं बाबत	5331	1,71,26,866-50
5.	कुएं मरम्मत बाबत	1348	42,62,600-20
6.	भूमि सुधार बाबत	1022	25,96,115-50
7.	पंपिंग सैट	1945	97,61,346-00
8.	ट्रैक्टर	416	68,63,240-00
9.	फार्म हाउस	439	15,28,305-00
10.	केटल शैड	17	71,150-00
11.	कृषि औजार	131	3,96,596-50
12.	नालियां व डिग्गी बाबत	843	30,60,021-25
13.	अन्य मान्यता प्राप्त कार्य	1611	42,33,364-25
		13912	5,16,14,947-00

परिशिष्ट 11

(अ० प्र० सं० 430 की सूची)

राजस्व तहसील नोहर के ग्रामों की सूची जो रा० न० यो० क्षेत्र की विभिन्न उपनिवेशन तहसीलों में स्थित हैं।

नं.शु.	नाम राजस्व तहसील	नाम उपनिवेशन तहसील	नाम ग्राम	विशेष विवरण
1.	नोहर	हनुमानगढ़	चाहिया	
			उदेला	
			खाखड़की	
			बनवालिया	
			कनवाना	
			टोपरिया	
			सरदारपुरा खर्था	
			दासवाली	
			गन्धेली	
		रावतसर	रावतसर	
			पिरवाल	
			रेखकनकपुरा	
			कालिया खोरा	
			पोहड़का	
			रायपुरा	
			बिरकाली	
			धन्नासर	
			मुन्शरी	
		सूरतगढ़ नं० 1	मेन्सरी	
		सूरतगढ़ नं० 2	केवासरी	
			केसरदेसर	
			खोड़ा	
			हरदासवाली	

परिशिष्ट 'ब'
राजस्व तहसील नोहर के चकों की सूची
जो कि आर० पी० सी० क्षेत्र में स्थित हैं।

नं० शु०	नाम राजस्व तहसील	नाम चक	तादाद चक	विशेष विवरण
(1) नोहर	20 से 27	आर० डब्ल्यू० बी०	8	
	22 से 23	ए० जी०	2	
	1 से 3	ए० एस० एम०	3	
	1,2 से 11	ए० एम०	10	
	2,4 से 7	ओ० पी० एस० एन०	5	
	1 से 10	एस० पी० एम०	10	
	2,4 से 15	बी० पी० एम०	13	
	1 से 30	डी० डब्ल्यू० डी०	30	
	1 से 12	आर० डब्ल्यू० डी०	12	
	1 से 14	के० एम०	14	
	1 से 5	एम० डब्ल्यू० डी०	5	
	1 से 2	टी० के० एम०	2	
	1 से 22	एन० डब्ल्यू० डी०	22	
	1 से 7	आर० डब्ल्यू० एम०	7	
	1 से 3	आर० डब्ल्यू० एस० एम०	3	
	1 से 11	डी० डब्ल्यू० एम०	11	
	1 से 8	एन० डब्ल्यू० एस० एम०	8	
	1 से 3	डी० डब्ल्यू० एस० एम०	3	
	1 से 7	पी० पी० एम०	7	
	1 से 5	बी० डब्ल्यू० एम०	5	
	1 से 5	सी० वाई० एम०	5	
		योग रावतसर डि० कुल चक	185	
1 नोहर	1 से 16	के० डब्ल्यू० डी०	16	
	1 से 8	के० डब्ल्यू० एम०	8	
	1 से 2	ए० पी० एम०	2	
		योग खेतावाड़ी डि० चक	26	

नोटः—सदर मुन्सरिम शाखा में केवल उपनिवेशन तहसील, हनुमानगढ़, रावतसर का ब्यौरा चकवार था वह उपरोक्त है, शेष उपनिवेशन तहसील, सूरतगढ़ नं० 1/2 का ब्यौरा उपलब्ध नहीं होने से दर्ज करने में असमर्थ है।

परिशिष्ट 12 परिशिष्ट (क)

(अ० प्र० सं० 433 की सूची)

जिला चित्तौड़गढ़, सब डिवीजन प्रतापगढ़ में संचालित
औषधालयों की सूची

क्र० सं०	स्थान जहां औषधालय संचालित हैं
1.	प्रतापगढ़
2.	रठन्जना
3.	अमलावद
4.	वसांड
5.	सेलारपुरा
6.	प्रतापगढ़ (यूनानी)
7.	गादोला
8.	सुहागपुर
9.	सालमगढ़
10.	कोटड़ी
11.	खैरोट

परिशिष्ट 13

(अ० प्र० सं० 434 की सूची)

विगत तीन वर्षों में खुले औषधालयों की सूची

क्र० सं०	नाम जिला	नाम औषधालय	वर्ष
1	गंगानगर	1-बानसिया	66-67
		2-चक नं० 3एफ०डी	,,
		3-सथफड़ा	,,
		4-सगीना अघूना	,,
		5-गडसाना	,,
		6-सरदारगढ़	,,
		7-घमडिया	,,
		8-बीरमाना	,,
		9-नौरंगदेसर	,,
		10-खोडा	,,
		11-डबलीकला	,,
		12-मलसीसर	67-68
		13-मिवलाली	68-69
2	बीकानेर	1-सीथल	66-67
		2-बीकानेर (यू०)	,,
3	स०माधोपुर	1-गंगापुरसिटी	68-69
4	बांसवाड़ा	1-सुरपुर	66-67
		2-बामनपाड़ा	,,
		3-कलिजरा	,,
		4-लसोड़ा	68-69
5	भीलवाड़ा	1-बोराना	66-67
		2-गाडरमाला	,,
		3-सरगांव	,,
		4-अरजीया	,,
		5-कोटड़ी	,,
		6-आम्बा	,,
		7-जोजवा	,,
		8-उन्दरी	66-67
		9-बाबलास	,,
		10-बरसानी	67-68
		11-घतोदा	67-68
		12-छोटीबिजोलिया	66-67
		13-तिलसवा	67-68
		14-जालन्दरी	,,
		15-कोटड़ीकोटा	68-69
		16-बेनाली	,,
6	चितौड़गढ़	1-करजू	66-67
		2-करजाली	,,
		3-साडास	,,
		4-ताणा	,,
		5-फलवा	,,
		6-धोला पानी	67-68
		7-जलोदिया	,,
		8-डिडोली	,,
		9-भीमगढ़	,,
7	अलवर	1-खोहर	66-67
		2-खैरथल	,,
		3-बलदेवगढ़	,,
		4-गोगलाना	,,
		5-माचड़ी	67-68
		6-करणीकोट	,,
		7-कीलपुरखेड़ा	67-68
		8-दातिया	68-69
		9-दुहारचोगान	,,
		10-सकट	,,

1	2	3	4
8	भरतपुर	1–हायेड़ी	66–67
		2–समरथपुरा	67–68
		3–जोतरोहिला	68–69
		4–सकवाड़ा	,,
		5–मांगरोल	,,
		6–बरखेड़ा	,,
9	उदयपुर	1–पीपली आचार्यान	66-67
		2–हीता	,,
		3–ओढा	,,
		4–बाठी	,,
		5–चराणा	,,
		6–फलीचड़ा	,,
		7–कुचोली	,,
		8–पश्चमता	,,
		9–मानसोल	,,
		10–बिनोल	,,
		11–सेवन्तरी	,,
		12–तासोल	,,
		13–राजियापास	,,
		14–बम्बोरी	,,
		15–देवगढ़	,,
		16–जोइन्दा	,,
		17–पीपलान्तरी	,,
		18–आत्मा	,,
		19–जूणदा	,,
		20–टेकरी	,,
		21–बामणिया	,,
		22–करावली	,,
		23–खेमपुर	,,
		24–कोसीवाड़ा	,,
		25–सुन्दरवास	,,
		26–टुकड़ाकला	,,
		27–लक्कड़वास	66–67
		28–सेमड़	,,
10	नागौर	1–गोराऊ	66–67
		2–रोहिन्डी	,,
		3–छोटीबेरी	,,
		4–सिलनवाड़	,,
		5–खरेश	,,
		6–लादड़िया	,,
		7–नागौर (यू०)	68–69
		8–डेगाना	66–67
		9–नांवां	,,
		10–जावला	,,
11	चूरू	1–चूरू	66–67
		2–सूडसर	,,
12	पाली	1–लिलाम्बा	66–67
		2–मावरी	68–69
13	सिरोही	1–देलदर	66–67
14	जोधपुर	1–तिवना सिरजा	,,
		2–किदवईरोड	68–69
15	अजमेर	1–हणुतिया	66-67
		2–शिखरानी	,,
		3–बिडचियावास	,,
		4–चलचिकित्सालय	,,
16	झालावाड़	1–घाटोली	67–68
		2–मायनिया	,,
		3–घरोनिया	,,
		4–उन्हेल	,,
		5–दुबलिया	,,
17	बूंदी	1–थाना	66–67
		2–पगारा	,,

1	2	3	4
17	बूंदी	3-गरडवा	68-69
		4-जोजावर	66-67
18	टोंक	1-मोरेला	66-67
		2-कडीला	68-69
		3-सोडा	66-67
19	सीकर	1-दूदवा	68-69
		2-खेरिया	66-67
		3-भजनगढबेरी	,,
		4-खाटूश्यामजी	,,
		5-समरथपुरा	,,
		6-गांवड़ी	,,
		7-कासली	,,
		8-छुवास	,,
		9-कोसाना	,,
		10-नागवा	,,
		11-साचलोदा	67-68
		12-दीनारपुर	,,
		13-रायपुर	68-69
		14-बठोठ	,,
20	झुंझुनू	1-गौरीर	66-67
		2-दूदवा	,,

1	2	3	4
20	झुंझुनू	3-जयपहाड़ी	66-67
		4-माकडू	,,
		5-नृसिंहपुर	,,
		6-नरहड़	,,
		7-भोजासर	67-68
		8-बुडानिया	68-69
		9-चादाड़ा	66-67
21	जयपुर	1-बेगस	66-67
		2-हणुतपुरा	,,
		3-मिलकपुरा	,,
		4-तालवा	,,
		5-बड़ोदिया	,,
		6-मडामीडा	,,
		7-गिनोई	,,
		8-भूतेड़ा	,,
		9-राजभवन	67-68
		10-मिलकपुर	,,
		11-दातिल	,,
		12-सचिवालय	68-69
22	डूंगरपुर	1-मूगेड	66-67
		2-देमई	,,
23	बाड़मेर	1-सिवाना	66-67

परिशिष्ट 14

(अ. प्र. सं. 439 की सूची)

राजकीय गौ-सम्वर्धन शालाओं से वर्ष 68–69 में पंचायत समितियों को किया गया सांड वितरण

पशु प्रजनन क्षेत्र का नाम	पंचायत समिति	गाय सांड	भैंसा सांड
1. बस्सी	दूदू	1	—
	नीमका थाना	1	—
	गोविन्दगढ़	6	—
	वोनली	4	2
	शाहपुरा	2	—
	भोटवाड़ा	—	1
		14	3
2. कुम्हेर	सेवल	4	—
	रूपवास	7	—
	बसेड़ी	2	—
	कुम्हेर	1	—
	डीग	2	—
	धौलपुर	3	—
		19	—
3. रामसर	अरांई	6	
	किशनगढ़	3	
	भिनाय	1	
	श्रीनगर	2	
	पिसांगन	1	
	दूदू	2	
		15	

1	2	3	4
4. नागौर	परबतसर	3	
	जायल	8	
	बिलाड़ा	5	
	मूंडवा	1	
	नागौर	5	
	जोधपुर	1	
	औसियां	6	
	मकराना	1	
	लाडनूं	1	
	डेगाना	2	
	भोपालगढ़	4	
		37	

चांदनबैल	7 थारपारकर सांड

कुल गाय सांड 82 एवं भैंसा सांड 3

BULL BEARING FARM
NOHAR, 1968-69

1.	Suratgarh	9
2.	Sadulsahar	7
3.	Bhadra	6
4.	Ratan Nagar	4
5.	Nokha	6
6.	Tara Nagar	6
7.	Rai Singh Nagar	4
8.	Kolayat	2
9.	Chaksu	8
10.	Uniara	9
11.	Neemrana	5
12.	Padampur	5
13.	Fatehpur	2
14.	S. Madhopur	3
15.	Nohar	7
16.	Mandawra	4
17.	Sapotra	5
18.	Jhotwara	4
19.	Beawar	2
20.	Sikar	2
	Total	99

परिशिष्ट 15

(अ. प्र सं. 444 की सूची)

परिशिष्ट "अ"

1967–68 के वित्तीय वर्ष में सरकार द्वारा सरकारी विज्ञापनों के लिए स्वीकृत समाचार पत्रों को दिये गये विज्ञापनों की राशि जिलावार

विवरण

नाम जिला		राशि जितने का विज्ञापन दिया गया
1.	जयपुर	1,36,726.18
2.	अजमेर	25,082.13
3.	जोधपुर	28,772.28
4.	पाली	344.36
5.	उदयपुर	25,336.49
6	डूंगरपुर	1,651.32
7.	चित्तौड़गढ़	3,295.60
8.	झुंझुनूं	1,341.12
9.	कोटा	8,052.14
10.	झालावाड़	5,143.60
11.	अलवर	3,414-84
12.	भरतपुर	6,735.00
13.	सवाई माधोपुर	286.44
14.	बीकानेर	11,056.70
15.	गंगानगर	5,973.00
16.	चूरू	733.92
17.	भीलवाड़ा	5,503.96
	कुल योग	2,69,433.06

परिशिष्ट 16

(अ० प्र० सं० 109 की सूची)

सवाई माधोपुर फार्म के आय एवं खर्च के आंकड़े

वर्ष	खर्चा	आय	लाभ	नुकसान
1963-64	16115)00	16337)00	—	227)00
1964-65	21038)76	22755)64	1716)88	—
1965-66	25089)15	24534)14	—	555)01
1966-67	26615)39	11837)80	—	14777)59
1967-68	20267)24	22473)86	2206)62	—

शुद्धि-पत्र

(बृहस्पतिवार, दिनांक 21 अगस्त, 1969)

स्कम्भ संख्या	पंक्ति संख्या		अशुद्ध	शुद्ध
1	2		3	4
7	अन्तिम से	12	आर	और
49	,,	11	नुक्शान	नुकसान
50		6	पसन्ट	पर्सेन्ट
51	अन्तिम से	8	श्री समापति	श्री अध्यक्ष
53		18	श्री शोभ राम	श्री शोभाराम
62	अन्तिम से	4	सहाय्य	सहायता
81	शीर्षक		(श्रीरिद्धिचन्द पालीवाल)	(श्री रिद्धिचन्द पल्लीवाल)
96	अन्तिम से	7	सदन पटल	सदन के पटल
103		3	गंगा 3	गंगानगर
,,		16	कुष्क योजना	कृषक योजना
105		7	7	71
106		6	क	के
108	अन्तिम से	7	स्वर्णो	सवर्णों
109		8	अतिक्रमियों	अतिक्रमणियों
119	अन्तिम से	9	16/11/64	16-11-64
121	,,	3	टेत्डर	टेन्डर
132		9	निमरण कार्य	निर्माण कार्य
133		11	सोचनीय	शोचनीय
134	अन्तिम से	12	श्री हरजीरा बुरडक	श्रीहरजीराम बुरड़क
143		1	ब्यक्ति	व्यक्ति
144		9	समाप्त होने पर, को रिकोर्ड पर नहीं है उसके सम्बन्ध	समाप्त होने पर, उसके सम्बन्ध
146	अन्तिम से	15	किसे	किस
149	शीर्षक		स्थगन प्रस्तावों पर 21 अगस्त 1969-अध्यक्षीय व्यवस्था	स्थ. प्र. पर अध्यक्षीय व्यवस्था-21 अगस्त, 1969-नव निर्वाचित राष्ट्रपति को बधाई सम्बन्धी प्रस्ताव

1	2	3	4
151 से 160 तक	शीर्षक	नव निर्वाचित राष्ट्रपति को–21 अगस्त, 69-धन्यवाद देने सम्बन्धी प्रस्ताव पर चर्चा	नव निर्वाचित राष्ट्रपति को–21 अगस्त, 69–बधाई देने सम्बन्धी प्रस्ताव पर चर्चा
151	शीर्ष	(श्री मुकुट बिहारी लाल)	(श्री मुकुट बिहारीलाल गोयल)
155	2	या	यह
160	अन्तिम से 9	का	से
161	,, 6	है आज	है ।
163	,, 7	, खी	रखी
170	अन्तिम से 4	श्री म्थुरा दास माथुर	श्री मथुरादास माथुर
177	16	शताब्दी	शताब्दी
179	अन्तिम से 4	Aramed	Armed
182	,, 10	abding	abiding
191	,, 6	वेल	वाले
200	,, 7	चल	चला
230	,, 7	श्री गा सहाय	श्री गंगासहाय
262	,, 13	माननीय	मानवीय
270	3	उना	उन
285 से 386 तक	शीर्षक	का. स. स. के प्र. का उ.–21 अगस्त, 1969–रा. म. नि. विधेयक, 1969 पर अग्रेत्तर विचार	राजस्थान मद्य निषेध, विधेयक 1969 पर अग्रेत्तर विचार
301	अन्तिम से 3	झापड़ियों	झौंपड़ियों
313	5	को	के
313	अन्तिम से 14	सशन	सैशन
315	11	क्या	क्यों
315	अन्तिम से 4	एग्जम्नशन	एग्जम्पशन
320	अन्तिम से 4	डीग जो इन्फार्म	जो इन्फार्म
321	11	श्री मनोहरसिंह	श्री मनोहरसिंह मेहता
326	1	महेन्द्रसिंह	श्री महेन्द्रसिंह
327	6	इसी	इसकी
328	6	अपने कैसे	अपने को कैसे
329	अन्तिम से 9	अमेंड	एक्सेप्ट

1	2	3	4
338	अन्तिम से 15	श्री मनोहर्सिह मेहता	श्री मनोहरसिंह मेहता
349	शीर्ष	———	(श्री सभापति)
,,	15	विड्रो	विथड्रो
354	अन्तिम से 7	wto	two
356	17	extent	extend
364	8	निवे	निवेदन
370	अन्तिम से 4	लेंगवेज	लैंग्वेज
377	,, 2	or any of any of	or any of
383	14	or	of
445	अन्तिम से 2	श्री घनश्यास व्यास	श्री घनश्याम व्यास